सप्तम माला, खंड 19, अंक 18 बुधवार, 9 सितम्बर, 1981/18 भाद्र, 1903 (शक)

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी-संस्करण

(छठा सत्र)

(खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

# विषय-सूची

अंक 18, बुधवार, 9 सितम्बर, 1981/18 भाद्र, 1903 (शक)


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर : | 1—24 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 347-क, 348, 349, 352 और 353 | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : | 24—205 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 350, 354 से 360, 363 से 368 और 242 | 24—33 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 3401 से 3448, 3450 से 3476, 3478 से 3548, 3550 से 3560 और 3562 से 3600 | 33—204 |
| विशेषाधिकार प्रश्न आदि के बारे में | 206—208 |
| सभापटल पर रखे गये पत्र | 209—211 |
| संसदीय समितियां—कार्य का सारांश | 211 |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 28वां प्रतिवेदन | 211—212 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | 212—240 |
| केनरा बैंक की साउथ एक्सटेंशन, नयी दिल्ली स्थित शाखा में डकैती का समाचार | 212 |
| श्रीमती प्रमिला दण्डवते | 213 |
| श्री योगेन्द्र मकवाना | 216 |
| श्री धनिकलाल मण्डल | 221 |
| श्री रामावतार शास्त्री | 226 |
| श्री जनार्दन पुजारी | 231 |
| श्री बासुदेव आचार्य | 237 |
| नियम 377 के अधीन मामले | 241—247 |
| (1) हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए उपाय | 241 |
| श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी | 241 |
| (2) कलकत्ता हवाई अड्डे पर नियुक्त इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के उपाय | 242 |
| श्री जनार्दन पुजारी | 242 |
| (3) उड़ीसा में प्राचीन स्मारकों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता | 243 |
| श्री अर्जुन सेठी | 243 |
| (4) पश्चिमी बंगाल के हथकरघा बुनकरों की कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता | 243 |


*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| श्री रेणुपद दास | 243 |
| (5) तमिलनाडु में अजीजनगर के निवासियों की शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता | 244 |
| श्री के० अर्जुन | 244 |
| (6) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पिलखनी गांव में स्थित शराब के कारखाने द्वारा जहरीले उपोत्पाद के छोड़े जाने के कारण पीने के पानी के प्रदूषण का समाचार | 245 |
| श्री जगपाल सिंह | 245 |
| (7) पंजाब वक्फ बोर्ड के संकेत पर वक्फ सम्पत्तियों को नष्ट किये जाने का समाचार | 245 |
| श्री अशफाक हुसैन | 245 |
| (8) उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों को और अधिक सिंचाई सुविधायें देने के उपाय | 246 |
| श्रीमती मोहसिना किदवई | 246 |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), 1981-82 | 247—278 |
| श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती | 247 |
| श्री पी० नामग्याल | 250 |
| श्रीमती जयन्ती पटनायक | 254 |
| श्री एस० मुरुगैयन | 256 |
| श्री रामस्वरूप राम | 259 |
| श्री चन्द्रपाल सिंह | 260 |
| श्री चिरंजीलाल शर्मा | 264 |
| श्री वाई० एस० महाजन | 266 |
| श्री सूरज भान | 270 |
| श्री रामप्यारे पनिका | 273 |
| श्री मोती भाई आर० चौधरी | 276 |
| श्री गिरधारीलाल व्यास | 278 |
| आधे घंटे की चर्चा | 279 |
| सिविल सेवाओं की चयन पद्धति में सुधार | |
| श्री एडुआर्डो फैलीरो | 279 |
| श्री पी० वेंकटसुब्बय्या | 291 |
| श्री जनार्दन पुजारी | 291 |
| श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती | 291 |
| श्री रामसिंह यादव | 293 |
| कार्य मंत्रणा समिति | 294 |
| बीसवां प्रतिवेदन | 294 |

# लोक-सभा

बुधवार, 9 सितम्बर, 1981/18 भाद्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

**श्री नीरेन घोष :** विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ ?

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया व्यवस्था रखिये। प्रश्न सं० 347-क।

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### बन्धुआ मजदूर

*347 (क) †श्री कुसुम कृष्णमूर्ति :

**श्री रामस्वरूप राम :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अध्ययन दलों ने टिप्पणी की थी कि बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए राज्यों में कोई वास्तविक प्रयास नहीं किए गए;

(ख) क्या गांधी शांति प्रतिष्ठान ने अनुमान लगाया था कि देश में बंधुआ मजदूरों की संख्या 26.17 लाख है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो देश में बंधुआ मजदूर प्रथा समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) :** (क) योजना आयोग के प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन की अध्ययन टीमों ने उन कुछ गांवों का दौरा किया जहां बंधुआ श्रमिक हैं। यह मालूम हुआ कि दौरा किए गए पाँच जिलों में बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने और उन्हें मुक्त कराने की प्रक्रिया अधूरी है। तथापि, टीमों की टिप्पणियां प्रयोगात्मक हैं। जब टीमों की रिपोर्ट पूरी हो जाएगी, तभी अन्तिम स्थिति का पता लगेगा।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय सरकार बंधुआ श्रमिकों के शीघ्र पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को बराबर-बराबर की वित्तीय सहायता दे रही है । मुख्य मंत्रियों से जून, 1981 और जुलाई, 1981 में भी अनुरोध किया गया था कि वे और व्यापक सर्वेक्षणों के आदेश दें और यह सुनिश्चित करें कि सभी बंधुआ श्रमिकों का पता लगाया जाए, उन्हें मुक्त कराया जाए तथा उनका पुनर्वास किया जाए। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे ऐसी योजनाएं तैयार करें जिनसे मुक्त कराए गए श्रमिकों को अधिक स्थायी आधार पर पुनर्वास सुनिश्चित हो ताकि वे फिर बंधुआ श्रमिक न बन जाएं ।

**श्री कुसुम कृष्णमूर्ति :** मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में इस देश से बन्धुआ मजदूर प्रणाली प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता को महसूस किया है। बन्धुआ मजदूर प्रथा एक ऐसी दासता है जो इस देश में अभी भी प्रचलित है। बड़े अफसोस की बात है कि जनता का एक वर्ग न केवल इसे जारी रहने देना चाहता है बल्कि वे इस देश की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचा कर बनाए रखने का प्रयास करते हैं । अभी तक लोक सभा और राज्य सभा में बंधुआ मजदूरों के बारे में छः प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन विभाग ने उनका उत्तर देने की ऐसी विशेष कला का विकास किया है कि पूछे गए मुद्दों का उत्तर दिए बिना ही उत्तर दे दिया जाता है ।

उत्तर के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि उसमें यह बताया गया है कि राज्य सरकारों से बार-बार यह अनुरोध किया गया है कि वे बंधुआ मजदूरों की संख्या का पता लगाने के लिए और उनका पुनर्वास करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करें। परन्तु अफसोस की बात है कि सर्वेक्षण से यह पता चला है कि राज्य सरकार ने 1.21 लाख बंधुआ मजदूरों का पता लगाया है और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार बंधुआ मजदूरों की संख्या 3.41 लाख है, जबकि गांधी शांति प्रतिष्ठान ने बंधुआ मजदूरों की संख्या 26 लाख से अधिक निर्धारित की है। इससे स्पष्ट रूप से उस तरीके का पता चला है कि राज्य सरकारें इस योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से कर रही हैं। इसके बाद बराबर मात्रा में वित्तीय सहायता देने के उपबंध का उल्लेख करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि विभिन्न राज्यों को सहायता दी गई थी। मुझे खेद है कि कुछ राज्यों ने वस्तुतः इस सहायता का उपयोग नहीं किया है। एक ऐसा राज्य है जिसे 28 लाख रुपये की धनराशि का नियतन किया गया था और सम्पूर्ण धनराशि को एक सरकारी बैंक में जमा करा दिया गया था। इससे राज्य सरकार द्वारा उनका पुनर्वास करने के लिए योजनाएं बनाने में राज्य सरकारों की असमर्थता का पता चलता है।

**अध्यक्ष महोदय :** आप सवाल पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

**श्री कुसुम कृष्णमूर्ति :** इस तरीके से राज्य सरकारें कार्यवाही कर रही हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया प्रश्न पूछिए। यह तरीका नहीं है।

**श्री कुसुम कृष्णमूर्ति :** अनेक गम्भीर भूलें हुई हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने के क्रियान्वयन में हुई इन भूलों को

महसूस किया गया है। और यदि उन्हें महसूस किया गया है, तो राज्यों पर पूरी तरह निर्भर रहे बिना बन्धुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने की इस पूरी योजना को किस प्रकार क्रियान्वयन करने का उनका विचार है ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। आपने प्रश्न पूछने में ही पांच मिनट लगा दिए हैं।

**श्री कुसुम कृष्णमूर्ति :** यदि उन्होंने उन भूलों को महसूस कर लिया है, जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है तो राज्यों पर पूरी तरह निर्भर रहे बिना सम्पूर्ण योजना को वह किस प्रकार क्रियान्वित करने जा रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** यही एकमात्र प्रश्न है।

**श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** जहां तक अधिनियम के क्रियान्वयन का संबंध है, माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को ही जिलाधीशों को आवश्यक अधिकार देने हैं। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि अधिनियम के क्रियान्वयन के बारे में जिलाधीशों को सलाह देने के लिए प्रत्येक जिले में एक सतर्कता समिति का गठन किया जाए।

**श्री कुसुम कृष्णमूर्ति :** बंधुआ मजदूरों संबंधी सम्पूर्ण योजना बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत आती है। वर्तमान जानकारी से यह पता चलता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत 4,496 मामले दर्ज किए गए हैं, परन्तु अभी तक लगभग 657 मामलों का निपटारा किया गया है। वे इसका कारण साक्ष्य का अभाव तथा अन्य बातें बताते हैं। सिविल अधिकार सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के बारे में भी इसी प्रकार की कमी है।

इसे ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम को प्रभावी और व्यापक बनाने में क्या उन्होंने कोई कठिनाई महसूस की है और यदि हां, तो क्या वह अधिनियम में किसी प्रकार के मौलिक परिवर्तन करना चाहेगी जिससे क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी बंधुआ मजदूरों का पता लगा सकें और उनका पुनर्वास कर सकें।

**श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उनका पुनर्वास करने की प्रक्रिया एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जहां तक क्रियान्वयन का संबंध है, मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम को किस प्रकार अधिक प्रभावी और व्यापक बनाया जाए, इस महीने की 14 तारीख को एक बैठक होने जा रही है।

**श्री रामस्वरूप राम :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे ऐसा लगता है कि ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सन् 1975 से हमने काफी प्रोग्रेसिव कदम उठाए हैं और कुछ महकमों में हमें सफलता भी मिली है, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि सारे देश में कुछ जिलों को छोड़कर 105,180

बाउंडेड लेबर की पहचान की गई, जिनमें से 104,749 को मुक्त किया गया है और 31,844 का पुनर्वास किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय :** आप सवाल पूछिए। आपका प्रश्न क्या है ?

**श्री रामस्वरूप राम :** प्रश्न ही पूछ रहा हूं। इन मजदूरों को पुनर्वासित करने का कार्यक्रम बहुत धीमी गति से चल रहा है। यहां तक कि आज भी बिहार के छोटा नागपुर में मजदूरों को लाकर पंजाब और हरियाणा में उनसे बंधुआ मजदूरों के रूप में काम लिया जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय :** सवाल तो करिए।

**श्री रामस्वरूप राम :** मैं जानना चाहता हूं कि जिन बंधुआ मजदूरों को आइडिएंटीफाई किया गया है, मुक्ति दिलाई गई है, उनको पुनर्वासित करने के लिए प्रत्येक मजदूर पर कितनी राशि सरकार व्यय करने जा रही है ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह पहले ही पूछ लेते आप।

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भूतपूर्व बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के संबंध में जो चिंता व्यक्त की है, उसके बारे में मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने इस कार्य के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और इस वर्ष की योजना के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और राज्यों को भी स्पष्टतः लिख दिया गया है कि इनको पुनर्वासित करने के लिए योजनाओं के तहत ठोस कार्यवाही करें।

इस बारे में अभी सुयोग्य मंत्राणी जी ने बताया···।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** मंत्राणी जी ?

**श्री नारायण दत्त तिवारी :** व्याकरण की दृष्टि से इस शब्द में संभवतः कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि इस शब्द का प्रयोग संसद में नहीं होता तो मंत्री शब्द का ही प्रयोग करूंगा। मैं विनम्रतापूर्वक अपने को सुधार लेता हूं। विदुषी मंत्री हैं उन्होंने जो अभी उल्लेख किया है उसमें स्पष्ट कहा है कि मंत्रियों की समिति इस सम्बन्ध में सारे श्रम मंत्रियों को बुलाकर फिर विचार करने को कह रही है।

**श्री रामावतार शास्त्री :** जिस कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन दल की चर्चा की गई है इस प्रश्न में, इस दल ने क्या बिहार में जाकर वहां बंधुआ मजदूरों को पहचानने का प्रयास किया है, अगर किया है तो उस सूबे के सिलसिले में वह अध्ययन दल किस नतीजे पर पहुंचा है और उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**श्री नारायण दत्त तिवारी :** जैसा कि मूल उत्तर में स्पष्ट किया गया है जो टीमें राज्यों में गई हैं उन्होंने यह कहा है कि अभी कार्य अधूरा है। नालंदा, बिहार में जो टीम गई थी उसने भी यही बात कही है। जैसे हमारी सुयोग्य मंत्री जी ने बताया है मुख्य मंत्रियों को इस सम्बन्ध में

लिखा गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दुबारा सर्वे करने की आवश्यकता हो तो वह भी किया जाना चाहिये । मैं केवल एक पैरा इस पत्र से पढ़ देना चाहता हूं । "इस प्रणाली का पूरी तरह उन्मूलन करने के मूलभूत राष्ट्रीय दायित्व के बारे में हम सभी सहमत हैं । ऐसा समझा जाता है कि बंधुआ मजदूरों के तथाकथित मालिक इस प्रकार के मजदूरों के होने और उन्हें रिहा करने के बारे में स्वेच्छा से उल्लेख नहीं करेंगे । ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा अपनी नीति को लागू करने के लिए बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम, 1976 में कुछ विशेष अनुच्छेदों को शामिल किया गया है । इन उपबंधों के अधीन दंड का आश्रय लेने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिये । इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप कृपया इस सम्पूर्ण पहलू के बारे में एक अन्य पूरी और निश्चित जांच करें, जहां कहीं भी बंधुआ मजदूरों का पता चले, उनका पुनर्वास करने के लिए द्रुत उपाय करें और यदि आवश्यक हो तो कानून के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों को दंड दें ।"

**श्री जगदीश टाईटलर :** श्रीमानजी, हमारे देश में अभी भी बंधुआ मजदूर प्रणाली विद्यमान है । देश में बंधुआ मजदूरों की संख्या के बारे में विभिन्न प्रकार के अनुमान व्यक्त किये गये हैं । विभिन्न संगठनों ने भिन्न-भिन्न आंकड़े दिए हैं जैसा कि राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार बंधुआ मजदूरों की संख्या 1.81 लाख है । गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के अनुसार बंधुआ मजदूरों की संख्या 26.27 लाख हैं और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार बंधुआ मजदूरों की संख्या 3.45 लाख है, आदि आदि । 25 सूत्री कार्यक्रम के एक अंग के रूप में बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और उनका पुनर्वास करने संबंधी एक योजना को वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया है । इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में द्रुत गति लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्य सरकारें इस कार्यक्रम के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही नहीं कर रही हैं । इस कार्यक्रम के अधीन पुनर्वास कार्यक्रमों को न केवल आधे-अधूरे ढंग से किया जा रहा है बल्कि क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी अधूरी है । क्या बंधुआ मजदूरों की यह समस्या मूल रूप से गरीबी की वजह से है और समाज विरोधी कुछ तत्वों द्वारा जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए उनका शोषण किया जाता है, यदि हां, तो बंधुआ मजदूर प्रणाली का उनमूलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** मैं पहले ही बता चुकी हूं कि यह निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और माननीय सदस्यों को यह जानना चाहिये कि राज्य सरकारों द्वारा पता लगाये गये बंधुआ मजदूरों की संख्या 1,26,219 हैं न कि वह संख्या जिसका उन्होंने उल्लेख किया है और इनमें से 1,07,012 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया जा चुका हैं । केवल 17,207 बंधुआ मजदूरों का अभी पुनर्वास किया जाना शेष है । उनके पुनर्वास के लिए कार्यवाही की जा रही है । इस प्रथा का उन्मूलन एक या दो दिन में नहीं किया जा सकता । बंधुआ मजदूरो को मुक्त कराने के लिए जोरदार ढंग से प्रयास किये जा रहे हैं । इन उपायों को क्रियान्वित करना राज्य सरकारों का कम है । उनके अनेक प्रश्नों का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है ।

**सी० एस० डी० (आई) द्वारा संचालित कैन्टीनों को स्थानीय खरीद करने की मनाही**

*348. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सी० एस० डी० (आई), बम्बई ने अपने कैंटीनों में प्रसिद्ध और बेहतर किस्म की मदों की जैसे दियासलाई की स्थानीय खरीद पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, को क्या सरकार का विचार प्राधिकारियों को यह सलाह देने का है कि वे इस मामले में दुबारा नीति बनाएं और यह बात स्थानीय प्राधिकारियों पर छोड़ दें कि वे किस्म का ध्यान रखकर चाहे स्थानीय खरीद करें, या न करें;

(ग) क्या रक्षा मुख्यालय में काम करने वाले गैर-सैनिक कर्मचारियों को कैन्टीन की सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं है हालांकि वे रक्षा संगठन के ही अंग हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन्हें कैंटीन की सुविधायें दिये जाने का विचार है, ताकि बढ़ती हुई कीमतों के संकट से उबरने के लिये उन्हें कुछ सहायता मिल सके ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पटिल)** : (क) यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों को कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट सप्लाई सूची में वर्णित सभी मदों को केवल कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट से मंगाना होता है, फिर भी विशेष परिस्थितियों में स्थानीय खरीद करने की भी मंजूरी दी जाती है।

(ख) कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा सामान खरीदने और फिर उसे यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों में भेजने की मौजूदा नीति काफी सुदृढ़ समझी गई है। इसलिए इस नीति में किसी तरह का परिवर्तन करना जरूरी नहीं समझा जाता है।

(ग) और (घ) सेना मुख्यालयों में काम करने वाले सिविलियन इन कैंटीनों से शराब, आयातित सामान यथा गोलाबारूद जैसी प्रतिबन्धित मदों को छोड़कर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की सूची में वर्णित सभी मदें खरीद सकते हैं।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : अध्यक्ष महोदय, बहुत पहले इस हाउस में चर्चा की गई है कि सवाल कुछ होता है और जवाब कुछ होता है। आप जरा सवाल को देखें मैंने पूछा है :

"क्या यह सच है कि सी० एस० डी० (आई) बम्बई ने अपने कैंटीनों में प्रसिद्ध और बेहतर किस्म की मदों की जैसे दियासलाई की स्थानीय खरीद पर रोक लगा दी है।"

इसका जवाब दिया गया है :

"यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों को कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट सप्लाई सूची में वर्णित सभी मदों को केवल कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट से मगाना होता है. . .।"

मैं दियासलाई के बारे में पूछ रहा हूं और मंत्री जी ने उत्तर दिया है जनरल । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रायः इन यूनिटों पर जो सप्लाई स्टोर्स हैं इन पर बड़े-बड़े उद्योगों में बनी सामग्री दी जाती है, जब कि सरकार की नीति है कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाय । देश में एक हजार ऐसे कुटीर उद्योग हैं जिनको अरबों रु० की सहायता देते हैं । तो जिन क्षेत्रों में रक्षा कैंटीन हैं उनमें कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्री ही क्यों नहीं बेची जाती है ? क्या ऐसा कुछ आपका निर्देश हो रहा है कि कुटीर उद्योगों की ही सामग्री वहां पर बेची जायेगी ?

**श्री शिवराज वी० पाटिल :** अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य का सवाल था उसका उत्तर यहां पर जो लिखित उत्तर दिया गया है उसमें समाविष्ट है । माचिस के बारे में भी उसका अन्तर्वेश होता है । दूसरा सवाल जो पूछा है कि क्या हम कुटीर उद्योगों की सामग्री-खरीदने जा रहे हैं कि नहीं, तो सदन की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि कुटीर उद्योगों से भी बहुत सारी सामग्री ली जाती है, कम से कम 18 प्रतिशत सामग्री कुटीर उद्योगों से ली जा रही है । मगर सवाल ऐसा है कि हम सामान खरीदते हैं और जो हमारे सैनिक भाई हैं उनको बेचते हैं । जिस वस्तु की उनकी मांग होती है और जो वस्तु वह लेना चाहते हैं अगर वैसी वस्तु हमारी कैंटीनों में न मिले तो फिर कैंटीन चलाने का उद्धेश्य उतने पैमाने पर सफल नहीं होता है । इसलिये जिन चीजों की मांग होती है उसको ध्यान में रखकर हम करते हैं । माचिस के बारे में भी ऐसा है कि एक प्रकार की वह मांगते हैं और उसी प्रकार की देने की कोशिश होती है । दूसरी चीजें जो कुटीर उद्योग से लेने की हैं अगर उनको पसन्द आती हैं तो हम लेते हैं ।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** अध्यक्ष जी, प्रायः रक्षा कैंटीनों में रक्षा सैनिकों को ही सामग्री की सप्लाई होती है, जब कि देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं रक्षा विभाग में ही, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा कार्य कर रहे हैं । तो जो रक्षा विभाग में अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको आप सप्लाई अपनी कैंटीनों से देते हैं कि नहीं ? यदि देते हैं, तो 1980-81 का जरा आप हमको विवरण बता दें कि कितने ऐसे लोगों को किन-किन कैंटीनों से आपने सप्लाई दी है ?

**श्री शिवराज वी० पाटिल :** आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैंने (सी) और (डी) में दिया है । लिखित उत्तर में कहा है कि हम जो सिविलियन्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाले हैं उनको भी यहां से सहायता देते हैं । सिर्फ कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको नहीं दी जाती हैं, मसलन शराब नहीं दी जाती है, या ऐम्युनिशन्स नहीं दिये जाते हैं, या जो चीजें बाहर से मंगायी जाती हैं जिनके अन्दर फौरेन ऐक्सचेंज लगता है वह चीजें नहीं दी जाती हैं । बाकी सारी वस्तुयें उनको उपलब्ध कराया जाती हैं ।

आपका दूसरा सवाल है कितने लोगों को दिया गया । करीब दो-ढाई हजार हमारी कैंटीनें हैं, कितने सिविलियन्स को दिया गया इसकी पूरी जानकारी बिना नोटिस के मैं नहीं दे सकता ।

**श्रीमती संयोगिता राणे :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि, जैसे अभी एक सदस्य ने सिविलियन लोगों को केन्टीन के माल खरीदने के बारे में

प्रश्न पूछा है, देश की एमर्जेन्सी के वक्त पर जो डिफेंस में एक्स-सर्विस मैन जो सिविल सर्विस में चले जाते हैं इमर्जेंसी और शार्ट सर्विस कमीशन आफीसर जवान (डिफेंस में एक्टिव सर्विस में शामिल होते हैं और इमर्जेंसी के बाद वह सिविल सर्विस में लिये जाते हैं), उन एक्स-सर्विसमैनों को शराब या आयातित माल कैंटीन से खरीदने की अनुमति मिलेगी ?

**श्री शिवराज वी० पाटिल** : मैंने तो कहा है कि जहां तक एक्ससर्विसमैन का सवाल है, उनको यहां पर बहुत साहाय्य दिया जता है, मगर एम्यूनीशन जैसा साह्याय, शराब जैसा साह्याय परदेशों से लाया हुआ साह्याय, मैं समझता हूँ कि हमारे एमा सर्विसमैनों को शराब देने के लिए आप नहीं कहेंगे ।

**श्री मूलचन्द डागा** : जब सर्विसमैन को दे रहे हैं तो एक्स-सर्विसमैन को क्यों नहीं ?

**श्रीमती संयोगिता राणे** : एक्स-सर्विसमैन को क्यों नहीं दे रहे हैं ? आपको उन्हें भी देना चाहिये ।

## पश्चिम बंगाल के लिए चेसिस

*349. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस तथ्य का पता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में परिवहन क्षेत्रों में सरकारी तथा गैस-सरकारी दोनों क्षेत्रों को बस और ट्रक चेसिसों की तत्काल आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विकट समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगामा)** : (क) अधिक पसंद की जाने वाली मेकों की गाड़ियों के ट्रक तथा बस चेसिसों अर्थात टाटा अशोक लेलैंड चेसिसों की पश्चिम बंगाल सहित सारे देश में बहुत बकाया मांग है ।

(ख) विभिन्न राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा करने के लिए सरकार ने निर्माताओं को सलाह दी है । इसके अतिरिक्त, सरकार ने विशेष श्रेणी के आवेदकों, जिनमें शिक्षित बेरोजगार भी शामिल हैं, को प्राथमिकता के आधार पर गाड़ियां देने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं । बकाया मांग को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक गाड़ियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अल्पवधि तथा दीर्घावधि दोनों ही कदम उठाये गये हैं । वाणिज्यिक गाड़ियों का उत्पादन 1979-80 में लगभग 57 000 से बढ़कर 1980-81 में लगभग 72,000 हो गया तथा चालू वित्तीय वर्ष में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है ।

**श्री सत्यगोपाल मिश्रा** : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया हैं कि ट्रक तथा बस चैसिस की काफी मांग अनिर्णित है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस विषय में क्या

किया है। यदि आप उत्तर देखें तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने केवल निर्माताओं को परामर्श दिया है। वास्तविक समस्या यह है कि यदि आप 30,000 रु० अथवा ऐसी कोई राशि वास्तविक मूल्य से अधिक भुगतान करते हों तो···

**कुछ माननीय सदस्य** : यह रु० 30,000 की राशि क्या है ?

**श्री सत्यगोपाल मिश्रा** : जी हाँ, यह ठीक है। यदि आप वास्तविक मूल्य से 30,000 रु० अधिक देते हैं तो आपको चैसिस मिल जाएगा। लेकिन यदि आप नियमपूर्वक चैसिस पाना चाहते हैं तो आपको तीन या चार वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने उत्पादन वृद्धि के आंकड़े दिए। वर्ष 1979-80 में उत्पादन 57,000 था और 1980-81 में उत्पादन 72,000 था।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ?

**श्री सत्यगोपाल मिश्रा** : यह जानना चाहता हूं कि देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में वास्तविक माँग कितनी है। और सरकार ने देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं तथा चैसिस शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। मैं सरकार की ओर से किए गए उपायों तथा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा जानना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न पूछा गया है।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि योजना आयोग द्वारा परिवहन, अर्थमूविंग तथा कृषितंत्र के बारे में गठित किए गए कार्यकारी दल ने मांग का ब्यौरा तैयार किया है और वर्ष 1981-82 के लिए बस तथा ट्रक चैसिस की मांग 82,500 है। इसके विरुद्ध माननीय सदस्य ने पूछा है कि पिछली मांग को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई। वास्तव में उत्तर में इसकी जानकारी दी गई है। उसमें आप यह एक चीज और जोन सकते हैं कि चालू वर्ष के लिए अनुमानित उत्पादन 1,01,600 चैसिस है। इससे मांग ही पूरी नहीं होगी अपितु कुछ पिछली मांग भी निपट जाएगी। प्रश्न के कमी वाले भाग का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। माननीय सदस्य का तीसरा प्रश्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में है। मैं वाणिज्यिक वाहनों के आबंटन को प्राथमिकता देने के बारे में 16 जुलाई, 1981 को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति सभापटल पर रखूंगा।

**श्री सत्यगोपाल मिश्रा** : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि पश्चिमी बंगाल के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में बस और ट्रक चैसिस की मांग के कितने मामले अनिर्णित हैं। इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

**श्री चरणजीत चानना** : प्रश्न काल्पनिक है। सबसे पहली चीज यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार एक विशेष ब्रान्ड के चैसिस चाहती हैं। वे टैल्को को प्राथमिकता देते हैं। हमने उनसे अनुरोध किया है कि क्योंकि वे एक ही ब्रान्ड के बस और ट्रक चैसिस चाहते हैं इसलिए वे अपनी

मांग को विविध प्रकार के चैसिसों से पूरा करें। हमने उन पर इसके लिए दबाव डाला है। इसी उद्देश्य से 15,000 जैसिस की अधिष्ठापित तथा लाइसेंस प्राप्त क्षमता वाली एक यूनिट उन्हें दी गई है। उसकी 75% क्षमता का कम उपयोग किया जा रहा है। माननीय सदस्य को अपनी यूनिट में क्षमता का पूरा उपयोग प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

जहां तक पश्चिम बंगाल की पिछली मांग का संबंध है, मैं उसके आंकड़े आपको बता सकता हूं। मैंने कहा है कि यह प्रश्न काल्पनिक है। पुनर्बिक्री पर प्रतिबंध के बारे में अधिसूचना जारी किए जाने के बाद स्थिति बदल गई है। हमने सन्तोषप्रद रूप में इसका परीक्षण नहीं किया है परन्तु मैं पश्चिम बंगाल के पिछले आंकड़े आपको बता सकता हूं। दो निर्माताओं, टाटा बंधु तथा अशोक लेलैंड के बारे में 1-4-81 को स्थिति निम्न प्रकार है :

| | पिछली मांग |
|---|---|
| टाटा | 6,526 |
| अशोक लेलैंड | 2,126 |

**श्री नवल किशोर शर्मा** : महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कार तथा अन्य साधनों से यातायात महंगा हो गया है क्या सड़कों पर बसों तथा ट्रकों की संख्या बढ़ाना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं हो जाता ? मैं यह जानना चाहता हूं कि लोकोमोटिव निर्माताओं की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और वो कितना उत्पादन कर रहे हैं और क्षमता का कितना उपयोग कर रहे हैं। मांग में वृद्धि होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए भी क्या ट्रक तथा बस चैसिस की सप्लाई में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है।

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का क्षेत्र बड़ा व्यापक है।

**श्री चरणजीत चानना** : यदि आप अनुमति दें तो मैं आंकड़े पढ़कर बता सकता हूं।

**श्री नवल किशोर शर्मा** : महोदय, मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे सभापटल पर रख सकते हैं। उन्हे आंकड़े उपलब्ध करा दीजिए।

**श्री नवल किशोर शर्मा** : यह बहुत महत्वपूर्ण है। सदन को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : इसे सभापटल पर रख दीजिए।

**श्री चरणजीत चानना** : जी श्रीमान्।

**श्री के० मायातेवर** : जहां तक गैर सरकारी फर्म अशोक लेलैंड और टाटा का संबंध है बस, लॉरी तथा ट्रक चैसिसों की बिक्री तथा सुपुर्दगी के मामले बड़े पैमाने पर कालाबाजारी और कदाचार चल रहा है। मद्रास में एक निर्धन आदमी जो ट्रक चलाता है उसे चैसिस कालाबाजार की दर पर खरीदना पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अशोक लेलैंड तथा अन्य गैर सरकारी फर्मों के विरुद्ध, जो कालाबाजारी में लगी हैं, कड़ी कार्यवाही करेगी।

दूसरे, क्या समाजवाद का दावा करने वाली इस सरकार का इन गैर सरकारी फर्मों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है ताकि चैसिसों के मामले में कालाबाजारी और कदाचार दूर किया जा सके।

**श्री चरणजीत चानना** : मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि चैसिस की पुनर्बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। यदि माननीय सदस्य को किसी ऐसे मामले का पता है जहां काले-बाजार में चैसिसों की बिक्री होती है तो यह गैर कानूनी है और माननीय सदस्य उसके विरुद्ध कहीं भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।

जहां तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है यह विचाराधीन नहीं है।

**राज्यों में अपराधों में अत्यधिक वृद्धि**

*352. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
**श्री जी० बाई० कृष्णन :**

क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में 1981 के दौरान बहुत से राज्यों से अपराधों में और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार, बलात्कार तथा हत्याओं के मामले में हुई अत्यधिक वृद्धि के संबंध में केन्द्रीय सरकार चिंतित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में जुलाई, 1981 में उनके मंत्रालय द्वारा राज्यों को कोई निदेश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सहयोग अथवा सहायता की कोई पेशकश की गई है;

(घ) किन-किन राज्यों में इस तरह के अपराधों में वृद्धि होने का पता चला है; और

(ङ) अपराध की कुल कितनी घटनायें हुईं तथा उसके कारण क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

**(विवरण)**

(क) से (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के बारे में सरकार चिन्तित है। केन्द्र राज्य सरकारों से अनुसूचित जातियों के बारे में 10 मार्च, 1980 और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उनके 8 दिसम्बर, 1980 के गृह मंत्री के अर्द्धशासकीय पत्र में दिये गए ऐहतियातों, निवारक, दंडात्मक और पुनर्वास संबंधी उपायों के मार्गदर्शी निदेशों के प्रभाव-शाली कार्यान्वयन के लिये निरन्तर आग्रह करता रहा है। जुलाई, 1981 में हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भी इस पर बल दिया गया था। किन्तु जुलाई, 1981 में कोई निदेश जारी नहीं किया गया है।

(घ) तथा (ङ) यद्यपि बहुत से राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों की प्रवृत्ति में कमी हो रही है किन्तु निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में संबंधित राज्यों द्वारा यथासूचित अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति ध्यान में आई है :

| क्र० सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | 1981 में (निम्नलिखित महीनों तक) अपराधों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 104 (मई) |
| 2. | बिहार | 530 (मार्च) |
| 3. | गुजरात | 426 (मई) |
| 4. | कर्नाटक | 214 (जून) |
| 5. | मध्य प्रदेश | 1436 (मार्च) |
| 6. | महाराष्ट्र | 459 (जून) |
| 7. | राजस्थान | 1030 (जुलाई) |
| 8. | पश्चिमी बंगाल | 17 (अप्रैल) |
| 9. | दिल्ली | 5 (जून) |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 43 (जुलाई) |

इन अपराधों के सामान्य कारण गृह मन्त्री के दिनांक 10 मार्च, 1980 के पत्र में दिये गए हैं जिसकी, प्रतिलिपि 19 मार्च, 1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1107 के उत्तर में सदन के पटल पर रखी गई थी।

**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : अध्यक्ष महोदय, हरिजन और आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक असमर्थताएं उन पर होने वाले अपराधों का मुख्य कारण है। एक ऐसी स्थिति आ गई है जब बहुत से मामलों में अधिकांश पुलिस अधिकारी शिकायतें प्राप्त करने तक के लिए तैयार नहीं हैं और वे हरिजन और आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का है ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : महोदय, गृह मंत्री द्वारा जारी किये मार्गदर्शी सिद्धान्तों में इस मामले को लिया गया है और विशेषतया दो राज्यों में, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान, विशेष न्यायालय पहले ही स्थापित हो चुके हैं। बिहार और तमिलनाडु निकट भविष्य में विशेष न्यायालय स्थापित करने जा रहे हैं। यू० पी०, केरल तथा अन्य कुछ राज्यों में भी इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** हरिजनों की आर्थिक परिस्थितियां उनके विरुद्ध अपराधों का एक मुख्य कारण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार हरिजनों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए क्या व्यापक उपाय करना चाहती है और वर्ष 1981-82 के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है।

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए बहुत से कदम उठाये गये हैं। अनुसूचित जातियों के नियोजन कार्यक्रम के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु एक अनुसूचित जाति विकास निगम भी उपलब्ध है। इस कार्य के लिए पहले 6,000 रु० की राशि निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर 12,000 रु० प्रति यूनिट कर दिया गया है। जहां तक वर्ष 1980-81 के लिए धनराशि का सम्बन्ध है मेरे पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं है परन्तु मैं इन्हें सभापटल पर रख दूंगा।

**श्री जी० वाई० कृष्णन :** मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह संतोषप्रद नहीं है। बहुत से मामलों से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। और कहीं-कहीं उनके साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इस तथ्य के बावजूद भी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियां बनाई गई हैं, और यह सभी समितियां पूरे देश का दौरा करती हैं और बहुत से परिपत्र जारी करती हैं और बहुत से निर्देश देती हैं। तब इस प्रकार के मामलों में वृद्धि होने का क्या कारण हैं। इस बारे में सरकार का विचार कौन से कड़े कदम उठाने का है।

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** यह कहना ठीक नहीं है कि इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। वास्तव में बहुत से राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं कम हुई हैं जबकि कुछ राज्यों में इन घटनाओं की संख्या पहले जितनी ही है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि घटनाओं में वृद्धि हो रही है। बहुत से अनुदेश जारी किये गये हैं। जब हमें किसी अति विशिष्ट व्यक्ति अथवा किसी संसद सदस्य से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है तो हम तत्काल राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम किसी समाचार पत्र में अत्याचार का कोई समाचार देखते हैं हम तुरन्त राज्य सरकार से जानकारी मांगते हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं।

**श्री हरिकेश बहादुर :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से कांग्रेस आई शासित राज्यों में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं क्या केन्द्रीय सरकार नारायणपुर घटना के तुरन्त पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार की भांति इन राज्य सरकारों को बर्खास्त करेगी जो हरिजनों की रक्षा करने में पूर्णतया असफल है।

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। मेरे पास अपराधों के आंकड़े हैं और यदि वे चाहें तो मैं निश्चित आंकड़े दे सकता हूं। 1974 में यह संख्या 8,860 थी। 1975

में यह 7,781 थी। 1976 में यह 5,968 थी। 1977 में यह 10,879 थी। 1978 में यह 15,070 थी। 1979 में यह 13,861 थी। जनता शासन के दौरान अपराधों की संख्या बढ़ गई थी। अब यह संख्या कम हो रही है। अपराध कम हुए हैं। 1979 के 13,861 की तुलना में 1980 में अपराध के मामलों की संख्या कम होकर 13,744 रह गई है। 1981 में अब तक केवल 6048 मामलों के आंकड़े प्राप्त हुए है। अतः अपराध के मामलों की संख्या कम हो रही है।

**श्री रामविलास पासवान :** अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है, इस ओर ध्यान खींचते हुए माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आन्दोलन तो चला गुजरात में और मारे गए हरिजन मुख्य मंत्री पहाड़िया जी, एक हरिजन मुख्य मंत्री को बलि का बकरा बना दिया गया और अन्तुले को छोड़ दिया गया—यह भी एक एट्रासिटी है, प्रधान मंत्री के द्वारा एट्रासिटी है कि एक हरिजन मंत्री को बलि का बकरा बना दिया जबकि बलि का बकरा बनाना चाहिए था गुजरात के मुख्य मंत्री को, अन्तुले को और गुण्डू राव को।

अभी मंत्री जी ने कहा है कि समाचार-पत्रों की ओर उनका ध्यान जाता है। हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली दफा यह घटना घटी है कि हरिजन लोग असुरक्षा महसूस करके धर्म परिवर्तन करने लगे हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या मन्त्री जी ने समाचार पत्रों में देखा है कि मध्य प्रदेश में तीन हरिजनों को इसलिए गोली से उड़ा दिया गया क्योंकि वे मन्दिर में जल चढाने के लिए जा रहे थे। इस सम्बन्ध में मैंने पत्र भी लिखा और प्रश्न भी किया है···

**अध्यक्ष महोदय :** आप सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं ?

**श्री राम विलास पासवान :** स्पीकर साहब, आप भी यह देख कर आए हैं। मैं जानना चाहता हूं अगर सरकार की नालेज में यह बात आई तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

इसके अतिरिक्त विगत एक महीने में गुजरात में पांच हरिजनों की हत्या की गई है। और अभी दो दिन पहले

**अध्यक्ष महोदय :** आप सवाल करिए।

**श्री रामविलास पासवान :** इस तरह की घटनायें रोज घट रही हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** आपका सवाल क्या है ?

**श्री रामविलास पासवान :** स्टेट के जो मुख्य मंत्री हैं वे ज्यादा पावरफुल हैं, गृह मन्त्री जी की बात को मानते नहीं हैं (व्यवधान)

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने मध्य प्रदेश और गुजरात में क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मन्त्री (श्री जैल सिंह)** : स्पीकर साहब, पासवान जी ने तकरीर की है और एक सवाल पूछने के लिए 6-7 सवाल पूछे । मैं उनके जजबे की कद्र करता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : ये आपकी दरियादिली का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं ।

**एक माननीय सदस्य** : एक शेर कह दीजिए ।

**श्री जैल सिंह** : क्वैश्चन आवर में शेर कहना ठीक नहीं रहेगा । डिबेट में तो चल सकता है । लेकिन एक महापुरुष ने कहा है, भक्त कबीर जी ने कहा है वह मैं कहता हूं . . .

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : चोर चोरी से जाय, मगर हेरा-फेरी से न जाय ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह आपको भी अच्छा लगता है ।

**श्री जैल सिंह** : वाजपेयी जी ने भी सवाल में कन्ट्रीब्यूट किया, इसलिए मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने अपना स्वभाव बता दिया कि हम अपनी आदत से नहीं जाते हैं ।

पासवान जी ने कहा कि सी० एम० अपनी मर्जी करते हैं, होम मिनिस्टर की बात नहीं मानते हैं । फिर तो यह सवाल मेरे से नहीं करना चाहिए था । यह इम्प्रेशन उनका गलत है दूसरे उन्होंने कहा कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हरिजन अपना मजहब छोड़ रहे हैं ।

**श्री रामविलास पासवान** : डर के मारे और अत्याचार के कारण ।

**श्री जैल सिंह** : यह बात उनकी गलत है । आजादी के पहले भी ऐसा हुआ करता था । तमिलनाडु में ज्यादा होता है । कहीं-कहीं कम होता है और यह खुद होकर फिर खत्म हो जाता है । यह कोई बड़ी बात नहीं है । भारत में मजहब चेंज करना कोई पाप नहीं है । फिर भी लोग नहीं करते हैं और जो करते हैं उनको बहुत अच्छा नहीं समझते हैं । जो डर से या भय से करते हैं फिर वे दोबारा चेंज भी कर लेते हैं । ईमानदारी से कोई नहीं बदल रहा है, किसी कारण से बदल रहा है । इसमें होम मिनिस्टर का कोई कसूर नहीं है । (व्यवधान)

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : यह कितना गम्भीर मामला है, सिरीयस मामला है और इस पर हाउस के लोग हंस रहे हैं । उस पर कहा जा रहा है कि होम मिनिस्टर का कोई कसूर नहीं है । यह सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर इस हाउस के अन्दर हंसी आ रही है (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : गम्भीर सवाल को भी थोड़ा सफाई से लेना चाहिए ।

(व्यवधान)

**श्री जैल सिंह** : गृह मंत्री रोता रहे, तो अच्छा है । संसार में घटनायें घटती रहती हैं, उसका इलाज करना चाहिए और मैम्बर साहेबान के जजबात की मैं कदर करता हूं और उनको ध्यान रखकर बात करता हूं तथा बड़ी सजीदगी से कहना चाहता हूं, मैं इत्तिफाक करता हूं कि इस मामले पर हंसी नहीं आनी चाहिए, लेकिन यह अफसोस की बात है कि ऐसी बात खत्म नहीं

हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि फलां वक्त ज्यादा हुआ और फलां वक्त नहीं हुआ, मैं इस बात में नहीं जाता हूं। यह किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, सभी पोलिटिकल पार्टीज हिन्दुस्तान की इस बात से कमेटेड हैं कि यह जो भेदभाव इन्सान के साथ है, वह मिटना चाहिए। उस ओर हम लोग हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका यह पूरा हक है कि आप हमसे पूछिए कि एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं, तो क्यों बढ़ रही हैं और यदि बढ़ रही हैं तो क्यों नहीं इलाज करते हैं। इसी मामले में 88 संसद सदस्यों ने हमसे पूछा हमने उनको मुकम्मिल जवाब दिया और उनके बाद 110 मैम्बर आफ पार्लियामेंट ने हमें लिखा और हरएक को इस बात का जवाब देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हाउस में भी कहते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन यह कहना कि क्राइम बढ़ी है, हरिजनों पर एट्रोसिटीज बढ़ी है—यह गलत है। स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान की 31 स्टेट्स हैं, यू० पी० को मिलाकर, जिनमें से दस में हरिजनों पर अत्याचार के वाक्यात ज्यादा हुए हैं और बाकी 21 में कम हुए हैं। इसलिए यह कहना कि बढ़े नहीं हैं, तो कम भी नहीं हुए हैं, यह आप अपनी आदत छोड़ दीजिए ···(व्यवधान)···

**श्री राम विलास पासवान** : आप भूल गए हैं, मैं मध्य प्रदेश और गुजरात के संबंध में पूछ रहा हूं। मध्य प्रदेश में हरिजनों को गोली से उड़ाया गया, जो कि मन्दिर में जल चढ़ाने के लिए गए थे और बिहार में भी हरिजनों की हत्या की गई।

**अध्यक्ष महोदय** : उसकी इत्तिला दे देना।

**श्री जैल सिंह** : स्पीकर साहब, आप थोड़ी दया-दृष्टि किया कीजिये चूंकि वह अभी नया-नया काम सीख रहे हैं। क्वेश्चन करने के बाद, सारा आन्सर सुनने के बाद बोलना चाहिए, इस तरह बीच में बोलना अच्छी बात नहीं लगती है।

मैं कहना चाहता हूं—इस मामले में हमारे मिनिस्टर आफ स्टेट ने जैसा बतलाया है—हमने लैटर लिखा था और वह मैम्बरों को भी दिया गया था। आप देख सकते हैं, हर प्वाइन्ट पर उसमें विचार किया गया था। हमने चीफ मिनिस्टरों को यह भी कहा था कि यह डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर अपने पास रखें, क्योंकि उनके पास होम डिपार्टमेन्ट होता है और इन बातों पर प्राम्प्टली एक्शन होना चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूं—यह बिहार की मिसाल है। वहां बेलची में और पिपरा गांव में बुरे वाक्ये हुए। बेलची में जो हुआ उस केस का तकरीबन तीन साल तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ और जब कांग्रेस सरकार बनी तब ट्रायल शुरू हुआ। उसमें दो आदमी··· (व्यवधान)···

**श्री जगपाल सिंह** : वह सारे छूट गये, क्यों छूटे?

(व्यवधान)

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या इसका इलाज चालान करके लोगों को छुड़वाना है?

**श्री जैल सिंह** : आप मेरी बात पूरी हो जाने दें।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

**अध्यक्ष महोदय :** इसीलिये उनको जवाब देने दें।

**श्री जैल सिंह :** स्पीकर साहब, ये अभी दो-तीन बार बोले हैं, जबकि इन्होंने ही कहा था कि सन्जीदगी से बात करो। जब मैं वाजपेयी जी का कहा मानकर लाइट मूड में बात कर रहा था, तो इन्होंने कहा—सन्जीदगी से बात करो। अब सन्जीदगी से बात कर रहा हूं तो कुर्सी में कांटे लगते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं—इसका नतीजा क्या हुआ ? जो सुबूत थे, जो गवाहियां थीं, वह मुनकर हो गईं। उसमें दो को फांसी और बाकी को 15 को उम्र कैद की सजा हुई। जहां तक पिपरा गांव की घटना का ताल्लुक है, यह कांग्रेस राज में हुई थी और इस घटना में बेलछी के मुकाबले ज्यादा मरा था, लोगों के घर जला दिये गये थे, बहुत दर्दनाक वाक्या था। मैं भी वहां गया था। हमने वहां पर स्पेशल कोर्ट्स सेट-अप करवाई, उसका नतीजा क्या हुआ ? जो सुबूत थे वह जाया नहीं हुए और हिस्ट्री में यह पहला वाक्या है कि अदालत ने 50 आदमियों को फांसी की सजा दी

**श्री रामविलास पासवान :** अध्यक्षजी, गृह मंत्री गलतबयानी कर रहे हैं, उनको पिपरा के सम्बन्ध में मालूम नहीं है। गलतबयानी मत कीजिये, हाउस को मिसलीड मत कीजिये।(व्यवधान)

**श्री मनीराम बागड़ी :** आप **बोल रहे हैं··· (व्यवधान) ···**ये बोल रहे हैं। (व्यवधान) ···ये** बोल रहे हैं···

**श्री रामविलास पासवान :** आपने उनको बचाने का काम किया है।

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जाइये।

**श्री जैल सिंह :** स्पीकर साहब, मैं पासवान जी का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने मुझे करैक्ट कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

**श्री मनीराम बागड़ी :** ये **बोल रहे हैं···

**अध्यक्ष महोदय :** गलती हो जाती है, यह क्या बात है

**श्री जैल सिंह :** फांसी की सजा नहीं, उम्र कैद हुई है।

**श्री मनीराम बागड़ी :** आपने **बोला है।

**अध्यक्ष महोदय :** हर एक आदमी गलती कर सकता है, जब उन्होंने ठीक कर दिया है। सोनकर शास्त्री साहब बैठ जाइये। हद हो चुकी है। आप सीमा से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने गलती की, उसको फिर ठीक कर दिया। गलती आदमी कर सकता है, जानबूझ कर नहीं की है। यह कोई जुर्म नहीं है, अब उन्होंने ठीक कर दिया है।

**श्री जैल सिंह :** उन्होंने अच्छा किया, मैं धन्यवाद करता हूं। स्पीकर साहब, वह जल्दी गुस्से में आ गये, जल्दी करैक्ट कर दिया। अगर अभी न करते, आज खामोश रहते, तो कल मेरे खिलाफ प्रिवलेज मोशन आ सकता था। (व्यवधान)

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

**श्री मनीराम बागड़ी** : यह क्या मजाक है ? यह लोक सभा है कोई मजाक की चीज नहीं है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह मामूली बात है, स्लिप-आफ-टंग हो जाती है।

**श्री जैल सिंह** : स्पीकर साहब, बागड़ी जी की तो नाराजगी नहीं होनी चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा केस तो वाजपेयी जी के सामने रख सकता हूं और अगर मुझे सजा मिल सकती है, तो दे दो। यह सजा की बात नहीं है। स्लिप आफ टंग है, भूल हो गई और उसको करेक्ट कर दिया।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, गलती हो गई, उसको ठीक कर दिया।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अब हमें भी सवाल पूछना है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो जल्दी करना चाहता हूं लेकिन इनको बोलने नहीं देते। ज्ञानी जी, अब आप जल्दी खत्म कीजिए।

**श्री जैल सिंह** : ठीक है, मैं बैठ जाता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : इनका एक प्रश्न रह गया है मध्य प्रदेश के कार्ड के बारे में। उसकी इत्तिला इनको भिजवा दीजिए। मध्य प्रदेश में तीन हरिजनों के बारे में इन्होंने कहा था।

**श्री जैल सिंह** : हमने गवर्नमेंट को लिखा है।

**अध्यक्ष महोदय** : इनको आप जवाब दिला दीजिए।

**श्री जैल सिंह** : जो लिखा है, वह मैं बता दूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सत्यनारायण जटिया।

**श्री सत्यनारायण जटिया** : अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने एक जानकारी दी है और उसके अन्दर मध्य प्रदेश में 1436 और राजस्थान में 1030 अपराध हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ हुए हैं। मध्य प्रदेश में मुरैना के अन्दर एक हरिजन महिला पर अत्याचार हुआ है, ...

**अध्यक्ष महोदय** : आप सवाल पूछिये।

**श्री सत्यनारायण जटिया** : मैं पूछना चाहता हूं कि जिन राज्यों में अत्याचार बढ़े हैं, उन राज्यों में केन्द्रीय सरकार ने अत्याचारों को रोकने के लिए क्या विशेष उपाय किये हैं ?

**श्री बाबूलाल सोलंकी** : मुरैना जिले में हरिजन महिला की कोई हत्या नहीं हुई है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह आप क्या कर रहे हैं। (व्यवधान) मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

**श्री सत्यनारायण जटिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाह रहा था कि जिन-जिन राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश में 1436 अपराध हुए और राजस्थान में 1030

अपराध हुए, ज्यादा अपराध हुए हैं और जो वहां की जनता के लिए एक चिन्ता का कारण बने हुए हैं, उनके लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या विशेष व्यवस्था की है। जिन राज्यों में अपराधों की प्रवृति बढ़ी है, उनके बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या व्यवस्था की है, यह मैं जानना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह जवाब तो दे दिया है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या यह सच नहीं है कि हरिजनों और जनजातियों से सम्बन्धित लोगों पर जो ज्यादतियां होती हैं, उनके बारे में जब वे लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो सारे मामले दर्ज नहीं किये जाते हैं और नतीजा यह होता है कि अपराध आंकड़ों में कम दिखाई देते हैं और यह कहा जाता है कि अपराध घट रहे हैं मगर सच्चाई में वे घटते नहीं हैं ? अल्मोडा जिले के कफल्टा गांव में हरिजनों को जला दिया गया मगर शासन ने अदालत में ठीक तरह से पैरवी नहीं की और इस कारण एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली। क्या मन्त्री महोदय इस बारे में पता लगायेंगे ?

**श्री जैल सिंह** : मैं आनरेबिल मेम्बर वाजपेयी जी से सहमत हूं कि कहीं-कहीं ऐसी बात होती है और इसको रोकने के लिए हमने हिदायत जारी की हैं कि हर पुलिस स्टेशन पर और एस० पी० के लेबिल पर हरिजन और आदिवासी अफसर भी हों क्योंकि अब तो वे प्रोमोट होकर ऊंची जगहों पर पहुँच गये हैं। उनको भी वहां पर रखना चाहिए इसके लिए अब हमने कोशिश की है।

यह जो कफल्टा की बात है, इसमें हमको भी डाऊट है और इसलिए हमने कहा है कि हाई कोर्ट में अपील फाइल करो और उसमें एडवोकेट जनरल पैरवी करके देखे। वहां इन्साफ नहीं हो सका लेकिन हम कह नहीं सकते कि इन्साफ नहीं हुआ है क्योंकि अदालत का फैसला है और कल को वाजपेयी जी कहेंगे कि हम जूडीशियेरी का अदब नहीं करते। जूडीशियेरी के अदब की वजह से हम कुछ नहीं कहते हैं। उनका कसूर हो सकता है कि गलत पैरवी करने के कारण ऐसा हुआ है लेकिन हमने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया है और हम इसको करवा रहे हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य और कुछ नहीं, मात्र आंकड़ों का जाल है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या पूछना चाहते हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है, इसे किसी दल का प्रश्न बनाकर नहीं देखा जाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या जाति-वाद और हरिजनों पर अत्याचार की समस्या से निपटने के लिए सभी राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय समिति गठित की जायेगी। क्या चार-पांच वर्ष के बाद इसको इल्लीगल करेंगे या नहीं ?

**श्री जैल सिंह** : स्पीकर साहब, कोई नयी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। एक हाउस की कमेटी बनी हुई है जो कि ओनली फार हरीजंस और आदिवासी के लिए है। इसके अलावा तमाम पार्टियों के जो शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के मेम्बर हैं, उनकी हम अलग मीटिंग बुला रहे हैं। शेड्युल्ड ट्राइब्स की मीटिंग बुला रहे हैं और शेड्युल्ड कास्ट्स की मीटिंग बुलानी है। हम इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली ले रही है। मैं हाउस के मेम्बरों से भी अपील करूंगा कि वे भी हमें पूरा कोआप्रेशन दें। चाहे अपोजिशन के मेम्बर हों, चाहे रूलिंग पार्टी के मेम्बर हों, इसमें हमें भेदभाव नहीं करना है। यह एक महान नेशलन क्वेश्चन है और इसका कलंक हमें नेशन के माथे से उतारना है।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : मेरे पास सभा में प्रस्तुत करने के लिए आंकड़े हैं। मैंने कहा कि उन्हें सभा-पटल पर रखा जायेगा। अब मैं उन्हें सभा-पटल पर रखने के बजाय पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 1981-82 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं हेतु राज्यों को 110 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। 1981-82 में जनजातीय उपयोजना के लिए 85 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई है। 1981-82 में अनुसूचित जाति विकास निगम में पूंजीनिवेश करने के लिए राज्यों को 13·25 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है। (व्यवधान)

**श्री एन० के० शेजवलकर** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह क्या हो रहा है ? किसी भी सदस्य ने कोई प्रश्न नहीं किया है और मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)

### उत्तर प्रदेश में केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं की कार्यान्विति

*353. **श्री निहाल सिंह** : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में (जिलावार) कौन-कौन सी केन्द्र-प्रायोजित योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ख) प्रत्येक योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया और क्या इनमें से कुछ योजनायें अपूर्ण छोड़ दी गई हैं ?

**योजना मंत्री (श्री एन० बी० चव्हाण)** : (क) वर्ष 1981-82 में उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के नामों की सूची का विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। धनराशि के आवंटन के बारे में जिलावार सूचना योजना आयोग द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ख) केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के लिए वित्तीय आवंटनों की व्यवस्था सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं में की जाती है। किसी भी केन्द्र-प्रायोजित स्कीम को अपूर्ण छोड़ दिया गया हो ऐसा सूचित नहीं किया गया है।

विवरण

1. कृषि और ग्रामीण विकास

1. प्रमुख फसलों के क्षेत्रों और उत्पादन की सामयिक सूचना देना
2. फसल सांख्यिकी का सुधार
3. नाशक कीटों और बीमारियों का उन्मूलन
4. राष्ट्रीय नाशक कीटों और बीमारियों का नियंत्रण
5. खर-पतवार नियंत्रण
6. गहन पटसन जिला परियोजना
7. गहन तिलहन विकास कार्यक्रम
8. गहन दाल जिला कार्यक्रम
9. हिमालय के क्षेत्र में नदी घाटी के जल ग्रहण क्षेत्रों में भू और जल संरक्षण
10. हिमालय के क्षेत्र में एकीकृत भू और जल संरक्षण
11. पशु-प्लेग उन्मूलन
12. मुंह और खुर की बीमारियों पर नियंत्रण
13. मछली पालक विकास अभिकरण
14. राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा राज्य बीज निगम में सहसामिल
15. चुने हुए पार्क और पशु विहार
16. प्रोजेक्ट टाइगर
17. कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि
18. पुनर्गठित आधार स्तर ऋण संस्थाओं के लिए संवर्ग निधि के लिए सहायता
19. सहकारी ऋण संस्थाओं को सहायता
20. सहकारी विपणन समितियों को सहायता
21. कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों का पुनःप्रतिष्ठापन
22. उपभोक्ता सहकारी समितियां
23. नियंत्रण क्षेत्र विकास
24. लघु कृषक विकास अभिकरण

25. सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम

26. नियंत्रण क्षेत्र विकास (एकीकृत ग्रामीण विकास)

27. एकीकृत ग्रामीण विकास (पूर्ण रोजगार के लिए क्षेत्र आयोजना)

28. बेशी भूमि पाने वालों को सहायता।

2. आवास और शहरी विकास तथा जल पूर्ति

1. छोटे और मझोले शहरों का एकीकृत शहरी विकास (यह एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के बदले में है)

2. त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति

3. शिक्षा

1. प्रौढ़ शिक्षा

2. पाठशालेतर शिक्षा की प्रयोगात्मक परियोजनाएं

4. पिछड़े वर्गों का कल्याण

1. अस्वच्छ व्यवसायों में काम कर रहे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मेडिकल और इंजीनियरी के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक

3. लड़कियों के छात्रावास

4. अनुशिक्षण और संबद्ध स्कीमें

5. अनुसंधान और प्रशिक्षण

6. नागरिक अधिकार अधिनियम के संरक्षण के कार्यान्वयन के लिए तंत्र

7. अनुसूचित जाति विकास निगम

8. मैट्रिक-परवर्ती छात्रवृत्तियां

5. समाज कल्याण

1. देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए सेवाएं

2. निराश्रित महिलाओं-बच्चों का कल्याण

3. विकलांगों की एकीकृत शिक्षा

4. विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय

5. एकीकृत बाल विकास सेवाएं

6. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

6. बंधुआ मजदूरों का पुनःस्थापन

7. ग्राम और लघु उद्योग

1. जिला उद्योग केन्द्र

8. स्वास्थ्य

1. नर्सों और दाइयों के लिए रोजगार के कार्यक्रम (ग्रामीण)

2. नर्सों और दाइयों के लिए रोजगार के कार्यक्रम (शहरी)

3. फाइलेरिया नियंत्रण

4. कुष्ठ रोग

5. तपेदिक

6. एस० टी० डी०

7. हैजा

8. अंधेपन की रोकथाम

9. सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम

10. मेडिकल शिक्षा का अभिनवीकरण

11. बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और रोजगार

12. परिवार कल्याण कार्यक्रम

9. परिवहन

1. अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास

2. आर्थिक महत्व की सड़कें

3. अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कें

**श्री निहाल सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैंने जिलेवार सूचना मांगी थी, लेकिन इन्होंने केवल आइटम की सूचना दी है। उसी आइटम के अनुसार उत्तर-प्रदेश में एक योजना डी० पी० ए० पी०

कुछ जिलों में चल रही थी और वहां वह योजना लागू थी। लेकिन कुछ दिनों से वाराणसी जिले में यह योजना बंद हो गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने वहां कौन-सा डवलपमेंट का कार्य कर दिया है या राहत कार्य पहुंचा दिया है जिससे यह योजना बंद कर दी गयी।

**श्री एस. बी. चव्हाण** : जहां तक सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम का सम्बन्ध है, उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जहां कहीं यह कार्यक्रम चल रहा था, वहां यह जारी है। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अब चूंकि माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया है कि एक क्षेत्र विशेष में इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है, इसलिए सरकार इस मामले की जांच करेगी।

**श्री निहाल सिंह** : अध्यक्ष महोदय, इनकी एक बाढ़ रोकने की स्कीम है। गाजीपुर जिले में एक गांव गौसपुर और बलिया जिले में एक गांव बैरिया तक इनकी स्कीम बांध बनाने की है। यह 140 किलोमीटर लम्बा बांध बन रहा है। इस बांध से पांच सौ गांव बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब यह बांध बन जाएगा और नदी में बाढ़ आएगी तो उस स्थिति में इन गांवों को बचाने के लिए आपकी कौन-सी स्कीम है ?

**श्री एस. बी. चव्हाण** : योजना आयोग के लिए यह बताना बहुत कठिन है कि बांध बनाने के लिए कौन-सा स्थल तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है। आखिरकार तकनीशियन ही यह निश्चित करते हैं कि कौन-सा स्थल बांध बनाने के लिए उपयुक्त है। यदि यह कार्य विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार किया जा रहा है तो योजना आयोग रास्ते में अड़चन नहीं डाल सकता।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### इलैक्ट्रानिक कार का निर्माण

*350. **श्री जय नारायण रोट** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में इलैक्ट्रानिक कार के निर्माण के लिये आशय पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय विद्युत कार से है। सरकार को विद्युत कारों के निर्माण के लिए कोई लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**होण्डा मोटर साइकिल का निर्माण**

*354. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्विन (हैदराबाद) के साथ मिलकर होण्डा मोटर साइकिल का निर्माण करने के लिए जापान की 'सुजुकी' के साथ किसी प्रस्ताव पर बातचीत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जापान के मे० सुजुकी अथवा मे० होन्डा के सहयोग से मोटर साइकिलों के निर्माण के लिए हैदराबाद आल्विन मेटल वर्क्स लि० से सरकार को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**केरल में बन्धुआ मजदूर प्रथा**

*355. श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के पालघाट जिले में बड़ागरपति, एरुथमपती और कोजिनपाड़ा पंचायतों में बन्धुआ मजदूर प्रथा प्रचलित है; और

(ख) यदि हां, तो बन्धुआ मजदूरों को मुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, यह सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है।

**बीड़ी तथा सिगार मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी**

*356. श्री एम० इस्माइल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीड़ी तथा सिगार मजदूरों के लिए प्रति 1000 बीड़ी के लिए 12 रु० और प्रति 1000 सिगार के लिए 20 रु० की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1748 के अधीन, राज्य सरकारें बीड़ी उद्योग में रोजगार के संबंध में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करने के लिए सम्बन्धित सरकारें हैं। आल इंडिया बीड़ी, सिगार और तम्बाकू वर्कर्स फैडरेशन मद्रास से प्राप्त की गई मांगों को, जिनमें प्रति 1000 बीड़ियों के लिए 12 रुपये की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण शामिल है, उचित कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है।

**भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में मकान किराया भत्ता**

*357. **श्री रामविलास पासवान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और दिल्ली में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता भिन्न-भिन्न दरों पर दिया जा रहा है, जबकि दोनों नगर 'ए' श्रेणी के हैं;

(ख) यदि हां, तो बम्बई नगर और दिल्ली में देय मकान किराया भत्ता में असमानता का ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यह असमानता दूर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) बी० एच० ई० एल० के कर्मचारियों को बम्बई में 30% तथा दिल्ली में 25% की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाता है।

(ख) उपयुक्त दरों में अन्तर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होने वाले सरकारी उद्यम कार्यालय के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में दी गई सरकारी नीति के कारण है। यद्यपि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद तथा मद्रास के 'ए' श्रेणी के शहरों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता 15% की दर से दिया जाता है, लेकिन सरकारी उद्यम कार्यालय के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में बताये गये कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र में बम्बई में मकान किराया भत्ता 30% की दर से दिया जाता है तथा "ए" श्रेणी के अन्य शहरों (दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा हैदराबाद) में यह 25% की दर से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, मकान किराया भत्ता विशेष वेतन समझौतों के अधीन विनयमित किया जाता है। बी० एच० ई० एल० में नवीनतम समझौता 9-1-1980 से लागू है।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

**सशस्त्र-सेनाओं के स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति में गतिरोध**

*358. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों के स्टेनोग्राफरों के कैडर का पुनरीक्षण करने सहित उनकी पदोन्नति में गतिरोध की स्थिति को समाप्त करने के लिए अध्ययन प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख) सशस्त सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेट "ग" में पदोन्नति के मामले में गतिरोध है। आशुलिपिकों की भावी

पदोन्नति के बारे में सुधार लाने के प्रश्न पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग विचार कर रहा है जिसमें रक्षा मंत्रालय भी भाग ले रहा है।

### इलेक्ट्रोनिक मदों का आयात

*359. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या प्रधान मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विदेशों से किन-किन बड़ी इलेक्ट्रोनिक मदों का आयात किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन मदों को अपने ही देश में बनाने की किसी सम्भावना का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान विदेशी सहयोग से इलोक्ट्रोनिक मदों का निर्माण करने के लिए कितने एककों को अनुमति प्रदान की गई है और उनकी निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित समाचार

*360. श्री पीयूष तिरकी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मई के,, मासिक समाचार-सार" में "आरक्षित स्थानों पर भी भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति नहीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिक बेरोजगार हैं, जो रोजगार के इच्छुक हैं;

(ग) भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के लिए क्या मूल योजनायें तैयार की गई हैं और इन्हें कहां तक कार्यान्वित किया जा रहा है;

(घ) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु क्या योजनायें बनाई गई हैं; और

(ङ) देश में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार और क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) 31 दिसम्बर, 1980 को 1,68,379।

(ग) बुनियादी योजनाएं इस प्रकार हैं :

(1) केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्तियों में आरक्षण;

(2) आयु और शैक्षणिक अहर्ताओं में छूट देना;

(3) अपना काम धन्धा शुरू करने के लिए भूततूर्व सैनिकों को सुविधाएं देना और सेवा के अंतिम वर्ष में विभिन्न व्यवसायों में उन्हें प्रतिक्षण देने की व्यवस्था करना;

सभी नियोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी अनुदेशों का पूरी तरह से पालन करें।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण कार्यों से संबंधित प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं :

(1) युद्ध में मारे गए और युद्ध में निशक्त हुए सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए व्यावसायिक कालेजों में स्थानों का आरक्षण।

(2) आवासीय कालोनियों, पैट्रोलियम पदार्थों की एजेंसियों, उर्वरक वितरण आदि में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोटे का आरक्षण।

(3) रियायती दरों पर रक्षा सेवाओं के फालतू सामान के भंडारों से सामान, जैसे बेकार घोषित-वाहन, टाइपराइटर आदि जारी करना।

(4) इन कार्यों के लिए कल्याण निधियों से वित्तीय सहायता मंजूर करना :

(1) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति।

(2) मकान बनाने और छोटा मोटा कारोबार शुरू करना।

(3) अपना काम धन्धा शुरू करने के लिए बैंकों से लिए गए ऋण का ब्याज अदा करने के लिए सहायता।

(4) अधरांगघात से पीड़ित भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधरांगघात गृह चलाना।

(5) निशक्त सैनिकों के लिये वृत्तिक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था।

(6) सामान्य नियमों के अधीन न आने वाली बीमारियों के इलाज के लिए खर्च की व्यवस्था।

(ङ.) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए कई नए प्रस्तावों पर विभिन्न स्तरों पर विचार हो रहा है उदाहरणार्थ—पारिस्थकी कार्य दल के लिए भूतपूर्व सैनिकों का उपयोग, सैनिक सेवा के बाद पूरा सैनिक बलों में भूतपूर्व सैनिकों को लगाना, लघु उद्योग स्थापति करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए औद्योगिक विकास निगम का गठन करना आदि।

**देश के अनुसंधान संस्थानों के लिए वैज्ञानिक प्रतिभा**

*363. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा भर्ती किए जा रहे प्रबन्धक-प्रशिक्षार्थियों में से अधिकांश के पास विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी में उच्च योजताएं होती हैं, इससे देश के अनुसंधान संस्थानों के लिए नई प्रतिभाएं आकर्षिक करने में समस्या पैदा होती जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर किए भारी खर्च पर उचित लाभ प्राप्त करने में देश असफल रहता है; और

(ग) यदि हां, तो विदेश जाने अथवा प्रशासी या वाणिज्यिक क्षेत्रों में जाने के बजाए विज्ञान के क्षेत्रों में काम करने के लिए होनहार वैज्ञानिक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) और (ख) सरकार को मालूम है कि निजी क्षेत्र प्रबन्ध प्रशिक्षार्थियों के रूप में प्रशिक्षित विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों को भर्ती कर रहा है। लेकिन इससे हमारे अनुसंधान और विकास संस्थाओं के लिए योग्यता प्राप्त कार्मिकों को आकृष्ट करने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई है। छठी योजना के दौरान ऐसे उपायों और तंत्रों की व्यवस्था करने पर अधिक बल दिया गया है जिससे कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी अवसंरचना को सहज बनाया जा सके। वित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है ताकि निजी क्षेत्र सहित उद्योगों में अनुसंधान और विकास प्रयासों का सम्वर्द्धन किया जा सके। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, में लगी योग्यताप्राप्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी जन-शक्ति की दक्षताओं और ज्ञान से लाभ समस्त देश को ही प्राप्त होता है।

(ग) वैज्ञानिकों के लिए काम करने की परिस्थितियों में सुधार और योग्यताप्राप्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ऐसे मामले हैं जिनकी सरकार लगातार समीक्षा करती रहती है। मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति भी इस मामले पर विचार-विमर्श कर रही है।

**बिजली का नई प्रकार का विकसित बल्ब**

*364. **श्री डूंगर लाल बैठा :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स थार्न लाइटिंग, ब्रिट्रेन द्वारा बिजली के एक नए प्रकार के बल्ब का विकास किया गया है जिसकी बिजली की खपत 100 वाट के परम्परागत बल्ब की तुलना में 80 प्रतिशत कम है और जो 5000 घण्टों के लिए पांच गुना अधिक जलता है;

(ख) क्या सरकार ने इस दावे, तत्संबंधी तकनीक एवं जानकारी का अध्ययन करने की व्यवस्था की है जिससे ऊर्जा की बचत के लिए ऐसे बल्बों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (ग) ब्रिटेन के मैसर्ज थार्न लाइटिंग इन्डस्ट्रीज द्वारा एक नए प्रकार की फ्लोरीसेन्ट ट्यूब के विकास करने का दावा किया गया है। विनिर्माताओं का दावा है कि नई ट्यूब में 18 वाट की खपत होती है लेकिन इससे 80 वाट के परम्परागत ताप दीप्त बल्ब का दीप्ति निष्पादन प्राप्त होता है। बहरहाल इसकी कीमत 20 पौंड या लगभग 350 रुपये है।

सरकार ने सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में इन नई ट्यूबों के परीक्षण और मूल्यांकन करने की पहले से ही व्यवस्था कर दी है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए आयोग भी कम ऊर्जा की खपत करने वाले बल्बों/ट्यूब लाइटों पर स्वदेशी अनुसंधान और विकास आरंभ कर रहा है, जो कि लागत पर निर्मित की जानी चाहिए।

## रुग्ण एककों का अधिग्रहण

*365. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र के कितने रुग्ण एकक (उद्योगवार) अपने नियंत्रण में लिये हैं;

(ख) कितने रुग्ण एककों को संकट से उबारा गया;

(ग) कितने रुग्ण एककों का राष्ट्रीयकरण किया गया; और

(घ) क्या इन एककों के मालिकों को इस नीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है ?

**उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन जिन उपक्रमों का प्रबन्ध किया जा रहा है, उनमें से 21 एककों को नकद लाभ हुआ है।

(ग) गत तीन वर्षों में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन चलाए जाने वाले 15 उपक्रमों का भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।

(घ) राष्ट्रीयकरण की योजना में मुआवजे की राशि परिसम्पतियों के पुस्त मूल्य पर आधारित होती है। मुगतान आयुक्त द्वारा निर्धारित की गई राशि का वितरण प्राथमिकता के क्रम

में सूचीबद्ध श्रेणियों के अनुसार किया जाना होता है। प्राथमिकता-क्रम में अंशधारियों की देयताएं सबसे बाद में आती हैं, अत: उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण से मालिकों को लाभ मिलने या उसके लिए निर्धारित मुआवजे की राशि का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

| क्र० सं० | औद्योगिक उपक्रम का नाम | सम्बन्धित उद्योग |
|---|---|---|
| 1. | मैसर्स डा० पांल लोहमान (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता | भेषज उद्योग |
| 2. | मैसर्स इण्डियन हैल्थ इन्स्टीट्यूट एण्ड लैबोरेट्री मिलिटेड, कलकत्ता | —वही— |
| 3. | मैसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड, चेलाकुडी | रबर उद्योग |
| 4. | मैसर्स ब्रेन्ट्फोर्ड इलैक्ट्रिक (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता | विद्युत उद्योग |
| 5. | मैसर्स श्री रामा शुगर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (सितानगरम एकक) | चीनी उद्योग |
| 6. | मैसर्स सेठ गोविन्दराम शुगर मिल्स, जिजा उज्जैन | —वही— |
| 7. | मैसर्स जाओरा शुगर मिल्स, प्राइवेट लिमिटेड, जिला रतलाम। | —वही— |
| 8. | मैसर्स मोतीपुर शुगर फैक्ट्री, जिला मुजफ्फरपुर | —वही— |
| 9. | मैसर्स लिली बिस्कुट्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता | खाद्य परिशोधन |
| 10. | मैसर्स अपोलो जिप्पर कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता | इंजीनियरी उद्योग |
| 11. | मैसर्स नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता | —वही— |
| 12. | मैसर्स महादेवा टेक्सटाइल्स मिल्स, हुबली | वस्त्र उद्योग |
| 13. | मैसर्स श्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कलकत्ता | मुद्रण उद्योग |
| 14. | मैसर्स शिवराज फाइन आर्ट लिथोवर्क्स, नागपुर | —वही— |

**कागज बनाने के लिये पुरानी मशीनों का आयात**

*366 : **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज निर्माताओं को यूरोप से पुरानी मशीनों का आयात करने की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश के मशीन निर्माताओं ने इसका विरोध किया है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) लघु तथा मझोले उद्यमियों द्वारा प्रतिदिन 30 मी० टन तक की क्षमता वाली कागज की पुरानी मशीनों का आयात करने की अनुमति एक विशेष योजना जो 31 मार्च, 1981 तक लागू थी, के अन्तर्गत दी गई थी। देश के कागज मशीन निर्माताओं ने अभ्यावेदन किया था कि पुरानी कागज मशीनों का लगातार आयात करने से उनके हितों में बाधा पड़ रही थी। देश के कागज मशीन बनाने वाले उद्योग की विकास की अवस्था में होने तथा क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिदिन 30 मी० टन की क्षमता वाली पुरानी कागज मशीनों का आयात करने की योजना को 1-4-1981 से समाप्त कर दिया जाए।

**कृषि मजदूरों के लिए कानून**

*367. **श्री के० एन० राजन :**
**श्री बी० वी० देसाई :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून का प्रस्ताव लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है; और

(ग) उसमें शीघ्रता करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) जुलाई, 1980 में ग्रामीण असंगठित श्रमिक संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति ने केन्द्रीय सरकार को कृषि श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय विधान बनाने के प्रस्ताव की सिफारिश की।

(ख) और (ग) इस विषय पर राज्य सरकारों के बीच मतैक्य के अभाव में, पूरे मामले को गहन अध्ययन के लिए कार्यकारी दल के समक्ष रखा जा रहा है जैसा कि राज्य श्रम मंत्रियों के 32वें अधिवेशन में सिफारिश की गई थी।

**सीमेंट की मांग और सप्लाई के लिए सर्वेक्षण**

*368. **श्री सज्जन कुमार :**
**श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सीमेंट की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए सीमेंट की मांग और सप्लाई का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा 1980-85 के लिए सीमेंट उद्योग के संबंध में नियुक्त किये गये कार्यकारी दल ने मांग और छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान किए जाने वाले सीमेंट के संभावित उत्पादन का अनुमान लगाया है। इसका ब्योरा सभा पटल पर रखे जाने वाले विवरण में दिया गया है।

विवरण

| वर्ष | मांग | (लाख मी० टनों में) किया जाने वाला सीमेंट का संभावित उत्पादन |
|---|---|---|
| 1981-82 | 302.20 | 220.00 (अनुमानित) |
| 1982-83 | 326.40 | 289.80 |
| 1983-84 | 352.50 | 328.60 |
| 1984-85 | 380.70 | 372.60 |

(डसीला)

औद्योगिक रुग्णता को समाप्त करने की योजना

*242. श्री एम० राममोपाल रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक रुग्णता को समाप्त करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत किन-किन रुग्ण इकाइयों को हाथ में लेने का विचार है ?

उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार इस समय औद्योगिक रुग्णता के बारे में एक व्यापक नीति विकसित करने में लगी हुई है। नीति के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने पर यह न केवल रुग्ण एककों की विभिन्न श्रेणियों पर लागू होगी अपितु इसमें औद्योगिक रुग्णता की स्थिति सहित विभिन्न स्तरों पर योजना कार्यवाही की भी व्यवस्था होगी।

पंजाब में ऊर्जा के नये स्रोतों के विकास के लिए आवंटित धनराशि

3401. श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में नए ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु योजनाओं, विज्ञान संस्थाओं को सहायता

और विज्ञान तथा इंजीनियरिंग में बहु उद्देश्यीय अनुसंधान के लिए पंजाब सरकार को कितनी धन-राशि आवंटित की गई है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी इक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित विभिन्न विभाग निधीयन तंत्रों के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा भेजे गए, देश में विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं के प्राप्त प्रस्ताओं के आधार पर, नव ऊर्जा स्रोतों सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनेसंधान परियोजनाओं का निधीयन करता है। इस प्रयोजन के लिए राज्यवार या संस्थावार कोई प्रत्यक्ष विनिधान नहीं किया जाता है।

फिलहाल, निम्नलिखित योजनाओं को, जिनका विभाग द्वारा निधीयन किया जा रहा है, पंजाब में विभिन्न संस्थाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है :,

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | भाप और वाष्प के उत्पादन केलिए सौर संग्राहक यूनिटों का अभिकल्प और विकास | पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना | 7.89 लाख रुपये |
| 2. | रेशेदार पादप अभिशिष्टों से जैवगैस के उत्पादन के लिए कचरा गैस संयंत्रों का विकास | ” | 1.45 लाख रुपये |
| 3. | सामुदायिक प्रकार के जैवगैस संयंत्रों की प्रतिष्ठापना | ” | 2.826 लाख रुपये |
| 4. | जैवगैस उत्पादन और रूपांतरण के जैवगैस नैट इनरजैटिक्स से ऊर्जा | ” | 0.496 लाख रुपये |
| 5. | कृषि अपशिष्टों और अन्य उपलब्ध कच्चे माल का प्लास्टिक फोम में रूपांतरण और उनका छतों में और पैनल बनाने के लिए उपयोग | ” | 3.93 लाख रुपये |
| 6. | विद्युत प्रणाली के लिए माइक्रो प्रोसैसर आधारित, प्रतिरक्षा | थापर कालिज आफ इंजीनियरिंग, पटियाला | 1.07 लाख रुपये |
| 7. | कतिपय पीड़कनाशियों के प्रति प्रकट बन्दरों के रक्त और चुने हुए ऊतकों में जैव रासायनिक वर्ण (लीसन) | पोस्ट ग्रेजूएट इन्स्टीट्यूट आफ मैडिकल रिसर्च एंड एजूकेशन, चण्डीगढ़ | 4.23 लाख रुपये |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | भारत में कैंसर के रेडियो औषधीय उपचार के अपग्रेड करने के लिए मोल्ड रूम प्रौद्योगिकी और विकिरण डोसीमीटरों का विकास | पोस्ट ग्रेजूएट इन्स्टीट्यूट आफ मैडिकल रिसर्च एंड एजूकेशन, चण्डीगढ़ | 22.61 लाख रुपये |
| 9. | रोगियों और प्रौद्योगिक प्राणियों में अमीबीय यकृतशोथ और अमीबीय यकृत विद्रधि के उत्पादन में विभिन्न कारकों की भूमिका | " | 1.70 लाख रुपये |
| 10. | माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस के ग्लाइको लिपिडों की प्रतिरक्षाजनकता | " | 1.50 लाख रुपये |
| 11. | पीड़क नाशियों के जीव वैज्ञानिक प्रभावों पर अध्ययन | " | 4.26 लाख रुपये |
| 12. | प्रकाश और अन्य विनियामक अभिकारकों द्वारा कतिपय काष्ठ पादपों में पुष्पन के कार्मिकीय और जीव रसायनिक पहलू | " | 2.55 लाख रुपये |
| 13. | विषम स्टीरायडों और संबंधित पोली न्यूक्लियर यौगिकों में अध्ययन | " | 1.77 लाख रुपये |
| 14. | पूर्वाहिमालय का कवक-वनस्पतिजात | " | 3.38 लाख रुपये |
| 15. | पूर्वी हिमालय का कवक-वनस्पतिजात दूसरा चरण | " | 2.83 लाख रुपये |

**आदिवासी लोगों का विकास**

3402. **श्री गिरिधर गोमागो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी क्षेत्रों के विकास और उपरोक्त क्षेत्रों के आदिवासी लोगों और प्रशासन के उत्थान के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 और इस अनुच्छेद के प्रथम उपबन्ध के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष से धनराशि भारत को संचित निधि से ली गई है;

(ख) भारत सरकार द्वारा आदिवासी विकास के लिए मतदत्त और बजट की धनराशि कब उपलब्ध कराई गई है;

(ग) वर्ष 1980-81 तक आदिवासी विकास पर योजनावार, अब तक ली गई और मतदान की गई राशि क्या है; और

(घ) इस बारे में वर्ष 1981-82 के लिए प्रावधान क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) आदिवासी क्षेत्रों के विकास, उक्त क्षेत्रों के प्रशासन और आदिवासियों के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) और उसके प्रथम परन्तुक के अधीन प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1951-52 से अनुदान दिया गया है।

(ग) तथा (घ) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**विभिन्न योजनाओं में आदिवासियों पर किया गया व्यय**

| योजना अवधि | करोड़ रुपए में |
|---|---|
| प्रथम योजना* | 19.93 |
| दूसरी योजना* | 42.92 |
| तीसरी योजना* | 50.53 |
| 1966-69* | 32.32 |
| चौथी योजना* | 79.85 |
| पांचवीं योजना* | 187.58@ |
| 1978-79** | 87.34 |
| 1979-80** | 86.79 |
| 1980-81** | 86.82 |
| आवंटन | |
| 1981-82 | 104.86 |

@मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का परिव्यय शामिल नहीं है।

*यह व्यय केवल पिछले वर्ग क्षेत्र से सम्बन्धित है। इसमें अन्य क्षेत्रों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर किया गया व्यय शामिल नहीं है।

**आदिवासियों के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना (विशेष) केन्द्रीय (सहायता केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं) स्वयं सेवी संगठनों को सहायता के अतिरिक्त और केन्द्रीय सहायता, राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के परिव्ययों को सूचित करते हैं।

## नेशनल एनवाइरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट में भ्रष्टाचार

3403. श्री आर० के० सहालगी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नागपुर "प्रकाशित" है हितवाद के दिनांक 2 सितम्बर, 1980 और 19 अक्तूबर, 1980 अंकों में प्रकाशित समाचार नेशनल एनवाइरनमैंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट में कथित भ्रष्टाचार की तरफ आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेकट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) दिनांक 2 सितम्बर, 1980 के 'हितवाद' में प्रकाशित समाचार के अनुसार निदेशक राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर की अनियमितताओं के आरोपों से सम्बन्धित एक ज्ञापन उपाध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, (सी० एस० आई० आर०) को प्रस्तुत किया गया था । ज्ञापन के विषयों की जाँच की गई थी । लेकिन आरोप निराधार पाये गये । दिनांक 19-10-80 को प्रकाशित समाचार एक वरिष्ठ तकनीकी सहायक (स्टोर्स) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (एन० ई० ई० आर० आई०) से सम्बन्धित था । संबंधित कर्मचारी पर संस्थान के धन का दुर्विनियोग (गबन) करने के लिए आरोप लगाये थे । उक्त कर्मचारी द्वारा आरोप स्वीकार करने के पश्चात उससे दुर्विनियोग किये गये धन को किश्तों में वसूल करने के अतिरिक्त उसे नीचे स्तर के स्टोर सुपरवाईजर पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया । वस्तुत: प्रकाशित समाचार का संबंध इसी मामले से था, अत: अन्य कोई अग्रिम कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

## अहमदाबाद में स्थल सेनाध्यक्ष द्वारा दिया गया वक्तव्य

3404. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में लगभग 23 जून को अथवा इसके आसपास स्थल सेनाध्यक्ष ने जो विशेष रूप से चीन के बारे में कहा था, उसे उन्होंने नोट किया है;

(ख) क्या उन्हें संसद सदस्य से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उपरोक्त अधिकारी की ओर से अनौचित्य की ओर ध्यान दिलाया है; और

(ग) यदि हां, तो पारस्परिक हित के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत में चीन के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के आगमन के समय सार्वजनिक रूप से दिये गये ऐसे वक्तव्यों के भागों में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) इस विषय पर श्री ज्योतिर्मय बसु, संसद सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ग) संवाददाताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए थल सेनाध्यक्ष ने उन क्षमताओं का उल्लेख किया था जिनसे तिब्बत में एक तेल पाइप लाइन और चीन की मुख्य भूमि से ल्हासा को जोड़ने वाली रेल लाइन के निर्माण के परिणामस्वरूप सुधार हुआ है, थल सेनाध्यक्ष ने चीन या पाकिस्तान के विरुद्ध ऐसी कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की थी जिससे उनके साथ मैत्री संबंध बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों में किसी तरह का कमी आए ।

**मंत्रालय के अधिकारियों के सेवा काल में पिछली तारीख से वृद्धि**

3405. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी को वर्ष 1979-81 के दौरान पिछली तारीख के सेवा-काल में वृद्धि प्रदान की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके सेवा-काल में पिछली तारीखों से वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**आदिवासी विकास के लिए आवंटन में वृद्धि**

3406. **श्री के० प्रधानी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्तमान में सामान्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस वर्ष और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई० टी० डी० ए० अथवा आई० टी० डी० पी० के अन्तर्गत आदिवासी विकास के लिए अधिक धनराशि आवंटन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

**योजना मंत्री श्री (एस० बी० चव्हाण)** : (क) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) को जनवरी, 1981 में अन्तिम रूप दिया गया था । तब से सामान्य कीमतों के सूचकांक में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) और (ग) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है ।

**सीमन्स इंडिया लिमिटेड बम्बई पर कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया राशि**

3407. **श्री निहाल सिंह** :

**श्री राम सिंह शाक्य** :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमन्स इण्डिया लिमिटेट के कई कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना और भविष्य निधि की राशियां जमा नहीं की जा रहीं है और कई कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में उक्त फर्म के खिलाफ शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो सरकार ने फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि मैसर्स सीमन्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम. 1852 की धारा 17(1)(क) के अधीन छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है और अपने न्यासी बोर्ड की भविष्य निधि राशि का नियमित रूप से स्थानान्तरण कर रहा है।

तथापि कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि ऋण की ओर 3297 रु० की अदायगी और हर्जाने की और 842.65 रु० की अदायगी शेष है।

(ख) न तो कर्मचारी भविष्य निधि और न ही कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकरणों द्वारा कोई शिकायत प्राप्त हुई है तथापि, नियोजन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1848 के अधीन कारखाना भवन के अनुरक्षण और मरम्मत में लगे कर्मचारियों के अधिनियम की परिधि में आने का विरोध कर रहा है।

## कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण

3408. श्री ए० के० राय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेट धनबाद (बिहार) पर स्वामित्व पहले बर्ड एण्ड कम्पनी का था और श्री प्राण प्रसाद इसके अध्यक्ष थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1970 में कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को बर्ड एण्ड कम्पनी से अलग किया गया था और उन्हीं श्री प्राण प्रसाद की अध्यक्षता में हैलगर्स ग्रुप आफ कम्पनीज के साथ सम्बद्ध किया गया था;

(ग) क्या बर्ड एण्ड कम्पनी के एक अंग के रूप में कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण रोकने के लिए यह एक खुली छल योजना थी, यदि हां, तो तथ्यों का ब्योरा क्या है; और

(घ) बर्ड एण्ड कम्पनी के साथ कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स का राष्ट्रीयकरण न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स लि० (के० ई० डब्ल्यू) सितम्बर 1972 तक बर्ड हेलगर्स समूह के अधीन था। बर्ड समूह तथा हेलगर्स समूह का विभाजन1972 में हुआ तथा फलस्वरूप कुमार धुबी इंजीनियरिंग

वर्क्स हेल्थगर्स समूह के अधीन आया 1 सितम्बर, 1977 तक श्री प्राण प्रसाद कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स के अध्यक्ष थे।

(ग) सरकार ने भूतपूर्व बर्ड एण्ड कं० लि० के उपक्रमों का 25 अक्टूबर, 1980 में अधिग्रहण किया था अतः 1972 में या हेलगर्ससमूह से बर्ड समूह के अलग होने को के० ई० डब्ल्यू के राष्ट्रीयकरण को रोकने के लिए एक छल योजना नहीं समझा जा सकता है।

(घ) यह बर्ड समूह था जिसकी परिसम्पत्तियों का सरकार ने अधिग्रहण किया था और चूंकि के० ई० डब्ल्यू० इस समूह का अंग नहीं था अतः इस अधिग्रहण के परिणामस्वरूप इसकी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण का प्रश्न ही नहीं उठता था।

**प्रतिरक्षा मजदूर संघ अम्बरनाथ के अभ्यावेदन के संबंध में हुई प्रगति**

3409. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या रक्षा मंत्री प्रतिरक्षा मजदूर संघ, अम्बरनाथ की ओर से अभ्यावेदन के बारे में 6 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6893 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : प्रतिरक्षा मजदूर संघ, अम्बरनाथ (जिला ठाणे), महाराष्ट्र के अध्यावेदन में की गई मांगों के संबंध में गत तीन महीनों की अवधि के दौरान क्या प्रगति हुई है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) :** मांगों पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में अन्तिम आदेश यथाशीघ्र जारी करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

**चिकित्सा कार्मिकों में से भारतीय विशेषज्ञों को विदेश भेजने के लिये पंजीकरण**

3410. **डा० गोलम याजदानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 23 मई, 1981 के साप्ताहिक पत्र "रोजगार समाचार" में यथा विज्ञापित उनके मंत्रालय का कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग उन चिकित्सा कार्मिकों से जो कम से कम एम० बी०, बी० एस० हों अथवा जिनके पास समकक्ष उपाधि हो भारतीय विशेषज्ञ के रूप विदेश भेजने हेतु पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करता है;

(ख) यदि हां, तो अन्य भारतीय चिकित्सा प्रणालियों यथा होम्योपैथी आयुर्वेदिक और युनानी विशेषज्ञों से आवेदन पत्र आमन्त्रित न किए जाने के क्या कारण है; और

(ग) क्या वे इन प्रणालियों के विशेषज्ञों का भी पंजीकरण करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एम० बी० बी० एस० के समकक्ष होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और युनानी की डिग्री वाले डाक्टरों का भी पंजीकरण किया जाता है और उनकी एक सूची रखी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## बजाज और प्रिया स्कूटरों की कमी

3411. श्री रामलाल राही : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजाज और प्रिया स्कूटरों के डीलरों के पास स्कूटरों के आवंटन की बहुत लम्बी प्रतीक्षा सूचियां हैं;

(ख) क्या पंजीकृत आवेदकों को इन स्कूटरों को खरीदने के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो इन स्कूटरों की डिलिवरी सरल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या बजाज और प्रिया स्कूटरों के निर्माताओं ने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो स्कूटरों के उत्पादन में कितनी वृद्धि करने के लिये लायसेंस दिये गये है ?

उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) तथा (ख) निर्माताओं ने बताया है कि बजाज तथा प्रिया स्कूटरों के लिए काफी प्रतीक्षा सूची है। डिलीवरी अवधि काफी है।

(ग) से (ङ) 1979 में सरकार ने मे० बजाज आटो लि० को दो पहिये वाले स्कूटरों निर्माण 80,000 से बढ़ाकर 1,60,000 करने के लिए लाइसेंस दिया था। मे० बजाज आटो लि० अथवा मे० महाराष्ट्र स्कूटर्स लि०, जो प्रिया स्कूटरों का निर्माण करते हैं, से अधिक विस्तार के लिए कोई अन्य आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु, अतिरिक्त क्षमता को नियमित करने के लिए उनके आवेदन विचाराधीन हैं।

## गुजरात में नमक शुल्क

3412 : श्री दिग्विजय सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में गुजरात राज्य में कुल कितना नमक शुल्क प्रतिवर्ष वसूल किया गया है;

(ख) इन राज्यों में से गुजरात राज्य में प्रतिवर्ष कितनी राशि पहले ही व्यय की जा चुकी है;

(ग) इन धनराशियों के इस धीमे उपयोग के क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)**: (क) पिछले पांच वर्षों में गुजरात राज्य नमक उपकर की वसूल की गई वर्षवार राशि निम्नलिखित है :

| | |
|---|---|
| 1976-77 | रु० 75,40,000 |
| 1977-78 | रु० 83,96,000 |
| 1978-79 | रु० 86,00,000 |
| 1979-80 | रु० 82,00,000 |
| 1980-81 | रु० 60,18,000 |

(ख) नमक उपकर की राशि को अलग से जमा नहीं किया जाता है बल्कि सरकार के सामान्य राजस्वों में जमा किया जाता है, इसमें से विविध राज्यों के नमक उद्योग में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए और नमक विभाग के अधिष्ठानों के लिए व्यय किया जाता है ।

पिछले पांच वर्षों में गुजरात राज्य पर किया गया व्यय नीचे दिया जा रहा है :

| | |
|---|---|
| 1976-77 | रु० 2,45,000 |
| 1977-78 | रु० 3,52,000 |
| 1978-79 | रु० 14,42,000 |
| 1979-80 | रु० 10,93,000 |
| 1980,81 | रु० 22,21,000 |

(ग) नमक उद्योग से संबंधित कार्यों में नमक उपकर राशि का उपयोग करना प्राप्त प्रस्तावों की संख्या पर, निहित शर्तों का नमक लाइसेन्सधारियों/राज्य सरकारों द्वारा पूरा किया जाने पर और जिस गति से कार्य किया जाता है उसकी गति पर निर्भर करता है ।

(घ) राज्य सरकारों से नमक उद्योग सम्बन्धी विकास परख और श्रमिक कल्याण कार्यों के लिए नमक आयुक्त के परामर्श से उपयुक्त योजनाएं बनाने का अनुरोध किया गया है । नमक उपकर राशि से सहायता देने सम्बन्धी सिद्धान्त संहिता के और उपाय बनाने के बारे में जब आवश्यक हो, विचार किया जायेगा ।

**एच० पी० सी० के लिये गोहाटी में एक कम्पनी स्थापित करना**

3143. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बदरपुर (कछार) जाजीरोड (नवगांव) में बन रही कागज मिलों के निर्माण कार्य की देखभाल करने हेतु एच० पी० सी० के लिये एक नई कम्पनी स्थापित करने का निर्णय किया है जिसका मुख्यालय गोहाटी में होगा; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) जी नहीं। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को उनके नागालैंड और असम स्थित परियोजनाओं से संबंधित कार्य में बेहतर समन्वय लाने के लिये उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक राज्य में एक कार्यालय खोलने की केवल सलाह दी गई है।

**दानापुर कैण्ट में हैड क्लर्क द्वारा आवासीय मकान पर अवैध कब्जा**

3414. **श्री रामाअवतार शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दानापुर कैण्ट पटना के 'अलख मार्ग' पर कैण्ट मिडिल स्कूल के परिसर में स्कूल के मुख्याध्यापक के लिए 1935 से एक रिहायशी मकान बना हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि दानापुर कैण्ट बोर्ड के हैड क्लर्क द्वारा इस मकान का जबरन कब्जा लिए जाने के कारण छात्रों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब तक हैड क्लर्क द्वारा इस मकान को खाली नहीं कर दिया जाता, बिहार सरकार का शिक्षा विभाग इस विद्यालय को स्थायी मान्यता देने को तैयार नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो हैड क्लर्क से विद्यालय के परिसर को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) जी हां।

(ख) हैड क्लर्क ने मकान का जबरन कब्जा नहीं लिया था बल्कि उसे यह मकान, 1969 में पारित एक संकल्प के अनुसार छावनी बोर्ड द्वारा एलाट किया गया था। चूंकि इस मकान का कब्जा जबरन नहीं लिया गया था इसलिए इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। यह स्कूल हस्तान्तरित करके जब 1 फरवरी, 1981 को राज्य सरकार को सौंप दिया गया तो राज्य सरकार ने इसे मान्यता प्रदान कर दी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में डकैती**

3415. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाक 3 जून, 1981 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पांच सशस्त्र डाकुओं ने "यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया" की ग्रेटर कैलाश, शाखा नई दिल्ली को लूटा था और इसके तीन कर्मचारियों को छूरा भोंप दिया था और 1.23 लाख रुपये की राशि लेकर चंपत हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस बारे में दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) 2 जून, 1981 को मध्याह्न 3.40 बजे यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया "एम" ब्लाक ग्रेटर कैलाश-1 में डकैती के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी । पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर पहुंची और बैंक के रोकड लिपिक का बयान दर्ज किया । यह बताया गया कि चाकू और पिस्तोलों को नोक पर चार सशस्त्र व्यक्ति हेड कैशियर तथा एक अन्य कर्मचारी को बैंक के स्ट्रांग रूम के पास ले गए और वहां से करंसी नोट उठा लिए । बाद में जांच करने पर मालूम हुआ कि बैंक से 1,23,000 रु० लूट लिए गए थे । थाना कालकाजी में भारतीय दंड संहिता की धारा 395/397/342 के अधीन एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 658 तारीख 2-6-81 दर्ज किया गया है । मामले की जांच दिल्ली की अपराध शाखा को हस्तान्तरित कर दी गई और जांच जारी है ।

## कर्नाटक को सीमेंट की सप्लाई

3416 : श्री जर्नाहन पुजारी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को सीमेंट का आवंटन किस आधार पर किया जाता है; और

(ख) वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कर्नाटक राज्य को सीमेंट की कितनी मात्रा आवंटित की गई ?

उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) राज्यों को सीमेंट का आवंटन खपत के आधार पर तथा देश में सीमेंट की कुल उपलब्धि को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

(ख) जून, 1981 तक चालू केलेण्डर वर्ष में कर्नाटक राज्य को किया सीमेंट का आवंटन निम्न प्रकार है :

| तिमाही | मूल आवंटन | तदर्थ आवंटन | कुल आवंटन |
|---|---|---|---|
| प्रथम तिमाही/81 (जनवरी-मार्च) | 2,08,000 | 42,000 | 2,50,000 |
| दूसरी तिमाही/81 (अप्रैल-जून) | 2,08,000 | 65,000 | 2,73,000 |
| कुल | 4,16,000 | 1,07,000 | 5,23,000 |

## औद्योगिक क्षेत्र में बाधायें

3417. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा पहले से किए

गए निवेश से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या प्रभावी उपाय किये हैं या करने का प्रस्ताव है;

(ख) उसका मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए उपायों पर निगरानी रखने हेतु उनके मंत्रालय में किसी तंत्र की व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक अभ्युपाय किए गए हैं। इन अभ्युपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. लघु और सहायक उद्योगों की निवेश सीमा को 1-8-1981 से बढ़ाकर क्रमशः 20 लाख रुपये तथा 25 लाल रुपये कर दिया गया है।

2. प्रमुख और आधारभूत क्षेत्रों के 34 उद्योगों को विकास की अनुमति दी गई है बशर्ते उत्पादन की वस्तु लघु क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित न हो तथा उपक्रम एकाधिकारी उवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अधीन उस क्षेत्र विशेष में विशेष प्रभावशाली एकक न हों।

3. 34 चुने हुए उद्योगों के मामलों में इस शर्त पर अतिरिक्त क्षमता के लिए मान्यता दी गई है उद्योग लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं होना चाहिए।

4. लाइसेंस संबंधी प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाया गया है तथा आवेदन को निपटाने की समय सीमा घटाकर बहुत कम कर दी गई है।

5. 100 प्रतिशत निर्यातपरक एककों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक योजना चलाई गई है।

6. प्रशासनिक मंत्रालयों की कुछ शर्तों के अधीन विदेशी सहयोग प्रस्ताओं को स्वीकृत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

7. स्थापना स्थल संबंधी नीति को समीक्षा की गई है तथा वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं।

8. संबंधित मुख्य मंत्रियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों में संरचना संबंधी समेकित औद्योगिक विकास के लिए प्रस्तावित केन्द्रस्थ संयंत्र संबंधी नीति के अंतर्गत विशेषरूप से गठित कृतिक बलों द्वारा चुने हुए पिछड़े जिलों में परियोजना की संभावनाओं तथा सहायक विभव सम्पन्नता का पता लगाया जा रहा है।

9. निर्यात का संवर्द्धन करने की दृष्टि से निर्यात संबंधी उत्पादन को लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अलग समझा गया है। एकाधिकारी अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत "प्रमुता" को निर्धारित करने संबंधी प्रयोजन के लिए भी इस उत्पादन की गणना नहीं की जायेगी।

10. मंत्रालयों/विभागों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं ताकि वे अधिष्ठापित क्षमता, किए गए उत्पादन को ध्यान में रखते हुए (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्रों में उत्पादन क्षमता निश्चित कर सकें।

11. कार्य चालू रखने संबंधी लाइसेंसों के संबंध में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं ताकि मंत्रालय विभाग इनकी उत्पादन क्षमता निर्धारित कर सके।

12. मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

उपर्युक्त अभ्युपायों के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में जिसमें वर्ष 1879-80 में 1.4 प्रतिशत की गिरावट आ गई थी, अक्तूबर, 1980 से वृद्धि का रूख दिखाई दिया है। 1 वर्ष 1979-80 की उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति रुक गई है तथा औद्योगिक उत्पादन में वर्ष 1979-80 की अपेक्षा 1980-81 और 1981-82 में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। वर्ष 1981-82 की पहली तिमाही में विकास की दर 11.1 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) उत्पादन करने वाले मंत्रालयों ने मानिटरिंग दलों का गठन किया है ताकि वे जारी किए गए औद्योगिक लाईसेंसों आदि के कार्यान्वयन कार्य की देख रेख कर सकें। उद्योग मंत्रालय में भी एक केन्द्रीय मानिटरिंग एकक है जो औद्योगिक स्वीकृतियों आदि के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की भी देखरेख करता है।

**दिल्ली क्लाथ मिल्स दिल्ली पर कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया धनराशि**

3418. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड के कार्यालय कहां-कहां स्थित हैं तथा प्रत्येक कार्यालय में कितने कर्मचारी दैनिक और मासिक मजदूरी के आधार पर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उनकी सेवाएं नियमित करने का मुख्य कारण विभिन्न श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि के भुगतान से बचना है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत क्रमश: कितनी-कितनी धनराशि जमा कराई गई है, तथा इस संबंध में कितनी धनराशि अभी भी बकाया है तथा इस धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

**दिल्ली नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर का निर्धारण**

3419. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम सम्पत्ति कर का निर्धारण करते समय किन्हीं निर्धारितों मानक किराया फार्मूलों का पालन नहीं कर रहा है तथा विभिन्न मामलों में और विभिन्न जोन में इन फार्मूलों में विभिन्नता है और इस प्रकार सम्पत्तिधारिकों को काफी परेशान किया जा रहा है और यह विभिन्न प्रकार की निर्वचनता कई बार न केवल निर्धारितियों के लिए हानिकर होती है बल्कि इससे निम्न स्तर पर भ्रष्टाचार की भी काफी गुंजाइश रह जाती है; और

(ख) क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुये इन मानक किराया फार्मूलों को सदा के लिए निर्धारित करेगी और इसकी विभिन्न प्रकार की निर्वचनता को रोकेगी तथा राजधानी के निवासियों को यह अतिआवश्यक राहत देगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार किसी सम्पत्ति का कर योग्य मूल्य प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 6 अथवा धारा 9 के उपबंधों के अधीन निर्धारण योग्य मानक किराए के आधार पर निर्धारित करना होता है । यद्यपि धारा 6 अथवा 9 में यथा निर्धारित मानक किराए के निर्धारण के लिए सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के अनुसार भिन्नता नहीं हो सकती तथापि मानक किराया निर्धारित करने में शामिल तत्व प्रत्येक मामले में अथवा प्रत्येक जोन में भिन्न होते हैं । निगम ने यह भी बताया है कि सम्पत्तियों का मूल्यांकन एक अर्धन्यायिक कार्य है और इसमें किए गए निर्णय पर अपील की जा सकती है ।

**ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के उद्योगों में प्रतिस्पर्धा**

3420. श्री ए० टी० पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी क्षेत्र के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों को क्या संरक्षण दिये गये हैं; और

(ख) इस मामले में यदि कोई उपलब्धि हुई है तो वह क्या है ?

उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) शहरी उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस प्रकार का कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है । किन्तु सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के तीव्र विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रोत्साहन तथा सुविधाएं प्रदान करती है । इनमें जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली गहन

विस्तार सेवाएं तथा लघु उद्योग सेवा संस्थानों का व्यापक कार्य शामिल है। मूल (सीड) सीमांत (मार्जिन) धनराशि योजना के जरिए ऐसे सभी टाइनी एककों को ऋण संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है जिन्होंने संयंत्र और मशीनों पर 2 लाख रुपये से अनाधिक का निवेश किया है तथा जो 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों और गांवों में स्थित हैं।

कार्य संचालन स्तर एकक के आकार पर भी कुछ रियायतें दी जाती हैं। तदनुसार, कुछ परम्परागत ग्रामीण और लघु उद्योगों जैसे हथकरघा, रेशमकीट पालन, केयर, खादी तथा ऐसे ग्रामीण उद्योग, जो प्रधानत: ग्रामोन्मुख होते हैं, को रियायती ऋणों के रूप में रियायतें, इन कारीगरों की सहकारी समितियों का प्रबन्धकीय राजसहायता तथा उनको उन्नत किस्म के औजारों तथा उपकारों का संभरण करने पर राजसहायता दी जाती है ताकि वे अपने से बड़े ऐसे एककों से प्रतिस्पर्धा कर सकें जो अधिकांशत: नगरोन्मुख एकक हैं।

**दीव में एक सीमेंट फैक्ट्री लगाना**

3421. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे : कि क्या सरकार दीव में चूने के पत्थर की प्रर्याप्त उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक सीमेंट फैक्ट्री लगाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

**उद्योग तथा श्रम मत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

**राष्ट्रीय राजमार्गों पर डकैती तथा बसों का लूटा जाना**

3422. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सशस्त्र गिरोहों द्वारा डकैतियां डालने और बस लूटने की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री योगेन्द्र मकवाना** : (क) और (ख) सरकार के पास इस निष्कर्ष पर आने के लिए कोई सूचना अथवा रिपोर्ट नहीं है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सशस्त्र गिरोहों द्वारा डकैतियां डालने और बस लूटने की संख्या में वृद्धि हो रही है। जब कभी कोई ऐसी घटना होती है, सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है। संबन्धित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा ऐसे अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए (1) राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त लगाने (2) रात्रि यात्रा सेवा बसों का संरक्षण करने वाले सशस्त्र गार्ड (3) अपराधोन्मुख क्षेत्रों में पुलिस टुकड़ियां तैनात करने और (4) डकैतों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष दस्ते गठित करने जैसे पर्याप्त कदम उठाये जा रहे है।

**अनुसूचित जातियों के लिए औद्योगिक सम्पदा**

3423. **श्री भीकूराम जैन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के लिए पृथक औद्योगिक सम्पदा की स्थापना का कोई विचार है;

(ख) क्या सरकार ने समाज के एकीकरण के लिए प्रस्तावित कदम के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए वर्तमान संस्थागत व्यवस्था क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए अलग से कोई औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ।

(ग) उद्योगों को स्थापित करने के सिलसिले में अनुसूचित जातियों के लिए संस्थागत प्रबंध राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विशेष कम्पोनेंट योजनाओं के रूप में उपलब्ध है ।

**योजना को क्रियान्वित करने के लिए कदम**

3424. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्थव्यवस्था के कार्यकरण और अतिरिक्त स्रोत जुटाने में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए हाल ही में योजना आयोग की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) जी, हां । योजना आयोग की पूर्ण बैठक दि० 6 अगस्त, 1981 को प्रधान मन्त्री जी की अध्यक्षता में हुई थी ।

(ख) बैठक में इन बातों की समीक्षा की गई :

(1) वर्ष 1981-82 के लिए केन्द्र और राज्यों की योजना के लिए वित्तीय संसाधन;

(2) 1980-81 की जनगणना के आरंभिक परिणामों के निहितार्थ;

(3) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, विशेषकर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समस्याएं; और

(4) वर्ष 1980-81 में योजनागत स्कीमों के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव से योजना के कार्यान्वयन के लिए ली जाने वाली शिक्षा ।

इस समीक्षा में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर नए सिरे से जोर देने, परियोजनाओं का तेजी से निष्पादन, अधिक वित्तीय अनुशासन तथा योजना और प्रबोधन तंत्र को सभी स्तरों पर मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

**हरिजन उत्थान के लिये आवंटित राशि का अप्रयुक्तपड़ा रहना**

3425. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजन उत्थान और विकास के विभिन्न कार्यों के लिए केन्द्र और राज्य द्वारा आवंटित की गई धनराशि में से वर्ष 1979 और 1980 के दौरान मदवार और राज्यवार कितनी-कितनी राशि उपयोग में नहीं लाई जा सकी;

(ख) आवंटित राशि का उपयोग न किए जाने अथवा कम राशि का उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के लिए हरिजन उत्थान और विकास योजनाओं को प्रत्येक श्रेणी हेतु राज्यवार, कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) केन्द्रीय अथवा राज्य आवंटनों से अनुसूचित जातियों के लिए कार्यक्रम मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा कार्यन्वित किए जाते हैं तथा अप्रयुक्य राशियों के योजनावार ब्यौरे राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होंगे । वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान राज्यों को विशेष कम्पोनेंट योजनायें विशेष केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए किये गए आवंटन क्रमश: अनुलग्नक 1,11, और 111 में देखे जा सकते हैं । **[ग्रंथालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 2804/81]**

(ग) अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजनावार आवंटनों का निर्धारण करना राज्यों का कार्य है फिर भी राज्यों को विशेष कम्पोनेंट योजनाओं में अस्थाई परिव्ययों, विशेष कम्पोनेंट योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के सम्बंध में योजनावार परिव्यव क्रमश: अनुलग्नक 4 अनुलग्नक 5 तथा अनुलग्नक 6 पर देखे जा सकते हैं । **(ग्रंथालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 2804/81)**

**साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाना**

3426. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में साम्प्रदायिक दंगों के लिए संवेदशील क्षेत्रों का पता लगा लिया है और उनकी घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(ग) भविष्य में, देश में साम्प्रदायिक रंग को पूर्णत: मिटाने के लिए सरकार ने क्या ठोस उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। सरकार ने विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगा लिया है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) सभी राज्य सरकारों को साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने तथा साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त भेज दिए गए हैं। इनमें विभिन्न पहलू जैसे आसूचना प्रबन्ध, निवारक कार्रवाई में गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा भाग लेना, प्रासंगिक योजना, आग्नेय शस्त्रों पर नियंत्रण, कार्मिक नीति, जांच, अभियोजन और मामलों के विचारण तथा पुनर्वास समेत प्रशासकीय उपाय शामिल हैं।

विवरण

अधिक साम्प्रदायिक दंगों वाले जिलों की सूची

1. आंध्र प्रदेश : मेडक, करीमनगर, निजामाबाद, रंगारेडी, हैदराबाद शहर, आदिलाबाद, करनूल, नालगोंडा।

2. असम : कच्छार, कामरूप, गोलपाड़ा, दारंग, नागांग।

3. बिहार : पटना, दरभंगा, मधुबनी, पश्चमी चम्पारन, गिरीडीह, सिवान, भोजपुर, गोपालगंज, संथाल परगना, रांची, मुंगेर, भागलपुर, हजारीबाग, पूर्णिया, सिंहभूम, सीतामढ़ी, नालन्दा, गया, पूर्वी चम्पारन।

4. गुजरात : पंचमहल, सूरत, बंसकांठा, जामनगर, सावरकांठा, अहमदाबाद, जूनागढ़, बड़ोदा, खेड़ा बड़ोच।

5. केरल : मालापुरम, कैनौर, त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर।

6. कर्नाटक : बंगलौर, बिदार, बुलबर्ग, धारवाड़, मैसूर, दक्षिणी कानरा, कोलार।

7. मध्य प्रदेश : रतलमा, जबलपुर, विदिशा, सेहोर, उज्जैन, सिओर, सागर रायसेन, मन्दसौर, ताजापुर, रायगढ़, छिंदवाड़ा, दमोह, राजगढ़ (बिहोरा), भोपाल, इन्दौर, खंडवा, खरगांव।

8. महाराष्ट्र : पूना शहर, अहमदनगर, जलगांव, अकोला, अमरावती, बुलढाना, वृहत बम्बई, नासिक, पारधानी, थाने।

9. उड़ीसा : कटक, बालासोर।

10. राजस्थान : जोधपुर, नागपुर, उदयपुर, कोटा, पाली, भीलवाड़ा, चित्तोड़गढ़, जयपुर, टोंक।

11. तमिलनाडु : त्रिची, दक्षिणी आरकोट, मदुराई, रामनाथपुरम, त्रिनेलबेली, उत्तरी आरकोट, धर्मपुरी, कायम्बत्र ।

12. उत्तर प्रदेश : सहारनपुर, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जौनपुर, बिजनौर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, रामपुर, बांदा, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, गाजीपुर, देवरिया, फतहपुर, मथुरा, सीतापुर, मुरादाबाद, आगरा, आजमगढ़, वाराणसी, अलीगढ़, मेरठ, गोंडा, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, बस्ती, बहराइच, बुलंदशहर, गोरखपुर ।

13. पश्चिमी बंगाल : कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, नादिया ।

14. दिल्ली : केन्द्रीय दिल्ली, उत्तरी दिल्ली ।

## विभिन्न किस्म के कागज का उत्पादन और उसका मूल्य

3427. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में सफेद छपाई के कागज, लिखने के कागज, अखबारी कागज और पैकिंग कागज का कुल उत्पादन कितना था; और

(ख) 1970-71 में उनके मूल्यों की तुलना में 1980-81 में उक्त प्रत्येक वर्ग के कागज का औसत मूल्य क्या था ?

उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1980-81 में विभिन्न किस्मों के कागज का अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

| किस्म | मात्रा |
|---|---|
| | लाख मी० टनों में |
| छपाई का कागज | 3.21 |
| लिखाई का कागज | 2.54 |
| लपेटने तथा पैकिंग कागज | 3.13 |
| अखबारी कागज | 0.51 |

नोट : यह उल्लेखनीय है कि लिखाई तथा छपाई के कागजों के बीच स्पष्ट अन्तर करना कठिन है, क्योंकि वे कुछ सीमा तक एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में आते हैं ।

(ख) विभिन्न किस्मों के कागजों के मूल्य एक से नहीं होते हैं और प्रत्येक कारखाने के मूल्यों में अन्तर भी होता है । वर्ष 1970-71 में प्रचलित कागज के मूल्यों के कोई प्रमाणित आंकड़े

उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु, वर्ष 1969 तथा 1980 में कागज की कुछ प्रतिनिधि किस्मों के कारखाना-बाह्य मूल्य नीचे बताए गए हैं :

| | मूल्य अन्तर रु० प्रति किलो (1969) | मूल्य अन्तर रु० प्रति किलो (1980) |
|---|---|---|
| छपाई का सफेद कागज | 1.98-2.98 | 3.00* 3.50* (नवम्बर, 1980 से संशोधित) |
| क्रीम लेड/वोव कागज | 2.04 | 5.27-6.25 |
| क्राफ्ट कागज | 1.82-2.35 | 5.35-6.71 |

*नियंत्रित दरों पर शिक्षा क्षेत्र को संभरित किए जा रहे छपाई के सफेद कागज का मूल्य।

जहां तक अखबारी कागज का सम्बन्ध है, नेशनल न्यूजप्रिन्ट तथा पेपर मिल्स द्वारा उत्पादित अखबारी कागज का मूल्य नीचे बताया गया है :

नेपा अखबारी कागज का प्रति मी० टन बिक्री मूल्य

| 1970-71 | 1980-81 |
|---|---|
| रु० 1100 | रु० 3886 |
| | रु० 3956 |
| | (1.1.1981 से संशोधित) |

## उड़ीसा द्वारा वार्षिक योजना नियतन का उपयोग न किया जाना

3428. श्री अर्जुन सेठी : क्या योजना मंत्री उड़ीसा द्वारा वार्षिक योजना नियतन का उपयोग न किये जाने के बारे में 18 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4035 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वार्षिक योजना 1980-81 के लिए खर्च की गई धनराशि के उपयोग के लिए विभागवार विशिष्ट मद क्या है; और

(ख) इस वर्ष में राज्य के योजना तथा गैर-योजना खर्च की तुलना में उपलब्ध उत्पादन का अनुपात क्या है ?

**योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है, वर्ष 1980-81 में योजना व्यय उतना ही है जितना कि 250.16 करोड़ रु० का अनुमोदित परिव्यय है और इस प्रकार खर्च न किया गया कोई भी शेष नहीं था जिसे कहीं और उपयोग में लाया जाता।

(ख) वर्ष 1980-81 में योजना व्यय वर्ष 1979-80 के मुकाबले लगभग 28 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 1980-81 में योजनेतर व्यय की वास्तविक संवृद्धि के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

**वेश्यालयों के चलाने के लिए अलिखित करार**

3429. **श्री के० मालना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अगस्त, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि जी बी रोड पर वेश्यालय चलाने वाले व्यक्तियों और कानून के संरक्षकों, जो किसी आधार के लिए प्राचीनतम व्यवसाय को जीवित रखते हैं, के बीच "अलिखित-करार" सरकारी रिकार्ड में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) सरकार ने इस समाचार को देखा है। वेश्यालय चलाने वालों और पुलिस कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार का करार होने का कोई प्रश्न नहीं है।

**अधिक संख्या में सैनिक स्कूलों का खोला जाना**

3430. **श्री क्रिस्टोफर एक्का** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छठी योजना अवधि में विभिन्न राज्यों में कुछ और सैनिक स्कूल खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में राउरकेला में ऐसा कोई सैनिक स्कूल खोलने का विचार है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कार्यान्वियन के बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) सैनिक स्कूल सोसाइटी के अधीन सैनिक स्कूल राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर स्थापित किए जाते हैं और उन्हें सारा

पूंजीगत खर्च तथा आवर्ती खर्च का काफी हिस्सा वहन करना होता है। सैनिक स्कूल खोलने के लिए भारत सरकार कोई प्रस्ताव तैयार नहीं करती है।

(ख) राउरकेला में सैनिक स्कूल खोलने के लिए उड़ीसा सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० द्वारा अत्याधुनिक भंडारों का निर्माण**

3431. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा 'एअर रूट सरवीलेन्स रडार (ए० आर० एस० आर०)' और 'प्रेसिजन एप्रोच रडार (पी० ए० आर०)'—दो अत्याधुनिक किस्म के रडारों का विकास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) :** (क) और (ख) जी हां। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने हवाई मार्ग निगरानी रडार और प्रेसिजन अप्रोच रडार दोनों का ही सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। इन यूनिटों का उत्पादन इस वर्ष ही शुरू हो जाएगा।

**धार्मिक सम्प्रदायों के प्रति आपत्तिजनक सामग्री वाली पुस्तकों पर पाबन्दी**

3432. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धार्मिक सम्प्रदायों के प्रवर्तकों के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री वाली और वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न कर सकने वाली कुछ पुस्तकों पर पाबन्दी लगाने के बारे में सरकार को कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन पुस्तकों के नाम क्या हैं जिनके बारे में इस प्रकार की कार्यवाही करने की मांग की गई है;

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो कार्यवाही कब तक की जाएगी और विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) धार्मिक सम्प्रदायों के प्रवक्तकों के बारे में तथा कथित आपत्तिजनक सामग्री वाली पुस्तकों की सूची जिन पर पाबन्दी लगाने के लिए अप्रैल, 1980 से इस मन्त्रालय की मांगें प्राप्त हुई हैं और उन पर की गई कार्यवाही।

| | |
|---|---|
| 1. लक्ष्मीनारायण मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक "काल विजय"। | उपयुक्त कार्यवाही के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के ध्यान में लाई गई है। |
| 2. जान ड्यूकवर्थ द्वारा लिखित और हैरप एंड कम्पनी लंदन द्वारा प्रकाशित पुस्तक "मुहम्मद एंड दी अरब इम्पायर"। | वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने इस पुस्तक को रोकने और मामले में आगे विचार करने के लिए इस मंत्रालय को देने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को सचेत कर दिया है। |
| 3. श्री जे० डी० राबर्ट्स द्वारा लिखित और जोर्ज हैरिस लंदन द्वारा प्रकाशित पुस्तक "मुहम्मद एंड दी अरब इम्पायर"। | तदैव |
| 4. न्यूजवीक, न्यूयार्क द्वारा प्रकाशित पुस्तक "मक्का"। | प्रेस रिपोर्ट के अनुसार यह पुस्तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अवैध घोषित की गई है। |

(यह मांग की गई थी कि तुलसी वत्सल द्वारा लिखित और आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक "न्यू इलुसट्रेटिड हिस्टरी आफ इंडिया-बुक-2" के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए। इस पुस्तक में सिक्ख गुरुओं के बारे में तथाकथित आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं और इसको पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक बताया गया है। इस मामले को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के साथ विचार-विमर्श करके शिक्षा मंत्रालय में जांच की जा रही है।)

(ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखित पुस्तक "सरदार जी" कहानी जो 1 जुलाई 1981 को सारिका में प्रकाशित हुई थी, के बारे में प्राप्त अभ्यावेदन में यह कहा गया है कि निम्नलिखित प्रकाशनों ने सिक्खों की भावनाओं और मनोभावों पर आघात किया है : (क) डा० मुल्ख राज आनन्द द्वारा लिखित "दी विलेज" (ख) जहीरुद्दीन फारूकी के द्वारा लिखित औरंगजेब एंड हिज टाइम्स (ग) दिल्ली के नकली निरंकारी द्वारा प्रकाशित साहित्य (घ) प्रो० उर्मीद अली, आगरा द्वारा लिखित नानक अनवेल्ड (ङ) श्री यज्ञदत्त शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास "इन्सान"। "नानक अनवेल्ड-खंड-2" और "औरंगजेब एंड हिज टाइम्स" पुस्तकों को 1974 में पंजाब सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है। उस राज्य सरकार का ध्यान अन्य विनिर्दिष्ट प्रकाशनों की ओर आकर्षित किया गया है।)

## हड़तालों के परिणामस्वरूप मानव दिवसों की हानि

3433. **आचार्य भगवान देव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उद्योगों में हड़तालें, घेरावों और अन्य मजदूर आन्दोलनों के कारण कितने मानव-दिनों की हानि हुई और पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान इन्हीं कारणों से कितने मानव-दिनों की हानि हुई; और

(ख) क्या नए अध्यादेश के लागू होने से देश में मानव-दिनों की हानि में कमी हुई है, और यदि हां, तो कितनी ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) अनंतिम उपलब्ध जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों अर्थात् अप्रैल से जून, 1981 में हड़ताल के कारण देश में 12.3 लाख श्रम दिनों की हानि हुई । उसी अवधि में हुए घेरावों की जानकारी उपलब्ध नहीं है । पिछले वर्ष में हड़ताल के कारण 30.3 लाख श्रम दिनों की हानि हुई ।

(ख) अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अध्यादेश, 1981 दिनांक 26 जुलाई, 1981 से लागू हुआ । नष्ट हुए श्रम दिनों सम्बन्धी जानकारी केवल जून, 1981 तक ही उपलब्ध है ।

**औद्योगिक केन्द्र स्थापित करना**

3434. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अनुषंगिक तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए 16 राज्यों में औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां औद्योगिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन केन्द्रों में किन वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रस्ताव है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) 23 जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में अनुषंगी, लघु तथा कुटीर एककों में पर्याप्त सम्पर्क स्थापित करने के लिए पता लगाए गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में केन्द्रस्थ संयंत्रों की स्थापना करके संरचनात्मक रूप से एकीकृत औद्योगिक विकास करने के लिए एक नई नीति शुरू की गई है ।

(ख) तथा (ग) इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पता लगाए गए 51 जिलों/क्षेत्रों में से अब तक 19 जिलों/क्षेत्रों में 19 कृतिक बलों की स्थापना की जा चुकी है । प्रगति की वर्तमान स्थिति विवरण में दी गई है ।

विवरण

| राज्य | सुझाए गए जिले/क्षेत्र | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| आन्ध्र प्रदेश | 1. अनन्तपुर** | तीन जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित |
| | 2. मेडक** | |
| | 3. श्री काकुलम* | |
| बिहार | 4. मधुबनी* | दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित |
| | 5. पालामऊ | |
| गुजरात | 6. कच्छ | राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। |
| | 7. अमरेली | |
| | 8. साबर कंठा | |
| हरियाणा | 9. महेन्द्रगढ़* | |
| | 10. हिसार जिले का कुछ भाग* | कृतिक दल स्थापित |
| | 11. जींद जिले के भाग* | |
| हिमाचल प्रदेश | 12. कांगड़ा* | सभी तीनों जिलों के लिए कृतिक दल की स्थापना हो चुकी है। |
| | 13. सोलन* | |
| | 14. सिरमूर* | |
| जम्मू और कश्मीर | 15. बाडामूला* | केवल बारमूला जिले के लिए कृतिक दल स्थापित |
| | 16. ऊधमपुर* | |
| कर्नाटक | 17. तुमकुर† | सभी चारों जिलों के लिए कृतिक दल की स्थापना की जा चुकी है। |
| | 18. साउथ कनारा† | |
| | 19. गुलबर्गा† | |
| | 20. बेलगांव† | |
| केरल | 21. एलेप्पी | दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित |
| | 22. मालापुरम | |
| मध्य प्रदेश | 23. सीधी** | दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित |
| | 24. झबुआ* | |
| महाराष्ट्र | 25. औरंगाबाद** | सभी जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित |
| | 26. चन्द्रपुर* | |

| 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|
| | 27. रत्नागिरी* | |
| नागालैण्ड | 28. मोन* | दोनों जिलों के लिए कृतिक |
| | 29. त्वेनसांग* | दल स्थापित |
| उड़ीसा | 30. पुरी (चांडक क्षेत्र) | कृतिक दल स्थापित |
| | 31. बोलनगीर* | |
| | 32. कालाहांडी* | |
| | 33. ढेंकानल* | |
| | 34. मयूरभुज* | |
| पंजाब | 35. अमृतसर (गोहन्दवाल साहिब) | दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित |
| | 36. होशियारपुर | |
| राजस्थान | 37. जोधपुर | सभी जिलों के लिए कृतिक |
| | 38. चुरू* | दल की स्थापना |
| | 39. भीलवाड़ा* | |
| | 40. नागौर | |
| तमिलनाडु | 41. पुड्डुकोटइ जिले में पुड्डुकोटइ** | दोनों क्षेत्रों के लिए कृतिक दल स्थापित |
| | 42. मदुराई में डिंडीगुल | |
| उत्तर प्रदेश | 43. बलिया* | सभी जिलों के लिए कृतिक |
| | 44. झांसी* | दल स्थापित |
| | 45. अल्मोड़ा* | |
| | 46. बस्ती* | |
| | 47. फैजाबाद* | |
| | 48. राय-बरेली* | |
| | 49. ललितपुर* | |
| पश्चिम बंगाल | 50. जलपाई गुड़ी† | दोनों जिलों के लिए कृतिक |
| | 51. बाकुंठा | दल स्थापित |

केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के लिए अब तक 51 जिलों का पता लगाया गया है।

टिप्पणी : *संपूर्ण जिला पूंजीगत राज निवेश सहायता का पात्र है।

**जिले के अन्दर नामित क्षेत्र पूंजीगत निवेश राजसहायता के पात्र हैं।

†रियायती वित्त पाने के लिए अर्ह जिला।

**गुजरात के पोशीना क्षेत्र में सफेद सीमेंट के एकक की स्थापना**

3435. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सावरकाण्ठा जिले के पोशीना क्षेत्र में सफेद सीमेंट का उत्पादन करने वाले 6 करोड़ रुपये की लागत के एकक का काम रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसकी क्रियान्विति कब होगी ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) जी, नहीं। श्रीमती शान्ता वेन डी० पटेल को 45,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता वाला एक सफेद सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए 6 अप्रैल, 1978 को एक आशय पत्र स्वीकृत किया गया था। कम्पनी द्वारा कोई खास प्रगति करने की सूचना नहीं मिली है। अतएव, इस अवस्था में, योजना के कार्यान्वयन की संभावित तिथि बताना कठिन है।

**इचालकरंजी जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के अध्यक्ष का अभ्यावेदन**

3436. **श्री चतुर्भुज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान सरकार को इचालकरंजी साइजिंग एसोसियेशन लि० इचालकरंजी, जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के अध्यक्ष से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि भारतीय बायलर विनिमय 7 और 39 में संशोधनों को लागू न किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) जी, हां।

(ख) अपने अभ्यावेदन में इचालकरंजी साइजिंग एसोसिएशन लिमिटेड के अध्यक्ष ने भारतीय बायलर विनियमों के विनियम 7 और 391 के प्रस्तावित संशोधनों पर आपत्ति व्यक्त की है जिनमें इस बात की व्यवस्था की गयी है कि किसी पुराने बायलर के पंजीकरण संबंधी प्रयोजन के लिए जहां कहीं सभी अपेक्षित कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तथा पुराने बायलरों (50 वर्ष या अधिक) का और आगे उपयोग करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक परीक्षण, जिनमें वास्तविक, रसायनिक तथा धात्विक परीक्षण भी शामिल हैं, करने होंगे। केन्द्रीय बायलर बोर्ड के द्वारा जो कि एक कानूनी निकाय है, उक्त विनियमनों के विनियम 7 और 391 के प्रस्तावित संशोधनों में ये परीक्षण निर्धारित कर दिये गए हैं ताकि सुरक्षा का परित्याग किए बिना ऐसे प्रयोग किए गए और पुराने बायलरों का और आगे उपयोग करने के लिए उनकी वर्तमान स्थिति तथा उपयुक्तता का अनुमान लगाया जा सके।

(ग) विनियम 7 और 391 के प्रस्तावित संशोधनों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जिनके बारे में भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 31 की

उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित जनसाधारण से आपत्तियां/सुझाव मांगे गए थे। विनियमनों के मसौदे पर निर्दिष्ट अवधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की अब केन्द्रीय बायलर बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है ।

**केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपिक**

3437. **श्री चक्रधारी सिंह** : क्या गृह मंत्री केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपिक के बारे में 6 मई, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9970 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1970 में केन्द्रीय सचिवालय, आशुलिपिक सेवा में हिन्दी आशुलिपिक सम्मिलित करते समय स्थाई एवं अस्थाई हिन्दी आशुलिपिकों की संख्या क्या थी;

(ख) क्या वरीयता सूची में स्थायी हिन्दी आशुलिपिकों को अस्थायी अंग्रेजी आशुलिपिकों के नीचे रखा गया था और किस वर्ष एवं महीने में उन्हें इस प्रकार वरीयता सूची में रखा गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या थे और इस गलती को सुधारने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं; और

(घ) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में शामिल किए जाने के पश्चात वरिष्ठ आशुलिपिक के रूप में पदोन्नत किए गए स्थायी हिन्दी आशुलिपिकों की संख्या क्या है ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुबय्या)** : (क) तथा (घ) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा विकेन्द्रीयकृत है, इसलिए उक्त सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में हिन्दी आशुलिपिकों को शामिल करने पर, उनकी वरिष्ठता कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 19 दिसम्बर, 1972 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/19/72-के० से०-11 (प्रतिलिपि संलग्न) [**ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 2805/81**] में दिए गए अनुदेशों के अनुसार विनियमित की गई थी ।

**कुटीर माचिस इकाइयों की स्थापना हेतु जारी किए गए लाइसेंस**

3438. **श्री एन० सुन्दरराजन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुटीर माचिस इकाइयों की स्थापना के लिए लगभग 10,000 लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि लगभग 60 प्रतिशत ऐसी यूनिटें काम नहीं कर रही हैं और इसके फलस्वरूप और सरकार की नीति के कारण हजारों छोटे किसानों का रुपया बेकार हो गया है ?

**उद्योग तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) कुटीर दियासलाई एककों की स्थापना के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किन्हीं ग्रामीण कृषकों को कुटीर दियासलाई एकक न चला जाने के कारण निवेश की हानि हुई है।

**दिल्ली छावनी में दुकानों को "सबलैट" किया जाना**

3439. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री दिल्ली छावनी में दुकानों को "सबलैट" किये जाने के बारे में 19 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 454 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस पार्टी का ब्योरा क्या है जिसने अपील की है, अपील कब और किससे की है तथा छावनी बोर्ड द्वारा इसे नोटिस कब जारी किया गया था और कार्यवाही की गई थी तथा उसके क्या परिणाम निकले;

(ख) मेनरोड़ के पास प्लेटफार्मों पर बनाये गए बरामदों और टीन शेडों के बाहर कितने छज्जे बनाए गए हैं और उनका ब्योरा क्या है; और छावनी बोर्ड द्वारा कितने लोगों को ऐसे निर्माणों की अनुमति दी गई है; और

(ग) क्या सदर बाजार, दिल्ली कैंट में छावनी बोर्ड की दुकानों के ऊपर कमरों का निर्माण किया गया है, ऐसा निर्माण करने वाले लोगों का ब्योरा क्या है, क्या ये नियमों के अनुसार है, और यदि नहीं, तो बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) सदर बाजार, दिल्ली छावनी में दुकान नं० 1/166, के मालिक श्री लखीराम ने 5 अगस्त, 1977 को भूतपूर्व उप निदेशक, मिलिटरी भूमि तथा छावनी (अब निदेशक, रक्षा भूमि तथा छावनी) के पास एक अपील दायर की थी। छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 185 के अन्तर्गत श्री लखी राम के नाम 7 जुलाई, 1977 को एक नोटिस जारी किया था।

छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम 1924 की धारा 185 के अधीन दुकान नं० 1/159 के मालिक श्री हरनाम सिंह के नाम 7 जुलाई, 1977 को एक नोटिस जारी किया था। छावनी अधिनियम 1924 की धारा 256 के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण को गिराने के लिए 11 अगस्त, 1981 को एक नोटिस जारी किया गया था और इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई की जा रही है।

(ख) 48 दूकानदारों ने बराण्डों के बाहर छज्जे बना दिए हैं और एक लाइसेंसी ने एक प्लेटफार्म के ऊपर बिना अनुमति के टीन का शेड बना लिया है। इस सम्बन्ध में विवरण संलग्न (विवरण क) में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। 12 मामले ऐसे हैं जिनमें दुकानदारों ने छावनी बोर्ड की बिना अनुमति के कमरे बना दिए हैं, सूची संलग्न (विवरण-ख) में दी गई हैं। छावनी बोर्ड ने इन दुकानदारों के

नाम छावनी अधिनियम 1924 की धारा 185 के अधीन इस आशय के नोटिस जारी कर दिए हैं कि अनधिकृत रूप से बनाए गए कमरों को तोड़ दिया जाय ।

विवरण-क

| क्र० सं० | नाम |
|---|---|
| 1. | श्री हेमराज |
| 2. | श्री मांगे राम |
| 3. | श्री गोवर्द्धन दास |
| 4. | श्री भोला राम |
| 5. | श्री पी० एस० गिल |
| 6. | श्री राजकुमार जैन |
| 7. | श्री के० सी० दास |
| 8. | श्री बोनी प्रसाद |
| 9. | श्री थाठी |
| 10. | श्री यू० सी० गुलाटी |
| 11. | श्री करोड़ीमल |
| 12. | श्री आर० एस० माथो |
| 13. | श्री रामकिशन |
| 14. | श्री प्रकाश साहनी |
| 15. | श्री चमनलाल |
| 16. | श्री मनमोहन जैन |
| 17. | श्री दौलत राम |
| 18. | श्री करतार सिंह |
| 19. | श्री शिव प्रकाश |
| 20. | श्री चमनलाल डेगरा |
| 21. | श्री बचीराम |
| 22. | श्री अतर सिंह |

23. श्री चूनी लाल
24. श्री बालेराम
25. श्री सुर्जाराम
26. श्रीमती वीरांवती
27. श्री हरचरन सिंह
28. श्री जगत सिंह चैत्री
29. श्री आई० एस० कपूर
30. श्री बांके लाल
31. श्री लछमन सिंह
32. श्री जयराम दास
33. श्री हीरालाल
34. श्री दयाराम जैन
35. श्री मामचन्द
36. श्री वी० सी० सूद
37. श्री लखीराम
38. श्री गोविन्द राम
39. श्री महार सिंह
40. श्री रामचन्द्र
41. श्री रामसरन दास
42. श्री विशन सिंह
43. श्री सन्त सिंह
44. श्री दीनानाथ
45. श्री बलवन्त राय
46. श्री फीरूमल
47. श्री सावन सिंह
48. मैसर्स अरोड़ा जनरल स्टोर
49. मैसर्स लखीराम सागर चन्द—बिना अनुमति टिन शेड बनाये।

विवरण-2

| क्रम संख्या | नाम तथा पता |
|---|---|
| 1. | श्री लखीराम, 1/166, सदर बाजार |
| 2. | श्री लखीराम, 1/166, सदर बाजार |
| 3. | श्री सुरज नाथ, 1/170, सदर बाजार |
| 4. | श्री दीनानाथ, 1/177, सदर बाजार |
| 5. | श्री मनोहरलाल, 1/178, सदर बाजार |
| 6. | श्री स्वर्ण सिंह, तांगा स्टैंड, सदर बाजार |
| 7. | श्री हेमराज, 11/34, सदर बाजार |
| 8. | श्री प्रीतम सिंह गिल 11/25-26, सदर बाजार |
| 9. | श्री प्रीतम सिंह गिल 11/25-26, सदर बाजार |
| 10. | श्री रतनलाल सूद, 1/165, सदर बाजार |
| 11. | श्री दयाराम जैन 1/162, सदर बाजार |
| 12. | श्री स्वरन सिंह, माक्कर, 1/153, (सिंगशन बेकरी) |

**कोस्टगार्ड हैडक्वार्टर्स द्वारा प्रतिनियुक्ति के लिए स्टेनोग्राफरों के चयन में अपनाई जा रही नीति**

3440. **श्री ए० यू० आजयी :** क्या रक्षा मंत्री कोस्ट गार्ड हैडक्वार्टर्स द्वारा प्रतिनियुक्ति के लिए स्टेनोग्राफरों के चयन के बारे में 19 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 556 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित प्रश्न के भाग (ग) में प्रतिपादित नीति पहले से ही हमेशा अपनाई जाती रही है अथवा उस समय कोई और नियम लागू थे;

(ख) क्या कोस्ट गार्ड में चुने गए स्टेनोग्राफरों का मूल वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता कुल मिलाकर कोस्ट गार्ड के वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक हो जाता है; और

(ग) भारत में प्रतिनियुक्ति पर लगे सेवा मुख्यालय के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का पूरा ब्योरा क्या है और वे कहां और कब से प्रतिनियुक्ति पर हैं, तथा उन्हें वापिस करने के लिए क्या कदम उठाये गए ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) तटरक्षक मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र अग्रेशित करने के लिए कोई विशेष मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। प्रतिनियुक्ति के प्रत्येक मामले में कितने आवेदन-पत्र अग्रेषित किए जाएं इस बारे में निर्णय करने के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या और सेवारत आशुलिपिकों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या जैसी सभी संबंधित बातों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) विवरण संलग्न 'क' से 'ग' तक परिशिष्टों में दिए गए हैं। (ग्रंथालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 2806/81) जिन विभागों में सशस्त्र सेना मुख्यालयों के सिविलियन कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर होते हैं और जहां से वे प्रतिनियुक्ति से वापिस आने वाले होते हैं उन विभागों को समय-समय पर अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

## बिहार में लघु उद्योग संस्थान

3441. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बिहार में चार लघु उद्योग संस्थान हैं जो पटना, रांची, धनबाद और मुपजफरपुर में स्थित हैं;

(ख) क्या मुजफ्फरपुर संस्थान को बिहार की लगभग आधी जनसंख्या और आधे जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है;

(ग) क्या मंत्री महोदय को ऐसे किसी अभ्यावेदन की प्रति भेजी गयी है जिसमें दरभंगा में एक और (मिथिला) लघु उद्योग संस्थान स्थापित करने की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या दरभंगा में मिथिला लघु उद्योग संस्थान (एस० आई० एस०) खोलने प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) बिहार में तीन पूर्ण लघु उद्योग सेवा संस्थान हैं जो पटना, रांची और मुजफ्फरपुर में तथा एक शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान है जो धनबाद में स्थित है ।

(ख) मुजफ्फरपुर स्थित संस्थान मोतीहारी, बेतिया, सारन, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सीतागढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णियका तथा टिहार जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करता है ।

(ग) जी हां, ।

(घ) दरभंगा में इस समय संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ड.) दरभंगा तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योग के हित की देख-रेख लघु उद्योग सेवा संस्थान, मुजफ्फरपुर द्वारा की जा रही है ।

**मिजोरम के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता**

3442. डा० आर० रोयुआमा : क्या गृह मंत्री मिजोरम के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता के बारे में 1 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5850 के उत्तर के संबंध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसे सभा पटल पर कब तक रखा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) से (ग) सरकार मिजोरम सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के प्रस्ताव की जांच कर रही है । इस विषय में शीघ्र निर्णय किए जाने की आशा है ।

**सेना के कर्मचारियों को बहादुरी/सहरानीय सेवा के लिए पदक**

3443. श्री महमूद हसन खान : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों में उनकी विशिष्ट तथा सहरानीय सेवा और बहादुरी के लिए वर्षबार कितने पदक प्रदान किये गये; और

(ख) सेना मुख्यालय के अधिकारियों ने कितने पदक प्राप्त किये और सीमान्त क्षेत्रों एवं शान्त क्षेत्रों में नियुक्त अधिकारियों ने कितने पदक प्राप्त किये ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

शौर्य/प्रशंसीय सेवा के लिए पिछले तीन वर्षों में सेना कार्मिकों को दिए गए मैडलों के सम्बन्ध में विवरण

| वर्ष | सेना के कार्मिकों को दिए गए पुरस्कारों की कुल संख्या | | | थल सेना मुख्यालय के अफसरों को दिए गए पुरस्कारों की संख्या | | | सीमावर्ती तथा अशान्त क्षेत्रों में तैनात अफसरों को दिए गए पुरस्कारों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शौर्य के लिए | प्रशंसनीय सेवा के लिए | जोड़ | शौर्य के लिए | प्रशंसनीय सेवा के लिए | जोड़ | शौर्य के लिए | प्रशंसनीय सेवा के लिए | जोड़ |
| | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
| 1979 | 18 | 81 | 99 | — | 17 | 17 | 1 | 22 | 23 |
| 1980 | 26 | 85 | 111 | — | 12 | 12 | 4 | 30 | 34 |
| 1981 | 31 | 91 | 122 | — | 11 | 11 | 5 | 26 | 31 |

**सरकारी कर्मचारियों को अवकाश यात्रा छूट**

3444. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी 1978-81 ब्लाक वर्षों की अवकाश यात्रा छूट 1982 में भी प्राप्त कर सकते हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस सुविधा का विस्तार करने और इसे एक नया स्वरूप देने का है जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों को एक निश्चित धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा।

**गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्य** : (क) जी हां, श्रीमान् बशर्ते कि वे ब्लाक 1978-81 के दौरान किसी समय इसे लेने में असमर्थ हैं।

(ख) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**सरकारी विभागों/मन्त्रालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों को तैनात करना**

3445. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी विभागों/मन्त्रालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की तैनाती इस सम्बन्ध में सरकारी निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग की पूर्व अनुमति से की जानी होती है;

(ख) क्या हाल ही में कुछ विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति यह पूर्व अनुमति लिए बिना ही की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बावजूद सरकार द्वारा निर्धारित नियमों/अनुदेशों की अवहेलना करते हुए ऐसे अधिकारियों को मुख्य सतर्कता अधिकारियों के रूप में बनाये रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों का ब्योरा क्या है तथा उनकी नियुक्ति के कारण क्या हैं; और

(ङ) इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** (क) मन्त्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/बैंकों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से करनी होती है। ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी ऐसी नियुक्ति पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग को आपत्ति हो। किन्तु छुट्टी अथवा अन्य कारणों से उत्पन्न 3 महीने तक की अवधि वाली रिक्तियों के लिए उपयुक्त प्राधिकारी, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति लिए बिना समुचित व्यवस्था कर सकता है।

(ख) से (घ) नितांत आवश्यकता और असावधानी के कारण केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन के बिना ही एयर इन्डिया और भारतीय पर्यटन विकास निगम में मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। किन्तु इन नियुक्तियों के लिए प्रशासनिक मन्त्रालय, अर्थात् पर्यटन तथा सिविल विमानन मन्त्रालय ने कार्योत्तर मंजूरी मांगी है।

(ङ) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियुक्तियों का अन्तिम रूप से अनुमोदन करने से पूर्व सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं।

**राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में एक महिला की मृत्यु**

3446. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या गृह मन्त्री राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में महिला की मृत्यु के बारे में 19 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 442 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के स्थान पर धारा 306 कब लगाई गई थी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 कब जोड़ी गई थी तथा प्रथम सूचना रिपोर्टों का क्रमांक क्या है तथा उनकी तारीखें क्या हैं;

(ख) किन व्यक्तियों के विरुद्ध इन धाराओं के अन्तर्गत आरोप लगाये गए हैं; और

(ग) इस मामले में उनके विरुद्ध क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 29-11-1980 को जोड़ी गई थी और धारा 306, 15-5-81 को जोड़ी गई थी। परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० वही रही अर्थात् 587 दिनांक 9-8-1980, थाना राजौरी गार्डन।

(ख) तथा (ग) दिल्ली पुलिस द्वारा मामले में आगे जांच पड़ताल करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने के लिए कोई सामग्री प्रकाश में नहीं आई है। मामले को जांच पड़ताल अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो को हस्तान्तरित करने का निर्णय किया गया है।

**पालेकर एवार्ड**

3447. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने पालेकर एवार्ड को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय को अन्तरिम करांने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील की;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उच्चतम न्यायालय से अपील करने के क्या कारण थे;

(ग) विभिन्न निचले कोर्टों/हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में कितनी याचिकाओं को चुनौती दी गई है;

(घ) इस प्रकार की याचिकाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अदालतों के निर्णय होने तक पालेकर एवार्ड में दिए गए पत्रकारों तथा अन्य लोगों के अधिकार तथा विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये जाएंगे ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** (क) से (ख) समाचार पत्र प्रतिष्ठानों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की हैं। जिनमें उन्होंने श्रमजीवी पत्रकार और गैर पत्रकार समाचार कर्मचारी संबंधी अधिकरणों की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकारी आदेशों को चुनौती दी है। इन याचिकाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इन सभी याचिकाओं में सामान्य महत्व के कानून के वही प्रश्न या तत्वतः समान प्रश्न विद्यमान हैं। अतः इन सभी ऐसे मामलों के सम्बन्ध में सदृश निर्णय के लिए जाने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 139 के अधीन इन छः रिट याचिकाओं को हस्तांतरित करने के लिए 20 जुलाई, 98। को उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। सरकार ने सरकारी एडवोकेट से अनुरोध किया है कि वह दो अन्य रिट याचिनाओं को जो बाद में प्राप्त हुई, हस्तांतरित करने की व्यवस्था करें।

इस बीच उच्च न्यायालयों ने जिनके समक्ष रिट याचिकाएं दायर की गई हैं, अन्तरिम आदेश पास किए हैं, जिसमें प्रतिष्ठाओं के लिए यह अपेक्षित है कि वे सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों को बढ़ी हुई राशि की देय राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करें, एक प्रतिष्ठान के मामले में, जिसने कर्मचारियों के एक वर्ग से समझौता किया है, यह आदेश दिया गया है कि इन कर्मचारियों को समझौते की शर्तें के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालयों के आदेशों को सम्बन्धित राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है।

विवरण

| क्रमांक | रिट याचिका संख्या और दायर करने वाले प्रष्ठिानों के नाम | उच्च न्यायालय का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | उद्योदया पब्लिकेशन की 1981 की रिट याचिका संख्या 288 | आन्ध्र प्रदेश, उच्च न्यायालय |
| 2. | आन्ध्र प्रिन्टर्स लिमिटेड की 1981 की रिट याचिका संख्या 64 | —यथोक्त— |
| 3. | जागरण प्रकाशन (प्रा०) लिमिटेड की 1981 की रिट याचिका संख्या 2630 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | मैसर्स नवभारत प्रेस की 1981 की रिट याचिका संख्या 241 | दिल्ली उच्च न्यायालय |
| 5. | मैससं सर्चलाइट लिमिटेड की 1981 की रिट याचिका संख्या 549 | दिल्ली उच्च न्यायालय |
| 6. | मैसर्स नेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड 1981 की रिट याचिका संख्या 479 | दिल्ली उच्च न्यायालय |
| 7. | श्री घनक चन्द्र सरसाह (जन्ममूमि) की 1981 की रिट याचिका संख्या 436 | गोहाटी उच्च न्यायालय |
| 8. | इंडियन नेशनल प्रेस बम्बई की 1981 की रिट याचिका संख्या 1533 | दिल्ली उच्च न्यायालय |

**दक्षिणपुरी, नई दिल्ली के औद्योगिक विकास निगम केन्द्र में अनियमितताएं**

3448. **श्री रामप्यारे पनिका :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या दक्षिणपुरी, नई दिल्ली के औद्योगिक विकास निगम केन्द्र में अनियमितताओं के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी जांच करने तथा उन्हें रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या वहां के निवासियों ने उप राज्यपाल को इस संबंध में कोई ज्ञापन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :** (क) और (ख) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम उद्यमी एसोसिएशन, दक्षिणपुरी के सचिव ने दिल्ली के उप राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया है जिसमें कुछ मांगें की हुई हैं।

(ग) ये मांगें प्रमुखत: दिल्ली नगर निगम द्वारा लाइसेंस जारी करने, बिजली और पानी की आपूर्ति करने, सफाई, टेलीफोन सुविधाओं, अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने तथा अन्धे और विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने के बारे में दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा इन मांगों को यथासंभव पूरा करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ड़) प्रश्न ही नहीं उठता।

**पन-बिजली जेनेरेटर का विकास**

3450. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुड़की विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने छोटा बारह-मासी नदी नालों से 5 किलोवाट की एक पन-बिजली जनरेट-प्रणाली का विकास किया है; और

(ख) क्या ऐसी योजनाओं को हाथ में लिया जा रहा है ?

**विज्ञान और प्रोद्योगिकी इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) और (ख) कम निर्गम की कम लागत की संकर जल विद्युत प्रणाली के विकास के कार्य में रुड़की विश्वविद्यालय ने अच्छी प्रगति की है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए आयोग ने एक अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इष्टतम लागत पर तीन से 90 मीटर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों की जल नदियों या नहरों के प्रपातों से विद्युत शक्ति उत्पादन प्रणाली का विकास करना है और जो 1.5 से 100 किलोमीटर तक की शक्ति उत्पादन करने में सक्षम हों।

**भूसे की वसूली**

3451. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत भूसे की वसूली हेतु भारत सरकार शक्तियों के प्रस्तावित प्रत्यायोजन के लिए कब मंजूरी देगी;

(ख) केरल सरकार द्वारा यह प्रस्ताव भारत सरकार के पास कब भेजा गया था; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) से (ग) केरल सरकार ने राज्य में भूसे की वसूली के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु मार्च, 1980 में एक प्रस्ताव पेश किया था। राज्य सरकार के अनुरोध पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

**एच० ई० सी०, रांची की कार्यवाही समिति के संयोजन का अभ्यावेदन**

3452. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रांची स्थित एच० ई० सी० के अनुसूचियीय कर्मचारियों की कार्यवाही समिति के संयोजक से प्राप्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : उक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही बकाया अथवा कोई कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

सीमावर्ती/आदिवासी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में "एवार्ड" द्वारा किया गया व्यय

3453. श्री के० के० तिवारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान "एवार्ड" ने अपने एजेंटों के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों और सीमावर्ती/आदिवासी क्षेत्रों में 1.75 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की है;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों से प्राप्त यह राशि केवल नाजुक क्षेत्रों में अधिकांशतया खर्च की जाती थी; और

(ग) क्या यह सच है कि "एवार्ड और गांधी शक्ति प्रतिष्ठान" और "एवार्ड फ्राउंडेशन" के वरिष्ठ पदाधिकारी राजनीतिक गतिविधियों में सम्बंद्ध हैं और सरकार द्वारा उनके कार्यालय पर छापे मारे गये थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गोवा में अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी

3454. श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांवों में अत्याधिक संख्या में अन्तर्राष्ट्रीय गुन्डे तथा अपराधी पाये जाते हैं जो विभिन्न अपराधों में लगे हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रवेश पर पाबंदी लगाने के लिये क्या कदम उठये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का स्थान परिवर्तन किया जाना

3455. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का मुख्यालय कलकत्ता से गोहाटी ले जाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) तथा (ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के मुख्यालय को कलकत्ता से गोहाटी ले जाने का कोई प्रस्तान नहीं है। निगम को केवल यह सलाह दी गई है कि वे नागालैंड तथा आसाम में स्थित अपनी परियोजनाओं से संबंधित कार्य में वेहतर समन्वय करने के लिए उत्तर पूर्व के किसी राज्य में एक कार्यालय खोल लें।

**एक पर्वतारोही को हैलीकोप्टर सेवा उपलब्ध न होना**

3456. **श्री० पी० नायग्याल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल के कैप्टन एच० पी० सिंह, जो लद्दाख में नुन पर्वत की चोटी तक जापानी अभियात्रा दल के साथ एक सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, अधिक ऊंचाई पर रुग्ण होने और आधार शिविर से निकास हेतु हैलीकोप्टर की सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण 1981 में मर गये थे;

(ख) क्या एक अन्य जापानी अभियात्रा दल की एक महिला सदस्य कुमारी नाओको कमजावा को भी इन्हीं परिस्थितियों के अन्तर्गत अगस्त, 1981 के प्रारम्भ में मृत्यु हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों की सरकारों के पास, जिनमें अभियात्रा की जाती है, ऐसे मामलों में आपातकालीन निकास के लिए हैलीकोप्टर सेवा की व्यवस्था करने और उसे वहीं मौजूद रखने का है;

(घ) क्या इन व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान लद्दाख जिले में ऐसे अभियानों से कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि सीमा सुरक्षा बल के सहायक कमांडेट श्री एच० पी० मिश्रा की जो कुनकुन में स्पेनिश अभियान के साथ सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, फुप्फश शोफ से मृत्यु हो गई। श्री मिश्रा को निकालने के लिए 20 जुलाई की शाम को अनुरोध प्राप्त होने पर 21 जुलाई, 1981 को प्रातः भारतीय वायुसेना का एक हैलीकोप्टर घटनास्थल पर पहुंचा। लेकिन हैलीकोप्टर के वहां पहुंचने से पहले ही अधिकारी की मृत्यु हो गई थी।

(ख) जापानी अभियान की एक सदस्या कुमारी नाओको कमजावा को फुप्फस-शोफ के कारण 8 अगस्त, 1981 को मृत्यु हो गई थी।

(ग) जम्मू और काश्मीर सरकार के अनुरोध पर पर्वतारोहण अभियान के साथ बचाव कार्य करने के लिए "डेडिकेटेड फ्लाइट" गठित करने के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है।

(घ) पर्वतारोहण अभियान के दौरान हुई मोतों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार चार व्यक्ति मारे गए।

**समुद्र में एल्युमिनियम, ताम्बे, मैंगनीज, कोबाल्ट के भण्डार**

3457. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि समुद्र में एल्यूमिनियम, ताम्बे, मैंगनीज, कोबाल्ट आदि का भारी भण्डार है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि उपयुक्त धातुओं का पता लगाने के लिए समुद्र तट से दो सौ मील तक खोज की जा सकती है; और

(घ) समुद्र से धातुओं के भण्डार की खोज करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सो० पी० एन० सिंह)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एन० आई० ओ) ने जनवरी 1981 में भारतीय समुद्र तल से बहुधात्विक पिंडों के नमूने एकत्र किए थे। एकत्रित नमूनों के सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि इनमें मैंगनीज, निकल, तांबा और कोबाल्ट धातुओं की उपस्थिति है। फिर भी, एकत्रित नमूनों के सर्वेक्षण से अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि एल्युमिनियम, तांबा, मैंगनीज या कोबाल्ट का आर्थिक महत्व कितना है।

(ग) समुद्री कानून पर यू० एन० सम्मेलन में सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि तटवर्तीय देशों का दो सौ मील के आर्थिक क्षेत्र में अन्वेक्षण और वाणिज्यिक कार्य, इसके समस्त साधनों की प्रबन्ध व्यवस्था और संरक्षण कार्य के लिए सम्पूर्ण अधिकार होगा।

(घ) भारतीय सागर क्षेत्र के गहरे हिस्सों में बहुधात्विक पिंडों के लिए सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य अतत: अनुसंधान समूह एजेंसी कार्यक्रम द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा जिसका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एन० आई० ओ०) के वैज्ञानिक सहित भारतीय सागर क्षेत्र के सागर तटीय मूल्यांकन कार्यक्रम से संबंधित एक विशेषज्ञ दल पता लगा रहा है।

## पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना

3458. श्री के० पी० सिंह देव : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पर्वतीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत किन जिलों को चुना गया है;

(ख) 1980 के दौरान कितना धन आवंटन किया गया और यह आवंटत किन योजनाओं के लिए था;

(ग) क्या आबंटित राशि का पूरा उपयोग हुआ, यदि नहीं, तो कितना कम उपयोग हुआ और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) 1981 के लिए वित्तीय और विकास की क्या योजनाएं है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) उड़ीसा का कोई भी जिला पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आता है।

(ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

## राज्य विधेयकों पर सहमति

3459. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित विभिन्न राज्यों के कितने विधेयक, राज्य-वार पिछले एक वर्ष से राष्ट्रपति की सहमति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ख) प्रत्येक लम्बित पड़े विधेयक में देरी होने के पृथक-पृथक क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान राष्ट्रपति को सहमति के लिए विभिन्न राज्यों के 28 विधेयक लम्बित हैं। प्रत्येक विधेयक की स्थिति का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

| क्र० सं० | विधेयक का नाम | भारत सरकार को विलम्ब के कारण प्राप्त होने की तारीख। | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | आन्ध्र प्रदेश | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश शिक्षा विधेयक, 1981 | 10-6-81 | सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श करके विचार किया जा रहा है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | **गुजरात** | |
| 2. | गुजरात मेरोटाइम बोर्ड विधेयक, 1981 | 20-8-81 | तदैव |
| | | **मध्य प्रदेश** | |
| 3. | मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व विधेयक, 1981 | 16-6-81 | प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुद्दों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है |
| 4. | मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त विधेयक, 1980 | 23-6-81 | सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श करके विचार किया जा रहा है। |
| | | **मेघालय** | |
| 5. | मेघालय रोजगार का विनियमन विधेयक, 1980 | 29-7-80 | तदैव |
| 6. | मेघालय भूमि हस्तांतरण (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1981 | 19-5-81 | प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुद्दों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है। |
| 7. | मेघालय स्कूल शिक्षा विधेयक, 1981 | 16-6-81 | सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श करके विचार किया जा रहा है। |
| | | **तमिलनाडु** | |
| 8. | तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980 | 6-9-80 | सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श करके विचार किया जा रहा है। |
| 9. | तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (बकाया राशि की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1981 | 5-6-81 | सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार विमर्श करके विचार किया जा रहा है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. | औद्योगिक विवाद (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1981 | 10-6-81 | प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उठाए गये मुद्दों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है। |
| 11. | तमिलनाडु हथकरघा मजदूर (रोजगार की शर्तें तथा अन्य उपबंध) विधेयक, 1981 | 19-6-81 | तदैव |
| 12. | तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण) संशोधन विधेयक, 1981 | 2-9-81 | सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार विमर्श करके विचार किया जा रहा है। |
| | | त्रिपुरा | |
| 13. | त्रिपुरा शिक्षा संस्थान (अधिकारों स्वामित्व और हित का अधिग्रहण) विधेयक, 1981 | 27-3-81 | तदैव |
| | | पश्चिमी बंगाली | |
| 14. | नगर दीवानी न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1980 | 22-10-80 | तदैव |
| 15. | औद्योगिक विवाद (पश्चिमी बंगाल द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980 | 23-10-80 | तदैव |
| 16. | कलकत्ता नगर निगम विधेयक, 1980 | 13-4-81 | तदैव |
| 17. | हावड़ा नगर निगम विधेयक, 1980 | 16-6-81 | सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श करके विचार किया जा रहा है। |
| 18. | नेताजी नगर कालेज (प्रबन्ध हाथ में लेना) (संशोधन) विधेयक, 1981 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19. | इंडियन कालेज आफ आर्टस एंड ड्राफ्ट्समैन-शिप (प्रबन्ध हाथ में लेना) (संशोधन) विधेयक, 1981 | 11-5-81 | तदैव |
| 20. | श्री रामकृष्ण शारदा विद्या महापीठ अधिग्रहण विधेयक, 1981 | 16-6-1981 | सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के साथ विचार-विमर्श करके विचार किया जा रहा है। |
| 21. | बंगवासी ग्रुप आफ कालेज अधिग्रहण विधेयक, 1981 | | |
| 22. | इंडियन कालेज आफ आर्ट्स एंड ड्राफ्ट्समैन-शिप अधिग्रहण विधेयक, 1981 | | |
| 23. | बिरला कालेज आफ साइंस एंड एजूकेशन अधिग्रहण विधेयक, 1981 | | |
| 24. | नेताजी नगर कालेज अधिग्रहण विधेयक, 1981 | | |
| 25. | भूमि अधिग्रहण (पश्चिमी बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981 | 21-5-81 | प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में राज्य सरकार को उत्तर की प्रतीक्षा है। |
| 26. | कलकत्ता ठीका काश्तकारी अधिग्रहण तथा विनियमन विधेयक, 1981 | 16-6-81 | सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के साथ विचार-विमर्श करके जांच की जा रही है। |
| 27. | पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1981 | 1-7-81 | तदैव |
| 28 | पंजीकरण (पं० बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981 | 9-7-81 | प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुद्दों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है। |

**केरल में पत्रकारों के लिए निगम योजना**

3460. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पत्रकारों की पेंशन योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों को क्या परामर्श दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पत्रकारों के लिए उस सरकार की योजना के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं :

1. इस योजना में ऐसे गरीब पत्रकारों को वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है जिनकी आय प्रतिवर्ष 3000 रु० से अधिक नहीं है।

2. इस योजना के अन्तर्गत मृतक पत्रकारों के आश्रितों को निम्न प्राथमिकता के अनुसार सहायता दी जाएगी : (क) विधवा, (ख) 21 वर्ष से कम की आयु का बेरोजगार पुत्र, (ग) 21 वर्ष से कम की अविवाहित और बेरोजगार पुत्री, (घ) पिता, (ङ) माता आदि। परन्तु शर्त यह होगी कि एक ही समय में केवल एक व्यक्ति को सहायता दी जाएगी।

3. यह सहायता प्रति माह 150 रु० से लेकर 250 रु० तक है।

4. इस योजना का संचालन एक समिति करती है जिसमें श्रमजीवी पत्रकारों, समाचारपत्र प्रबंधकों के प्रतिनिधि और सार्वजनिक संबंध निदेशक शामिल हैं तथा सूचना मंत्री इसके अध्यक्ष हैं।

5. इसका व्यय राज्य बजट से पूरा किया जा रहा है।

6. इस समय योजना के अन्तर्गत 122 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता मिलती है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में किसी राज्य सरकार को सलाह नहीं दी है।

**दिल्ली औद्योगिक विवाद के समक्ष न्याय निर्णयाधीन हिन्दुस्तान लीवर के लंबित मामले**

3461. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विजय कुमार यादव :
श्री सुबोध सेन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुकद्दमाबाजी की मात्रा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड जैसी कम्पनियों द्वारा अधिकांशतया निर्धारित की जाती है जो न्याय निर्णयाधीन औद्योगिक विवादों में दिए गए प्रत्येक अन्तर्वर्ती आदेश पर व्यावहार्यतया उच्च न्यायालयों में जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में भी हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड से सम्बंधित औद्योगिक विवाद 1966 से अब तक अनिर्णीत पड़े हैं और ऐसे किसी विवाद का 15 वर्ष से पूर्व शायद ही कभी निर्णय होता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विवाद न्याय के ऐसे अत्याधिक विलम्ब से श्रमिकों को बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) श्रमिकों की मांगों के बारे में हिन्दुतान लीवर लिमिटेड के प्रबंध तंत्र और उनके श्रमिकों के बीच एक विवाद उठ खड़ा हुआ कि ठेका/नैमित्तिक श्रमिकों के रोजगार को समाप्त किया जाना चाहिए और वर्तमान रिक्तियों को कर्मचारियों में से नियमित आधार पर भरा जाना चाहिए। सौहार्दपूर्ण समझौता कराने के संसाधन प्रयासों के विफल होने के पश्चात, दिल्ली प्रसासन ने 1966 में विवाद को औद्योगिक अधिकरण 11, नई दिल्ली को भेजा था। प्रबंधतत्र का यह विचार था कि श्रमिकों द्वारा उठाए गए मामले को औद्योगिक विवाद नहीं समझा जा सकता है और उन्होंने आपत्ति उठाई कि अधिकरण को मामला भेजना ठीक नहीं था। तथापि, अधिकरण ने 20 अक्तूबर, 1967 के अपने आदेश में निर्णय दिया कि उठाया गया मामला औद्योगिक विवाद था और यह कि मामला भेजना ठीक था। औद्योगिक अधिकरण के इस निर्णय से, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के प्रबंधतंत्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 दिसम्बर, 1967 को औद्योगिक अधिकरण के आदेश के संबंध में अन्तरिम सोधनादेश किया। अन्तरिम आदेश को 10 जनवरी, 1968 को अस्तिम रूप दिया गया, जिसमें रिट याचिका के निपटान होने तक अन्तिम विवाद के पास होने तक रोक लगाई गई। 13-12-1976 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया और आदेश दिया कि औद्योगिक अधिकरण द्वारा विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए भेजना नियम-विरुद्ध और अक्षम था। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय के कारण, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के श्रमिकों ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है। अब यह मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ा है, जिसका निर्णय प्राप्त होना है।

30-4-81 को हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के प्रबंधतंत्र और श्रमिकों ने औद्योगिक अधिकरण-II नई दिल्ली के समक्ष संयुक्त बयान दायर किया, जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय दिए जाने तक मामले को अनिश्चित काल तक स्थगित रखने का अनुरोध किया है।

(ग) इस विवाद में देरी होने का कारण मामले के बारे में निर्णय लेने में न्यायालयों द्वारा लिया गया समय है।

**विदेशी कम्पनियों द्वारा ब्लेडों का निर्माण**

3462. **श्री एन० ई० होरो : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने कुछ विदेशी कम्पनियों को भारत में ब्लेडों का निर्माण करने हेतु अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 के दौरान अनुमति दी गई कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि ब्लेडों के निर्माण की तकनीकी जानकारी भारत में उपलब्ध है; और

(घ) क्या सरकार की औद्योगिक नीति में यह संकेत था कि विदेशी औद्योगिक कम्पनियों को भारत में ऐसी वस्तुओं के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी जिनके निर्माण के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी देश में उपलब्ध हैं ?

उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रेजर ब्लेडों का उत्पादन करने के लिए भारत में उपलब्ध देशी तकनीकी जानकारी में सुधार करने की आवश्यकता है।

(घ) यद्यपि प्रौद्योगिकीय आत्म-निर्भरता को उन्नत बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, फिर भी, वह देशी प्रौद्योगिकी को लगातार उन्नत बनाते रहने की आवश्यकता को भी स्वीकार करती है। जहां कौशल और प्रौद्योगिकी इष्टतम स्तर तक नहीं पहुंचती है, उस हालत में सरकार, जहां आवश्यक होता है बाहर से प्रौद्योगिकी को देश में लेने का विचार करती है।

तिहाड़ जेल में महिला बन्दी

3463. श्री निरेन घोष :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री जगपाल सिंह :

श्री त्रिलोक चन्द्र :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

प्रो० अजीत कुमार मेहता :

श्री चिरंजीलाल शर्मा :

श्री मनीराम बागड़ी :

श्री भीखू राम जैन :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूली :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब विश्वविद्यालय के एक शोध शास्त्र द्वारा तिहाड जेल में महिला बन्दियों के बारे में किये गये एक अध्ययन में किये गये रहस्योद्घाटन की ओर गया है जो 10 अगस्त, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "तिहाड़ वोमैन सेक्सुअल प्रे टु ला एण्ड आउट ला" शीर्षक से प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या पुरुष और महिला पुलिस कर्मियों द्वारा तलाशी ली जाती है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक तलाशी का क्या प्रतिशत है;

(घ) क्या महिला बन्दियों को शारीरिक और अनैतिक यातनायें दी जाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अध्ययन में और क्या क्या बातें बताई गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) सरकार ने "तिहाड़ महिलाओं कानूनी और गैर-कानूनी व्यक्तियों के यौन की शिकार" शीर्षक समाचार देखा है जो 10 अगस्त, 1981 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि समाचार में उल्लिखित रीता सरीन नाम की किसी महिला को कभी भी तिहाड़ जेल की महिलाओं के संबंध में अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। प्रशासन ने आगे यह स्पष्ट किया है कि महिलाओं की व्यक्तिगत जांच हमेशा महिला कान्सटेबल या किसी सम्माननीय महिला द्वारा की जाती है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता में व्यवस्था की गई है। इसी तरह जेल के भीतर जांच मैट्रन (महिला वार्डर) द्वारा की जाती है। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, जो सहायक पुलिस आयुक्त के पद से कम पद का न हो, अपराध में अन्तर्ग्रस्त महिलाओं को आमतौर से सूर्य छिपने के बाद पुलिस स्टेशनों में नहीं रोका जाता है। इसी तरह जेल के भीतर उन्हें अलग वार्ड में रखा जाता है, जहां किसी पुरुष कैदी या अन्य अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश मना है।

**राज्यों द्वारा आदिवासी और हरिजन बहुल क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिये जिला समन्वय समितियों का गठन**

3464. श्री अनादि चरण दास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के अनुसार आदिवासी और हरिजन बहुल क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए सांसदों, विधायकों, पुलिस अधिकारियों आदि को सदस्यों के रूप में सम्मिलित करते हुए जिला समन्वय समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसी समितियों का गठन हो गया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसे राज्यों को, जिन्होंने ऐसी समितियां गठित नहीं की हैं, समितियों का शीघ्र गठन करने के लिए निदेश जारी करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय पुलिस आयोग को अब तक विचार की गई और राज्य सरकारों के विचार के लिए प्रस्तावित सिफारिशों में यथा उल्लिखित कोई सिफारिश नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**आयुध कारखानों में असैनिक व्यापार वस्तुओं का निर्माण**

3465. श्री डी. पी. जदेजा :
श्री मोहनलाल वी० पटेल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में असैनिक व्यापार की कई वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वे वस्तुएं कौन सी हैं;

(ग) क्या रक्षा उत्पादन पर इसका कोई प्रभाव पड़ा है; और

(घ) क्या सरकार इस पद्धति को समाप्त करने और केवल रक्षा सेनाओं की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने पर विचार करेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) सिविल ट्रेड को जो प्रमुख मदें बनाकर बेची जाती हैं उनमें, स्पोर्टिंग हथियार, स्पोर्टिंग गोलाबारूद, रेलवे के लिये फौगसिगल डिटोनेटर, विभिन्न आम्ल (एसिड) हेक्सामाइन, निटोलिंग और औद्योगिक नाइट्रोसेलूलोज, जैसे रसायन हल्के इस्पात के बैरल (माइल्ड स्टील बैरल), समपार्श्वीयं (प्रिसमैटिक) कुतुबनुमा के लिए उपकरण, वस्त्र, तम्बू आदि आते है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

**गांधी नगर, गुजरात में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग की स्थापना**

3466. श्री छीतू भाई गामित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गांधी नगर, गुजरात में इलेक्ट्रानिक उद्योग की स्थापना में कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ख) इन उद्योगों में कितने प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित लोगों को रोजगार मिलेगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान, तथा प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य-मंत्री (श्री सी० पी०एन० सिंह) : (क) गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जी० आई० डी० सी०) गांधी नगर में इलेक्ट्रोनिकी उद्योग के लिए एक विशेष उद्योग-समूह स्थापित करने जा रहा है। उद्योग-समूह स्थापित करने का कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने 29-8-81 को ही भूमि का कब्जा प्राप्त किया है। सरकारी भूमि होने के कारण, गुजरात औद्योगिक विकास निगम को राज्य सरकार के भवन तथा संचार विभाग को 1,45,75,000 रुपए की राशि की अदायगी करनी पड़ेगी, गांधी नगर में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

(ख) चूंकि इलेक्ट्रानिकी उद्योग-समूह स्थापित करने का कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है, इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा।

**बाल श्रम**

3467. श्री आर० पी० यादव

श्री अशोक गहलोत :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाल श्रम के संबंध में एक व्यापक कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बाल श्रम संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के पास अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करने के लिए अभी भी समय है।

**"एक्स-कोप्स आर किंग्स आफ अंडर वर्ल्ड" शीर्षक समाचार**

3468. **श्री सुभाष यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 29 जुलाई, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में एक्स-कोप्स आर किंग्स आफ अंडर वर्ल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) समाचार में यह सूचना थी कि सेवा से बखस्त किए गए दिल्ली पुलिस के कार्मिकों में कुछ कार्मिक अवैध तथा आपराधिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस अवैध तथा आपराधिक गतिविधियों में ग्रस्त संदिग्ध व्यक्तियों चाहे वे भूतपूर्व पुलिस कर्मचारी हों अथवा अन्य पर नजर रखती और कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करती है।

**उत्तर प्रदेश में कतिपय खंडों को आदिवासी क्षेत्र घोषित करना**

3469. **श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के धारचूला, मुंस्यारी, कपकोट और जोशीमठ खंडों को आदिवासी क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के किसी प्रस्ताव पर उनके मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में क्षेत्रों को अनुसूचित करने के लिए न्यायसंगत कोई ठोस प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

**त्रिपुरा में एक कागज मिल की स्थापना**

3470. **श्री बाजू बन रियान :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कागज मिल की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :** (क) और (ख) त्रिपुरा सरकार ने राज्य के बांस संसाधनों पर आधारित एक कागज/लुग्दी मिल की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। अत: आवश्यक है कि एक कागज मिल जैसी प्रमुख परियोजना को सहायता देने के लिए पर्याप्त अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का विकास किया जाये। राज्य सरकार से आंतरिक अवस्थापनाओं के विकास की संभाव्यताओं और इस विशाल योजना को निरंतर चलाते रहने के लिए संस्थागत ढांचे की जांच करने का परामर्श दिया गया है।

**न्यूनतम वेतन**

3471. **श्री चित्त बसु :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का मानदण्ड, जैसा कि आजकल विद्यमान है, व्यापक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में कौन-से विशिष्ट कदम उठाये गए हैं ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) :** (क) और (ग) सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करने के मानदंड की पुनरीक्षा करने और इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक सरकारी समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

**योजना लक्ष्यों का मूल्यांकन**

3472. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने यह घोषणा की थी कि एक वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों का मूल्यांकन प्रत्येक तीन महीनों के बाद किया जायेगा और उनकी कार्य प्रणाली की भी जांच की जाएगी; और

(ख) क्या सरकार वर्ष 1980-81 के लिए कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, बिजली बनाना, कोयला और इस्पात उत्पादन, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि संबंधी लक्ष्य बताएगी और लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है और यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उसके क्या कारण हैं और उसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) यद्यपि योजना आयोग ने इस बारे में को औपचारिक घोषणा नहीं की है कि एक वर्ष के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन हर तीन महीने बाद किया जाएगा, तथापि आयोग ने योजना को प्रभावी रूप से औ सुचारू रूप से कार्यान्वित करने तथा समस्या क्षेत्रों का पता लगाने और समय पर सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए व्यवस्थित रूप से इसकी प्रगति का प्रवोधन करने की आवश्यकता पर बल दिया है ।

(ख) उत्पादन आदि के लक्ष्यों के बारे में विस्तृत सूचना "वार्षिक योजना 1981-82" में दी गई है। इस दस्तावेज की प्रतियां परिचालित की जा चुकी हैं। इसमें वर्ष 1980-81 में योजना के लक्ष्यों की प्रत्याशित उपलब्धियों के बारे में सूचना दी गई है और उस वर्ष में निष्पादन की सामान्य रूप से समीक्षा की गई है ।

**दक्षिणी राज्यों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के संबंध में "नोडल एजेंसियां"**

3473. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम पर निगरानी रखने के लिए "नोडल एजेंसियां" (केन्द्रीय एजेंसियां) गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो देश के अन्य राज्यों को भी लाभान्वित करने के लिए ऐसी क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)**: (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना में जिला जनशक्ति योजना और रोजगार सृजन परिषद गठित करने की परिकल्पना की गई है, जो जिला स्तर पर रोजगार सृजन करने संबंधी प्रयासों की योजना बनाने और उन्हें मानिटर करने के लिए उत्तरदायी होंगी । सभी राज्य सरकारों से ऐसी परिषदें गठित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है ।

**यू० पी० बेन्स रोल आफ स्टाफ इन आर० एस० एस०, जमायत शीर्षक समाचार**

3474. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "यू० पी० बेन्स रोल आफ स्टाफ इन आर० एस० एस०, जमायत" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) उन अन्य राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने इन संगठनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है अथवा जिनका विचार प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) इन संगठनों तथा सरकारी कर्मचारियों सहित इनके सदस्यों का पता लगाने के लिए सरकार ने कौन-सा तरीका निकाला है क्योंकि ये संगठन सार्वजनिक जांच के लिए सदस्यों का कोई रजिस्टर नहीं रखते ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) जी हां, श्रीमान् । उत्तर प्रदेश सरकार ने आर० एस० एस० एस० तथा जमायत-ए- इस्लामी की गतिविधियों में अपने कर्मचारियों द्वारा भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाने के अनुदेश जारी किए थे ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इसी प्रकार के अनुदेश निम्नलिखित राज्य सरकारों द्वारा भी जारी किए गए हैं :

सिक्किम सरकार;

राजस्थान सरकार;

हिमाचल प्रदेश सरकार;

आंध्र प्रदेश सरकार;

पंजाब सरकार;

हरियाणा सरकार;

पश्चिम बंगाल सरकार; और

तमिलनाडु सरकार ।

(ग) यह संबधित सरकारों का काम है कि वे उन्हें उपलब्ध किसी भी साधन से अपने आपको संतुष्ट करें । ऐसे तथ्यों का पता लगाने के लिए किसी भी सरकार द्वारा अपनाए गए साधनों को प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

**कावेरी जलपूर्ति योजना के लिए स्वीकृत धनराशि**

3475. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

**श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**

**श्री के० लक्कप्पा :**

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कावेरी जलपूर्ति योजना (तृतीय चरण) काली नदी पनबिजली परियोजना (द्वितीय चरण) और हेमावती सिंचाई परियोजना बंगलौर के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या इन योजनाओं को छठी योजनावधि पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से और अधिक धनराशि दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण)**: (क) काबेरी जलपूर्ति स्कीम (चरण-3) के लिए योजना आयोग द्वारा कोई विशिष्ट परिव्यय निर्धारित नहीं किया गया है । लेकिन राज्य ही छठी

पंचवर्षीय योजना के मल निकासी और जलपूर्ति क्षेत्रक के लिए योजना आयोग द्वारा 132 करोड़ रु० के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है ।

काली नदी जल-विद्युत परियोजना (चरण-2) के लिए योजना आयोग द्वारा राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 18.19 करोड़ रु० के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है ।

हेमावती सिंचाई परियोजना राज्य की छठी पचवर्षीय योजना में शामिल नहीं है और राज्य सरकार इस स्कीम को योजनेतर राशियों से कार्यान्वित कर रही है क्योंकि योजना आयोग द्वारा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच काबेरी के पानी के बारे में सहमति न होने के कारण अभी तक इस स्कीम का अनुमोदन नहीं किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

**भारतीय पुलिस सेवा में पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति के लिये पैनल**

3476. **श्री जैनुल बशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा में पुलिस महानिरीक्षण की नियुक्ति हेतु, 1956 के बैच के लिए स्वीकृत पैनल अभी तक तैयार नहीं किया गया है और इसके लिए काफी समय बीत चुका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, जो वरियता सूची में बहुत नीचे हैं, पहले ही संयुक्त सचिव के समकक्ष पदों पर पदोन्नत कियाज ाचुका है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) भारत सरकार के अधीन महानिरीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए 1956 के बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सूची बनाने का कार्य गृह मंत्रालय में पहले ही शुरू कर दिया गया है ।

(ख) और (ग) भारत सरकार के अधीन संयुक्त सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए 1963 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नामों पर . बिचार किया जा रहा है और इस बैच के कुछ अधिकारियों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है ।

भारत सरकार के अधीन संयुक्त सचिव और पुलिस महानिरीक्षकों के पदों पर कार्य कर रहे क्रमशः भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के मध्य अन्तर इस संबंध में निर्धारित अलग-अलग मानदण्डों के कारण है । एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम 24 साल की सेवा होनी चाहिए । भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की भारत सरकार के अधीन संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए केवल 17 साल की सेवा होनी चाहिए ।

**केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी० एस० एस०एस०) में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के निजी सचिव तथा वरिष्ठ निजी सहायक**

3478. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में निजी सचिवों तथा वरिष्ठ निजी सहायकों की कुल संख्या कितनी है और प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में इस सेवा में अनुसूचित जातियों/जनजातितों के लोगों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के संवर्ग "क" तथा "ख" के कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए उनके लिए कोई विशेष परीक्षा आयोजित करने का है;

(ग) इस बारे में सरकार की नीति क्या है;

(घ) क्या इस बारे में उन्होंने अपने मंत्रालय से कोई सूचना अथवा विवरण मांगा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** : (क) दो विवरण संलग्न हैं जिनमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना दी गई है।

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड-क और ग्रेड-ख में भर्ती पदोन्नति/सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां, जिनमें न भरी गई अग्रेनीति की गई रिक्तियां भी शामिल हैं, के आरक्षण के संबंध में सरकारी आदेशों का ईमानदारीपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) कृपया उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखें।

विवरण-I

पहली मार्च, 1981 को प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों (ग्रेड-क) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता

| क्रम संख्या | मंत्रालय/विभाग का नाम | वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों (ग्रेड क) की कुल संख्या | अनुसूचित जन-जातियों की संख्या | प्रति-शतता | अनुसूचित जातियों की संख्या | प्रति-शतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | कृषि तथा सहकारिता विभाग | 6 | — | — | — | — |
| 2. | रसायन तथा उर्वरक विभाग | 1 | — | — | — | — |
| 3. | सिविल पूर्ति विभाग | 1 | — | — | — | — |
| 4. | कोयला विभाग | 1 | — | — | — | — |
| 5. | वाणिज्य विभाग | 8 | — | — | — | — |
| 6. | संचार मंत्रालय | 10 | — | — | — | — |
| 7. | कम्पनी कार्य विभाग | 1 | — | — | — | — |
| 8. | रक्षा मंत्रालय | 6 | — | — | — | — |
| 9. | शिक्षा विभाग | 1 | — | — | — | — |
| 10. | वित्त मंत्रालय | 27 | — | — | 3 | 11·11 |
| 11. | खाद्य विभाग | 2 | — | — | — | — |
| 12. | स्वास्थ्य विभाग | 4 | — | — | — | — |
| 13. | गृह मंत्रालय | 20 | — | — | — | — |
| 14. | औद्योगिक विकास विभाग | 7 | — | — | — | — |
| 15. | सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय | 3 | — | — | — | — |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | श्रम मंत्रालय | 5 | — | — | — | — |
| 17. | विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय | 6 | — | — | — | — |
| 18. | खान विभाग | 2 | — | — | — | — |
| 19. | पेट्रोलियम विभाग | 2 | — | — | — | — |
| 20. | योजना आयोग | 12 | — | — | — | — |
| 21. | विद्युत विभाग | 13 | — | — | — | — |
| 22. | पुनर्वास विभाग | 2 | — | — | — | — |
| 23. | ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय | 2 | — | — | — | — |
| 24. | विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग | 1 | — | — | — | — |
| 25. | नौवहन और परिवहन मंत्रालय | 4 | — | — | — | — |
| 26. | समाज कल्याण मंत्रालय | — | — | — | — | — |
| 27. | इस्पात विभाग | 1 | — | — | — | — |
| 28. | पूर्ति विभाग | 2 | — | — | — | — |
| 29. | पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय | 4 | — | — | — | — |
| 30. | संघ लोक सेवा आयोग | 3 | — | — | — | — |
| 31. | निर्माण तथा आवास मंत्रालय | 2 | — | — | — | — |
| | योग : | 156 | — | — | 3 | 1·9 |

**विवरण-2**

पहली मार्च, 1981 को प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों (ग्रेड ख) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता

| क्रम संख्या | मंत्रालय/विभाग का नाम | वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों (ग्रेड ख) की कुल संख्या | अनुसूचित जन-जातियों की संख्या | प्रति-शतता | अनुसूचित जातियों की संख्या | प्रति-शतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | कृषि तथा सहकारिता विभाग | 20 | — | — | — | — |
| 2. | रसायन तथा उर्वरक विभाग | 7 | — | — | — | — |
| 3. | सिविल पूर्ति विभाग | 3 | — | — | — | — |
| 4. | कोयला विभाग | 2 | — | — | — | — |
| 5. | वाणिज्य विभाग | 16 | — | — | — | — |
| 6. | संचार मंत्रालय | 37 | 1 | 2·70 | 1 | 2·70 |
| 7. | कम्पनी कार्य विभाग | 3 | — | — | — | — |
| 8. | रक्षा मंत्रालय | 12 | — | — | — | — |
| 9. | शिक्षा विभाग | 7 | — | — | — | — |
| 10. | वित्त मंत्रालय | 84 | 1 | 1·11 | 5 | 5·95 |
| 11. | खाद्य विभाग | 6 | — | — | — | — |
| 12. | स्वास्थ्य विभाग | 17 | — | — | 2 | 11·76 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | गृह मंत्रालय | 11 | — | — | 3 | 27.27 |
| 14. | औद्योगिक विकास विभाग | 31 | — | — | — | — |
| 15. | सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय | 10 | — | — | 1 | 10·00 |
| 16. | श्रम मंत्रालय | 6 | — | — | — | — |
| 17. | विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय | 20 | — | — | — | — |
| 18. | खान विभाग | 3 | — | — | — | — |
| 19. | पेट्रोलियम विभाग | 6 | — | — | — | — |
| 20. | योजना आयोग | 34 | — | — | — | — |
| 21. | विद्युत विभाग | 43 | — | — | 2 | 4·65 |
| 22. | पुनर्वास विभाग | 2 | — | — | — | — |
| 23. | ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय | 5 | — | — | — | — |
| 24. | विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग | 10 | — | — | 2 | 20·00 |
| 25. | नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय | 22 | — | — | — | — |
| 26. | समाज कल्याण मंत्रालय | 3 | — | — | 1 | 33·33 |
| 27. | इस्पात विभाग | 3 | — | — | — | — |
| 28. | पूर्ति विभाग | 5 | — | — | — | — |
| 29. | पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय | 6 | — | — | — | — |
| 30. | संघ लोक सेवा आयोग | 10 | — | — | 1 | 10.00 |
| 31. | निर्माण तथा आवास मंत्रालय | 25 | — | — | 1 | 4·00 |
| | योग | 469 | 2 | — | 20 | |

**अनुवादकों/हिंदी अधिकारियों का केन्द्रीय संवर्ग बनाया जाना**

3479. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री अनुवादकों/हिंदी अधिकारियों का केन्द्रीय संव बनाए जाने के बारे में 3 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2196 के उत्तर के सम्बा में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सभी तदर्थ हिंदी अधिकारियों को प्रस्तावित संवर्ग में शामिल किया जा रहा है जैसा कि उपरोक्त प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में कहा गया था ?

**गृह मन्त्रालय राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल किए जाने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी अनुवादकों, हिन्दी अधिकारियों आदि के पदों पर नियुक्त सावधिक आधार के अतिरिक्त, ऐसे सभी व्यक्तियों को सेवा में शामिल करने पर विचार किया जायेगा, जो ऐसे पदों पर उक्त सेवा के नियमों के लागू होने की तिथि पर काम कर रहे हों या इन पर ग्रहणाधिकार रखते हों ।

**ऊर्जा का उत्पादन करने के लिये शीरा पर आधारित आसवनियों से निस्सारी का उपयोग**

3480. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भाप (स्टीम) और बिजली का उत्पादन करने के लिये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में शीरे पर आधारित आसवनियों से निस्सारी का उपयोग करने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में किन्हीं प्राइवेट पार्टियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ।

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) और (ख) शीरा आधारित आसवनशालाओं से आसवनशालाओं बहि:स्रावों के उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास कार्य देश में कई संस्थाओं/केन्द्रों में किया गया है । ये हैं—नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट, कानपुर; नेशनल एन्वायरन्मेन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर; वालचन्द कालिज आफ इंजीनियरिंग, सांगली; बी० बी० कन्सल्टिंग 'एन' इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई; पी० ए० एन० सी० ओ०पी० (आसवनशाला यूनिट), पानीपत; दौराला डिस्टिलरी और सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, हिसार; कृषि विश्वविद्यालय; हिसार । उपचार प्रक्रियाओं में अनाक्सी लगूनिंग, मीथेन प्राप्ति सहित बन्द पाचकों में अनाक्सी पाचन और सिंचाई प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्ष उपयोग शामिल हैं । वालचन्द कालिज आफ इंजीनियरिंग, सांगली में आसवनशाला के बहिस्रावों पर अनुसंधान कार्य के परिणामस्वरूप एक अनाक्सी

लगून विधि का विकास किया गया है जिसका पूरे पैमाने पर नौ आसवनशालाओं द्वारा अनुसरण किया जा रहा है। आसवनशाला के अपशिष्ट से मीथेन गैस प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और त्रिची डिस्टिलरी एंड कैमीकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, महाराष्ट्र में एक प्रायोगिक संयंत्र पहले से ही कार्य कर रहा है। बाद में मीथेन गैस का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है।

शीरे से स्लोपों के वाष्पीकरण से उपयोगी और मूल्यवान उपोत्पाद प्राप्त हो सकते हैं जो कि भाप पैदा करने के लिए अच्छा ईंधन है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए स्लोपों के व्ययन का एक उत्तम तरीका है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार के संबंधित विभाग द्वारा इस प्रस्ताव का संसाधन किया जा रहा है। इस बारे में आसवनशाला के बहिस्रावों के उपयोग पर कार्यक्रमों का सरकार स्वागत करती है।

**राजस्थान में औद्योगिक उपक्रम खोला जाना**

3481. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर में औद्योगिक उपक्रम खोलने की केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत संरचना विषयक समेकित औद्योगिक विकास के रूप में राज्य सरकारों को कार्यक्रम शुरू करने के लिए जिलों/क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कहा गया था क्योंकि राज्य सरकारें अपने औद्योगिक तथा अवथापना सम्बन्धी समग्र विकास के प्रयासों में इस कार्यक्रम को एकीकृत बनाने की बेहतर स्थिति में होगी।

राजस्थान राज्य सरकार ने "केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम" के अंतर्गत औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने के लिए जोधपुर, चुरु, नागौर और भीलवाड़ा जिलों का पता लगाया है। परियोजना संभाव्यताओं और अवस्थापना संबंधी आवश्यकताओं आदि का पता लगाने के लिए कृतिक दलों, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हैं, की स्थापना कर दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए बाड़मेर और जैसलमेर को स्वीकृति नहीं दी गई है।

**अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कर्मचारी संगठनों का शुरू किया जाना**

3482. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का विचार कर्मचारी संगठनों को शुरू करने का है ताकि वे लघु उद्यमों के लिए बेहतर सेवायें दे सकें;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना का अनुमोदन कर दिया है और इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और परियोजना केन्द्रों द्वारा कितनी राशि मंजूर किए जाने की संभावना है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) से (ग) समाचारपत्र की खबर के अनुसार, जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तारीख 15 अगस्त, 1981 में प्रकाशित हुई थी, यह पता चला है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने नियोजक संगठनों की क्षमता और योग्यता का विकास करने के लिए एक परियोजना शुरू की है ताकि उन्हें छोटे उपक्रमों को बेहतर सेवा प्रदान करने के योग्य बनाया जा सके। इस विषय पर सरकार को आई० एल० ओ० से अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

**नौसेना अकादमी की स्थापना**

3483. **श्री इ० के० इम्बोचीबाबा :**

**श्री ए० के० बालन :**

**रक्षा मंत्री** यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना अकादमी को स्थापना के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किस-किस स्थान के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ग) क्या इन संबंध में केरल सरकार ने कोई पेशकश की है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) जी नहीं, अभी तक नहीं।

(ख) और (ग) केरल और तमिलनाडु में स्थानों के बारे में विचार किया जा रहा है।

**संयुक्त अरब अमीरात में गैर-अरबों की भर्ती**

3484. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में नियोक्ताओं द्वारा गैर-स्थानीय श्रमिकों की भरती और उन्हें रोजगार देने के बारे में अपने नियमों में संशोधन किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों के रोजगार के अवसरों पर इन नए नियमों का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) जी हां। सरकार को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जारी किए गए श्रम कानून, 1980 की जानकारी है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन कानूनों के कार्यान्वयन के कारण भारतीय श्रमिकों के हितों पर तत्काल प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन स्थानीय प्राधिकारणों के साथ निकट सम्पर्क रखे हुए हैं ताकि वहां काम कर रहे भारतीयों के हितों की रक्षा की जा सके।

**देश में पिछड़े जिलों की संख्या तथा उनके नाम**

3485. **श्री शिबु सोरन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि देश में कितने पिछड़े जिले हैं और उनके क्या नाम हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन जिलों की उन्नति के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) क्या इन जिलों की उन्नति के लिए कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक इसे कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) से (घ) पिछड़े जिलों का निर्धारण करना और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्कीमें तैयार करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। लेकिन देश में विभिन्न राज्यों के चुने हुए क्षेत्रों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय हस्तक्षेप किया गया है और इन जिलों में कुछ केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों में ये शामिल हैं :

(1) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े निर्धारित किए गए जिलों में रियायती वित्त और निवेश राज सहायता के रूप में प्रोत्साहन;

(2) जनजातीय योजना क्षेत्र;

(3) पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना;

(4) रेगिस्तान विकास कार्यक्रम;

(5) सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम; आदि।

इसके अतिरिक्त एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटन योजना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम—इन सभी का यह उद्देश्य है कि जनसंख्या के सबसे गरीब दशमक गरीब के स्तर से ऊपर उठें और उनके लिए विभिन्न सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करके उनके जीवन-स्तर में सुधार सुनिश्चत हो सके। केन्द्रीय सहायता के लिए फार्मूला भी कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों, जैसे जम्मू और काश्मीर, हिमालय प्रदेश और

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के अधिमान्य रूप से पक्ष में है। फार्मूला राज्यों में भी उन राज्यों को अधिमान्यता दी गई है जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है।

देश के जिलों के पिछड़ेपन को दूर करना एक "दीर्घावधि" प्रक्रिया है। इसके अलावा पिछड़ापन आपेक्षिक संकल्पना होने के कारण जिस समयावधि के भीतर इसे समाप्त किया जा सकता है वह लक्ष्यित विकास के स्तर और कार्यान्वयन की गति पर निर्भर करेगी। इसमें राज्यों का विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक रूप से भिन्नता होगी।

**झाड़ू लगाकर गतियों की सफाई किए जाने को रोकने की योजना**

3486. **श्री चिन्तामणि पाणिगृही :**

**श्री लक्ष्मण मालिक :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झाड़ू लगाकर सफाई करने को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

**जे० सी० बी० में कर्मचारियों के आचरण की जांच**

3487. **श्री केशव पारधी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० सी० बी० में कार्यरत कर्मचारियों के आचरण और उनके चरित्र की बार-बार विस्तृत जांच और पुनः जांच की जाती है;

(ख) क्या अन्य सरकारी कार्यालयों/विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के आचरण और उनके चरित्र की उनकी प्रथम नियुक्ति के अतिरिक्त फिर कभी जांच नहीं की जाती है;

(ग) क्या जे० सी० बी० में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों को कोई विशेष सुविधाएं दी जाती हैं/भत्ते का भुगतान किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके आचरण और चरित्र की प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात जांच करने की क्या आवश्यकता है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** (क) जी हां। उनके आचरण की जांच हर दूसरे वर्ष की जाती है।

(ख) उन सभी सरकारी कर्मचारियों के आचरण की जांच हर दूसरे वर्ष की जाती है जो महत्वपूर्ण पदों अथवा गुप्त और परमगुप्तकार्यों में लगे होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) संयुक्त बीजांक ब्यूरो एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसलिए इस संगठन के कर्मचारियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त की हर दो वर्षों में जांच सरकारी आदेशों के अनुसार की जाती है।

डाकुओं द्वारा प्राप्त हथियारों के स्रोत

3488. श्री बलीप सिंह भूरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन श्रोतों का पता लगाया है जहां से डाकू अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या आयुध कारखानों द्वारा निर्मित हथियार भी अवैध रूप से डाकुओं के पास पहुंचते हैं;

(घ) यदि हां, तो आयुध कारखानों से हथियारों की चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या हाल ही में भारी मात्रा में अवैध हथियारों का भंडार जब्त किए जाने के मामले की जांच के दौरान कोई व्यक्ति दोषी पाए गए थे;

(च) यदि हां, तो उन्हें क्या दण्ड दिया गया; और

(छ) यदि नहीं, तो इस तरह के अवैध कार्यों के पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (छ) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभ के लिए लक्ष्य-समूह का पता लगाना

3489. श्री रास बिहारी बेहरा : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के उस वर्ग का पता लगा लिया गया है जिसे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ दिये जाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पता लगे वर्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें अब तक क्या विशेष लाभ दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी चव्हाण : (क) और (ख) त्वरित आर्थिक संवृद्धि के उद्देश्य के अलावा 20-सूत्री कार्यक्रम में भूमिहीनों, छोटे और मझोले किसानों, दस्तकारों, हथकरघा बुनकरों

और बंधुआ मजदूरों तथा आबादी के अन्य कमजोर वर्गों की दशा सुधारने पर बल दिया गया है। इसमें क्षात्रों और मध्यम वर्ग के लोगों को भी राहत देने की व्यवस्था है ।

(ग) और (घ) लक्षित समूहों को उपलब्ध कराए गए मुख्य लाभों में ये शामिल हैं—कृषि की अधिकतम भूमि सीमा के अन्तर्गत बेसी भूमि का वितरण, भूमि अभिलेखों का संकलन, मकान बनाने की जगह की व्यवस्था, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना, ऋण-राहत, न्यूनतम कृषि मजदूरी में परिशोधन, हथकरघा क्षेत्रक के विकास के लिए सुविधाएं, आवश्यक वस्तुओं का सूचारू सार्वजनक वितरण, जनता कपड़े की किस्म और पूर्ति में सुधार, आयकर से छूट की सीमा में वृद्धि, किताबों और लेसन-सामिग्री की कंट्रोल कीमतों पर पूर्ति, छात्रावासों में रहने वाले और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को कंट्रोल कीमत पर आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति। कुल मिलाकर ये लाभ सभी राज्यों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

**ऊर्जा के पुनः उपयोगी संसाधनों के लिए परियोजनाएं**

3490. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऊर्जा के पुनः उपयोगी संसाधनों के विकास और उपयोग के लिए परियोजनाएं क्या हैं;

(ख) क्या गैर-वाणिज्यिक ईंधन से ऊर्जा के विकास के लिए कोई जांच-पड़ताल किये जाने का विचार है; और

(ग) छठी योजना के दौरान विद्युत अनुसंधान के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) :** (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

**विवरण**

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी० एस० टी०) के एक नव ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों आधारों पर नव ऊर्जा स्रोतों के उपयोगीकरण में अनुसंधान, अभिकल्प और विकास आता है। इस व्यापक आधार वाले एकीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसंधान संस्थाओं, उद्योगों, उपभोक्ता और विस्तार अभिकरणों के भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। पर्याप्त विशेष योग्यता की व्यवस्था की गई थी और विभिन्न प्रणालियों, युक्तियों और उत्पादों का विकास किया गया।

2. पिछले दो वर्षों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को काम में लाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रदान

की गई है और क्षेत्रीय प्रतिष्ठापनाओं की गति को उल्लेख रूप से त्वरित किया गया है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की धाराओं पर एक ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग की स्थापना की है ताकि इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सके और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में सु-समन्वित उपागम की व्यवस्था की जा सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस क्षेत्र के लिये छठी योजनावधि के दौरान 50 करोड़ रुपये के विनिधान की व्यवस्था की गई है। इस बात का भी संकेत दिया गया है कि कार्यक्रम में की गई प्रगति को देखते हुए मध्यावधि योजना मूल्यांकन के समय पर व्यय में अतिरिक्त विनिधान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये का विनिधान कृषि मंत्रालय के लिए किया गया है ताकि छठी योजना की अवधि के दौरान जैव गैस संयंत्रों के बड़े पैमाने पर प्रतिष्ठापन में रियायतों की व्यवस्था की जाये।

3. सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में गतिविधियों के अन्तर्गत ऐसे अनुप्रयोग आते हैं यथा जल और स्थान तापन, प्रशीतन और वातानुकूलन, फसल शुष्कन, विलवणीककण, पम्पन, विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन आदि। प्रदर्शन जल तापन प्रणालियां, एक होटल, बेकरी, अस्पताल, कपड़ा मिल, डेयरी आदि में प्रतिष्ठापित की जा चुकी हैं और इस समय इन्हें विभिन्न स्थानों में जिनमें एक आसवनशाला और एक इलैक्ट्रानिकी फैक्टरी भी शामिल है, भी प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। प्रदर्शन रोकड़ फसल शुष्कक विभिन्न स्थानों में प्रतिष्ठापित की जा चुकी हैं और इस समय तम्बाकू को सुखाने के लिये शुष्ककों को, प्लाइवुड की वेनियर शुष्कन, अनाज शुष्कन और रोकड़ फसलों के लिए शुष्ककों की प्रतिष्ठापना की जा रही है। सौर शक्ति से चलने वाली इमारती लकड़ी की भट्टियों की प्रतिष्ठापना का विस्तार किया जा रहा है। एक सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र (एस० टी० ई० सी०) की स्थापना को हाथ में लिया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर आदि प्रारुपों के विकास जानकारी और उत्पादो के मूल्यांकन, प्रदर्शन, वाणिज्यीकरण को हाथ में लिया जा सके।

4. सौर प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा सिलिकान सौर सैलों के उत्पादन के लिए आरंभ किये गये कार्यक्रम को पूर्ण रूप से समर्थन प्रदान किया जा रहा है और उसका विस्तार किया जा रहा है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग लागतें कम करने के लिए संविरचना के पैमाने को बढ़ाने और सौर सैलों की प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों और कुशलताओं में सुधार लाने के लिए अधिक बल दे रहा है और साथ ही कम लागत की सौर ग्रेड सिलिकान सामग्री के विकास और स्वदेश में ही उत्पादन पर अधिक बल दे रहा है। इन्हीं घटनाओं (विकासों) और लागत कम करने के माध्यम से ही वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर इनक अनुप्रयोग किये जा सकते हैं। एक पूर्व वाणिज्यिक प्रायोगिक संयंत्र (एन० ए० एस० पी० ई० बी०) परियोजना को आरंभ किया गया है ताकि 1983 तक एक मेगावाट स्तर तक सिलिकान प्रकाश वोल्टीय सैलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और उनका व्यापक पैमाने पर क्षेत्रीय स्तर के प्रदर्शन किये जा सकें। सूक्ष्म सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए कई स्थानों पर प्रदर्शन प्रकाश वोल्टीय पम्पों की प्रतिष्ठापना की गई है। प्रकाश वोल्टीय मोड्यूलों के उपयोग का सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था से संबंधित परियोजनाओं में, गांवों में सामुदायिक रेडियो

और दूरदर्शन में, जहाजरानी के लिए रेडियो बीकन यंत्रों में और दूरस्थ क्षेत्रों संचार उपकरण में प्रदर्शन किया जा रहा है।

5. जीवभार उत्पादन, रूपान्तरण और उपयोगीकरण के क्षेत्र में अधिक बल सामुदायिक आकार के जैव गैस संयंत्रों के प्रतिष्ठापन और प्रदर्शन और निवेश के रूप में गोबर के अतिरिक्त जल कुमुदिनी, किचरा, वनस्पति अपशिष्टों और कृषि अवशेष जैसे अन्य प्रकार के ठोस अपशिष्टों/सामग्रियों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। देश में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन सामुदायिक संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है और वे खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए गैस के अतिरिक्त प्रेरक शक्ति और बिजली प्रदान करेंगे और साथ ही कार्बनिक खाद भी। कृषि मंत्रालय केन्द्रीय वित्तीय रियायत से छठी योजना अवधि के दौरान 400,000 जैव गैस संयत्रों ऊतक की प्रतिष्ठापना के लिए कार्यक्रम के बीड़ा उठा रहा है। देश में लखनऊ और मदुरै में जीवभार अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। ये तीव्र वृद्धि के लिए और विभिन्न कृषि जलवायु और मृदा अवस्थाओं आदि में वृद्धि के लिए पादपों के प्रकारों की समीक्षा करेंगे और तब तक संवर्द्धन के माध्यम से उनका बड़े पैमान पर रोपड़ करने के लिए उनका गुणन करेंगे। इन स्पीशीज के अन्तर्गत पैट्रो फैसले, ईंधन की लकड़ी की किस्में आदि आएंगी जिनमें ल्यूसीनिया, यूफोर्बिया, गुआयूले और जोजोबा जैसी किस्मों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

6. विभिन्न प्रकार की पवन चक्कियों के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम को आरंभ किया गया है ताकि इनके बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने के लिए अनुभव प्राप्त किया जा सके। देश में विभिन्न स्थानों पर पाल टाइप पवन चक्कियों और 'भोर पवन चक्कियों' के आदि प्रारूपों की प्रतिष्ठापना की जा रही है। पवन ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है ताकि वे पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए और इस क्षेत्र में कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र बिन्दुओं के रूप में में कार्य कर सकें। स्थानीय प्रेरक शक्ति (पम्प सैटों, कृषि परिचालनों आदि के लिए शक्ति की व्यवस्था क लिए और बिजली के उत्पादन के लिए पवन चक्कियों (की स्थापना) पर विचार किया जा रहा है।

7. ऊर्जा संरक्षण—ऊर्जा भण्डारन के बारे में, नू तापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, लघु जल प्रौद्योगिकियों आदि जैसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जाओं को इसमें शामिल करके इस कार्यक्रम का विस्तार भी किया जा रहा है। इन विभिन्न क्षेत्रों में योजना कार्य और मानीटरन कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त विशेषज्ञ दलों की स्थापना की जा रही है।

8. छठी पंचवर्षीय योजना में आयोग पहले से ही विकास की गई प्रौद्योगिकों के प्रदर्शन और वाणिज्यीकरण पर विशेष बल दे रहा है जिससे कि देश में नवीकरणीय ऊर्जाओं का व्यापकतर उपयोग किया जा सके। प्रस्ताव है कि योजना के दौरान देश के प्रत्येक जिले में एक ऐसे प्रायोगिक प्रदर्शन यूनिट की स्थापना की जाये जो कि नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों पर आधारित हो। वित्तीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहनों को आरभ किया जा रहा है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण के तीव्र वाणिज्यीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। जिन प्रोत्साहनों की पहले से ही घोषणा की जा चुकी है उनमें व्यापार या व्यवसाय में

नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण का विनिर्माण या उपयोग करने के लिए प्रतिष्ठापित मशीनरी या संयंत्र पर अधिक मूल्यह्रास छूट, उत्पादन शुल्क से उन्मुक्ति, और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोक्ताओं को जैव गैस संयंत्रों, सौर कुकरों, जल पम्पन युक्तियों आदि पर रियायतें शामिल हैं। वित्तीय संस्थाओं ने संस्थागत उधार को उन्हीं शर्तों पर मानना स्वीकार कर लिया है जो कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए दिए गए उधारों पर लागू होती है, जिससे कि विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों के लिए उपयुक्त शर्तों पर ऋणों की व्यवस्था की जा सकेगी। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे बिक्रीकर और चुंगी जैसे उपकर में उन्मुक्ति प्रदान करें।

9. इस बात का अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए कि देश में विभिन्न स्थानों पर लम्बे अर्से तक क्रमबद्ध आधार पर और छुटपुट रूप में इन क्षेत्रों में कार्य किया जाता रहा है और समय-समय पर विभिन्न प्रकार के दावे भी किए गए हैं। सरकार का प्रयास यह रहा है कि वित्तीय समर्थन के साथ संस्थागत ढांचा तैयार किया जाए ताकि नई और नवीकरणीय ऊर्जाओं पर आधारित प्रणालियों के अनुसंधान, अभिकल्प, विकास, प्रदर्शन, उत्पादन और बड़े पैमाने पर प्रतिष्ठापन के समग्र व्यापक स्पेक्ट्रम में विभिन्न गतिविधियों का समर्थन समन्वय, मूल्यांकन और संवर्द्धन किया जा सके। ऊपर के पैराओं में जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस दिशा में एक व्यवस्थाबद्ध मुख्य श्रीगणेश किया जा चुका है।

10. ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग के तत्वावधान में अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, उपयोक्ताओं मंत्रालयों तथा उपयोक्ता अभिकरणों, राज्य सरकारों और उद्योगों के बीच संबंधों की स्थापना की जा चुकी है ताकि अनुसंधान और विकास के परिणामों के अनुप्रयोग को त्वरित किया जा सके।

(ग) छठी योजना के दौरान विद्युत विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कीमों के लिए 53.1 करोड़ रुपये का परिव्यय है। इसमें केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड, भू-तापीय अन्वेषण, ज्वारीय तरंग शक्ति, पवन शक्ति, ऊर्जा संरक्षण, निम्न ऊष्मा मूल्य गैस वार्म अप तथा निम्न सीसा स्थिरीकरण प्रणाली और संगठनों को सेमीनारों (संगोष्ठियों), अध्ययनों तथा अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यकलापों से संबंधित सहायता की योजनाएं शामिल हैं।

**विषय : पश्चिम बंगाल में उद्योग लगाना**

3491. **श्री चित्त महाटा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार से नये उद्योगों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके कारण क्या हैं ?

**उद्योग तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) से (ग) औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के लिए वैस्ट बंगाल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, कलकत्ता से प्राप्त दो आवेदन

पत्र औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में विचाराधीन हैं। उद्योग-नाइलोन-6 फिलामेंट यार्न तथा पोलिएस्टर फिलामेंट धागों से सम्बद्ध हैं।

**उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश सहायता**

3492. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1981 तक केन्द्रीय पूंजी निवेश सहायता स्कीम का विवरण क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों, ब्लाकों, जिलों के नाम क्या हैं, जहां यह स्कीम लागू थी;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में उक्त पूंजी निवेश सहायता स्कीम में भारी परिवर्तन किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में जिलावार उन स्थानों, ब्लाकों, जिलों का ब्यौरा क्या है जहां यह स्कीम चालू वित्तीय वर्ष में लागू की जायेगी; और

(च) उद्योग स्थापित करने के लिए नए उद्यमियों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) औद्योगिक दृष्टि से अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों (संलग्न विवरण-I) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 1971 में लागू की गई थी। योजना के अन्तर्गत, उद्यमी अचल परिसम्पत्तियों (भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी) पर 10 प्रतिशत की दर से 5 लाख रुपये तक राजसहायता की दर बढ़ाकर 15 प्रतिशत तथा इसकी सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक कर दी गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यमान पात्र जिलों/क्षेत्रों में 1-3-1981 से राजसहायता की दर बढ़ाकर 20 प्रतिशत तथा इसकी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। योजना शुरू होने से 31-3-1981 तक राजसहायता की राज्यवार प्रतिपूर्ति दर्शाने वाला एक विवरण (विवरण-II) संलग्न है।

(ख) उत्तर प्रदेश में इस प्रयोजन के लिए 6 जिलों अर्थात अल्मोड़ा, बस्ती, फैजाबाद, झांसी (विभाजन के बाद झांसी और ललितपुर) और रायबरेली जिलों को पात्र ठहराया गया है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों अर्थात 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान केन्द्रीय निवेश राजसहायता पर क्रमशः 15.41 करोड़ रुपये, 12.00 करोड़ रुपये तथा 310.00 करोड़ रुपये का तदनुरूप व्यय हुआ है। इससे केन्द्रीय निवेश राजसहायता की गतिशीलता में हुए व्यापक परिवर्तन का पता चलता है।

(ङ) केन्द्रीय निवेश राजसहायता के पात्र ठहराये गये जिलों/क्षेत्रों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है तथा उसके बाद से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(च) पिछड़े क्षेत्रों के संवर्द्धन और औद्योगिक विकास के लिए, केन्द्र सरकार केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना, अखिल भारतीय सावधिक ऋणधाएं, वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्तीय सुविधाएं, परिवहन राजसहायता, कर में रियायतें, लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया-खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता, कच्चे माल के आयात के लिए विशेष

सुविधाएं, ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम, ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम, जिला उद्योग केन्द्र तथा मूल (सीड) सीमांत (मार्जिन) धनराशि सहायता जैसी सुविधाएं और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

विवरण-1

केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजनाओं के लिए पात्र जिले/क्षेत्र

| | |
|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | श्री काकुलम जिला और पांच क्षेत्र |
| | रायसीमा प्रदेश के 2 क्षेत्र जिसमें 22 ब्लाक हैं। |
| क्षेत्र 1. | इसमें 13 ब्लाक अर्थात् चित्तूर डांगारूपालम*, पुनीचेरला*, पत्तूर*, चन्द्रगिरि व कलाहास्थी* (वित्तूर जिले से) तथा कोडर, राजमपेट, सिमोना, गुडाप्पा, कमालपुरम, प्राद्दुत्तूर तथा पालीवेंडला (कुडाप्पा जिले से) आते हैं। |
| क्षेत्र 2. | इसमें 9 ब्लाक अर्थात् तदपत्तरी, सिगनामला, गूटी कुदेसर* (अनन्तपुर जिले से) धीन, कुरनूल, नंगलापुल्ली, नन्दयाला* और गिद्दालर (कुरनूल जिले से) आते हैं। |
| | तेलंगाना प्रदेश के तीनों क्षेत्र जिसमें 23 ब्लाक हैं : |
| क्षेत्र 1. | इसमें 14 ब्लाक अर्थात् महबूब नगर*, जदुचेरला*, शादनगर*, कलवाकर्वी व अमंगल (महबूब नगर जिले से) और नालगोन्डा सुगाडी, नकराकल, सुर्यापेट, कोड्ड*, कुजरनगर*, मीरयालगड्डा* पेड्डावोरा* तथा देवशकोन्डा* (नागोन्डा जिले से) आते हैं। |
| क्षेत्र 2. | इसमें 14 ब्लाक अर्थात् खम्मम, थिरुमलायमपालम, कुल्लूर*, येतान्डू*, कोट्टागुडम, असवरावेट*, पुरागमपेट* तथा भाद्राचलम (खममम जिले से) और महबूबाबाद, नरसमपेट, हनमकोन्डा, धानापुर जनगांव और मुगल* मुलग (वारंगल जिले से) आते हैं। |
| क्षेत्र 3. | इसमें 15 ब्लाक अर्थात् जहीराबाद, पाटनचेरव, नरसापुर, मेडक* और सिद्दीपेट (मेडक जिले से) येडापल्ली,* निजामाबाद, कामारेड्डी* और डेमाकोन्डा* (निजाबाद जिले से) और सिरिल्टा, करीमनगर सुलतानाबाद, पेडापल्ली, मन्थाली* और हजूराबाद (करीमनगर जिले से) आते हैं। |

*10.7.1972 के बाद चुने गये जिले/सब-डिवीजन्स/ताल्लुक/ब्लाक/तहसीलों को दर्शाता है।

| | |
|---|---|
| 2. असम | गोलपाड़ा, मिकिहिल्स, कामरूप, नौगांव, कछार और लखीमपुर जिले । |
| 3. बिहार | भागलपुर, दरभंगा, चंपारन, पालामऊ, सहरसा और संथाल परगन जिले । |
| 4. गुजरात | पंचमहल भडोंच और सुरेन्द्र नगर जिले । |
| 5. हरियाणा | पुनर्गठित (महेन्दरगढ़ जिला जिसमें मेहिन्दरगढ़ और रेवाड़ी उपखण्ड आता है (भिवानी जिला) जिसमें भिवानी तथा दादरी उपखण्ड तथा 8 ब्लाक का एक क्षेत्र अर्थात हिसार ब्लाक नम्बर एक और बरवाना ब्लाक (हिसार तहसील से) तोहना ब्लाक (फतेहाबाद तहसील से) हिसार जिले से जीर्ण ब्लाक और जुलाना ब्लाक (जीर्ण तहसील से) उद्दना ब्लाक (नखाना तहसील) जिंद जिले से । |
| 6. हिमाचल प्रदेश | कांगडा चबा*, कुलु*, सिरगुर* तथा सोलन जिले । |
| 7. जम्मू तथा कश्मीर | जम्मू, श्रीनगर, अनन्तनाग*, डोडा*, बारामूला* और पंछ* जिले । |
| 8. कर्नाटक | रायचूर, मैसूर तथा धारवाड़ जिले । |
| 9. केरल | एलेप्पी कन्नानोर*, तथा मालापुरम* जिले । |
| 10. मध्य प्रदेश : छः क्षेत्र | |
| क्षेत्र 1. | (पूर्वीय प्रदेश के) इसमें 12 ब्लाक अर्थात, कोरबा बलोदा, चुपा, कोटा, मस्तूरी तथा बिल्हा (बियासपुर ब्लाक) विलासपुर जिले से (भाटापारा भिमगा, टिलडा भार सिवा (रायपुर) अभनपुर तथा राजिस ब्लाक (रायपुर जिले से) आते हैं । |
| क्षेत्र 3. | (उत्तरी क्षेत्र से) इसमें 9 ब्लाक अर्थात शिवपुरी, तथा करेरा (शिवपुर जिले से) दत्तिया तथा सिऔंधा (दत्तिया जिले से) भिन्ड, मेहगांव तथा गोहाद (भिन्ड जिले से) तथा मोरेना और जाओरा (मोरेना जिले से) आते हैं । |

*10.7.1972 के बाद चुने गये जिले/सब-डिवीजन्स/ताल्लुक/ब्लाक/तहसीलों को दर्शाता है ।

| | |
|---|---|
| क्षेत्र 2. | (पश्चिमी प्रदेश के) इसमें 10 ब्लाक अर्थात देवास और टोक खुर्द ब्लाक (देवास जिले से) मुलोना, शुजासपुर और शाजापुर ब्लाक (शाजहांपुर जिले से) पंचोर (सारंगपुर) और ब्यावटा ब्लाक (राजगढ़ जिले से) और छछोरा राधोगढ़ और गुना ब्लाक (गुना जिले से) आते हैं। |
| क्षेत्र 3* | (केन्द्रीय क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात बीना, इटावा खरी बांदा (विनैका) राहतगढ़, सागर, शाहगढ़ (टीकमगढ़ |
| क्षेत्र 4* | जिले से) विदिशा और ग्यारसपुर (विदिशा जिले से) और छतरपुर (छतरपुर जिले से) आते हैं। |
| क्षेत 5* | (पश्चिमी क्षेत्र 2 से) इसमें 12 ब्लाक अर्थात वेटलावाद, धीर और नतोहा (धार जिले से) महेश्वर और बरवाहा (खानगोन जिले से) रतलाम और जावरा (रतलाम जिले से) मदसार, मल्हरगढ़ और बीमच (मन्दसौर जिले से) |
| क्षेत्र 6* | (उत्तरपूर्वी क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात रीवां, और रायपुर) गढ़ (रीवां जिले से) मझौली, सीधी दूसरे और वैद्यान (सीधी जिले से) सोनहट, मैकुठपुर, महेन्दरगढ़, सूरजपुर और अंबिकापुर (सरगुजा जिले ले) |
| 11. मणिपुर | सभी पांच जिले। |
| 12. मेघालय | गोरोहिल्स, तथा संयुक्त खासी और जंतिया हिल्स। |
| 13. महाराष्ट्र | रतनगिरी, औरंगाबाद और चन्दनपुर जिले। |
| 14. नागालैंड | कोहिमा, मंकोचुग, त्युनसेंग जिले। |
| क्षेत्र 3* | (उत्तरी क्षेत्र से) इसमें 9 ब्लाक अर्थात शिवपुरी तथा करेरा (शिवपुरी जिले से) अंतिया तथा सिऔंधा (दतिया जिले से) भिन्ड, मेहगांव तथा मोहद (भिन्ड जिले से) तथा मुरैना और जाओरा (मुरैना जिले से) आते हैं। |
| 15. उड़ीसा | कालाहनन्दी, मयूरमज, बोलनगिरि*, धनकानाल, क्योझर* और कोरापरट* जिले। |
| 16. पंजाब | होशियारपुर, संगरूर* और भटिण्ड जिले। |
| 17. राजस्थान | अलवर जोधपुर, भीलवाड़ा*, चूरू*, नागौर और उदयपुर जिले। |
| 18. सिक्किम | गंगटाक*, ग्यानसिंग, मेंगन* और बामची* जिले (16-5-1975) से शामिल |

*10.7 1972 के बाद चुने गये जिले/सब/डिवीजन्स/ताल्लुक/ब्लाक/तहसीलों को दर्शाता है।

| | |
|---|---|
| 19. तमिलनाडु | तीन क्षेत्र टैक्टस जिसमें 33 ताल्लुके हैं : |
| | एक क्षेत्र : जिसमें 12 ताल्लुक (सब ताल्लुक मिलाकर) रामानाथापुरम, मदुकुलाथुर, शिवागंगा, परमाकुडी, स्थिरवादनी, कार्रईकुडी और स्थिरूपाथुर ताल्लुक (मदुराई जिले से) पड़ेकोटाटाई थिरूमायम, आलमगुड्डी और कुलाथुर ताल्लुक (पुडाकोटाई जिले से) |
| | 2 ट्रेक्टस : 11 क्षेत्र जिसमें धर्मपुरी, पालाकोड, होसूर, देनकानि कोटह कृष्णागिरि उठीनगराय, हरूर (धामपुरी जिले से) तरपादूर वानियामबादी वल्लूर, वालाजपेट (उत्तर आरकोट जिले से) |
| | 3 ट्रेक्टस : जिसमें 10 ताल्लुक, अरूपाकोटाइ सत्तूर, विरुधनगर, श्री विलीपुटुर, राजपलयम (रामानाथपुरम के प० रामनाथापुरम जिले से) तिरूमंगलम, डसिलामपट्टी नीलाकोथाठ, डिन्डीगल और वेदासन्दूर (मदुराई जिले से) |
| 20. त्रिपुरा | सभी 3 जिले । |
| 21. उत्तर प्रदेश | बलिया, झांसी**, अल्मोड़ा*, बस्ती*, फैजाबाद*, और रायबरेली* जिले । |
| 22. पश्चिम बंगाल | पुरूलिया, भिदनापुर* और नादिया* जिले । |

**केन्द्र शासित क्षेत्र**

| | |
|---|---|
| 1. अण्डमान और निकावार द्वीप समूह | पूरा संघीय क्षेत्र |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | वही |
| 3. दादरा और नागर हवेली | वही |
| 4. लक्षद्वीप | वही |
| 5. मिजोरम | वही |
| 6. गोवा, दमन और द्वीप | संघीय क्षेत्र की राजधानी की नगरीय सीमा के भीतरी क्षेत्र को छोड़कर समस्त संघीय क्षेत्र पाण्डिचेरी के नगरपालिका क्षेत्र के कोर छवरोल दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी बुलेवर्ड सम्मिलित नहीं है । |

*10.7.1972 के बाद चुने गये जिले/सब-डिवीज़न्स/ताल्लुक/ब्लाक/तहसीलों को दर्शाता है ।

**अभी हाल में किये गये उनके पुनर्गठन से पूर्व जिलों को प्रदर्शित करता है ।

## विवरण-2

केन्द्रीय निवेश राजसहायपा योजना तथा परिवहन राजसहायता योजना के अन्तर्गत की गई प्रतिपूर्ति को दर्शाने वाला विवरण

| क्र० सं० | राज्य/संघ शासित प्रदेश | 1972-73 से 1979-80 | 1980-81 | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 8,17,92,145 | 2,93,98,565 | 11,11,90,710 |
| 2. | असम | 1,42,60,385 | 19,64,000 | 1,62,24,385 |
| 3. | बिहार | 1,17,61,398 | 18,96,695 | 1,36,58,093 |
| 4. | गुजरात | 5,78,58,811 | 4,07,37,766 | 9,85,96,003 |
| 5. | हरियाणा | 1,68,52,442 | 55,59,766 | 2,24,12,208 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 2,38,60,150 | 16,63,059 | 2,55,23,209 |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | 1,92,95,301 | 82,54,624 | 2,75,49,925 |
| 8. | कर्नाटक | 4,69,61,268 | 2,10,37,390 | 6,89,98,358 |
| 9. | केरल | 3,47,89,942 | 2,05,89,132 | 5,53,79,114 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 3,44,43,735 | 1,43,67,532 | 4,88,11,276 |
| 11. | महाराष्ट्र | 7,59,39,954 | 2,89,20,206 | 10,48,57,160 |
| 12. | मणिपुर | 12,41,322 | — | 12,41,322 |
| 13. | मेघालय | 19,49,924 | — | 19,49,924 |
| 14. | नागालैंड | 53,56,370 | — | 53,36,370 |
| 15. | उड़ीसा | 95,62,603 | — | 95,62,603 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|
| 16. | पंजाब | 2,84,92,119 | 98,37,748 | 3,83,29,867 |
| 17. | राजस्थान | 6,18,96,882 | 4,01,98,754 | 10,20,95,636 |
| 18. | सिक्किम | 4,90,822 | 2,04,389 | 6,95,211 |
| 19. | तमिलनाडु | 10,08,78,871 | 5,39,03,009 | 15,47,81,880 |
| 20. | त्रिपुरा | 24,09,375 | — | 24,99,375 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 1,46,46,469 | 70,42,808 | 2,16,89,277 |
| 22. | पश्चिमी बंगाल | 1,52,03,503 | 69,85,529 | 2,21,89,059 |
| 23. | अण्डमान निकोबार द्वीप समूह | 4,93,871 | 13,15,282 | 18,09,153 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 9,44,371 | 3,33,065 | 12,77,436 |
| 25. | दादर और नागर हवेली | 31,86,052 | 9,79,558 | 41,65,610 |
| 26. | गोवा, दमन और दीव | 2,21,93,424 | 1,48,667 | 3,70,05,091 |
| 27. | लक्षद्वीप | — | — | — |
| 28. | मिजोरम | 5,50,093 | — | 5,50,093 |
| 29. | पांडिचेरी | 27,20,784 | — | 27,20,784 |
| | योग | 69,10,09,400 | 30,99,99,970 | 1,00,10,09,370 |

**बन्धक मजदूर सर्वेक्षण**

3493. **श्री बलबीर सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और गांधी पीस फाउंडेशन द्वारा 'बन्धक मजदूर सर्वेक्षण" किया गया था और 26,17,000 व्यक्तियों के रक्त, थूक, पेशाब, मल एवं शक्ति सहित अनेक परीक्षण किए, जिनके बारे में आंकड़े और परीक्षण रिपोर्ट परिकलन (कम्प्यूटराइजेशन) हेतु पश्चिम जर्मनी को भेजी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम जर्मनी से लाए गए समूचे उपस्कर जैसे कि फोटोमीटर, बैटरी चालित मिनिसैन्ट्रक्यूज, टेस्ट स्टिक इत्यादि का रासायनिक युद्ध हेतु उपयोग किया जा सकता था जिसके लिए काउंटिंग सर्विस अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर अत्यन्त संवेदनाशील है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दल भारत के बन्धक दासों की गिनती करने अथवा गिनी पिग के स्थान पर उनके ऊपर परीक्षण करने और किसी विदेशी एजेंसी हेतु आंकड़े एकत्र करने आया था ?

**श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

**मध्य प्रदेश में राज्य पेंसिल फैक्टरियां**

3494. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले में पंजीकृत राज्य पेंसिल फैक्टरियों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा ऐसी फैक्टरियों की संख्या कितनी है जिनमें धूल नियंत्रण उपकरण लगाए गए हैं;

(ख) जिन फैक्टरियों में अभी तक उपकरण नहीं लगाए गए हैं अथवा जो फैक्टरियां कार्य नहीं कर रही हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उन फैक्टरियों की संख्या कितनी है जो ऐसे उपकरणों के बिना कार्य कर रही हैं; और

(ग) क्या धूल-दूषण से होने वाली मौतों की जांच करने और उनकी प्रतिपूर्ति करने की कोई प्रणाली है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा गत दस वर्षों से इसके कारण मरने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है ?

**श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के अनुसार, मन्दसौर जिले के मन्दसौर कस्बे में और इसके इर्द-गिर्द स्लेट पेंसिल के 89 कारखाने हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन इनमें से 38 कारखाने पंजीकृत हैं। 72 कारखानों ने धूल नियंत्रण उपकरण लगाए हैं।

(ख) धूल नियंत्रण उपकरण के न लगाने और कार्य न करने के सम्बन्ध में 31 अगस्त, 1981 तक न्यायालयों में कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन 17 अभियोजन मामले चलाए गए थे। इनमें से, 92 मामलों में न्यायालयों ने 20,094 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

(ग) कारखाना अधिनियम में सभी दुर्घटना के मामलों, जिनसे मृत्यु होती है, के सम्बन्ध में जांच करने की व्यवस्था है। राज्य सरकार अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट या दुर्घटना के अन्य मामलों की जांच का आदेश भी दे सकती है। कर्मकार परिकर अधिनियम, 1923 के अधीन मुआवजे का भुगतान देय है। इस अधिनियम का संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अधिनियम के अधीन 88 दावे के मामले दायर किये गये हैं, जिनमें 13,26,413 रुपये की राशि का दावा किवा गया। 26 मामलों को बर्खास्त कर दिया गया और 7 मामलों में न्यायालयों ने 86,520 रुपये के भुगतान का आदेश दिया है। सिलिकोसिस से मरे श्रमकों की संख्या 1979 में एक, 1980 में दो और 1981 में तीन थी। 1979 से पूर्व की अवधि की सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

**असंगठित कृषि श्रमिक**

3495. **श्री कुंवर राम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि श्रमिकों को संगठित करने के लिए अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप राज्यवार कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक इस संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत लाए गए हैं ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) 30 जून, 1981 तक केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय संस्थान ने 5,601 ग्रामीण श्रमिक कैम्प आयोजित किए जिनमें कृषि श्रमिकों सहित विभिन्न वर्ग के 43,530 श्रमिक अन्तर्ग्रस्त थे। हाल ही में प्रारंभ में ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने की योजना छः राज्यों के (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) 350 ब्लाकों में कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई है। आयोजकों का काम श्रमिकों को उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में शिक्षित करना तथा उन्हें सहकारी समितियां, ट्रेड यूनियनें आदि बनाने में उनकी सहायता करना है।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

**साम्प्रदायिक दंगों के निर्णयाधीन मामले**

3496. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्प्रदायिक दंगों के कितने मामले न्यायालयों में निर्णयाधीन हैं; और

(क) ये दंगे कब और कहां पर हुए थे ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) 1 सितम्बर, 1981 को पंजाब सरकार और अरुणाचल प्रदेश, अण्डमान व निकोबार और दादरा व नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना शून्य है। अन्य राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना प्रत्याशित है।

**विषय : रैपिंग और पैकिंग पेपर के कच्चे माल की कमी**

3497. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन लघु उद्योगों, जिन्हें कच्चे माल के रूप में रैपिंग और पैकिंग पेपर की आवश्यकता पड़ती है, द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कुछ लघु एकक कागज मिलों द्वारा नियुक्त वितरकों से अपनी आवश्यकता का रैपिंग और पैकिंग कागज प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं अतः कागज मिलों को लघु एककों को सीधे ही संभरण करने के निदेश दे दिए जाने चाहिए।

(ख) वितरण प्रणाली की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित कर पाना कठिन होगा कि लघु एककों को सीधे ही रैपिंग और पैकिंग कागज का संभरण किया जा रहा है। सरकार छोटे कागज मिलों के विकास को प्रोत्साहन दे रही है तथा उत्पादन बढ़ने के कारण रैपिंग और पैकिंग कागज की उपलब्धता में सुगमता हो जायेगी।

**रक्षा प्रतिष्ठानों के 150 फ्यूजों की चोरी**

3498. **श्री ए० ए० रहीम :**

**श्री भीखू राम जैन :**

**श्री जनार्दन पुजारी :**

**श्री बालासाहेब विखे पाटिल :**

**श्री के० मालन्ना :**

**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा प्रतिष्ठान से 20 पौंड वाले होवजर के अत्यधिक विस्फोटक शैलों में इस्तेमाल होने वाले 150 फ्यूज चोरी हो गये थे;

(ख) क्या ऐसा सुरक्षा प्रबन्धों में कमी के कारण हुआ अथवा यह कर्मचारियों की हो करतूत थी; और

(ग) उन्हें बरामद करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) 7/24 पैक होविटलर में इस्तेमाल होने वाले 154 फ्यूजों के खोल भरते समय 11 अगस्त, 1981 को गुम पाये गए।

(ख) और (ग) 39 फ्यूजों के खोल प्रतिष्ठान में ही दूसरे भवन से पाए गए। पुलिस अधिकारियों ने 5 कर्मचारियों सहित 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अभी तक और कोई फ्यूज प्राप्त नहीं हुए हैं और इस बारे में जांच-पड़ताल चल रही है।

**विषय : उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सीमेंट संयंत्र**

3499. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी परिषद् ने छठी योजनावधि के दौरान लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए 1 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है और विभिन्न राज्यों के किन स्थानों पर करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर पूर्वी परिषद् को यह सुझाव देने का है कि उड़ीसा में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना की सम्भावना पर भी विचार किया जाये; और

(घ) छठी योजना में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के कार्यक्रर का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) उत्तर पूर्वी परिषद् ने सूचित किया है कि इस योजना अवधि में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए 9 करोड़ रु० का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

(ख) तेजु, अरुणाचल प्रदेश, शिजाते, नागालैण्ड, हुण्डुंग, मणिपुर तथा उमरांगसो, असम में चार लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) उत्तर पूर्वी परिषद् का उड़ीसा राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं है अतः इस परिषद् द्वारा उड़ीसा में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करके तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण करके अभी तक 96 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

**लीबिया में एटोमिक पावर प्लान्ट का निर्माण**

3500. **श्री स्कारिया थामस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० द्वारा लीबिया में निर्मित एटोमिक पावर प्लांट में कोई तकनीकी रुकावट आ गयी है;

(ख) क्या सलाहकारों ने इस प्लांट को चालू न करने की राय की है;

(ग) यदि हां, तो इसमे भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स को कितनी हानि हुई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थितियां न आने देने के लिए क्या कार्रवाही की गई है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)** : (क) लीबिया में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० ने किसी परमाणु बिजली संयंत्र का निर्माण नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए स्वीकृत धनराशि**

3501. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 1980-81 और 1981-82 के दौरान अब तक बिहार सरकार को इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय के आंकड़े और स्वीकृत परिव्यय के आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :

(रु० लाखों में)

| वर्ष | उद्योग | राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय | स्वीकृत परिव्यय |
|---|---|---|---|
| 1980-81 | 1. मझौले और बड़े उद्योग | 774 | 655 |
| | 2. खनिज | 110 | 100 |
| | 3. ग्रामीण और लघु उद्योग | 652 | 711 |
| 1981-82 | 1. मझौले और बड़े उद्योग | 1935 | 742 |
| | 2. खनिज | 167 | 129 |
| | 3. ग्रामीण और लघु उद्योग | 1369 | 800 |

**विषय : पश्चिम बंगाल द्वारा नमक का आयात**

3502. **श्री समर मुखर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल ही भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे भारत सरकार द्वारा अभी भी अपनी खाद्य नमक की 60% मांग का पोत द्वारा आयात करने पर बाध्य किया जाता है;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पोत से आने वाला नमक रेल से आने वाले नमक की अपेक्षा काफी मंहगा होता है;

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 1981 से किराया संबंधी राज सहायता का भुगतान करने की प्रथा को क्यों समाप्त किया है; और

(घ) किराया संबंधी राज सहायता का भुगतान पुनः लागू करने तथा पश्चिम बंगाल को रेल द्वारा नमक की कुल मांग का आयात करने की अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) पश्चिम बंगाल के 3,07,000 मी० टन खाद्य नमक के वार्षिक कोटे में से 1,44,000 मी० टन नमक रेल द्वारा तथा शेष नमक समुद्री मार्ग से भेजा जाता है ।

(ख) समुद्री भाड़े तथा रेल भाड़े के बीच अन्तर होने के कारण पोत द्वारा ले जाए जाने वाला नमक रेल द्वारा ले जाए जाने वाले नमक से काफी महगा है ।

(ग) भाड़ा राजसहायता भुगतान योजना के अन्तर्गत 9 जुलाई, 1980 से लागू समुद्री भाड़े की दरों में वृद्धि 31.5.81 तक वैध थी । चूंकि यह महसूस किया गया था कि समुद्री भाड़े की ऊंची दरों के फल स्वरूप नमक के खुदरा मूल्यों में वृद्धि काउपभोक्ताओं पर मामूली प्रभाव पड़ेगा, अतएव, इस योजना की अवधि और नहीं बढ़ाई गई है ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा समुद्र के रास्ते से भेजे गए नमक पर राजसहायता का भुगतान पुनः लागू करने के लिए भेजे गए एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

**तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, कचार परियोजना, सिल्वर के कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन को मान्यता**

3503. **श्री अजय विश्वास** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, कचार परियोजना, सिल्वर के कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : यह मालूम करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है कि क्या यूनियन आचार संहिता के अन्तर्गत मान्यता के लिए विभिन्न शर्तों को पूरा करती है, जिसमें यूनियन द्वारा संहिता को स्वीकार करना भी शामिल है ।

**भिलाई इस्पात संयंत्र के श्रमिकों को अंशदायी भविष्य निधि का लेखा न दिया जाना**

3504. **श्री अरबिन्द नेताम** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में उतराई-चढ़ाई का कार्य करने वाले श्रमिकों, जो कि पहले ठेकेदारों/सहकारी संस्थाओं के नियंत्रणाधीन थे और इस समय यहां नियमित विभागीय श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, को अपने पहले के तथा वर्तमन सभी नियोक्ताओं के अधीन कार्यकाल का अंशदायी भविष्य निधि का लेखा (वार्षिक) अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है जबकि अंशदायी भविष्य निधि के अंशदान के रूप में उनके वेतन से नियमित रूप से राशि काटी जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि संकट की परिस्थितियों में भी श्रमिक अपनी अंशदायी भविष्य निधि में ऋण पाने का लाभ नहीं उठा सकते जबकि मिलाई इस्पात संयंत्र के खाद्यों में कार्य करने वाले अन्य सभी कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

**छपाई के सफेद कागज का आयात**

3505. **श्री के० लकप्पा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छपाई के सफेद कागज का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय भूमि पर इसकी लागत क्या होगी और आयात की जा रही मात्रा कितनी होगी तथा आयात करने के कारण क्या हैं ?

(ग) क्या भारतीय उद्योग के पास अपेक्षित छपाई के सफेद कागज की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेषज्ञता व क्षमता उपलब्ध है,

(घ) यदि हां, तो इस कागज को आयात करने क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारत में निर्मित यह कागज आयातित कागज की भारतीय भूमि पर लागत की अपेक्षा सस्ता है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अतिरिक्त जरूरतें पूरी करने के लिए स्वदेश में उत्पादन करने हेतु उद्योग को कुछ प्रोत्साहन देने का है ताकि आयात न करना पड़े ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) सरकार ने आपूर्ति और निपटान के महानिदेशालय तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिखाई और छपाई के लिए कागज का आयात करने की व्यवस्था की है।

(ख) लिखाई और छपाई के आयातित कागज का चालू औसत तटागत लागत जिसमें बंदरगाह पर माल उतारने तथा उसके उठाने-रखने संबंधी लागतों जैसे अन्तरदेशीय परिवहन, बीमा, परिवर्तन, बैंक ब्याज, राज्य व्यापार निगम आदि को दिया जाने वाला सेवा कमीशन आदि शामिल है लगभग 8000 रु० प्रति मी० टन आता है। अन्तिम अनुमानों के अनुसार मांग और देशी उत्पादन के बीच के सीमान्तिक अन्तर को पूरा करने के लिए वर्ष 1981-82 में राज्य व्यापार निगम के द्वारा लगभग 80,000 मी० टन लिखाई और छपाई कागज का आयात किया जा रहा है।

(ग) और (घ) यद्यपि, पर्याप्त क्षमता स्थापित की जा चुकी है फिर भी मिलों को कोयला लाने के लिए माल डिब्बों का पर्याप्त संख्या में आवंटन न किए जाने तथा बिजली की कमी

के कारण कागज उद्योग के क्षमता उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसी कारण आपूर्ति में आई गिरावट को पूरा करने के लिए आयात का सहारा लेना पड़ा।

(ङ) सम्प्रति एक उपभोक्ता के लिए आयातित कागज का क्रय मूल्य तुलनात्मक गुणवत्ता तथा किस्म के देशी कागज की अपेक्षा कम पड़ता है।

(च) कागज मिलों को कोयला बैगनः बिजली आदि जैसी आवश्यक निविष्टयां उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किये जा रहें हैं तथा आशा की जाती है किए क्षमता उपयोग में सुधार होगा। बढ़े हुए उत्पादन के अनुपात में ही कमी की जा सकेगी।

**चूना तथा लाल बजरी बिछाने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा किया गया व्यय**

3506. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तिओं एवं अधिकारियों के समारोहों और निरीक्षण के संबन्ध में चूना और लाल बजरी विछाने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा कितना व्यय किया गया; और

(ख) यह व्यय किस "शीर्ष" के अन्तर्गत किया गया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना):** (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि पैदल पथों के किनारे के पत्थरों पर और सड़कों की बीच की सीमा पर सफेदी करना और लाल बजरी विछाना, जब आवश्यक होता है, निगम के सामान्य कार्य हैं और ये सड़कों की वार्षिक मरम्मत तथा रख-रखाव के अन्तर्गत किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ये कार्य, जब आवश्यक होता है, विदेशी विशिष्ठ व्यक्तियों और राष्ट्रीय नेताओं के लिए नागरिक स्वागत सम्बन्ध में भी किये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में किया गया व्यय इस प्रकार है।

| वर्ष | व्यय |
|---|---|
| 1978-79 | 80,778.00 रुपये |
| 1979-80 | 69,699.00 रुपये |
| 1980-81 | 2,31,025.95 रुपये |
| (ख) (1) IX बी III (ए) | सड़कों की वार्षिक मरम्मत तथा रख रखाव। |
| (2) I-ए-एफ-I-IV | प्रदर्शनी तथा मेले। |
| (3) XVI -बी-III | क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन। |
| (4) i-एफ-बी-i | नागरिक अभिनन्दन। |
| (5) VIII-ए-(बी)-iii | भण्डार/रोगाणुनाशक। |

**विषय : सहारनपुर के कागज प्रौद्योगिकी संस्थान को सी० पी० पी० आर० आई० के साथ सम्बद्ध करना**

3507. **श्री रशीद मसूद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारनपुर के कागज प्रौद्योगिकी संस्थान को सी० पी० पी० आर० आई० के साथसम्बद्ध करने का कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के क्रियान्वयन में देरी के कारण क्या हैं ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) केन्द्रीय लुग्दी और कागज अनुसंधान संस्थान के साथ कागज प्रौद्योगिकी संस्थान, सहारनपुर को सम्बद्ध करने संबंधी संभाव्यता का कुछ समय पहले पता लगाया गया था, किन्तु यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में कागज प्रौद्योगिकी संस्थान को अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखनी होगी।

**कर्मचारी भविष्य निधि में अधिकारियों का तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए एक स्थान पर कार्यरत रहना**

3508. **श्री एस० टी० कादरी** :

**श्री के० लक्कप्पा** :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कितने अधिकारियों को तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए एक ही स्टेशन पर कार्य करते रहने की अनुमति दी गई है और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ अधिकारियों का स्थानान्तरण रद्द करदिया गया है और विभाग एक काडर विशेष में तीन वर्ष की गणना कर रहा है जो कि नियमों के विरुद्ध है और दिल्ली में केन्द्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में कार्य की अवधि की एक नहीं मान रहा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

**बोनस और अन्य सुविधाओं के बारे में सिविलियन कर्मचारियों के प्रति भेदभाव**

3509. **श्री जेवियर अराकल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा और वेतन शर्तों के मामले में सेवाओं के गैर-सिविलियन कर्मचारियों की तुलना में सिविलियन कर्मचारियों के प्रति अगल व्यवहार किया जाता है;

(ख) रक्षा विभाग के इन वर्गों को बोनस और अन्य वित्तीय सुविधायें न देने का आधार क्या हैं; और

(ग) क्या सिविलियनों के लिए पदोन्नति नीति में कोई अन्तर है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) और (ग) जी हां। सिविलियन कर्मचारियों और योधी कर्मचारियों की सेवा शर्तें और पदोन्नति की नीतियां भिन्न-भिन्न होती हैं।

(ख) किसी भी गैर-सिविलियन कर्मचारी को बोनस के रूप में कोई धन नहीं दिया गया है। सिविलियन कर्मचारियों के कुछ वर्गों के लिए उत्पादकता पर आधारिता बोनस योजना लागू की गयी है।

रक्षा सेवाओं में कार्यरत सिविलियन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के बारे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य अनुदेश लागू होते हैं और उनकी तुलना गैर-सिविलियन कर्मचारियों के साथ नहीं की जा सकती।

**विषय : राज्यों को नमक**

3510. **श्री गदाधर साहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नमक की घरेलू आवश्यकता और सप्लाई 1978-79,1979-80, 1980-81, 1981-82 के वर्षों के दौरान महीनेवार, राज्यवार कितनी रही है;

(ख) 1979-80 1980-81 1981-82 के दौरान राज्यवार नमक उत्पादन राज्यों में नमक का प्रति किलो अथवा क्विंटल वास्तविक बिक्री मूल्य क्या है और नमक उत्पादक राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में नमक का प्रति किलो/क्विंटल मूल्य क्या है;

(ग) देश में प्रतिवर्ष नमक का उत्पादन कितना है और नमन के उत्पादन पर प्रति क्विंटल लागत कितनी है;

(घ) विभिन्न दरों के लिए जिन पर नमक बेचा जाता है उत्तरदायी कारण क्या हैं, और

(ड.) क्या केन्द्रीय सरकार जनसाधारण के हित में खाद्यानों और नमक सहित आवश्यक वस्तुओं का थोक व्यापार अपने नियंत्रण में लेने और उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समान मूल्य पर सारे देश में सप्लाई करने के लिए तैयार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) वर्ष 1989, 1980 और 1981 (जुलाई, 81 तक) के दौरान नमक उत्पादन राज्यों तथा कुछ उपभोक्ता राज्यों में प्रति किलोग्राम नमक के खुदरा-मूल्यों को दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1978, 1979, 1980 और 1981 (जुलाई, 81 तक) के दौरान देश में नमक का उत्पादन निम्न प्रकार था।

| | |
|---|---|
| 1978 | 66,93,500 मी० टन |
| 1979 | 70,37,000 मी० टन |
| 1980 | 80,07,400 मी० टन |
| 1981 | 77,84,300 मी० टन |

(जुलाई 81 तक)

वर्ष 1980 में प्रति मी० टन नमक के उत्पादन की लागत निम्न प्रकार थी :

| | रुपये |
|---|---|
| (1) मद्रास क्षेत्र (आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु) | 36.50 |
| (2) गुजरात | |
| (क) निजी क्षेत्र | |
| समुद्री नमक | 43.90 |
| देशी (इन्लैण्ड) नमक | 38.40 |
| (ख) सार्वजनिक क्षेत्र | |
| (मैसर्स हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड) | 62.00 |
| (3) राजस्थान (सार्वजनिक क्षेत्र-मैसर्स साभर साल्ट लिमिटेड) | 71.00 |
| (4) महाराष्ट्र | |
| (निजी क्षेत्र) | 60.00 |

(घ) इस गैर-नियन्त्रित वस्तु की मांग और पूर्ति का संचालन करने वाली बाजार की शक्तियों के अलावा नमक का बिक्री मूल्य उत्पादन लागत, उपभोक्ता केन्द्रों की दूरी आदि जैसे कारकों पर निर्भर करता है।

(ङ) सरकार के विचार से इस प्रकार का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है।

विवरण

वर्ष 1979, 1980 और 1981 (जुलाई, 81 तक) के दौरान नमक उत्पादक राज्यों और कुछ अन्य राज्यों में नमक का खुदरा मूल्य

(क) नमक उत्पादक राज्य

| क्र० सं० | राज्य | शहर | मूल्य पैसों में न्यूनतम/अधिकतम | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1979 | 1980 | 1981 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | गुजरात | अहमदाबाद | 20/25 | 20/30 | 20/55 |
| | | जामनगर | 15/35 | 35/50 | 45/50 |
| 2. | तमिलनाडु | मद्रास | 30 | 25/35 | 35 |
| | | थांगावूर | 15 | 12/20 | 12/15 |
| 3. | महाराष्ट्र | थाणे | 30/40 | 25/50 | 40/50 |
| | | अकोला | 25/30 | 30/40 | 40/50 |
| 4. | आन्ध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | 35 | 36/40 | 46 |
| | | कुरनूल | 30/40 | 40 | 40 |
| 5. | गोवा, दमन व द्वीप | पणजी | 40/50 | 50/60 | 60 |
| 6. | कर्नाटक | सिरसी | 50 | 60 | उपलब्ध नहीं |
| 7. | उड़ीसा | बालासोर | 30/60 | 30/60 | उपलब्ध नहीं |
| | | संभलपुर | 30/50 | 40/50 | उपलब्ध नहीं |
| 8. | राजस्थान | जयपुर | 15/20 | 25/30 | 25/40 |
| 1. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 28/40 | 35/45 | उपलब्ध नहीं |

(ख) नमक न बनाने वाले राज्य

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. मध्य प्रदेश | भोपाल | | 20/30 | 25/35 | 23/35 |
| | उज्जैन | | 2:/30 | 25/35 | 30/35 |
| 2. उत्तर प्रदेश | देहरादून | | 26/34 | 32/33 | 28/33 |
| | लखनऊ | | 35/50 | 40/50 | 40/50 |
| 3. बिहार | पटना | | 40/70 | 40/70 | 40/70 |
| 4. मणिपुर | इम्फाल | | 751/00 | 100/150 | 100 |
| 5. पश्चिम बंगाल | कलकत्ता | | 35/>7 | 70/80 | 70/72 |
| | हावड़ा | | 55/68 | 66/70 | 68/70 |
| | दार्जिलिंग | | 61/79 | 75/79 | 73/79 |
| | जलपाईगुडी | | 44/62 | 57/72 | 60/74 |
| 6. नागालैन्ड | दीमापुर | | 80 | 80 | — |
| 7. त्रिपुरा | अगरतला | | 40/80 | 44/95 | 44/95 |
| 8. मेघालय | शिलांग | | 60/100 | 80/150 | 70/140 |
| 9. अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | | 50 | 55/65 | 55 |
| 10. मिजोराम | एजावल | | 75/250 | 60/600 | 100/150 |
| 11. आसाम | गोहाटी | | 40/100 | 48/55 | 55/58 |
| 12. दिल्ली | दिल्ली | | 30/40 | 30/40 | — |
| 13. पंजाब | अमृतसर | | 40/45 | 35/40 | 40 |
| 14. अंडमान निकोबार | अंडमान निकोबार | | 50 | 40/60 | 55/60 |
| 15. केरल | त्रिवेन्द्रम | | 30 | 30 | 30 |
| 16. हरियाणा | भिवानी | | 30/35 | 30/35 | 30/40 |
| 17. सिक्किम | गंगतोक | | 56/70 | 70/82 | 70/87 |
| 18. जम्मू व कश्मीर | जम्मू | | 32/45 | 36/50 | 50 |

**मौर्य होटल, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल**

3511. **श्री नारायण चौबे :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के मौर्य शेराटन होटल के कर्मचारी 12 अगस्त, 1981 से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) विवाद को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) :** (क) जी, हां। मौर्य शेराटन होटल, नई दिल्ली के 850 कर्मचारियों में से लगभग 200 से 250 कर्मचारी 12 अगस्त, 1981 से हड़ताल पर हैं।

(ख) अपनी मांगों पर दबाव डालने के लिए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, वार्षिक छुट्टी में वृद्धि, रात्रि में ड्यूटी के बाद जाने के लिए कर्मचारियों को परिवहन सुविधा, शीतकालीन वर्दियों की व्यवस्था, भर्ती और पदोन्नति नियम बनाना, नैमित्तिक कर्मचारियों को स्थाई रूप से खपाना, छुट्टी यात्रा सुविधा और मूल्यों में वृद्धि के कारण मजदूरी दरों में हुई कमी को पूरा करने के लिए दी गई मजदूरी (पहली जुलाई, 1981 को) के 30 प्रतिशत के बराबर अन्तरिम सहायता की मांग शामिल है।

(ग) इस मामले पर समझौता किया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन का औद्योगिक संबंध-तंत्र सबन्धित पक्षकारों के साथ बातचीत करके सौहार्दपूर्ण समझौता कराने के लिए प्रयास कर रहा है।

**विषय : केरल को सिमेंट का आवंटन**

3512. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को वितरण के लिए आवंटित सीमेन्ट की वर्तमान मात्रा कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कई निर्माण कार्य सीमेन्ट की कमी के कारण लम्बे समय से रुके पड़े हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने सीमेन्ट का कोटा बढ़ाये जाने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :** (क) तीसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर, 1981) में केरल राज्य को किया गया सीमेंट का आवंटन 1,94,300 मी० टन है।

(ख) देश में सीमेंट की सामान्यत: कमी है और इस सीमा तक यह सम्भव है कि केरल के कुछ निर्माण कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

(ग) जी, हां।

(घ) केरल राज्य सहित राज्यों को सीमेंट के आवंटन में वृद्धि करना केवल देश में सीमेंट की उपलब्धता स्थिति में सुधार हो जाने के बाद ही सम्भव होगा, जिसके लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

**एन० सी० सी० अधिकारियों के कैडर का पुनरीक्षण और पदोन्नति के अवसर**

3513. **श्री बी० के० नायर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन० सी० सी० के स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के कैडर का पुनरीक्षण करने तथा पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करने वाले अप्रैल, 1980 में जारी किए गए आदेश को कार्यान्वित करने के लिए अब तक यदि कोई उपाय किए गए हैं, तो वे क्या हैं;

(ख) क्या उनमें से 15 वर्ष से भी अधिक की सेवा रखने वाले अधिकांश अधिकारियों को इस आदेश का लाभ प्रदान नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस समय उक्त आदेश के कार्यान्वयन सम्बन्धी चल रहे कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) से (ग) उस आदेश को कार्यान्वयन करने में अब तक हुई प्रगति इस प्रकार है :

(1) कैप्टन रैंक के जिन 433 अफसरों ने 31 दिसम्बर, 1980 को अथवा उससे पहले 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। उन्हें मेजर के पद पर पदोन्नत करने के सम्बन्ध में उनके मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इनमें से 412 अफसरों को पदोन्नत करने की अनुमति दे दी गई है बशर्ते कि लेखा परीक्षा द्वारा उनकी सामान्य जांच-पड़ताल कर ली गई हो। 21 अफसरों के मामलों को उनके असन्तोषजनक कार्य अथवा उनके विरुद्ध चल रहे अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण रोक दिया गया है।

(2) मेजर को ले, कर्नल के पद पर पदोन्नत करने के लिए जांच-बोर्ड की कार्रवाई अब पूरी हो गई है। अन्तिम आदेश जारी करने के लिए इसकी सिफारिशों पर अब रक्षा मंत्रालय में कार्रवाई की जा रही है।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सेवाओं में प्रतिनिधित्व की जांच के लिए समिति की नियुक्ति**

3514. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की जांच करने एवं उसे सुधारने के लिए फरवरी, 1979 में मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा लाये गये सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उप सचिवों के ग्रेड में अर्थात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा पिछले 2½ वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह मंत्रायय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां, श्रीमान। मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में 16.2.79 को भारत सरकार के वरिष्ठ सचिवों की एक समिति का गठन किया गया था।

(ख) समिति का विचारार्थ विषय केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की केवल जांच करना तथा प्रतिनिधित्व में कमी को पूरा करने के लिए उपाय सुझाना था। तत्कालीन गृह मंत्री की अध्यक्षता में 5-7-79 को समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी तथा समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की थी :

(1) बड़ी संख्या में रोजगार देने वाले मंत्रालयों/विभागों को अपने नियंत्रणाधीन समूह "ख" सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करना चाहिए तथा बैकलाग को समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देने चाहिए।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रवेश पूर्व कोचिंग देने तथा नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए वर्तमान सुविधाओं को सरल तथा कारगर बनाया जाना चाहिए तथा इनमें वृद्धि की जानी चाहिए।

(3) विभिन्न नौकरियों के लिए उपयुक्तता के अपेक्षित मानकों वाले अनुसूचित जाति,/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भविष्य में लगातार रूप से उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवारों की संचित सूची तैयार करना तथा व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष उपाय करना।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिवों के ग्रेड में पदोन्नति श्रेणी 1 के अधिकारियों में से चयन द्वारा तथा विद्यमान आदेशों के अनुसार होती है। ऐसी पदोन्नतियों में कोई आरक्षण नहीं है।

**कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित क्लर्क ग्रेड परीक्षा का अनुपूरक परिणाम**

3515. **पी नन्द किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित क्लर्क ग्रेड परीक्षा के आधार पर नवम्बर-दिसम्बर, 1980 में उन पूरक परिणाम की एक सूची तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस सूची में ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है;

(ग) क्या नियुक्ति के लिए उनके नामों की दुबारा सिफारिश की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** : (क) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1979 में ली गई क्लर्क ग्रेड परीक्षा के आधार पर आयोग ने केवल एक प्रवर सूची तैयार की थी, जिसमें विद्यमान रिक्तियों की संख्या के बराबर ही नाम शामिल किए गए थे। परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अनुपूरक परीक्षाफल सूची घोषित नहीं की गई थी। किन्तु अगली परीक्षा के परिणामों के घोषित किए जाने तक, आयोग ने मुख्यरूप से ऐसे मामलों में, जिनमें प्रवर सूची में से पहले के नामित उम्मीदवारों ने नियुक्तियां स्वीकार नहीं की थीं, योग्यताक्रम में बाद वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए नामित किया था।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**आदि द्रविड़**

3516. **श्री के० राममूर्ति** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के हरिजनों को राज्य के "आदि द्रविड़ों" के रूप में, बिना केन्द्र की सहमति लिए, घोषित किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाली रियायतों को इन "आदि द्रविड़ों" को भी दिया जायेगा ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) और (ख) भारत सरकार मुख्यतः संविधान की अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची से सम्बन्धित है और सूची में कोई संशोधन संसद द्वारा अधिनियम पारित करके ही किया जा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने अनुसूचित जातियों की वर्तमान सूची में कोई संशोधन नहीं किया है बल्कि अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित सभी समुदायों को शामिल करने के लिए सरकारी प्रयोजनों के लिए "हरिजन" शब्द के बदले में "आदि द्रावीदास" शब्द का प्रयोग करने का निर्णय किया है। केवल अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध समुदाय ही अनुसूचित जातियों को ग्राह्य लाभों को प्राप्त कर सकते हैं।

तमिलनाडु द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पदभार मुक्ति

3517. श्री एन० डेनिश : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन सालों में तमिलनाडु में काम कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को राज्य के कोटा से अपने उपभोग के लिए भारतीत प्रशासनिक अधिकारियों को पदभार मुक्त करने के लिए तमिलनाडु सरकार को लिखा है;

(ख) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनकी सेवाएं ली गयी;

(ग) केन्द्रीय सेवाओं में उन्हें किन पदों पर लगाया जाएगा;

(घ) तमिलनाडु सरकार ने कितने मामलों में अधिकारियों को पदभार मुक्त नहीं किया; और

(ङ) तमिलनाडू सरकार ने इन्कार करने के क्या कारण बताए ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष सभी राज्य सरकारों और विभिन्न संवर्ग प्राधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा (भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित) और केन्द्रीय सेवाओं के वर्ग "क" के ऐसे अधिकारियों के नाम सुझाने के लिए लिखती है जिन्हें सेवा अवधि प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र में अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पद पर नियुक्त किया जा सके।

(क) तथा (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1978, 1979 तथा 1980 के दौरान केन्द्र में अवर सचिव से सचिव स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए तमिलनाडु सरकार से 36 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवाएं मांगी गई थीं।

(घ) और (ङ) एक मामले में तमिलनाडु सरकार प्रशासनिक कारणों से अधिकारी को छोड़ने में असमर्थ थी तथा दो अन्य मामलों में चयन किए गए अधिकारी व्यक्तिगत कारणों से केन्द्र में अपनी प्रस्तावित नियुक्तियों का कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके।

अखनूर और पुंछ के बीच राष्ट्रीय राजपथ को चौड़ा किया जाना

3518. श्री गिरधारी लाल डोगरा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखनूर और पुंछ के बीच राष्ट्रीय राजपथ को दोहरे यातायात के अनुकूल बनाने के लिए चौड़ा किया जाएगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि सुन्दरबनी के निकट एक नाले में यात्री बसें बह जाती हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार इस नाले के ऊपर एक पुल बनाने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो, यह कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) अखनूर और पुंछ के बीच की सड़क की चौड़ाई बीस फुट होने के कारण वह राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। इसे और अधिक चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सुन्दरबनी के समीप नाले के पार एक पक्का निकास पुल बना हुआ है जो भारी बाढ़ के समय कभी-कभी पानी में डूब जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस स्थान पर लगभग चार वर्ष पहले केवल एक बस बह गई थी।

(ग) और (घ) इस बारे में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है। इसके लिए कोई निर्माण कार्यक्रम बनाना अभी जल्दबाजी होगी।

## कानून और व्यवस्था की स्थिति

3519. **श्री रूप चन्द पाल :**

**श्री आनन्द पाठक :**

क्या गृह मन्त्री देश में गत छः महीनों के दौरान, राज्य-वार, कानून और व्यवस्था की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**: राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## विषय : पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य के लघु उद्योग मंत्रियों को लघु उद्योग बोर्ड में न रखा जाना

3520. **श्री सुबोध सेन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में उनके मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित लघु उद्योग बोर्ड से पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के लघु उद्योग मंत्रियों को निकाल देने के क्या कारण हैं जबकि अधिकतर अन्य राज्यों के ऐसे मंत्रियों को बोर्ड में शामिल किया गया है;

(ख) क्या उन्हें पश्चिम बंगाल में बहुत बेरोजगारी की समस्या, विशेषकर शिक्षित युवकों में और लघु उद्योग क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के महत्व की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या वे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के उद्योग मंत्रियो को बोर्ड में शामिल करने के लिए इस मामले पर पुनर्विचार कर रहे हैं ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा के लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री पुनर्गठित अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड में सम्मिलित किए गये हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल में बेरोजगार की समस्या देश के अन्य भागों की भीति ही गंभीर हैं, सरकार नीतियां बनाते समय और देश के लिए लघु उद्योग कार्यक्रम तैयार करते समय इस पर उचित ध्यान दे रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**आयुद्ध कानखानों से शस्त्रास्त्रों की छुटपुट चोरी के बढ़ते हुए मामले**

3521. **श्री रेणुपद दास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आयुद्ध कारखानों से शास्त्रास्त्रों की छुटपुट चोरी के मामलों में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो शस्त्रों के इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) जनवरी, 1981 से अब तक राज्यवर, कितने शस्त्र तथा कितनी मात्रा में चोरी हो चुके ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) और (ख) सरकार को कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच-पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा प्रणाली को फिर से दृढ़ कर दिया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

**"वायु सेना के कारतूसों की तस्करी" शीर्षक समाचार**

3522. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1981 के दैनिक "प्रतिनिधि" में वायु सेना के कारतूसों की तस्करी शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो जैसलमेर में वायु सेना के कारतूसों की तस्करी के बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस बात का सन्देह व्यक्त किया गया है कि जैसलमेर हवाई अड्डे की तारों की बाढ़ के निकट पाया गया 318 कारतूसों का एक बक्सा पाकिस्तान को चोरी छिपे भेजा जाना था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले में हुई जांच अदालत ने इसे चोरी का मामला बताया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) जांच-पड़ताल से मालूम हुआ है कि 11 जून, 1981 को हुई गोलियों के 318 राउन्डों की चोरी में डी० एस० सी० के दो जवान सम्मिलित थे। यह चोरी एक पुलिस जाल के परिणामस्वरूप पकड़ी गई और कथित खरीदार पुलिस का आदमी था। जाल में फंसते ही डी० एस० सी० के दोनों जवानों को हिरासत में ले लिया गया और उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने गोलियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में बैठी जांच अदालत ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है और अपराधियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

## सरकारी उपक्रमों के बोर्ड

3523. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी सरकारी उपक्रमों की कम्पनियों के बोर्ड उद्योग मंत्रालय में विचाराधीन/पुनर्गठित किए जाने के लिए हैं;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उनके कब तक पूरे हो जाने की आशा है ?

उद्योग तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की सभी कम्पनियों के बोर्डों का गठन आज तक प्रत्येक कम्पनी की अन्त-नियमावली के अनुसार किया जा चुका है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## उड़ीसा में आदिवासियों का शोषण

3524. श्री मनमोहन टुडु : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ बाहरी व्यक्तियों द्वारा तथा सिमिलिपल वन विकास निगम के कुछ कर्मचारियों द्वारा उड़ीसा में मयूर भंज जिले के सिमिलिपल वन और पर्वत श्रेणी के आदिवासियों का शोषण करने के बार-बार किए जा रहे प्रयासों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के उक्त वन और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : ऐसा कोई शोषण सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**एशियाई खेल परियोजनाओं में बच्चों से काम लिया जाना**

3525. श्री जगपाल सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि एशियाई खेल परियोजनाओं में सैकड़ों बच्चे पूरे दिन काम कर रहे हैं और उनकी मजदूरी दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और एशियाई खेल परियोजनाओं में कार्य कर रहे बच्चों की संख्या कितनी है और उन्हें कितनी दैनिक मजदूरी दी जा रही है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

**औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले**

3526. श्री मोहरलाल पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार चुनीदा पिछड़े जिलों जहां आधारभूत ढांचे की कमी है, औद्योगिक विकास की गति देने के लिए एक योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो देश में ऐसे कौन-कौन से क्षेत्रों को चुना गया है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) देश में 246 जिलों (विवरण-में दिए गए के अनुसार) को रियायती वित्त तथा अन्य सुविधाएं पाने के लिए पात्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है । इसमें से 101 जिलों/क्षेत्रों (विवरण 2 को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए भी स्वीकार किया गया है ।

(ख) केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत संरचनात्मक रूप से एकीकृत औद्योगिक विकास करने की नीति के अंश के रूप में राज्य सरकारों से इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु जिलों/क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कहा गया था, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि वे अपने समस्त

औद्योगिक तथा अवस्थापना सम्बन्धी विकास प्रयत्नों से इस कार्यक्रम को समन्वित करने की अच्छी स्थिति में होंगे।

इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार किए गए जिलों/क्षेत्रों को दर्शाने वाला एक (विवरण-3) संलग्न है।

(घ) स्थानीय संसाधनों आदि पर आधारित परियोजना सम्बन्धी संभावनाओं पर रिपोर्ट देने के लिए 19 कृत्रिक बल स्थापित किए गए हैं, अन्यथा उसका अधिकतम संबंध अनुसंधी तथा लघु विकास के साथ रहेगा तथा इसके द्वारा कार्यक्रम की सहायता करने के लिए न्यूनतम अवस्थापना संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाया जाएगा। अभी तक चार राज्यों के लिए स्थापित चार कृत्रिक बलों में अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। इन कृत्रिम बलों की सिफारिशों पर कार्यवाई शुरू कर दी गई है।

हाल ही में सिक्किम के लिए भी एक कृत्रिक बल की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है।

विवरण-1

वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्त लेने हेतु पात्रता के लिए चुने गये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची

| (1) | (2) |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश (14) | अन्नतपुर, चित्तूर, कुड़प्पा, करीमनगर, खमाम, कुरतूल, महाबूबनगर, मेडक, नालगोडा, नेलोर, निजामाबाद, अंगोले, श्री काकुलम और वारंगत। |
| असम (7) | कछार, गोलपारा, कामरूप, गिकिर, हिल्स नार्थ कछार हिल, नोगांव और न्यू लखीमपुर जिला। |
| बिहार (18) | भागलपुर, चम्पारन*, दरभंगा*, मुजफ्फरपुर*, पालमऊ, पूर्णिया सहरसा सन्थान परगना, सारन*, नालन्दर, औरंगाबाद, नवाद गया, भोजपुर, बेगू-सराय और मूंगेर। |
| गुजरात (10) | अमरेली, बनासंकठा, भावनगर, भडांच, जूनागढ़, कछ, मेहसाना, पंचमहल्स, सावरकंठा और सुरेन्दर नगर। |
| हरियाणा (4) | भिवानी, हिसार**, जिन्द और मोहिन्द्रगढ़**। |

*जिला जैसे कि उसकी स्थिति हाल ही में किये गये, पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थी।

**जिला जैसा कि हाल ही में पुनर्गठित किया गया है।

| (1) | (2) |
|---|---|
| हिमाचल प्रदेश (7) | छम्ब, कांगड़ा*, किन्नौर, कुलू, लाहौल और स्पिति, सोलन और सिरमूर । |
| जम्मू और काश्मीर (10) | अनन्त नाग, बारामूला, डोढा, जम्मू, लठआ, लद्दाख पूंछ, राजैरी, श्रीनगर और उधमपुर । |
| केरल (5) | एलेप्पी, केनानौर, मालापुरम, त्रिचुर और त्रिवेन्द्रम । |
| कर्नाटक (11) | बेलग्राम, बीदर, बीजापुर, धाडवार, गुलबर्गा, हसन, मैसूर, नार्थ कनारा, राइचूर, साउथ कना और तुमकूर । |
| मध्य प्रदेश (36) | बालाघाट, बस्तर, बेतूल, बिलासपुर, भिण्ड, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, देवास, गुना, होसंगाबाद, झबुआ, खारगोन, मंडला, मन्दसौर, मोरेना, नरसिह्मपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनन्दगांव, रायगढ़, रायसेन, रतलाम, रेवा सागर, शिवनी, शजापुर, शिवपुरी, सिधी सुरगुजा, टीकागढ़ विदिशा और न्यू सिहोर जिला । |
| महाराष्ट्र (13) | औरंगावाद, भंडारा, भीर, बुलढाना, चांदा, गुलाब, धूलिया, जलगांव, नन्देड, उसमनाबाद, प्रशनी, रत्नगिरि और यवतमल । |
| मणीपुर (5) | पांचों जिले । |
| मेघालय (2) | गोरी हिल्स* और यूनाइटेड खासी और जन्तिया* हिल्स । |
| नागालैंड (2) | कोहिमा, मेकोकंचुग और तुनसंग । |
| उड़ीसा (8) | बालासौर, बालगिर, धनेकनाल, बालाहंडी, केनझर कोरापुट, मयूरगंज और संगरूर । |
| पंजाब (5) | भटिन्डा*, फिरोजपुर**, गुरुदासपुर, होशियापुर तथा संगरूर । |

*जिला जैसे कि उसकी स्थिति हाल ही में किये गये पुनर्गठन के पूर्ण विद्यमान थी ।

** जिला जैसा कि हाल ही में पुनर्गठित किया गया है ।

| (1) | (2) |
|---|---|
| राजस्थान (16) | अलवर, बन्सवाड़ा, बारमेड, भीलवाड़ा, चुरू, डूंगरपुर जेसलमेर, जालोर, झुनझुन, झलवार, जोधपुर, नागोर, सिकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर । |
| सिक्किम (4) | चारों जिले, गंगटोक, मंगल, ग्यालसिंग और नामची । |
| तमिलनाडु (19) | धरमपुरी, कन्याकुमारी, मदुरै, नाथ अर्काट, रामानाथपुरम, साउथ आरकोट, तंजोर तिरूचापल्ली और पुडुकोट्टाई जिले । |
| त्रिपुरा (3) | तीनों जिले । |
| उत्तर प्रदेश (38) | अल्मोड़ा, आजमगढ़, बदाऊं, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर*, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, गौंडा, हमीदपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, मोनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुलतानपुर, टिहरी, गढ़वाल, उन्नाव और उत्तर काशी । |
| पश्चिम बंगाल | कुरा, बीरभूम, बर्दमान, कूच, बिहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपागुईडी, मालदा, मिदनापुर, मुर्शीदाबाद, नदिया, पुलियाम और वेस्ट दिनाजपुर । |
| अंडमान और निकोबार | समस्त क्षेत्र |
| अरुणाचल प्रदेश | समस्त क्षेत्र |
| दादरा और नागर हवेली | समस्त क्षेत्र |
| गोवा, दमन और द्वीप | समस्त क्षेत्र |
| लक्षद्वीप | समस्त क्षेत्र |
| मिजोरम | समस्त क्षेत्र |
| पांडिचेरी | समस्त क्षेत्र |

* जिला जैसे कि उसकी स्थिति हाल ही में किये गये पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थी ।

विवरण-2

केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजनाओं के लिए पात्र जिले/क्षेत्र

| | |
|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | श्री काकुलम जिला और पांच क्षेत्र |
| | रायलसीमा प्रदेश के 2 क्षेत्र जिसमें 22 ब्लाक हैं। |
| क्षेत्र 1. | इसमें 13 ब्लाक अर्थात् चित्तुर बांगरूपालम, पुनीचेरला, पत्तूर, चन्द्रगिरि व कलाहास्थी (चित्तूर जिले से) तथा कोडर, राजमपेट, सिधोना, गुडाप्पा, कमालपुरम, प्रादुत्तूर तथा पालीवेंडला (कुडाप्पा जिले से) आते हैं। |
| क्षेत्र 2. | इसमें 9 ब्लाक अर्थात् तदपत्तरी, सिंगनामला, गूटी, कुदेसर (अनन्तपुर जिले से) धीन, कुरतूल, नंगलापुल्ली, बन्याल और गिटदाउर (कुरनूल जिले से) आते हैं। |
| | तेलंगाना प्रदेश के तीनों क्षेत्र जिसमें 23 ब्लाक हैं : |
| क्षेत्र 1. | इसमें 14 ब्लाक अर्थात् महबूब नगर, जदुवेरला, शादनगर कलवाकर्वी व अमंगल (महबूब नगर जिले से) और नालगोन्डा सुगाडी, नकराकल, सूर्यापेट, कोड्डउ, कुजरनगर, मीरयालगुडा पेट्टवोरा तथा देवशकोन्डा (नालोन्डा जिले से) आते हैं। |
| क्षेत्र 2. | इसमें 14 ब्लाक अर्थात् खम्मम, थिरुमतापालम, कुल्लूर, येतान्डू, कोट्टागुडम, असवरावेट, पुरागमपेट तथा भाद्राचलम (खम्मम जिले से) और महबूबाबाद, नरसमपेट, अनकोन्डा, धानापुर जनगांव और मुलग (वारंगल जिले से) आते हैं। |
| क्षेत्र 3. | इसमें 15 ब्लाक अर्थात् जहीराबाद, पाटनचेरव, नरसापुर, मेडक और सिद्दीपेट (मेडक जिले से) येडापल्ली, निजामाबाद, कामारेड्डी और डेमाकोन्डा (निजामाबाद जिले से) और सिरिल्ला, करीमनगर सुलतानाबाद, पेडापल्ली, मन्थाली और अहूराबाद (करीमनगर) जिले से आते हैं। |

| | |
|---|---|
| 2. असम | गोलपाड़ा, मिकिहिल्स, कामरूप, नौगांव, कछार और लखीमपुर जिले । |
| 3. बिहार | भागलपुर, दरभंगा, चंपारन, पालामऊ, सहरसा और संथाल परगन जिले । |
| 4. गुजरात | पंचमहल भडोंच और सुरेन्द्र नगर जिले । |
| 5. हरियाणा | पुनर्गठित (महेन्दरगढ़ जिला)जिसमें मेहिन्दरगढ़ और रेवाड़ी उपखण्ड आता है (भिवानी जिला) जिसमें भिवानी तथा दादरी उपखण्ड तथा 8 ब्लाक का एक क्षेत्र अर्थात हिसार ब्लाक नम्बर एक और बरवाना ब्लाक (हिसार तहसील से) तोहना ब्लाक (फतेहाबाद तहसील से) हिसार जिले से जीर्ण ब्लाक और जुलाना ब्लाक (जीर्ण तहसील से) उद्दना ब्लाक (नखाना तहसील) जिंद जिले से । |
| 6. हिमाचल प्रदेश | कांगडा चबा*, कुलु*, सिरगुर* तथा सोलन जिले । |
| 7. जम्मू तथा कश्मीर | जम्मू, श्रीनगर, अनन्तनाग*, डोडा*, बारामूला* और पंछ* जिले । |
| 8. कर्नाटक | रायचूर, मैसूर तथा धारवाड़ जिले । |
| 9. केरल | एलेप्पी, कन्नानोर*, तथा मालापुरम* जिले । |
| 10. मध्य प्रदेश : छः क्षेत्र | |
| क्षेत्र 1. | (पूर्वीय प्रदेश के) इसमें 12 ब्लाक अर्थात, कोरबा, बलोदा, चुपा, कोटा, मस्तूरी तथा बिल्हा (बिलासपुर ब्लाक) बिलासपुर जिले से (माटापारा भिमगा, टिलडा भारसिवा (रायपुर) अभनपुर तथा राजिस ब्लाक (रायपुर जिले से) आते हैं । |
| क्षेत्र 3. | (उत्तरी क्षेत्र से) इसमें 9 ब्लाक अर्थात शिवपुरी तथा करेरा (शिवपुर जिले से) दत्तिया तथा सिऔंधा (दत्तिया जिले से) भिन्ड, मेहगांव तथा गोहाद (भिन्ड जिले से) तथा मोरेना और जाओरा (मोरेना जिले से) आते हैं । |

*10.7.1972 के बाद चुने गये जिले/सब-डिवीजन्स/ताल्लुक/ब्लाक/तहसीलों को दर्शाता है ।

| | |
|---|---|
| क्षेत्र 2. | (पश्चिमी प्रदेश के) इसमें 10 ब्लाक अर्थात देवास और टोक खुर्द ब्लाक (देवास जिले से) मुलोना, शुजासपुर और शाजापुर ब्लाक (शाजापुर जिले से) पंचोर (सारंगपुर) और ब्यावटा ब्लाक (राजगढ़ जिले से) और छछोरा, राघोगढ़ और गुना ब्लाक (गुना जिले से) आते हैं। |
| क्षेत्र 3* | (केन्द्रीय क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात बीना, इटावा खरी बांदा (बिनैका) राहतगढ़, सागर, शाहगढ़ (टीकमगढ़ |
| क्षेत्र 4* | जिले से) विदिशा और ग्यारसपुर (विदिशा जिले से) और छतरपुर (छतरपुर जिले से) आते हैं। |
| क्षेत 5* | (पश्चिमी क्षेत्र 2 से) इसमें 12 ब्लाक अर्थात वेटलाबाद, धीर और सतोहा (धार जिले से) महेश्वर और बरवाहा (खानगोन जिले से) रतलाम और जाबरा (रतलाम जिले से) मदसार, मल्हरगढ़ और बीमच (मन्दसौर जिले से) |
| क्षेत्र 6* | (उत्तरपूर्वी क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात रीवां और रायपुर गढ़) (रीवां जिले से) मझौली, सीधी दूसरे और वैद्यान (सीधी जिले से) सोनहट, मैकुठपुर, महेन्दरगढ़, सूरजपुर और अंबिकापुर (सरगुजा जिले ले) |
| 11. मणिपुर | सभी पांच जिले। |
| 12. मेघालय | गोरोहिल्स, तथा संयुक्त खासी और जंतिया हिल्स। |
| 13. महाराष्ट्र | रतनगिरी, औरंगाबाद और चन्दनपुर जिले। |
| 14. नागालेंड | कोहिमा, मंकोचुग, त्युनसेंग जिले। |
| क्षेत्र 3* | (उत्तरी क्षेत्र से) इसमें 9 ब्लाक अर्थात शिवपुरी तथा करेरा (शिवपुरी जिले से) अंतिया तथा सिऔंधा (दतिया जिले से) भिन्ड, मेहगांव तथा मोहद (भिन्ड जिले से) तथा मुरैना और जाओरा (मुरैना जिले से) आते हैं। |
| 15. उड़ीसा | कालाहनन्दी, मयूरमज, बोलनगिरि*, धनकानाल, क्योझर* और कोरापरट* जिले। |
| 16. पंजाब | होशियारपुर, संगरूर* और भटिण्ड जिले। |
| 17. राजस्थान | अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा*, चूरू*, नागौर और उदयपुर जिले। |
| 18. सिक्किम | गंगटाक*, ग्यानसिंग, मेंगन* और बामची* जिले (16-5-1975) से शामिल |

*10.7.1972 के बाद चुने गये जिले/सब डिवीजन्स/ताल्लुक/ब्लाक/तहसीलों को दर्शाता है।

| | |
|---|---|
| 19. तमिलनाडु | तीन क्षेत्र टैक्टस जिसमें 33 ताल्लुके हैं : |
| | एक क्षेत्र : जिसमें 12 ताल्लुक (सब ताल्लुक मिलाकर) रामानाथापुरम, मदुकुलाथुर, शिवागंगा, परमाकुडी, स्थिरवादनी, कार्रईकुडी और स्थिरूपाथुर ताल्लुक (मदुराई जिले से) पड़ेकोटाटाई, थिरूमायम, आलमगुड्डी और कुलाथुर ताल्लुक (पुडाकोटाई जिले से) |
| | 2 ट्रेक्टस : 11 क्षेत्र जिसमें धर्मपुरी, पालाकोड, होसूर, देनकानि, कोटह, कृष्णागिरि, उठीनगराय, हरूर (धामपुरी जिले से) तरपादूर, वानियामबादी, वल्लूर, वालाजपेट (उत्तर आरकोट जिले से) |
| | 3 ट्रेक्टस : जिसमें 10 ताल्लुक, अरूपाकोटाइ, सत्तूर, विरुधनगर, श्री विलीपुटुर, राजपलयम (रामानाथपुरम के प० रामनाथापुरम जिले से) तिरूमंगलम, डसिलामपट्टी, नीलाकोथाठ, डिन्डीगल और वेदासन्दूर (मदुराई जिले से) |
| 20. त्रिपुरा | सभी 3 जिले । |
| 21. उत्तर प्रदेश | बलिया, झांसी**, अल्मोड़ा*, बस्ती*, फैजाबाद* और रायबरेली* जिले । |
| 22. पश्चिम बंगाल | पुरूलिया, मिदनापुर* और नादिया* जिले । |

केन्द्र शासित क्षेत्र

| | |
|---|---|
| 1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | पूरा संघीय क्षेत्र |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | वही |
| 3. दादरा और नागर हवेली | वही |
| 4. लक्षद्वीप | वही |
| 5. मिजोरम | वही |
| 6. गोवा, दमन और द्वीप | संघीय क्षेत्र की राजधानी की नगरीय सीमा के भीतरी क्षेत्र को छोड़कर समस्त संघीय क्षेत्र पाण्डिचेरी के नगरपालिका क्षेत्र के कोर छवरोल दक्षिणी .पश्चिमी और उत्तरी बुलेवर्ड सम्मिलित नहीं है । |

*10.7.1972 के बाद चुने गये जिले/सब-डिवीजन्स/ताल्लुक/ब्लाक/तहसीलों को दर्शाता है ।

**अभी हाल में किये गये उनके.पुनर्गठन से पूर्व जिलों को प्रदर्शित करता है ।

**विवरण-3**

केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत समेंकित औद्योगीकरण का आरंभ करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा पता लगाए गए जिलों/क्षेत्रों को दर्शाने वाला विवरण

| राज्य | सुझाए गए जिले/क्षेत्र | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| आन्ध्र प्रदेश | 1. अनन्तपुर** | तीन जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित |
| | 2. मेडक** | |
| | 3. श्री काकुलम* | |
| बिहार | 4. मधुबनी* | दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित |
| | 5. पालामऊ | |
| गुजरात | 6. कच्छ† | राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। |
| | 7. अमरेली† | |
| | 8. साबरकंठा | |
| हरियाणा | 9. महेन्द्रगढ़†* | |
| | 10. हिसार जिले का कुछ भाग* | कृतिक दल स्थापित |
| | 11. जींद जिले के भाग* | |
| हिमाचल प्रदेश | 12. कांगड़ा* | सभी तीनों जिलों के लिए कृतिक दल की स्थापना हो चुकी है। |
| | 13. सोलन* | |
| | 14. सिरमूर* | |
| जम्मू और कश्मीर | 15. बाडामूला* | कृतिक दल स्थापित |
| | 16. ऊधमपुर* | |
| कर्नाटक | 17. तुमकुर† | सभी चारों जिलों के लिए कृतिक दल की स्थापना की जा चुकी है। |
| | 18. साउथ कनारा† | |
| | 19. गुलबर्ग† | |
| | 20. बेलगांव† | |
| केरल | 21. एलेप्पी | दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित |
| | 22. मालापुरम | |
| मध्य प्रदेश | 23. सीधी** | दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित |
| | 24. झबुआ** | |
| महाराष्ट्र | 25. औरंगाबाद* | सभी जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित |
| | 26. चन्द्रपुर* | |

| 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|
| | 27. रत्नागिरी* | |
| नागालैण्ड | 28. मोन* | दोनों जिलों के लिए कृतिक |
| | 29. त्वेनसांग* | दल स्थापित |
| उड़ीसा | 30. पुरी (चांडक क्षेत्र) | |
| | 31. बोलनगीर* | कृतिक दल स्थापित |
| | 32. कालाहांडी* | कृत्रिक दल स्थापित |
| | 33. धेंनकानल* | |
| | 34. मयूरजभे* | |
| पंजाब | 35. अमृतसर (गोहन्दवाल साहिब) | दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित |
| | 36. होशियारपुर | |
| राजस्थान | 37. जोधपुर | सभी जिलों के लिए कृतिक |
| | 38. चुरू* | दल की स्थापना |
| | 39. भीलवाड़ा* | |
| | 40. नागोर | |
| तमिलनाडु | 41. पुड्डुकोहाई जिले में पुड्डुकोटइ** | दोनों क्षेत्रों के लिए कृतिक दल स्थापित |
| | 42. मदुराई में डाँडीगुल | |
| उत्तर प्रदेश | 43. बलिया* | सभी जिलों के लिए कृत्रिक |
| | 44. झांसी* | दल स्थापित |
| | 45. अल्मोड़ा* | |
| | 46. बस्ती* | |
| | 47. फैजाबाद* | |
| | 48. राय-बरेली* | |
| | 49. ललितपुर* | |
| पश्चिम बंगाल | 50. जलपाई गुड़ी | दोनों जिलों के लिए कृतिक |
| | 51. बाकुंठा† | दल स्थापित |

टिप्पणी—: संपूर्ण जिला पूंजीगत निवेश राज सहायता का पात्र है।

**जिले के अन्दर नामित क्षेत्र पूंजीगत निवेश राजसहायता के पात्र हैं।

†रियायती वित्त पाने के लिए अर्द्ध जिला।

*केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के लिए अब तक 51 जिलों का पता लगाया गया है।

**त्रिपुरा आदिवासियों द्वारा निर्वासन में क्रांतिकारी सरकार स्थापित करना**

3527. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
**श्री त्रिलोक चन्द्र :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूमिगत त्रिपुरा आदिवासियों द्वारा मिजो नेशनल फ्रंट विद्रोहियों के साथ मिलकर निर्वासन में क्रान्तिकारी सरकार स्थापित करने के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) सरकार को मालूम है कि त्रिपुरा में कुछ गुमराह तत्व जिनके मिजो नेशनल फ्रंट के साथ संबंध हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त हैं। इन गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी सतर्कता बरती जा रही है और सुरक्षा उपाय कड़े कर दिये गये हैं।

**पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता**

3528. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों से बाहर रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रमों से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने जनजाति उप-योजना क्षेत्रों से बाहर रह रही जनजाति जनसंख्या के लिए अतिरिक्त विशेष सहायता के अनुदान की मांग की थी। इस पर विचार किया गया और राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि मानदण्ड को कम करके बढ़े हुए क्षेत्र के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि की मात्रा को बढ़ाना व्यवहारिक नहीं है। उन्हें यह सुझाव दिया गया है कि फैले हुए आदिवासियों की सहायता आई० आर० डी०, डी० पी० ए० पी० जैसे लाभोन्मुख कार्यक्रमों के द्वारा करना वांछित होगा।

**कृषि पर आधारित उद्योग**

3529. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए एक समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई समिति स्थापित नहीं की गई है ।

**पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण**

3530. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण की गति बहुत ही असंतोषजनक है;

(ख) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण पर योजना आयोग द्वारा स्वीकृत शिवारमन समिति की सिफारिशें क्रियान्वित की हैं;

(ग) इन क्षेत्रों में औद्योगीकरण की गति में तेजी लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए आवश्यक निवेश और पूंजी के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) योजना आयोग में राज्य सरकार और सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से "औद्योगिक छितराव" सम्बन्धी शिवारमन समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण की गति को तेज करने के लिए सरकार निम्नलिखित प्रोत्साहन देती है :

1. केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना ।
2. परिवहन राजसहायता योजना ।
3. अखिल भारतीय वार्षिक ऋणदायी वित्तीय संस्थानों की रियायती वित्तीय सुविधाएं ।
4. कर सम्बन्धी रियायतें ।
5. लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया खरीद ।
6. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श ।
7. ब्याज-राजसहायता ।
8. कच्चे माल के लिए विशेष सुविधाएं ।
9. ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम ।

10. ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम ।

11. जिला उद्योग केन्द्र ।

12. मूल (सीड) सीमान्त (मार्जिन) धनराशि की सहायता ।

(घ) और (ड़) पिछड़े क्षेत्रों की विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों में चल रही योजनाओं और उपबन्ध प्रोत्साहनों का अनुमान लगाया है तथा इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं ।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु सीमेंट संयन्त्र**

3531. **श्री चिंग वांग कोनयाक :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर परिषद ने लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय प्रावधान किया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :** जी, हां । उत्तर पूर्वी परिषद ने यह सूचना दी है कि तेजू, हुंडंग, मणिपुर तथा उपरान्गसों, आसाम में कुल 9 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से 4 मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रावधान कर लिया गया है ।

**कागज की आवश्यकता और विदेशी मुद्रा का प्रयोग**

3531. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न प्रकार के कागज की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और कागज के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है;

(ख) गैर-सरकारी और सरकारी नियंत्रण वाले कारखानों की उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए कागज के देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :** (क) विभिन्न किस्म के कागज की वार्षिक आवश्यकता का अनुमान निम्न प्रकार लगाया गया है :

| कागज की किस्म | आवश्यकता लाख मी० टन में |
|---|---|
| लिखाई एवं छपाई का कागज | 6.5 |
| औद्योगिक कागज और गत्ता | 5.5 |

अस्थायी अनुमानों के अनुसार, पूर्ति तथा निपटाने महानिदेशालय और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1981-82 में राज्य व्यापार निगम द्वारा लगभग 49.25 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 80,000 मी० टन लिखाई और छपाई के कागज का आयात किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 15,000 से 20,000 मी० टन विशेष कागज और गत्ते का भी मुख्यत: वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा सीधे ही आयात किया जा रहा है।

(ख) जनवरी, 1981 को संगठित क्षेत्र के एककों की कागज और कागज गत्ते के उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता 16.57 लाख मी० टन थी।

(ग) कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) विदेशी मुद्रा व्यय निहित न होने वाले द्वितीय कोटि के कच्चे माल पर आधारित कागज मिलों की स्थापना की बढ़ोत्तरी को लाइसेंसयुक्त कर दिया गया है।

(2) लुगदी का आयात उदार बना दिया गया है।

(3) कागज बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रद्दी कागज पर लगने वाला शुल्क हटा दिया गया है।

(4) गैर परम्परागत कच्चे माल के उपयोग पर आधारित नयी बड़ी समेकित लुगदी और कागज मिलों तथा छोटी कागज मिलों को उत्पादन कर से छूट दे दी गई है।

(5) 75% से अनधिक खोई से बनाए जाने वाले कागज को उत्पादन शुल्क से छूट दे दी गई है।

**दिल्ली नगर निगम के दक्षिण क्षेत्र में सम्पत्ति के उप-विभाजन के मामले**

3533. **श्री फूल चंद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के दक्षिण क्षेत्र के ग्रीन पार्क, नई दिल्ली में सम्पत्ति के उप-विभाजन के कुछ मामले उनकी स्वीकृति के लिए बहुत समय से लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामला कितने-वर्षों से लम्बित पड़ा है;

(ग) क्या सम्पत्ति के उप-विभाजन के इन मामलों में विलम्ब होने के कारण सम्बन्धित मकान मालिकों को गृह कर के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा; और

(घ) सम्पत्ति के उप-विभाजन के लम्बित पड़े इन मामलों को स्वीकृत करने में निगम के प्राधिकारियों को कितना समय लगेगा ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**मलखान समिति का प्रतिवेदन**

3534. **श्री आनन्द पाठक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय में मलखान समिति का यह प्रतिवेदन स्वीकार किया है कि लेवांग ओद जलपहाड़ छावनी बोर्डों के सफाई कर्मचारी मल को सिर पर उठाकर मलखान भूमि तक ले गए; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की गई या करने का विचार है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) :** (क) और (ख) मल को स्वयं उठाकर ले जाने की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए मलखान समिति ने मल को मल एकत्र करने के स्थान तक ले जाने के लिए पहिए वाली गाड़ी जैसे मशीनी यन्त्रों के प्रयोग की सिफारिश की है। जलपाहड़ और लेवांग जैसे ढलान वाली सड़कों के क्षेत्र में पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग करना सम्भव नहीं है। ऐसे क्षेत्रों के लिए समिति ने मल को एकत्र करने के स्थान तक ले जाने के लिए बांस के डंडों की बंहंगी का प्रयोग करने की सिफारिश की है। इस तरह की छावनियों को समिति द्वारा सुझाए गए तरीके अपनाने के अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

**आर्थिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन**

3535. **श्री जार्ज फर्नांडीज :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में गठित आर्थिक सुधार आयोग ने अब तक कोई प्रतिवेदन पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने आयोग के काम के पूरा होने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित की है ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) आयोग ने प्रतिवेदनों की शृंखला में से प्रथम को प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) यह प्रतिवेदन औद्योगिक स्वीकृतियों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं के बारे में है।

(ग) आयोग का कार्य-काल दो वर्ष का है।

**लघु उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई**

3536. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु उद्योगों के राज्यवार कितने लघु एकक हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और कच्चा मालवार, प्रत्येक राज्य को कितना कच्चा माल आवंटित और सप्लाई किया गया था; और

(ग) विभिन्न राज्यों में इस महत्वपूर्ण कच्चे माल का आवंटन करने का आधार क्या है ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) ब्यौरे बताने वाले विवरण सारणी 1 से 4 में दिए गये हैं। [ग्रंथालय में रखे गये—देखिए संख्या एल०-टी० 2807/81]

(ग) राज्यों को लोहा, और इस्पात, भेड़ की चर्बी, पैराफिन (मोम) जैसी दुलर्भ कच्चे पदार्थों का आवंटन विभिन्न राज्यों से प्राप्त मांगों के आधार पर किया जाता है जिसका सम्बन्ध उनकी पिछली निकासी तथा उसके अनुपात में उपलब्धता से होता है।

## अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के सम्बन्ध में मन्त्रालयों को निर्देश

3537. श्री वीर भद्र सिंह :

श्री शिबु सोरन :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी सरकारी विभागों को निर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह बात सरकार के सामने आई है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यह हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान। सरकार द्वारा मई, 1975 में जारी किए गए पहले के अनुदेशों को दोहराते हुए, दिनांक पहली नवम्बर, 1980 तथा 16-3-1981 को अनुदेश जारी किए गए थे कि सभी मंत्रालयों/विभागों को चाहिए कि वे सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आरक्षण तथा अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने की आवश्यकता पर नियुक्ति प्राधिकारियों पर बल दें। आगे यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी कार्यालय अथवा प्रतिष्ठान

में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा रियायतों से सम्बन्धित इन आदेशों के जानबूझकर उल्लंघन अथवा भेदभाव के सुस्पष्ट उदाहरणों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों की तुरन्त जानकारी में लाया जाए।

(ग) तथा (घ) मंत्रालयों तथा विभागों से केवल आशा ही नहीं अपितु यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में नियमों का वस्तुतः अनुपालन भी करते हैं। जब कभी ऐसे नियमों के निर्वचन अथवा गलत ढंग से लागू किए जाने के अलग-अलग मामले समय-समय पर इस विभाग की जानकारी में लाए जाते हैं उन पर उपयुक्त सही कार्रवाई करने के लिए मुस्तैदी से जांच की जाती है। फिर भी, इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते। इसके अतिरिक्त, अनियमितता का विशिष्ट शिकायतों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति आदि जैसी संस्थाओं द्वारा कार्रवाई की जाती है।

## जेलों में विचाराधीन कैदी

3538. **श्री राम सिंह यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यवार, ऐसे कितने विचाराधीन कैदी हैं जो उनकी दोषसिद्धि के मामले में उन्हें दी जा सकने वाली अधिकतम सजा की अवधि से अधिक अवधि से जेलों में हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अब तक प्राप्त अपेक्षित सूचना इस प्रकार से है :

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | अधिकतम देय सजा की अवधि से अधिक समय से जेलों में रह रहे विचारणाधीन कैदियों की संख्या |
|---|---|
| 1. असम | शून्य |
| 2. गुजरात | शून्य |
| 3. हरियाणा | शून्य |
| 4. हिमाचल प्रदेश | शून्य |
| 5. जम्मू और कश्मीर | शून्य |
| 6. केरल | शून्य |
| 7. महाराष्ट्र | एक |
| 8. मणिपुर | शून्य |

| | |
|---|---|
| 9. पंजाब | तीन |
| 10. राजस्थान | एक |
| 11. पश्चिम बंगाल | तीन |
| 12. अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह | शून्य |
| 13. अरुणाचल प्रदेश | शून्य |
| 14. दादरा और नगर हवेली | शून्य |
| 15. दिल्ली | शून्य |
| 16. गोवा, दमन और दीव | शून्य |
| 17. लक्षद्वीप | शून्य |
| 18. पांडिचेरी | शून्य |

शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से सूचना की प्रतीक्षा है और प्राप्त होने पर समापटल पर रख दी जाएगी।

**पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण**

3539. **डा० कर्ण सिंह :**

**श्री दिलीप सिंह भूरिया :**

**श्री पी० नामग्याल :**

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे समाचार मिले हैं कि पाकिस्तान इस वर्ष के अन्त तक परमाणु-परीक्षण करने का विचार रखता है;

(ख) क्या पाकिस्तान की बढ़ती हुई आक्रमण शक्ति की दृष्टि से ऐसा होना भारत की सुरक्षा के लिए एक गम्भीर खतरा हो सकता है; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) ऐसी कोई पक्की सूचना नहीं है जिससे यह पता चले कि पाकिस्तान इस वर्ष के समाप्ति से पूर्व आणविक यंत्र का परीक्षण करना चाहता है। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि पाकिस्तान यूरेनियम के भण्डार और आणविक ईंधन तैयार करने की क्षमता प्राप्त करने के प्रयत्न कर रहा है जिससे वह आणविक यन्त्र का परीक्षण कर सकेगा।

(ख) पाकिस्तान की सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि उनके आणविक कार्यक्रम का उद्देश्य शान्तिपूर्ण उपयोग के लिए है ।

(ग) रक्षा तैयारियों के सम्बन्ध में योजनाओं को समय-समय पर अद्यतन करते समय सरकार अपने पड़ोस में होने वाली उन सभी घटनाओं को ध्यान में रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है ।

**गोवा में व्यापार और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना**

3540. **श्री एडुआडो फलीरो** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य क्षेत्र में व्यापार और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनका विकास करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

**उद्योग तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) गोआ दमन और दीव का समस्त क्षेत्र अखिल भारतीय सावधिक ऋणदाता संस्थानों से रियायती दर पर वित्तीयन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है । साथ ही, क्षेत्र की राजधानी के नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर सारा क्षेत्र केन्द्रीय निवेश राजसहायता प्राप्त करने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा माना गया है ।

(ख) श्रेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्सायन में है :

1. 15 प्रतिशत केन्द्रीय पूंजीगत राजसहायता,

2. रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता,

3. पानी, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं सहित विकसित औद्योगिक बस्तियां तथा राजसहायता प्राप्त किराया दरों पर बने बनाये शेड,

4. लघु उद्योग एककों को रियायती बिजली शुल्क,

5. लघु उद्योग एककों को कुछ वर्षों की अवधि के लिए बिक्री कर से राहत,

6. प्रथम दस वर्षों तक कराधान पूर्वलाभ पर 20 प्रतिशत आयकर की छूट,

7. सम्भाव्यता अध्ययन लागत पर 50 प्रतिशत राज सहायता,

8. शिक्षित कुशल कामगरों की भर्ती और चयन में सहायता,

9. लघु उद्योग एककों को 15 प्रतिशत मूल्य वरीयता,

10. सरकार की नई आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्र को सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं ।

गहन प्रयासों के फलस्वरूप पंजीकृत औद्योगिक एककों की सख्या जो 1976 में 909 थी बढ़कर 1980 में 1469 हो गई है। वर्ष 1980-81 में मांडगाड़ लघु उद्योग संस्थान ने 2!;9 एककों को तकनीकी सेवाएं और 116 एककों को वर्कशाप सामान्य सुविधाएं प्रदान कीं। संस्थान ने 13 नई योजनाएं तैयार कीं और उद्यमियों को 291 तकनीकी योजनाएं दीं। उद्यमिता के विकास के लिए संस्थान ने 3 तकनीकी और 2 प्रबन्धकीय पाठ्यक्रम आयोजित किए। 33 वस्तुओं को सहायक एककों के लिए छांटा गया। सहायक एककों द्वारा सम्मरित स्टोर की वस्तुओं का मूल्य 422 लाख रुपये है। संस्थान ने 100 एककों को निर्यात संवर्धन सहायता प्रदान की है।

संघ क्षेत्र में 7 औद्योगिक बस्तियां कोरलिम सेंट जोंस, देवरियल, सेन्कोले जोरी नगर नानी दमन एलटीनथ्रो मापोस, तिरिम और वाइकोलिम में हैं। उनमें 264 बने बनाये शेड हैं, 95 विकसित प्लाट हैं, जिन पर 31-3-1979 को 200 एकक कार्यरत थे, जिनमें 3569 आदमी रोजगार पा रहे थे।

**मध्य प्रदेश से गुजरात तक पाइप लाइन के माध्यम से कोयला ले जाना**

3541. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश से गुजरात को पाइप लाइन द्वारा कोयला भेजने की किसी योजना को केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो कब और कब तक योजना के स्वीकृत कर दिए जाने की सम्भावना है ?

**योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) जी, नहीं। गुजरात सरकार द्वारा योजना आयोग को इस बारे में कोई स्कीम प्रस्तुत नहीं की गई है। लेकिन गुजरात सरकार से मार्च, 1981 में एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि गुजरात राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पहले किए गए अध्ययन के क्रम में योजना आयोग द्वारा और अधिक विस्तृत साध्यता अध्ययन के लिए गुजरात बिजलीघरों को कोयले के घोल के परिवहन के मामले पर विचार किया जाए।

(ख) देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में बिजलीघरों को कोयले के पाइप लाइन द्वारा परिवहन की तकनीकी-आर्थिक सहायता के प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा पहले से ही विचार किया जा रहा है और इस बारे में साध्यता अध्ययन का कार्य मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लि० को सौंपा गया है। उनकी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी; इस रिपोर्ट के जनवरी, 1982 में प्राप्त होने की आशा है।

**पंजाब में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रदर्शित अवमानना से सम्बन्धित घटनाएं**

3542. **श्री केयूर भूषण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अवमानना प्रदर्शित करने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं के पीछे जिन व्यक्तियों या वर्गों अथवा संगठनों का हाथ होने का संदेह है उनका विवरण क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री योगेन्द्र मकवाना** : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा अब तक भेजी गई सूचना के अनुसार 15 अगस्त, 1981 को एक राष्ट्रीय ध्वज, जो कुछ फटा हुआ था और कुछ जला हुआ था, फगवाड़ा रेलवे स्टेशन के प्रतिक्षालय के सामने पाया गया था। राष्ट्रीय सम्मान की मानहानि का निवारण अधिनियम 1971 के अधीन एक मामला थाना जी० आर० पी० जालन्धर में दर्ज किया गया था और जांच पड़ताल की जा रही है।

## सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र

3543. **श्री बी० जी० देसाई** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायु ऊर्जा के विकास तथा 'बायो-गैस' के अनुसंधान के लिए सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये केन्द्र देश में ऊर्जा के पुन: उपयोग में लाये जा सकने वाले स्रोतों के विकास के लिए सरकार के महत्वकांक्षी कार्यक्रम का भाग है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रस्तावित सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र का मुख्य उद्देश्य प्रोटोटाइप विकास और विश्लेषण है, और

(घ) यदि हां, तो ये केन्द्र कब और कहां पर स्थापित किये जाने हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) से (घ) एक बिवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

### विवरण

ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के त्वरित विकास और उपयोगीकरण के लिए सरकार के कार्यक्रम के भाग के रूप में, समय लक्ष्यबद्ध और परिणाम अभिमुख अनुसंधान, अभिकल्प, विकास और प्रदर्शन गतिविधियों का संवर्द्धन करने के लिए छठी योजना के दौरान ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए आयोग द्वारा कुछ विशेषीकृत केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। मदुरै और लखनऊ में दो जीव भार अनुसंधान केन्द्रों की पहले से ही स्थापना की जा चुकी है। पवन ऊर्जा केन्द्रों के इलाहाबाद और बंगलौर में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। साहिबाबाद स्थित पूर्व-वाणिज्यिक प्रायोगिक संयंत्र के प्रकाश वोल्टीय विकास और प्रदर्शन गतिविधियों के लिए केन्द्र के रूप में कार्य करने की आशा है।

आदि प्ररुपों के विकास, प्रदर्शन और विश्लेषण के माध्यम से सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग का संवर्द्धन करने के लिए एक सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है ताकि सौर ऊर्जा के उपयोग को मुख्य रूप से विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए त्वरित किया जा सके। यह केन्द्र सविस्तार इंजीनियरी डिजायन, प्रणाली इंजीनियरिंग, आदि प्ररूप विकास, संविरचना, प्रायोगिक उत्पादन, सौर ऊर्जा उत्पादों और युक्तियों के परीक्षण और मानवीकरण आदि पक्षों को देखभाल करेगा और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोगीकरण में सहायता प्रदान करेगा। सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र का दिल्ली के निकट हरियाणा में एक स्थान पर स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। प्राथमिक योजना कार्य और स्थल विकास कार्य को हाथ में लिया जा रहा है।

**मैसर्स बेयर इण्डिया लिमिटेड पर ई० पी० एफ० और ई० एस० आई० की बकाया राशि**

3544. **श्री निहाल सिंह :**

**श्री राम सिंह शाक्य :**

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स बेयर इन्डिया लिमिटेड पर कर्मचारी भविष्य निधि और राज्य बीमा योजना की भारी धनराशि बकाया है और क्या यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सूचित किया है कि इस प्रतिष्ठान की ओर कर्मचारी राज्य बीमा/कर्मचारी भविष्य निधि को देय कोई राशि बकाया नहीं है। कम्पनी अधिनियम के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को पुनः चालू करना**

3545. **श्री ए० के० राय** : क्या **उद्योग मंत्री** कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स लि० को पुनः चालू करने के बारे में 29 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9279 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विचार का खंडन किया है और कंपनी को आर्थिक दृष्टि से सक्षम घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विचार उजागर करने, उपरोक्त उत्तर में सरकार का निर्णय न बताने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) से (ग) जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया गया है, कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स को फिर से चालू करने की सम्भावनाओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक जांच निकाय नियुक्त किया गया था। इस निकाय ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार उसकी जांच कर रही है।

**दुपहिये स्कूटरों की नई बुकिंग एजेंसियां**

3546. **श्री रामलाल राही** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दुपहिये स्कूटर निर्माता विभिन्न राज्यों में दुपहिए स्कूटरों की बुकिंग के लिए नई बुकिंग एजेंसियां दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन एजेंसियों के नाम क्या हैं और वे किन स्थानों में दी जाएंगी तथा उनका प्रति वर्ष का स्कूटर का कोटा कितना है ?

**उद्योग तथ श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) तथा (ख) इन वाहनों के वितरण के लिए संबंधित निर्माताओं द्वारा अपनी वाणिज्यिक तथा कारपोरेट पद्धतियों के अनुसार एजेंसियां निर्धारित की जाती हैं। विभिन्न निर्माताओं द्वारा नियुक्त विभिन्न एजेंसियों की संख्या तथा ब्यौरों के संबंध में सरकार की कोई जानकारी नहीं है।

**सीमेंट उद्योग का आधुनिकीकरण**

3547. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग ने आधुनिकीकरण कार्यक्रम को शुरू करने में अपनी तत्परता की सूचना दी है, परन्तु उन्होंने यह कहा है कि जब कभी भी लागत बढ़ने के कारण उसको पूरा करने हेतु जब-जब मूल्य वृद्धि करने की आवश्यकता पड़े, सरकार ही, मूल्यों में तुरन्त वृद्धि कर इस कार्यक्रम की सम्पन्नता को सुनिश्चित कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमेंट उद्योग ने यह कहा है कि देश में सीमेंट की स्थिति से निपटने के लिए हरेक कदम उठाया जा सकता है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उनके सभी सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उनके सुझावों को किस हद तक स्वीकार कर लिया है और उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**उद्योग तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) से (घ) सीमेन्ट उत्पादक संघ ने अपने कुछ संघटकों से सम्बन्धित सीमेन्ट उद्योग को आधुनिकीकरण करने की एक योजना

सरकार को प्रस्तुत की है। सरकार ने सीमेन्ट उद्योग के विकास की समीक्षा करके प्रोत्साहनों एवं उचित मूल्यों के साथ-साथ इसकी प्रगति में गति लाने वाले अभ्युपायों की सिफारिश करने के लिए अध्यक्ष, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरों की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। इस समिति के विचारार्थ विषयों में एक विषय देशी सीमेन्ट कारखानों में प्रौद्योगिकीय सुधार लागू करना तथा आधुनिकीकरण में हुई प्रगति की समीक्षा करना तथा इनमें वृद्धि करने के लिए अभ्युपायों की सिफारिश करना है ताकि देश में होने वाले उत्पादन की लागत कम की जा सके और मितव्ययिता बरती जा सके। समिति द्वारा दिसम्बर, 1981 के अंत तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है।

**प्रौद्योगिकी अन्तरण और व्यापार सेल द्वारा मामलों की देखभाल**

3548. **श्री बी० वी० देसाई : क्या विज्ञान और प्रौद्यगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी अन्तरण और व्यापार सैल अन्य संबंधित मन्त्रालयों के समन्वय से मामलों की देखभाल करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या जिस प्रौद्योगिकी की भारत पेशकश कर सकता है उसमें कृषि पर आधारित तथा वनों पर आधारित उद्योग भी शामिल हैं; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें भारत अपनी प्रौद्योगिकी दे सकता है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) 25 जुलाई, 1981 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मन्त्री ने एक अन्त:विभागीय बैठक बुलाई ताकि प्रौद्योगिकी में व्यापार के लिए वर्तमान परिस्थितियों की सविस्तार परीक्षा की जा सके और उन अभिकरणों द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव का आलोचनात्मक विश्लेषण किया जा सके जो कि इस समय ऐसी गतिविधियों और उद्योगों में लगे हुए हैं जिनके द्वारा प्रौद्योगिकी का स्थानातरण किया जा सकता है। बैठक में उन विभिन्न प्रणालियों के बारे में चर्चा की गई जिनकी स्थापना की जा सकती है। इनमें ऐसे निगम की स्थापना करना भी शामिल है जो कि प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के काम की देखभाल करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सैल की स्थापना, विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों को इस कार्य से संबंधित रखना, प्रौद्योगिकी में व्यापार के क्षेत्र में प्रयासों का समन्वय करना और उन्हें तीव्र करना।

(ख) कृषि आधारित और वन-आधारित उद्योगों सहित उद्योग के कई क्षेत्रों में पहले से ही प्राप्त किए गए अनुभव से, बहुत से परामर्श इंजीनियरी संगठनों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की शृंखला से भारत वैध रूप से यह दावा कर सकता है कि वह ऐसे प्रौद्योगिकी स्थानांतरण प्रवाहों में भाग लेने के लिए आवश्यक अवसंरचना का निर्माण कर चुका है।

(ग) भूत काल में भारत ने केनिया, नेपाल, मलेशिया, फिजिराइन सहित कई देशों को प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण किया है और कई विकासशील देशों के साथ इस क्षेत्र में और भी अधिक सहयोग संभव है।

**शोर और गंध प्रदूषण रोकने का विधान**

3550. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार शोर और गंध प्रदूषण के बारे में विधान पुरःस्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस अवस्था पर है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) और (ख) शोर और गंध प्रदूषण के बारे में विधान पुरः स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी तिवारी समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश यह है कि पर्यावरण विभाग में एक विधि स्बंध होना चाहिए जिससे कि यह वर्तमान पर्यावरणीय विधानों को निरन्तर और व्यवस्थाबद्ध आधार पर समोक्षा करेगा तथा उन क्षेत्रों के बारे में सुझाव देगा जहां नए विधानों की आवश्यकता होगी। सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

**भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन राशि में वृद्धि**

3551. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन राशि में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार कब तक कर लिया जाएगा ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) भूतपूर्व सैनिकों की मूल पेंशन में वृद्धि का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। परन्तु जीवन निर्वाह खर्च में वृद्धि को देखते हुए पेंशनरों को समय-समय पर राहत दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तरी क्षेत्र में उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी**

3552. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी क्षेत्र के उद्योगों में, मिट्टी-तेल के अलावा, महत्वपूर्ण कच्चे

माल की कमी बनी हुई है जो मुख्यतः अकुशल आपूर्ति प्रबन्ध तथा परिवहन सुविधाओं की कमी के परिणामस्वरूप वितरण व्यवस्था के बिगड़ जाने के कारण हुई है; और

(ख) यदि हां, तो यदि समकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) देश में कुछ किस्म के लोहे और इस्पात वस्तुओं की विशेषतः कच्चे लोहे की कुछ कमी है, उत्तरी क्षेत्र भी इसी से प्रभावित है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## सिचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए सीमेंट

3553. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिचाई और विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमेंट की कुछ मात्रा निर्धारित करने के बारे में कोई नीति विषयक निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1980-81 के लिए इस प्रयोजन के लिए कर्नाटक राज्य के लिए सीमेंट की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है।

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) जी, हां। सिचाई और बिजली के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए सीमेंट का पूर्व-आरक्षण करने की एक प्रणाली लागू है।

(ख) केवल सिचाई और बिजली के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सीमेंट की कुछ मात्रा का पूर्व-आरक्षण करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा 1978 में निर्णय लिया गया था। लिए गए निर्णय के अनुसार इन क्षेत्रों को लिए गए आवंटन में से अन्य क्षेत्रों को सीमेंट देने की अनुमति नहीं है। यह भी निर्णय लिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत इन क्षेत्रों के लिए पूर्व-आरक्षण सम्बद्ध तिमाही में राज्य को किए गए मूल आवंटन के 50% से अधिक नहीं होना चाहिएं।

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान कर्नाटक राज्य में सिचाई और बिजली परियोजनाओं को लिये 3,52,275 टन सीमेंट का आवंटन कियया गया था।

## रसायन अनुसंधान में अनियमितताएं

3554. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग द्वारा की गई संक्षिप्त समीक्षा में देश में रसायन अनुसंधान के वर्तमान कार्य में स्पष्ट अनियमितताएं दिखाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा की रूपरेखा क्या है और इनमें किन कमियों पर प्रकाश डाला गया है; और

(ग) रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने और विदेशों में किये गये कार्य के साथ गति बनाये रखने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा रसायन अनुसंधान के ऐसे सीमांत क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने के लिए आयोजित किए गए एक सेमिनार में, जिनमें आने वाले वर्षों में विशेष बल और ध्यान देना अपेक्षित होगा, ऐसे अनुसंधान के लिए वित्तीय समर्थन और परिष्कृत उपकरणों की व्यवस्था के रूप में अपर्याप्तताओं को उजागर किया गया है।

(ग) उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान के तीव्री के लिए योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में लिया गया है जो कि इन अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक अनुसंधान समर्थन प्रदान करेगा और साथ ही ऐसे लाभप्रद कोई समूहों और यूनिटों की स्थापना करेगा जो कि राष्ट्रीय केन्द्रीय बिन्दुओं के रूप में कार्य करेंगे। अतिरिक्त परिष्कृत यंत्रीकरण सुविधाओं की भी स्थापना की जा रही है।

**बी० ओ० जी० एल० में कर्मचारियों को स्थाई किया जाना**

2555. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी० ओ० जी० एल०, दुर्गापुर में लगभग 450 मजदूर तथा कर्मचारी हैं जबकि पर्यवेक्षक और अधिकारियों की संख्या 150 के लगभग है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उच्च प्रशासन अधिकारियों की संख्या अधिक होना भारी हानि के कारणों में एक है;

(ग) क्या 450 कर्मचारियों और मजदूरों में से अधिकांश की सेवाएं अभी तक स्थायी नहीं की गई हैं और त्रिपक्षीय इंजीनियरिंग समझौते का अभी तक पालन नहीं किया गया है यद्यपि उपरोक्त समझौते की अवधि चार महीने बाद समाप्त हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

**उद्योग तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) जी, नहीं। 509 कामगारों, 37 अधिकारियों तथा 36 पर्यवेक्षकों को मिलाकर भारत आप्थालिमक ग्लास लि०, दुर्गापुर (बी० ओ० जी० एल०) में 582 कर्मचारी हैं।

(ख) जी, नहीं। कम्पनी द्वारा हानि उठाए जाने का प्रमुख कारण इसके द्वारा आप्थालिमक ग्लास का उत्पादन करने के लिए अभी भी गत प्रयोग बैच प्रोसेस टेक्नालाजी का अपनाया जाना है।

(ग) और (घ) :—भारत आप्थालिमक ग्लास लि० ने सूचित किया गया है कि कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और 1980 के त्रिपक्षीय समझौते के प्रमुख उपबन्धों को हाल ही में कार्यान्वित किया गया है।

**कम्प्यूटरों के निर्माण के लिये सीमेंन्स के साथ सहयोग**

3556. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए सीमेन्स् के साथ सहयोग करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो किस किस्म के कम्प्यूटरों का निर्माण किए जाने की सम्भावना है;

(ग) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इसका निर्माण कहां किया जाएगा और इनकी बिक्री कौन करेगा ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**प्रमुख संगठनों के साथ द्विपक्षीय समझौते करना**

3557. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग को नया मोड़ देने की दृष्टि से इलेक्ट्रोनिक्स विभाग द्वारा देश में प्रमुख संगठनों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है;

(ग) स्वीकृत समयबद्ध परियोजनाओं के लिए अनुदान तथा ऋणों के रूप में क्या सहायता दी जानी है; और

(घ) ये संगठन कौन-कौन से हैं और क्या इस क्षेत्र में अपेक्षित आधार ढांचा उनके पास उपलब्ध है ?

**विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रोनिकी, तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) से (घ) इलेक्ट्रोनिकी विभाग इलेक्ट्रोनिकी उद्योग के विकास में विभिन्न संगठनों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने का इच्छुक है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रोनिकी विभाग देश में प्रमुख प्रयोगकर्त्ताओं, अनुसंधान तथा विकास और उत्पादन अभिकरणों के साथ अपनी पारस्परिक संक्रियाओं को सांस्थानिक रूप देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है । चूंकि इन संस्थानों का स्वरूप सम्बद्ध संगठन के लिए भिन्न-भिन्न होगा । अत: उपयुक्त व्यवस्था को कार्यरूप में परिणत करने की कार्यवाही की जा रही है ।

**मदन सूत इण्डस्ट्रीज हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि**

3558. **श्री निहाल सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदन सूत इंडस्ट्रीज लि०, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में दैनिक मजूरी और मासिक मजूरी पर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और इस उद्योग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि योजना की अलग-अलग कितनी राशि जमा कराई गई है तथा इस पर कितनी राशि बकाया है और राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि योजना की जमा-राशियों को जमा न करने के लिए, इस कम्पनी के कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया जाता है और क्या सरकार को इसी कम्पनी द्वारा की जा रही विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सूचित किया है कि यह प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आता है और इसमें स्थायी आधार पर 799 कर्मचारी तथा अस्थायी आधार पर 383 कर्मचारी नियोजित हैं। इसने जुलाई, 1981 तक भविष्य निधि की बकाया राशि जमा कर दी है और कोई राशि बकाया नहीं है। यह प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि यह ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां योजना अभी तक लागू नहीं की गई है।

(ख) अस्थायी आधार पर कर्मचारियों को नियोजित करने से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के कार्यक्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इन दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत अस्थायी कर्मचारी आते हैं। सरकार को भी इस प्रतिष्ठान के विरुद्ध कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**बैटरियों का उत्पादन**

3559. **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1.5 वोल्ट लेकलांचिंग किस्म की बैटरियां बनाने वाली फर्मों के नाम और पते क्या हैं;

(ख) प्रत्येक फर्म में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है और प्रत्येक एकक का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) क्या ये फर्में देश में इस प्रकार की बैटरियों की मांग को पूरा करने में समर्थ हैं ?

उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) 1.5 वोल्ट की (लेकलांच किस्म की) शुल्क सेल बैटरियों का उत्पादन करने वाली फर्मों के बनाम पते तथा इनमें से प्रत्येक फर्म में लगाई गई पूंजी एवं उनके वार्षिक उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

| क्र० सं० | एकक का नाम और पता | उत्पादन (दस लाख संख्या में) 1979 | 1980 | उपलब्ध अधुनातन वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लगाई गई पूंजी |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (लाख रुपयों में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लि० 5 रुस्तमजी पारसी रोड, कलकत्ता | 259·07 | 258·96 | 8841 |
| 2. | मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लि० 107 5, तिरूउटियार हाई रोड, मद्रास | 124·25 | 117·13 | |
| 3. | मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लि० इण्डस्ट्रियल एरिया, मोडला अली सिकन्दराबाद। | 77·00 | 82·68 | |
| 4. | मैसर्स इण्डो नेशनल लिमिटेड, 30, जनरल पाटर्स रोड, मद्रास | 85·73 | 108·99 | 536 |
| 5. | मैसर्स पंजाब आनन्द बैटरीज लि० ए-9 और 10, इण्डस्ट्रियल एरिया, मोहाली, जिला-रोपार | 50·89 | 63·52 | 423 |
| 6. | मैसर्स जीप इण्डस्ट्रियल सिण्डीकेट लि० 28, साउथ रोड, इलाहाबाद | 52·02 | 85·27 | 785 |
| 7. | मैसर्स एस्ट्रेला बैटरीज लि० प्लाट नं०-1, धारावी, पोस्ट बाक्स नं०-6602, मातुंगा, बम्बई | 42·82 (केवल मई तक) | 13·87 | 525 |
| 8. | एस्ट्रेला बैटरीज लि०, जालागांव। | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 9. | मैसर्स तोशिवा आनन्द बैटरीज लि० ***1/1089, महात्मा गांधी रोड, पोस्ट बाक्स नं० 1077, एर्नाकुलम | 55·70 | 16·16 | 396 |
| 10. | मैसर्स जे० के० बैटरीज लि० 1-4 इण्डस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल | 33. 2 | 52·18 | * |
| 11. | मैसर्स लाखनपाल नेशनल लिमिटेड मकारपुरा, जी० आई० डी० सी०, बडोदा । | 80·21 | 118·17 | 381 |

* यह मैसर्स स्ट्रा प्रोडक्शन लि० का केवल एक प्रभाग हैं न कि अपने आप में एक कम्पनी/ अतएव लगाई गई पूंजी सम्बन्धी आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है । फिर भी पार्टी द्वारा सितम्बर, 1978 में प्रस्तुत औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र के अनुसार भूमि भवन और मशीनरी के रूप में किया गया निवेश 327 लाख रुपये था ।

**सरकारी कर्मचारियों की कल्याण एसोसियेसनों एवं कल्याण समितियों को सहायता अनुदान**

3560. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकारी कर्मचारियों की दिल्ली और नई दिल्ली स्थित कल्याण एसोसिएशनों एवं कल्याण समितियों में से हरेक को प्रतिवर्ष कितनी अनुदान सहायता दी गई;

(ख) क्या यह अनुदान सामान्यत: वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों, फरवरी अथवा मार्च में दिया जाता है और एसोसिएशनों को यह राशि उसी वित्तीय वर्ष में खर्च करने को कहा जाता है;

(ग) 19 9-80 और 1980-81 के दौरान किन-किन एसोसिएशनों/कल्याण समितियों को यह अनुदान सहायता नहीं दी गई थी;

(घ) 1979-80 और 1980-81 के दौरान किन एसोसिएशनों ने सरकारी धन का गबन किया; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसी एसोसिएशनों के अध्यक्षों के विरुद्ध जांच कराने का विचार है जिन्होंने धन का गबन किया है ?

**गृह मंत्रालय में राज मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** : (क) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-1 [ग्रंथालय में रखा गया —देखिए संख्या एल० टी० 2808/81]

(ख) एसोसिएशनों को उस वर्ष का अनुदान दिए जाने के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के अपने परीक्षित लेखों को अगले वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। अधिकतर मामलों में 31 दिसम्बर से पहले सहायता अनुदान मंजूर कर दिए जाते हैं। एसोसिएशन स्वैच्छिक संगठन हैं जो आम सभा के प्रति जवाबदेह है। इसलिए, सरकार की ओर से ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि सहायता अनुदान को वित्तीय वर्ष के दौरान ही खर्च किया जाए। यदि वे 31 मार्च तक सहायता अनुदान खर्च नहीं करते हैं, तो खर्च न की गई धनराशि को अगले वर्ष के सहायता अनुदान में समायोजित कर लिया जाता है।

(ग) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-11) [ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 2808/81]

(घ) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**तमिलनाडु को जारी किए गए आशय पत्र**

3562 : **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के पिछड़े इलाकों के यूनिटों के लिए जनवरी से अप्रैल, 1981 तक कितने आशय पत्र जारी किए गए; और

(ख) उद्योगों के नाम क्या हैं तथा उन्हें कहां-कहां स्थापित किया जायेगा और उनके प्रयोजक कौन हैं ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) जनवरी से अप्रैल, 1981 में तमिलनाडु के पिछड़े क्षेत्रों में एककों के लिए 13 आशय-पत्र जारी किए गए थे।

(ख) जारी किए गये आशय पत्र वाली पार्टी का नाम स्थापना स्थल और उद्योग निम्न प्रकार हैं :

| पार्टी का नाम और स्थापना स्थल | उत्पादन की वस्तु |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1. इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ तमिलनाड् लिमिटेड (धर्मपुरी—तमिलनाडु) | अल्युमीनियम इक्ट्रोलाइटिक कैपीसेटर्स |
| 2. व्हील्स इण्डिया लिमिटेड (पिछड़ा क्षेत्र—तमिलनाडु) | 1. रीयर एक्सल हाउसिंग्स<br>2. रीयर एक्सल गीयर एसेम्बलिस |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 3. सुदर्शनम स्पिनिंग मिल्स (प्रोप० दी रामाराज सर्जिकल कॉटन मिल्स लिमिटेड रामनाथपुरम—तमिलनाडु) | सूती धागा |
| 4. मद्रास सीमेंट लिमिटेड (रामनाथपुरम—तमिलनाडु) | सीमेंट |
| 5. इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ तमिलनाडु लिमिटेड (धर्मपुरी—तमिलनाडु) | मझौली एवं उच्च क्षमता वाली एक्सरे प्रणाली उपकरणों आदि सहित |
| 6. मैटल पाउडर कम्पनी लिमिटेड (मदुरै—तमिलनाडु) | आयरन पाउडर |
| 7. श्री दिलीप कुमार कृष्णास्वामी (धर्मपुरी—तमिलनाडु) | सिंथेटिक प्रक्षातक |
| 8. राजपलायम मिल्स लिमिटेड (रामनाथपुरम—तमिलनाडु) | सूती धागा |
| 9. कार्बोरन्डम युनिवर्सल लिमिटेड (धर्मपुरी—तमिलनाडु) | सैरामिक रिफ्रेक्ट्री इसके रेशा उत्पाद । |
| 10. तमिलनाडु इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड | इस्पात की छड़ें |
| 11. हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड (धर्मपुरी—तमिलनाडु) | फ्लोप्पी डिस्क ड्राइन्स |
| 12. सदर्न रोडवेज लिमिटेड (रामनाथपुरम—तमिलनाडु) | इंजिन वाल्व (गाइड्स और टेपेट्स सहित) |
| 13. चेट्टीनाड सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (त्रिपुरापल्ली—तमिलनाडु) | सीमेंट |

## मैथ्यू समिति

3563. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या श्रम मंत्री राष्ट्रीय रोजगार के सम्बन्ध में समिति के प्रतिवेदन के बारे में 29 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9209 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैथ्यु समिति की सिफारिशें क्या हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रखा है।

(ख) आगामी अपेक्षित कार्रवाई के लिए इन सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया है ।

### विवरण

### सरकार द्वारा स्वीकृत मैथ्यू समिति की सिफारिशें

(1) रोजगार कार्यालयों के नियमित निरीक्षण तथा शिकायतों पर ध्यान देने हेतु उपयुक्त निरीक्षण अमले की व्यवस्था की जाए।

(2) प्रत्येक राज्य में रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण पर राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई वर्तमान पाबंदियों की वैधता तथा औचित्य की समीक्षा की जाए और यदि किन्हीं आवास संबंधी पाबंदियों की आवश्यकता हो तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय अधिनियम द्वारा उन्हें लागू किया जाए।

(3) रोजगार कार्यालयों को उन प्रतिष्ठानों में परीक्षण सुविधायें प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाये जिन पर जनता का विश्वास है।

(4) रोजगार कार्यालयों को उपलब्ध स्थान एवं सहूलतें तथा संचार सुविधाओं में सुधार किया जाए।

(5) इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि पुनर्गठन और विस्तार के दौरान, राष्ट्रीय रोजगार सेवा के कार्यकारी दल, जैसा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा 1969 में गठित किया था, द्वारा कार्यकारी सुधार के लिए की गई विशिष्ट सिफारिशों को, जहां कहीं आवश्यकता हो, शुरू किया जाये तथा उन्हें कार्यान्वित किया जाए।

राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा गठित रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यदल द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं तथा ये राष्ट्रीय रोजगार सेवा समिति की रिपोर्ट के पैरा 3.4 में दी गई हैं :

(क) पंजीकरण इन्टरव्यू प्रशिक्षित अधिकारियों, जो यदि स्नातक हों तो बेहतर है, द्वारा लिया जाना चाहिए। वह अप्रशिक्षित लिपिकवर्गीय कर्मचारियों द्वारा कदापि न लिया जाये।

(ख) नियोजकों से सीधा सम्पर्क स्थापित करने तथा रिक्तियों की सूचना के बाद नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए रोजगार अधिकारियों को परिवहन सुविधायें प्रदान की जाएं। (इसके अतिरिक्त, हमने अन्यत्र यह सुझाव भी दिया है कि बड़े रोजगार कार्यालयों पर टेलेक्स सुविधा उपलब्ध कराई जाये)।

(ग) केवल उन्हीं रिक्तियों का परिचालन किया जाये जिनके लिए अन्य क्षेत्र के कार्यालय से आवेदकों के आकर्षित होने की संभावना हो, इसमें कार्य की प्रकृति, प्रस्तावित वेतन आदि पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि आवेदक जितना समझा जाता है प्रायः उसके कम गतिशील होते हैं।

(घ) केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को नियत अन्तरालों के बाद ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने चाहिए जिनमें बिना भरी रिक्तियों तथा प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्ध श्रेणियों का उल्लेख हो। राज्य स्तर पर भी ऐसे विज्ञापन प्रकाशित होने चाहिए।

(ङ.) व्यावसायिक तथा कार्यपालक श्रेणी के गतिशील, उच्च योग्यता वाले तथा प्रतिभावान व्यक्तियों का सुविधाजनक रूप में एक ऐसा रजिस्टर बनाया जाना चाहिए जो तत्काल संदर्भ के लिये उपलब्ध हो।

(च) टंककों तथा आशुलिपिकों की रिक्तियों हेतु प्रस्तुत आवेदनों का एक संतोषप्रद मानक सुनिश्चित करने के लिये रोजगार कार्यालयों को केवल उन्हीं आवेदकों तक सीमित रहना चाहिए जिनकी वे पहले परीक्षा ले चुके हैं।

(6) निजी भर्ती एजेंसियों पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि कानून द्वारा उनके काम को विनियमित किया जाये जिससे उन पर रोजगार के इच्छुकों से फीस लेने पर प्रतिबंध लगे।

(7) यदि किसी राज्य में तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भारी संख्या में भर्ती, विशेष भर्ती बोर्ड द्वारा, रोजगार कार्यालय संगठन की सेवाओं का लाभ उठाये बिना, खुले तौर पर की जाती है, तो सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि सम्बद्ध राज्यों में रोजगार कार्यालयों को चलाये रखने में कोई सार्थकता है अथवा नहीं।

(8) रोजगार कार्यालय संगठन को जनता में, जो लाल फीताशाही से ग्रस्त नौकरशाही का रूप बन चुका है, उसे बदलने के लिये संगठन को हर यथासंभव प्रयास करना चाहिये। इसे एक ऐसी एजेंसी का रूप बनाना चाहिए, जो विशिष्ट आवश्यकतायें पूरी करने वाले कर्मचारियों

की भर्ती में सहायता के रूप में अपने नियोजक ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करती है तथा उच्च कोटि की कुशल तथा तुरन्त सेवा प्रदान करने का प्रयास करती है। नियोजन कार्य में किसी पुरुष (अथवा स्त्री) के लिए उपयुक्त नौकरी तथा किसी नौकरी के लिए उपयुक्त पुरुष(अथवा स्त्री) ढूंढना शामिल है। नौकरी अथवा व्यक्तिय को स्वीकार करना रोजगार के इच्छुक व्यक्ति अथवा नियोजक की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। इस उद्देश्य के लिये रोजगार कार्यालय अधिकारियों तथा नियोजकों के मध्य व्यक्तिगत सम्पर्क बना रहना चाहिए। इसी प्रकार यह भी चाहिए कि रोजगार कार्यालय के अधिकारी काम के इच्छुक व्यक्तियों से मिलते रहें तथा उन्हें नौकरियों सम्बन्धी भिन्न आवश्यकताओं एवं रोजगार बाजार की प्रवृत्तियों के विषय में जानकारी देते रहें।

(9) राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई बेकारी नकद हित लाभ वितरण स्कीमों के प्रबन्धन की जिम्मेदारी रोजगार कार्यालय संगठन को नहीं सौंपनी चाहिए, हालांकि वे अपने रिकार्डों के अनुसार उपलब्ध वास्तविक जानकारी भेजेंगे।

(10) विकलांग व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों द्वारा भरी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सवेतन नौकरियों तथा स्वनियोजन की शिनाखत हेतु तथा ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के नये क्षेत्र संभव बनाने के वास्ते विशेष प्रशिक्षण एवं अनुकूल पाठ्यक्रम बनाने और जुड़नार तथा उपकरण तैयार करने का अध्ययन करने की आवश्यकता है। उपयुक्त मामलों में सरकारी सहायता से स्व:नियोजन योजनायें भी तैयार की जानी चाहिये।

(11) यह वांछनीय होगा कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विकलांगों के पिछड़े वर्गों के लिये नौकरियों में आरक्षण गैर सरकारी क्षेत्र में भी लागू किये जायें और आरक्षण सांविधिक बनाए जायें। यदि कोई तकनीकी कठिनाई पैदा हो तो उसे अनुच्छेद 46 के अनुसार 31 ई के अधीन कानून बनाकर संविधान में संशोधन करके दूर किया जाये।

(12) निगमित एककों से कहा जाए कि वे अपनी सांविधिक वार्षिक रिपोर्टों में इस बात का उल्लेख करें कि उन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विकलांक व्यक्तियों के लिए आरक्षण को किस हद तक पूरा किया है। लेखा परीक्षकों को भी चाहिए कि वे वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा करते समय अपनी सामाजिक लेखा परीक्षा के रूप में इस पहलू पर अपनी टिप्पणी दें।

(13) सभी वर्गों के पदों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो प्रतियोगिता के आधार पर उनकी नियोजन क्षमता में वृद्धि करने के लिए तैयार किए गए हों। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक रोजगार कार्यालय में एक विशेष सैल होना चाहिए जो इस वर्ग के प्रत्याशियों को यह परामर्श दे कि किन व्यवसायों तथा धंधों में प्रवेश करना उनके लिये आसान होगा।

(14) राष्ट्रीय रोजगार सेवा को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सहायता देनी चाहिए जिससे कि इन व्यक्तियों के रोजगार अवसरों तथा इनकी नियोजन क्षमता में सुधार हो सकें।

(15) महिलाओं को अधिक संख्या में नौकरियां ग्रहण करने में सहायता देने के प्रयोजन से बच्चों के लिए और अधिक शिशु-गृह तथा दिवस देखभाल केन्द्र एवं नौकरी कर रही लड़कियों के लिए होस्टल खोले जायें।

(16) लड़कियों तथा स्त्रियों के लिये और अधिक प्रशिक्षण पाठयक्रमों की भी आवश्यकता है. विशेषकर ऐसे अल्पकालिक प्रभापीय पाठ्यक्रम, जिनका उद्देश्य विशेष योग्यता की बजाय सामान्य क्षमता बढ़ाना होता है, जैसे कि टंकण आदि।

(17) सरकार महिलाओं के रोजगार के हित को अधिक बढ़ावा दे सकती है यदि वह उन व्यवसायों तथा क्षेत्रों में स्त्रियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि की दिशा में अधिक ध्यान दे, जिनके रोजगार के लिए स्त्रियों को स्वाभाविक रूप से तरजीह दी जाती है, बजाय इसके कि नियोजकों को पुरुषों को छोड़कर स्त्रियों को नौकरियां देने के लिए विवश अथवा प्रेरित किया जाए जबकि वे पुरुषों को ही उन नौकरियों पर लगाने को तरजीह देना चाहते हैं।

(18) किसी वर्ग विशेष, यथा अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्ग, के लिए नौकरियों का आरक्षण आवश्यक है या नहीं इसका निर्णय करना केन्द्र तथा राज्य सरकारों का काम है। इस सम्बन्ध में रोजगार सेवा संगठन तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि ऐसे आरक्षण के पात्र अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों का निर्णय सरकार नहीं लेती और वह आरक्षण की सीमा तथा पद्धति के विषय में सरकारी नियोजकों को कानून के अनुसार स्पष्ट अनुदेश जारी नहीं कर देती। इस बात को सुनिश्चित करना नियोजक प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि जो मांगें वे रोजगार कार्यालयों को भेजते हैं, वे इन अनुदेशों के अनुरूप हैं।

(19) नौकरियों के खाली रहने और साथ ही साथ योग्यता प्राप्त रोजगार चाहने वालों की विद्यमानता की स्थिति के लिए नियोजकों तथा काम के इच्छुक व्यक्तियों की अवास्तविक आकांक्षाएं आंशिक रूप से उत्तरदायी हैं। दोनों को यह परामर्श दिया जाना चाहिए कि वे वर्तमान रोजगार बाजार की स्थिति को समझें तथा अपनी आकांक्षाओं को लचकीला बनाएं।

(20) यद्यपि नियोजकों को रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत उनके दायित्वों के सम्बन्ध में शिक्षित करने की निरन्तर आवश्यकता है तथापि अभ्यासिक तथा अभ्सुधार्य दोषियों पर अभियोजन चलाया जाना चाहिए।

(21) व्यावसायिक मार्गदर्शन, व्यष्टि-परामर्श तथा रोजगार बाजार सूचना के क्षेत्रों में सभी राज्यों में मानक स्तर बनाए रखने की दृष्टि से कार्य स्तर तथा केन्द्रीय पर्यवेक्षण की प्रभाविकता में सुधार किया जा सकता है, यदि रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय संगठन निरीक्षण तथा मूल्यांकन का कार्य अधिक प्रभारी रूप से करें। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को इसके क्षेत्र से बाहर रखना एक बड़ी गलती है, जिसको दूर किया जाना चाहिए। अपने भावी कार्यक्रम बनाते समय रोजगार सेवा संगठन को इन पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए।

(22) रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम तथा सिफारिश की गई मासिक तिमाही श्रम शक्ति रिपोर्टों से प्राप्त सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए रोजगार एवं कार्य प्रशिक्षण नीतियां निर्धारित करते समय और समय-समय पर नीतियों में परिवर्तन करते समय इनका उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी सामग्री सरकार को भी दी जानी चाहिए ताकि उसकी स्वनियोजन के लिए स्थानीय अवसर पैदा करने के आशय से परियोजनाएं बनाने में सहायता की जा सके।

(23) राष्ट्रीय अथवा राज्य निदेशालय स्तर पर किए जाने वाले अनुसंधान अथवा सर्वेक्षण की प्रत्येक मद आर्थिक आवंटन किए जाने से पूर्व अनुसंधान तथा सर्वेक्षणों के लिए गठित तकनीकी समितियों द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए एवं मदों की रूपरेखा भी तकनीकी समितियों द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए, अनुसंधान तथा सर्वेक्षण की विभिन्न मदों के परिणामों पर संबद्ध तकनीकी समिति की उपयोगताओं तथा उनके द्वारा प्राप्त नतीजों की विशिष्ट उपयोगताओं के संदर्भ में विचार करना चाहिए, अनुसंधान तथा सर्वेक्षण परिणामों को सारांश को सूचना एवं उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से परिचालित किया जाना चाहिए।

(25) केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को निम्नलिखित के लिए पूर्णता उत्तरदायी बना दिया जाना चाहिए।

(क) प्रक्रिया, तकनीक, प्रणाली तंत्र, प्रशिक्षण सामिग्री तथा मार्गदर्शन/चयन परीक्षाओं के विकास के लिए अनुसंधान,

(ख) सर्वेक्षण/अध्ययन,

(ग) राज्य स्तर पर किए जा रहे अनुसंधान सर्वेक्षणों/अध्ययनों संबंधी कार्य का समन्वय, तथा

(घ) अधिकारियों एवं सहायक कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

(25) केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख पर्याप्त रूप से योग्यता प्राप्त तथा तकनीकी रूप से अनुभवी होने, इस हेतु इस संस्थान के निदेशक का पद रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के निदेशक, रोजगार सेवाओं के पद के समकक्ष होना चाहिए।

(26) सांख्यिकीय सहायकों तथा लिपिकों सहित अधिकारियों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों के लिए सेवा-पूर्व, सेवाकालीन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण के कार्य को करने के लिए केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए जो कार्यपरक तथा समस्या प्रधान अनुसंधान के संबंध में भी सामग्री प्रदान करेंगे। क्षेत्रीय संस्थान केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासनिक तथा तकनीकी नियंत्रण में होंगे।

(27) केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में होस्टल की सुविधाएं होनी चाहिए तथा प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले सभी अधिकारियों/सहायक कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम आवासी पाठ्यक्रम होना चाहिए।

(28) प्रशिक्षण देते समय केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को श्रव्य दृश्य कार्यप्रणाली समेत आधुनिक प्रशिक्षण विषयों एवं तकनीकी का उपयोग करना चाहिए।

(29) किसी भी स्तर का कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी जब तक सेवा पूर्ण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरे नहीं कर लेते, उसे रोजगार कार्यालय, ब्यौरों संबंधी काम नहीं सौंपा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सेवाकालीन तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण के नियमित कार्यक्रम होने चाहिए।

(30) छोटे तथा मध्यम जिला नगरों में रोजगार कार्यालय पंजीकरण तथा प्रस्तुति के काम एक ही स्थान पर कर सकते हैं। बड़े जिलों नगरों तथा महानगरों में जहां आवश्यक हो रोजगार के इच्छुकों को भीड़भाड़ तथा असुविधा से बचाने के लिए पंजीकरण, नवीकरण तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन हेतु एक से अधिक कार्यालय खोले जा सकते हैं। तकनीकी रिक्तियों के लिए पंजीकरण तथा प्रस्तुति के काम के लिए तकनीकी अनुभाग ऐसे स्थानों पर खोले जाने चाहिए जहां काफी उद्योग केन्द्रीय हों अथवा इसे किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अलग अनुभाग के रूप में खोला जा सकता है। इससे परीक्षा आदि लेने में सुविधा रहेगी।

(31) जिला स्तर पर रोजगार सेवा का अधिकारी प्रथम श्रेणी के ओहदे का होना चाहिए और उसके वेतनमान में प्रस्तावित मानकों के आधार पर वृद्धि की जानी चाहिए।

(32) विश्वविद्यालय रोजगारों सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरों, विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय तथा व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्रों. अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अध्यापन एवं मार्गदर्शन केन्द्रों तथा राज्यों की राजधानियों में व्यावसायिक एवं कार्यापालक रोजगार कार्यालयों में कर्मचारी वृद्धि और प्रसार की आवश्यकता है; परन्तु ऐसा उनकी कर्यकुशलता की कीमत पर नहीं होना चाहिए लेकिन, व्यवसायिक तथा प्रशासी प्रकार के आवेदकों का पंजीकरण विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरों में किया जा सकता है, परन्तु इनका नियोजन राज्य व्यवसायिक तथा कार्यपालक रोजगार कार्यालयों द्वारा ही किया जाए जिसके लिए वे एक चालू रजिस्टर रखें तथा नियोजकों को किन्हीं केन्द्रीय स्थानों पर साक्षात्कार की सुविधाएं प्रदान करें।

(33) प्रत्येक विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र में होस्टल का प्रबंध होना चाहिए जहां मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के आवास तथा भोजन की निःशुल्क व्यवस्था हो।

(34) यदि रोजगार कार्यालयों को अधिक कुशल तथा सुचारु से कार्य करना है और नियोजकों और कामगारों में अधिक लोकप्रिय बनाना है तो रोजगार कार्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं में और सुधार तथा वृद्धि की जाए। निम्नलिखित मदों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(1) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को भिन्न कार्यभार वाले रोजगार कार्यालयों के लिए स्थान संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ऐसी मानक रूपरेखा तैयार करें जिसमें रोजगार के इच्छुकों के लिए प्रतीक्षा कक्ष तथा नियोजकों के लिए साक्षात्कार कक्ष की भी व्यवस्था

हो। रोजगार कार्यालयों के लिए स्थान कराए पर लेते समय अथवा निर्माण करते समय इन मानकों को ध्यान में रखा जाए।

(2) ऐसे स्थान में रोजगार महानिदेशालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, पर्याप्त फर्नीचर होना चाहिए।

(3) प्रत्येक जिला कार्यालय में एक जीप दी जानी चाहिए। क्षेत्रीय अधिकारियों को निश्चित यात्रा भत्ता दिया जाए, बशर्ते कि उनके पास स्कूटर हो और वे संस्थानों आदि को जाने के लिए उसका प्रयोग करते हों। ऐसे भत्तो का निर्धारण रोजगार महानिदेशालय द्वारा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्कूटर खरीदने के लिए सरल शर्तों पर ऋण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

(4) रोजगार महानिदेशालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मानकों के अनुसार कार्यालयों को कार्यालय के साजसामान तथा टाइपराइटर, डुप्लीकेटर, केलकुलेटर तथा फाइल पेटियां भी मुहिया की जानी चाहिए।

(5) जिन राज्य निदेशालयों के चालू रजिस्टर पर एक लाख से अधिक नाम हों, वे सभी आधुनिक आंकड़ा-अभिलेखन सुविधाओं की व्यवस्था करने पर विचार कर सकते हैं।

(6) उच्च स्तरीय कर्मचारियों के लिए अभीष्ट योग्यता बढ़ाई जाए तथा कार्यविधिओं एवं प्रक्रियाओं में सुधार लाया जाए।

(35) समाचार पत्र, रेडियो और अन्य माध्यमों से आवधिक प्रचार होना चाहिए, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में, समय-समय पर उपलब्ध रिक्तियों के प्रकार की सूचना दी जाए तथा इच्छुक रोजगार चाहने वालों को अपने नाम पंजीकृत करवाने के लिए सलाह दी जाए। पंजीकरन प्रक्रिया, विद्यमान व्यावसायिक मार्गदर्शन स्व-रोजगार प्रोन्नति कार्यक्रमों तथा रोजगार कार्यालय (रिक्तयों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अधीन नियोजकों के कानूनी दायित्वों को भी प्रचार दिया जाना चाहिए।

(36) व्यावसायिक मार्गदर्शन एककों के प्रभारी रोजगार अधिकारियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गहन प्रशिक्षण देने की पर्याप्त आवश्यकता है।

(37) शिक्षा, प्रशिक्षण, छात्रवृति, शिक्षावृति, रोजगार, स्व-रोजगार आदि, सुलभ हवालों के लिए इसका संकलन, वर्गीकरण और इण्डैक्सिग, आजीविका साहित्य का समय पर प्रकाशन और फील्ड एककों की इनकी शीघ्र सप्लाई और लाभानुयोगियों की आवश्यकतानुसार सूचना देने से सम्बन्धित अद्यतन सूचना के संकलन का अत्यन्त महत्व है। राज्य रोजगार निदेशालयों के व्यावसायिक एककों को इस कार्य को करने के लिए सक्रिय और सुद्दीकृत करने की आवश्यकता है।

(38) केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान को केन्द्रीय और राज्य स्तर पर आजीविका । मार्गदर्शन साहित्य के प्रकाशन से सम्बन्धित समन्वय कार्य करना चाहिए ताकि दोहरेपन से बचा जा सके । चूंकि ऐसी सूचना नियोजकों के लिए भी लाभप्रद है, इसलिए इस बारे में उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए ।

(39) एशिया के रोजगार सेवा-अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हाल ही की एक प्रारूप रिपोर्ट में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के सुधारार्थ अनेक सुझावों का उल्लेख किया गया है । हम यहां उन सिफारिशों का दोबारा उल्लेख करना नहीं चाहते । हमारा सुझाव है कि उन पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाये ।

(40) अनुसंधान और सर्वेक्षण के आजकल जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों की समीक्षा वर्तमान आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के परिपक्ष्य में आवधिक रूप से अर्थात् हर तीन साल बाद की जानी जाहिए । इसमें कोई तुक नहीं है कि किसी कार्य को मात्र इस आधार पर जारी रखा जाये कि वह कभी अपने समय की वर्तमान आवश्यकताओं या गलत अनुमानों और प्रत्याशिओं के अनुसार शुरू किया गया था । किसी संगठन की संवृद्धि और विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अनावश्वक कार्य को समाप्त कर दिया जाय ।

(41) चूंकि नीति और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन मुख्यतः सही किस्म के कार्मिकों पर निर्भर करता है, यह समिति राष्ट्रीय रोजगार सेवा द्वारा उपयुक्त कार्मिक नीति अपनाने पर अधिक महत्व देती है । समिति विशेष दल की सिफारिश का समर्थन करती है ।

**मोदी घरानों के स्कूटरों के टायरों के उत्पादन का लाइसेंस दिया जाना**

3564. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी घरानों को पहली बार स्कूटरों के टायरों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया गया है;

(ख) क्या इस घराने को कुछ अन्य किस्म के टायर बनाने के लिए भी लाइसेंस दिया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस कम्पनी द्वारा बनाए जाने वाले सभी प्रकार के नए टायरों सम्बन्धी लाइसेंस क्षमता क्या है;

(ग) कौन-कौन सी दूसरी कम्पनियों को क्षमता विस्तार हेतु ऐसे लाइसेंस प्रदान किए गए हैं और प्रत्येक मामले में दी गई लाइसेंस क्षमता क्या है;

(घ) मोदी घराने को इतना बड़ा लाइसेंस देने और उनके हाथों में और अधिक धन शक्ति निहित करने का क्या कारण है; और

(ङ) फिलहाल भारत में कौन-सी कम्पनी स्कूटर के तथा अन्य किस्म के टायरों का निर्माण कर रही थी जिसका कि लाइसेंस मोदी घराने को दिया गया है ?

**उद्योग और श्रम मंत्री** (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) मैसर्स मोदी रबर लिमिटेड टायर कम्पनियों को मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूबों के उत्पादन के लिए स्वीकृत किए गये औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों को बताने वाला विवरण (विवरण-1) संलग्न है।

(घ) मैसर्स मोदी रबर लिमिटेड एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 की धारा 20(ख) की शर्तों के अनुसरण न तो प्रभुत्वशाला उपक्रम हैं और न टायर ट्यूबों के सबसे बड़े उत्पादन हैं साथ ही मोटर गाड़ी टायर/ट्यूब 2 फरवरी, 1979 के औद्योगिक नीति के अनुबन्ध I में सम्मिलित है। और ये बड़े औद्योगिक गृहों/वि० मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों के लिए खुले हैं।

(ङ) संलग्न विवरण में (विवरण-2) दिए गये टायर निर्माताओं के अतिरिक्त तकनीकी विकास के महानिदेशालय में कुछ कम्पनियां स्कूटर/मोटर साइकिल और मोपेड के टायर और ट्यूबों के उत्पादन के लिए पंजीकृत हैं उनका विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

**विवरण-1**

| कम्पनी का नाम | उत्पादन की वस्तु | क्षमता प्रति वर्ष लाख/सं० | औद्योगिक लाइसेंस/ आशय पत्र |
|---|---|---|---|
| (1) (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. मैसर्स डनलप इण्डिया लि०, कलकत्ता | मोटर गाड़ियों के टायर व ट्यूब | 17.21 | औद्योगिक लाइसेंस |
| | बस/ट्रक टायर और ट्यूब | 2.00 | औ० ला० |
| 2. मैसर्स मोदी रबर लि० | मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूबें | 4.00 | (आ० प०) |
| | —वही— | 2.00 | औ० ला० (प० वि०) |
| | हवाई जहाज के टायर और ट्यूबें | 0.2 | आ० प० (प० वि०) |
| | ओ०टी० आर—वही—ट्रेक्टर तथा ए० डी० | 0.3 | आ० प० (प० वि०) |
| | वी० टायर और ट्यूबें स्कूटर/मोटर साइकिल | 1.25 | आ० प० (प० वि०) |
| | और मोपेड टायर और ट्यूब | 4.00 | आ० प० (प० वि०) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3. | मैसर्स बम्बई टायर इन्टरनेशनल लि० | मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूबें | 11.0 | आ० प० |
| 4. | मैसर्स सीएट टायर्स आफ इन्डिया लि०, बम्बई | —वही— | 8.50 | आ० प० |
| | | —वही— | 1.60 | आ० प० (प० वि०) |
| | | स्कूटर टायर और ट्यूब | 4.00 | आ० प० (प० वि०) |
| 5. | मैसर्स गुडईयर इन्डिया लि० नई दिल्ली | मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब | 6.00 | (आ० प०) |
| | | स्कूटर टायर और ट्यूब/ मोटर साइकिल टायर और ट्यूब | 1.50 | आ० प० (प० वि०) |
| 6. | मैसर्स प्रीमोयर टायर्स लि० बम्बई | आटो टायर्स और ट्यूबें | 3.00 | ओ० ला० |
| | | —वही— | 3.00 | ओ० ला० (प० वि०) |
| 7. | मैसर्स इन्चेक टायर्स लि० कलकत्ता | —वही— | 3.00 | ओ० ला० |
| | | —वही— | 2.00 | ओ० ला० (प० वि०) |
| 8. | मैसर्स एम० आर० एफ० लि० मद्रास | —वही— | 14.00 | ओ० ला० |
| | | —वही— | 4.00 | ओ० ला० (प० वि) |
| 9. | मैसर्स जे० के० इन्डस्ट्रीज लि० नई दिल्ली | —वही— | 4.00 | ओ० ला० |
| | | —वही— | 4.25 | ओ० ला० (प० वि०) |
| 10. | मैसर्स अपोलो टायर लि० | —वही— | 4.00 | ओ० ला० |
| | | —वही— | 2.0 | ओ० ला० (प० वि०) |
| 11. | मैसर्स विक्रान्त टायर्स लि० मैसूर | —वही— | 4.0 | ओ० ला० |
| | | —वही— | 1.00 | ओ० ला० (प० वि०) |
| | | —वही— | 2.50 | ओ० ला० (प० वि०) |
| 12. | मैसर्स जयश्री टायर्स (प्रा०) लि० हैदराबाद | स्कूटर के टायर और ट्यूबें | 1.80 | ओ० ला० |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 13. | मैसर्स गुजरात टायर्स लि० बड़ोदा | आटो टायर और ट्यूबें | 4.00 | ओ० ला० |
| 14. | मैसर्स आन्ध्र प्रदेश आटो मोबाइल टायर्स एन्ड ट्यूब्स लि०, हैदराबाद | —वही— | 4.00 | ओ० ला० |
| 15. | मैसर्स बेल्स्टर लि० वर्दवान, पश्चिम बंगाल | —वही— | 4.00 | ओ० ला० |
| 16. | मैसर्स यू०पी० टायर्स एण्ड ट्यूब्स लि०, रायबरेली, उ० प्र० | स्कूटर टायर और ट्यूबें | 5.00 | ओ० ला० |

विवरण-2

स्कूटर/मोटर साइकिल तथा मोपेड़ टायर और ट्यूबों का उत्पादन करने के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत क्षमता

| कम्पनी का नाम | पंजीकृत क्षमता प्रति वर्ष |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1. मे० सैनिक टायर्स लि०, जींद | 1.20 लाख सं० |
| 2. मे० अजन्ता रबर (प्रा०) लि० | 0.84 —वही— |
| 3. मे० फाल्कन टायर्स लि० मैसूर | 2.00 —वही— |
| 4. मे० रूसतम टायर लि० अनकलीस्वर | 3.36 —वही— |
| 5. मे० रालसन साइकिल (प्रा०) लि० लुधियाना | 4.50 —वही— |
| 6. मे० वीयरवल टायर और ट्यूब इन्डस्ट्रीज, भोपाल | 2.10 —वही— |
| 7. मे० सीतइ टायर और रबर इण्डस्ट्रीज बिकोलियम, गोवा | 9.00 —वही— |
| 8. मे० दिवान टायर (प्रा०) लि० मेरठ | 5.00—वही— |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 9. मे० बंगलूर ट्यूवस (प्रा०) लि० बंगलूर | 4.00 —वही— |
| 10. मे० त्रीवेन्द्रम रबर इण्डस्ट्रीज, त्रिवेन्द्रम | 0.75 —वही— |
| 11. मे० फलकोन टायर लि० बगलूर (प्लान्ट इन गुजरात स्टेट) | 6.00 —वही— |
| 12. मे० हिन्दुस्तान टायर और ट्यूब लि० लुधियाना | 3.00 —वही— |
| 13. मे० एस० आर० नागवाल और सन्स (इण्डिया), बम्बई | 4.00 —वही— |
| | योग 45.75 लाख सं० |

**कार्यान्वयन में अप्रभावी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947**

3565. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में औद्योगिक विवाद कानून, 1947 और श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक ट्रिब्यूनलों के पिछले कई सालों के कार्यकरण से सरकार इस निर्णय पर पहुँची है कि यह कल्याणकारी कानून अर्थहीन हैं; और प्रभावहीन हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और नियोजकों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा इस कानून को निरर्थक और प्रभावहीन बनाने के प्रयासों को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**छोटे रूग्ण एककों को बहाल करना**

3566. **श्री ए० टी० पाटिल :**
**श्री कमलनाथ :**

क्या उद्योग मन्त्री रूग्ण एककों को बहाल करने की योजना के बारे में 18 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 245 के उत्तर में सम्बन्ध के यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे रूग्ण एककों को बहाल करने के लिए "मार्जिन मनी" योजना के बनाये जाने को अन्तिम रूप दे दिया गया है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं, और

(ख) विशेष रूप से;

(एक) प्रभावशाली प्रबन्ध

(दो) कच्चे माल का उचित आवंटन और वितरण,

(तीन) गुणात्मक और परिमाणात्मक उत्पादन, और

(चार) आश्वासित विपणन

को सुनिश्चित करने सम्बन्ध उपबन्ध क्या-क्या है।

उद्योग तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी : (क) और (ख) जी नहीं, सरकार रूग्ण लघु उद्योग को पुनरूज्जीजिवित करने की सीमान्त धन योजना (मार्जिन मनी स्कीम) को अन्तिम रूप देने में सक्रियता से लगी है।

**बाल श्रम**

3567. **ओ आर० पी० यादव :**

**श्री अशोक गहलोत :**

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाल श्रम के सम्बन्ध में एक व्यापक कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सलाहाकार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

**श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बाल श्रम सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहाकार बोर्ड के पास अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करने के लिए अभी भी समय है।

**अन्तरिम राहत में कमी और बोनस के गैर भुगतान के बारे में हुई प्रगति**

3568. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या रक्षा मन्त्री अन्तरिम राहत में कटौती और बोनस का भुगतान न होने से सम्बन्धित ज्ञापन के बारे में 25 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1215 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागीय डी० एम० टी० एस०/ओ० एफ० आई० आई०, अम्बरनाथ (महाराष्ट्र) को नियमित भुगतान से अन्तरिम राहत में कमी की राशि जारी करने और उत्पादकता से संम्बद्ध बोनस के गैर भुगतान के मामले में गत चार महीने के दौरान क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यदि अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है तो उसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) और (ख) इस मामले पर आखिरी दौर का विचार हो रहा है। अन्तिम आदेश यथाशीघ्र जारी करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

**सी० एस० ए० डी० बम्बई से अभ्यावेदन**

3569 **श्री एन० के० शेजवलकर :**
**श्री दयाराम शाक्य :**

क्या श्रम मन्त्री सी० एस० ए० डी० बम्बई से अभ्यावेदन के बारे में 25 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5037 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आवंटन नियमों में संशोधन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्सी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपयुक्त संशोधनों को अन्तिम रूप कब दिया जाएगा।

**श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्तावित संशोधनों को निर्माण और आवास मन्त्रालय से परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

**त्रिपुरा बंगलादेश सीमा पर तस्करों के गिरोह का पकड़ा जाना**

3570. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में भारत बंगलादेश सीमा पर सुरक्षा बल ने अपराध रोकने के लिए भारी सुरक्षा उपायों के साथ तस्करों के एक बहुत बड़े गिरोह को पकड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) सुरक्षा उपायों के कड़ा करने के कारण जून, 1981 के बाद, त्रिपुरा बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा बड़ी संख्या में निषिद्ध वस्तुएं जब्त की गई हैं।

**राख से सीमेंट बनाने की नयी तकनीक**

3571. **श्री सूरज भान** : क्या उद्योग मंत्री राख से सीमेंट बनाने की नयी तकनीक के बारे में 2-7-1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर में संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस नयी तकनीक को व्यापारिक स्तर पर सफल बनाने के लिए क्या किया है;

(ख) पिछले एक साल के दौरान इस संदर्भ में किए गए विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(घ) क्या देश में सीमेंट की बेहद कमी को ध्यान में रखकर सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह नयी तकनीक अपनाई जाएगी ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) से (ग) इस प्रौद्योगिकी के कुछ दोषों के बारे में जानकारी मिली है, इससे इस प्रक्रिया को अपनाने पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अतएव इस प्रौद्योगिकी को वाणिज्यिक रूप से सफलतापूर्वक अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सीमेंट के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अपनाई गई नई तकनीक में प्रिकैल्सिनेटर प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करना तथा वर्तमान संयंत्रों का आधुनिकीरण करना सम्मिलित है।

## कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क लि० की परिसम्पत्तियां और दायित्व

3572. **श्री ए० के० राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क लि० धनबाद, बिहार की जो दो साल से अधिक से बन्द पड़ी है, परिसम्पत्तियों और दायित्वों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मद का अलग-अलग तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्थायी, अस्थायी नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या क्या है जो इस कम्पनी में काम बन्द हो जाने के कारण बेकार हो गए हैं; और

(घ) कर्मचारियों को जो राहत दी गई है, उसका विस्तृत तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) तथा (ख) समझा जाता है कि कम्पनी के लेखों की 1976-77 के बाद लेखा परीक्षा नहीं की गई है। किन्तु परिसम्पत्तियों और दायित्वों का एक विवरण संलग्न है, जो 30-8-79 तक प्रोफार्मा निर्धारण पर आधारित है, जिसकी लेखा-परीक्षा नहीं की गई है।

(ग) बताया जाता है कि बन्द होने के समय कम्पनी में लगभग 2,300 श्रमिक काम करते थे। इस समय जो श्रमिक बेरोजगार हैं, उनका पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) यह भारत सरकार की सीमा में नहीं आता है।

विवरण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तैयार किए गए प्रोफार्मा तुलनपत्रों के अनुसार 30-8-79 को कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स लि० की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का सारांश

1. अचल परिसम्पत्तियां (लाख रुपये)

| (1) | (2) |
|---|---|
| भूमि—पट्टे पर | 0.05 |
| भूमि-विकास | 0.52 |
| भवन | 97.06 |
| संयंत्र तथा मशीनें | 537.92 |
| अन्य | 11.86 |
| सकल अचल परिसम्पत्तियां | 647.41 |
| घटाये अब तक मूल्य ह्रास | 290.52 |
| शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां | 356.89 |
| चालू पूंजीगत कार्य | 4.75 |
| कुल | 361.64 |
| 2. निवेश | |
| उद्घृत | 11.64 |
| अनुद्घृत | 0.71 |
| कुल | 12.35 |
| 3. चालू परिसम्पत्तियां | |
| स्टाक—कच्चा माल | 105.62 |
| — निर्मित माल | 31.74 |
| — इस्तेमाल किए हुए इनगाड नोल्डस | — |
| चालू कार्य | 183.56 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| स्टोर तथा स्पेयर | 16.45 |
| प्राप्य | 120.24 |
| कर का अग्रिम भुगतान | 1.22 |
| बिल्स डिस्काऊंटिंग (कोन्ट्रा) | 89.00 |
| उसी प्रबन्ध के अधीन कम्पनियों को अग्रिम धनराशि | — |
| अन्य अग्रिम राशियां | 25.78 |
| नकद तथा बैंक बैलेंस | 0.82 |
| विकास व्यय | 65.00 |
| कुल | 639.48 |
| **4. चालू देयतायें** | |
| ऋण दाता | 101.41 |
| जमा (ग्राहकों से अग्रिम राशियां) | 8.25 |
| अन्य जमा राशियां | — |
| अदत्त लाभांश | — |
| इलाहाबाद बैंक से अत्यावधि ऋण | 50.00 |
| कार्य पूंजी के लिए बैंक से उधार | 553.99 |
| बिल्स डिस्काऊंटिंग (कोन्ट्रा) | 89.00 |
| निर्यात | 0.62 |
| प्रतिभूति रहित ऋण | 19.01 |
| अन्य चालू देयतायें तथा प्रावधान | 350.23 |
| कुल | 1172.51 |
| **5. दीर्घावधि देयतायें** | |
| ऋण पत्र | 38.65 |
| इलाहाबाद बैंक से मियादी ऋण | 38.00 |
| बी० आई० सी० आई० सी० ओ० से ऋण | 30.00 |
| कुल | 106.65 |

**नये क्षेत्रों में यूरेनियम के भंडार**

3573, **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यूरेनियम भंडारों वाले कुछ नए क्षेत्रों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और भंडारों में किस किस्म का एवं कितनी मात्रा में यूरेनियम उपलब्ध है; और

(ग) भंडार की और आगे खोज करने तथा उन्हें उपयोग में लाने के लिये कौन से उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

**विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सा० पी० एन० सिंह)** (क) (से) (ग) देश के कुछ भागों में यूरेनियम विद्यमान होने के संकेत मिले हैं। तथापि, और अधिक जानकारी इस समय किए जा रहे अन्वेषण के पूरा होने पर उपलब्ध हो सकेगी।

**कबाड़ियों (स्क्रैप डीलरों) द्वारा यूरेनियम की छड़ों का व्यापार**

3574. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरेनियम की छड़ों का व्यापार करने वाले कुछ कबाड़ियों (स्क्रैप डीलरों) का हाल ही में पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इन सौदों की कार्यप्रणाली के बारे में की गई जांच के परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा अभी जांच की जा रही है।

**दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध**

3575. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में इस वर्ष के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में अब तब 1979 और 1980 की इसी अवधि के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए विभिन्न किस्म के अपराधों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन अपराधों को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

| (क) से (ग) अपराध का शीर्ष | 1.1.1979 से 15.8.1979 तक | 1.1.1980 से 15.8.1980 तक | 1.1.1981 से 15.8.1981 तक |
|---|---|---|---|
| हत्या | 30 | 28 | 31 |
| हत्या के प्रयास | 14 | 12 | 12 |
| बलात्कार | 53 | 29 | 45 |
| महिलाओं के साथ छेड़खानी | 78 | 38 | 40 |
| अपहरण | 321 | 317 | 302 |
| अपनयन | 90 | 63 | 56 |
| जंजीर खींचना | 171 | 83 | 66 |
| दहेज के कारण मृत्यु | 4 | 6 | 13 |
| जोड़ | 761 | 576 | 565 |

1. यद्यपि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुछ अपराध शीर्षों के अंतर्गत वृद्धि हुई है तथापि उपर्यक्त से यह देखा जा सकता है कि अपराधों में कमी होने की प्रवृति जारी है।

2. इन अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित और उपाय किए गए हैं:-

(1) बाकी टाकी सेटों के साथ वायरलैस युक्त मोटर साइकिलों की गश्त सहित सशस्त्र गश्त और पैदल और चलती फिरती गहन गश्त। गश्त की जांच व्यक्तिगत रूप से और वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण से की जाती है।

(2) बदमाशों तथा अपराधियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की सामान्य निवारण धाराओं के अधीन कार्यवाही।

(3) भिक्षा/फिरौती के इरादे से छोटे बच्चों के अपहरण करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष निगरानी।

(4) आसूचना में वृद्धि करके जंजीर खींचने वाले, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले व्यक्तियों तथा बदमाशों का पता लगाने के लिए जिलों के विशेष दस्तों द्वारा निरन्तर अभियान चलाना।

(5) छेड़खानी के अपराधों की रोकथाम करने तथा छेड़खानी आदि को रोकने के लिए और सतर्कता दस्तों को गठित करने के लिए महिला कालेजों के प्रतिनिधियों से भेंट करना।

(6) लड़कियों के स्कूलों, कालेजों, बस स्टापों तथा सिनेमाघरों पर पुलिस कार्मिकों को तैनात करना।

(7) ज्ञात अपराधियों पर निगरानी कड़ी कर दी गई है और अपराधियों के रिकार्डों को अद्यतन कर दिया गया है।

(8) अपराधों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए वाहनों की अकस्मात जांच करना।

(9) चुने हुए और सामाजिक महत्व के स्थान पर अवरोधक के लगाना।

3. दहेज विवादों/मृत्युओं के मामलों से प्रभावशाली रूप से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश दिए गए हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में किसी विवाहित युवती की आत्म हत्या के प्रयत्न एवं मृत्यु के सभी मामलों की जांच। पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी से न कराइ जाए।

(2) केन्द्रीय सरकार ने आचरण नियमों में ऐसी व्यवस्था करने के लिए यह संशोधन किया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी न तो दहेज देगा और न लेगा अथवा दहेज देने या लेने के लिए नहीं उकसायेगा अथवा प्रत्यक्ष रूप से ऐसे दहेज की मांग नहीं करेगा। कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों से संबंधित आचरण नियमों में इसी प्रकार के संशोधन किए हैं।

(3) दहेज विरोधी अभियान चलाने के लिए दहेज विरोध एकक को स्थापना की गई है। यह एकक दहेज विवादों से पीड़ित व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही करता है।

(4) स्वयसेवी संगठनों को दहेज की बुराइयों के विषय में सामाजिक चेतना जागृत करने के कार्य में लगाया जाता है।

(5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी/दूरदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से सतत अभियान चलाता है।

4. 2-7-1981 से 15-7-1981 तक महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया था और महिलाओं के साथ छेड़खानी के आरोप में 550 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से 452 व्यक्तियों को दोषसिद्ध पाया गया है।

**उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना**

3576. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के बालासोर में नीलगिरि के 37 स्वतंत्रता सेनानियों के मामले सरकार की अन्तिम स्वीकृति के लिए अभी तक विचाराधीन पड़े हुए हैं, यद्यपि राज्य सरकार ने काफी पहले से उनके पक्ष की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो मामले में अनुचित विलम्ब के विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(ग) उस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना,** : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन मामलों को काफी पहले रद्द कर दिया गया था क्योंकि ये मामले स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, जिसका नाम अब स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना है, के उपबन्धों के अन्तर्गत पेंशन के लिए अर्हरक नहीं थे।

**भारी जल में आत्मनिर्भरता**

3577. **श्री के० मालना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत के 1983 के अन्त तक देश में ही उपलब्ध स्रोतों से भारी जल की वर्तमान मांग को पूरा करने के बारे में आत्मनिर्भर होने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी और पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) तथा (ख) बड़ौदा तथा तूतिकोरिन स्थित भारी पानी संयंत्र काम कर रहे हैं और आशा है कि कोटा तथा तलचर के भारी पानी संयंत्र मार्च, 1982 से पहले चालू हो जायेंग। निर्माणाधीन बिजलीघरों की, जिनमें नरोरा परमाणु बिजलीघर तथा उससे पहले के बिजलीघर शामिल हैं, भारी पानी संबंधी आवश्यकताओं के मामले में भारत इन संयंत्रों की सहायता से आत्मनिर्भर हो जायेगा। इसके बाद जिन विद्युत परियोजनाओं के बनाने की योजना है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए और भारी पानी संयंत्र लगाने की योजना तैयार की गई है। अगले चरण में, महाराष्ट्र के थाल वाइशेट नामक स्थान पर एक यमल संयंत्र (ट्विन प्लांट) तथा आंध्र प्रदेश के मनुगुरु नामक स्थान पर एक और संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है।

**इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग का विकास**

3578. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश में इलेक्ट्रोनिक उद्योग के सन्तुलित तथा आत्मनिर्भर विकाश को तेज करने में इलेक्ट्रोनिक्स आयोग ने किस सीमा तक सहायता की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में इसकी योजनायें तथा कार्यक्रम क्या हैं ?

**विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रख दिया जायेगा।

**इलेक्ट्रोनिक्स क्रांति के लाभ गांवों तक पहुंचाना**

3579. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक्स विभाग ने यह सुनिश्चित करने हेतु कोई अभियान आरम्भ किया है कि विश्वव्यापी इलेक्ट्रोनिक्स क्रांति के लाभ गांवों के खेतों, स्कूलों, गृह तथा स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंचें; और

(ख) यदि हां, यो योजना के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और जनशक्ति के विकास के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

**विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इलेक्टोनिकी, तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रोनिकी विभाग ऐसे आवेदनों को प्रोत्साहन दे रहा है जिनसे हमारे ग्रामीण क्षेशों में रहने वाले लोगों के जीवन-स्तर को सुधारने में मदद मिल सके। विभिन्न अंतर्विभागीय कार्यक्रमों के माध्यम से संवर्धनात्मक कार्यकलापों में भाग लेने के अलावा इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने स्वयं अनेक क्षेत्रों में पहल की है :

(1) सस्ते रेडियों सेटों (165 रुपए के कारखानागत मूल्य से कम मूल्य के एक तथा दो बैण्ड वाले सेट) पर लगने वाले रेडियो लाइसेंस शुल्क को समाप्त करने के परिणामस्वरूप जिसे इलेक्ट्रोनिकी विभाग वर्ष 1980-81 के केन्द्रीय बजट में स्वीकार कराने में कामयाब हुआ था, अब ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे रेडियो सेटों को खरीदना आसान होगा तथा इससे संचार माध्यम में व्यापक सुधार आएगा।

(2) इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने वर्ष 1977-78 के दौरान शुरू किए गए उपग्रह प्रशिक्षण दूरदर्शन प्रयोग (साइट), में सक्रिय रूप से भाग लिया और उसमें अपना योगदान दिया। जिसका मूल-उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण व शिक्षा में सुधार लाने के लिए दूरदर्शन के माध्यम का उपयोग करना था। इसी प्रकार, इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने जुलाई, 1982 में कक्षा में स्थापित किए जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह 1 (इन्सेट-1) उपग्रह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रमों को पहुंचाने की दृष्टि से उपग्रह से सीधे संकेत पकड़ने वाले सामुदायिक दूरदर्शन रिसीवरों तथा अन्य इलेक्ट्रोनिकी उपस्करों के स्वदेशी उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है, जिनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा।

इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने जुलाई, 1978 में विशेषज्ञों का पैनल नियुक्त किया था जिसका उद्देश्य कृषि-कार्यों में इलेक्ट्रोनिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में विस्तृत अध्ययन करना था

इस संबंध में कौन से कार्यक्रम आरम्भ किए जाने चाहिए। इस पैनल की सिफारिशों के आधार पर कृषि-कार्यों के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपस्करों के विकास तथा उत्पादन का कार्य हाथ में लिया गया है, जैसे अन्न आर्द्रता परीक्षक (ग्रेन मांइस्चर टेस्टर), मिट्टी परीक्षक आदि और अब विभिन्न कम्पनियों में इनका वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू होने वाला है।

(4) बैटरी-चालित तथा अत्यधिक असम किस्म के इलेक्ट्रोनिक दुग्ध विश्लेषक उपस्करों का उत्पादन करने के उद्देष्य से एक बड़ी परियोजना हाथ में ली गयी है, राष्ट्रीय दुग्ध पदार्थ विकास बोर्ड द्वारा आगामी पांच वर्षों में स्थापित की जाने वाले सभी 20,000 ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियों में ये उपस्कर धीरे-धीरे लगा दिये जाएंगे। इन विश्लेषक उपस्करों का उत्पादन करने के लिए जयपुर में राजस्थान इलेक्ट्रोनिकी तथा उपकरण लिमिटेड नामक सरकारी क्षेत्र की एक नई कंपनी स्थापित की जा रही है। यह कंपनी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की मेसर्स इट्रन्स्टेशन लिमिटेड नामक कंपनी और राजस्थान-औद्योगिकतथा पूंजी-निवेश निगम के संयुक्त प्रयास का प्रतिफल है। इस कार्यक्रम में लगभग 4 करोड़ रुपए का वार्षिक उत्पादन होगा और इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने न केवल इसकी संकल्पना में योगदान दिया है अपितु इसको बढ़ावा देने तथा इसमें समन्वय स्थापित करने का भी कार्य किया है। उत्पादन वर्ष 1982-83 में शुरू होगा।

(5) कृषि कार्यों से संबंधित तथा/अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में स्थापित उद्योगों में इलेक्ट्रोनिकी उपयोग शुरू करने के अपने एक प्रयास के रूप में, इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने चीनी, पटसन तथा दुग्ध उद्योग जैसे उद्योगों में इलेक्ट्रोनिकी के उपयोग के बारे में गहन अध्ययन किए हैं और नए-चीनी सयंत्रों, विशेषकर नियत्रण तथा यंत्रीकरण के क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिकी प्रौद्योगिकी का शुभारम्भ करने की दृष्टि से मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(6) अपनी ग्रामीण आबादी को आधुनिक स्वास्थ्य परिचर्या का शीघ्रातिशीघ्र लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली तथा अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से एक मार्गदर्शी ग्रामीण संचार-तन्त्र स्थापित किया है, जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान को बल्लभगढ़ के आस पास के अनेक गांवों से जोड़ा गया है। इस प्रणाली के फलस्वरूप गांवो के स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों के बीच तत्काल सम्पर्क स्थापित करना संभव हो सका है।

"केन वी अफोर्ड दी ब्यूरोक्रेसी के शीर्षक" समाचार

3580. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "सूर्य" के जुलाई, 1981 के संस्करण में पृष्ठ 37 तथा 39 पर "केन वी अफोर्ड दी ब्यूरोक्रेसी" और "द प्राइस आफ ब्यूरोक्रेसी" शीर्षकों से प्रकाशित लेखों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और स्थिति को ठीक करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार किया गया है और तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त भाग (क) में संदर्भित लेखों में उल्लिखित मुद्दों का सम्बन्ध सामान्यत: सरकारी खर्च में नियंत्रण की आवश्यकता से है और उसमें किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई विशिष्ट दृष्टान्त नहीं दिया गया है । फिर भी, सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन की समस्या से पूर्णत: अवगत है, जो एक निरन्तर प्रक्रिया है। सरकार द्वारा प्रशासनिक, संगठनात्मक, विधायी, प्रक्रियात्मक तथा ऐसे अन्य उपाय जो इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे जाते हैं, किए गए हैं और निरन्तर किए जा रहे हैं ।

सरकारी खर्चे में किफायत लाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए अनुदेशों को दर्शाने वाला एक विवरण वित्त राज्य मन्त्री द्वारा लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 182 के उत्तर में दिनांक 28-8-81 को सदन के पटल पर रखा गया था।

**गुजरात में प्राइवेट सीमेंट कारखानों द्वारा तौल में बेईमानी**

3581. **श्री आर० पी० गायकवाड** : (क) क्या गुजरात राज्य में हाल में तौल माप नियंत्रक द्वारा चार सीमेंट कारखानों पर छापे मारे जाने के दौरान प्राइवेट सीमेंट कारखानों द्वारा सीमेंट की तोल में बड़े पैमाने पर बेईमानी किए जाने का पता चला है;

(ख) क्या इस संबंध में लगाया गया जुर्माना बहुत कम है,

(ग) क्या यह भी सच है कि सीमेंट में मिलावट करने के मामले आम हो गए हैं, और

(घ) यदि हा, तो इन कदाचारों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ।

**उद्योग तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**धुम्रपान करने वालों की संख्या**

3582. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश में बीड़ी, हुक्का पीने वालों यथा तम्बाकू चबाने वालों और पाइप से तम्बाकू पीने वालों तथा सिगार पीने वालों की संख्या के बारे में कोई राज्यवार अध्ययन किया है ।

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : जी, नहीं । सरकार ने देश में बीड़ी, हुक्का पीने वालों तथा तम्बाकू खाने वालों और पाइप से तम्बाकू पीने वालों एवं सिगार पीनें

बालों की संख्या के बारे में राज्यवार कोई अध्ययन नहीं किया है। किन्तु, उत्पादन, उत्पादन शुल्क विभाग (वित्त मंत्रालय) के अनुसार घरेलू खपत के लिए इन वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु वर्ष 1977-78 के दौरान दी गई किस्मवार कच्ची तम्बाकू का विवरण निम्न प्रकार है :

| | |
|---|---|
| बीड़ी की तम्बाकू | 1343 लाख कि० ग्राम |
| हुक्के की तम्बाकू | 217 लाख कि० ग्राम |
| सिगार और चुरट की तम्बाकू | 47 लाख कि० ग्राम |
| पाने वाली तम्बाकू | 420 लाख कि० ग्राम |

बताया गया है कि देश में बीड़ी की खपत में तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि हुक्के की तम्बाकू, खाने वाली तम्बाकू, सिगार और चुरट की वार्षिक खपत में पिछली अवधि की अपेक्षा धीरे-धीरे गिरावट आई है।

**भूतपूर्व अमरीकी विदेश मन्त्री द्वारा पाकिस्तान को फाल्कन विमानों की अमरीकी सप्लाई के बारे में वक्तव्य**

3583. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका के भूतपूर्व विदेश मन्त्री मि० साइरास वान्स के इस वक्तव्य की जानकारी है कि पाकिस्तान को अमरीका द्वारा फाल्कन विमानों की सप्लाई का कारण भारत द्वारा जगुआर एवं मिग-235 विमानों की खरीद है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अमरीका समाचार पत्रों में भारत के विरुद्ध इस गलत प्रचार का खण्डन करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) सरकार ने पाकिस्तान को एफ-16 विमान बेचे जाने के बारे में रीगन प्रशासन के निर्णय के सम्बन्ध में श्री साइरस वान्स के कथित विवरण के बारे में 26 जून, 1981 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर को देखा है।

(ख) इस तरह की खबरों पर सरकार को विचार प्रकट करना आवश्यक नहीं है।

**इन्सोव आटो लिमिटेड की वित्तीय कठिनाइयां**

3584. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन्सोव आटो लिमिटेड, जो एक सोवियत संघ सहयोगी परियोजना है, के सम्मुख पेश आ रही गम्भीर वित्तीय कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

**उद्योग तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) तथा (ख) मे० इन्सोव आटो लि० जिन्हें 2 नवम्बर, 1070 को हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माण के लिए आशय पत्र जारी किया गया था, उसे क्रियान्वित नहीं कर सका है। कम्पनी ने इसके द्वारा विकसित आद्यरूप गाड़ी का परीक्षण नहीं करवाया जैसा कि आवश्यक था। सरकार ने निर्णय किया है कि कम्पनी को दिया गया आशय पत्र रद्द समझा जाये।

**आल इन्डिया इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० के कर्मचारियों की मांग**

3585. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में हल्दिया के आल इंडिया इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० परियोजना कर्मचारी यूनियन द्वारा प्रस्तुत 6-सूत्री मांगपत्र पर क्या कदम उठाये गये हैं।

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : आल इंडिया इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेट प्रोजेक्ट एम्पलाईज यूनियन की मांगों पर जून, 1981 को हुई एक बैठक में कर्मचारियों और प्रबंधक वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया था। इन विचार विमर्शों के परिणामस्वरूप कर्मचारियों और प्रबंधक वर्ग के पक्षों से कुछ मुद्दों पर औचित्य/स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा आगे विचार-विमर्श और लिए गए निर्णयों के कुछ मुद्दों पर अतिरिक्त सामग्री भेजने को कहा गया है।

**तेल अबीब में रुके हुए भारतीय**

3586 **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अक्टूबर-नवम्बर, 1980 में 106 भारतीयों को इसरायल में रुकना पड़ गया था क्योंकि भारतीय एजेंटों के एक दल द्वारा उन्हें खाड़ी के देशों में नौकरियां दिलाने का वायदा करके धोखा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन एजेंटों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने किन कारणों से इन 105 व्यक्तियों को स्वदेश लौटने के लिए नोटिस दिए हैं जबकि सरकार यह जानती है कि वे व्यक्ति निर्धन हैं; और

(घ) इन व्यक्तियों के परिपत्र किन कारणों से जब्त किए गए और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले के सम्बन्ध में बम्बई में पुलिस प्राधिकारियों ने आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था और पुलिस की जांच प्रगति पर है।

(ग) स्वदेश लौटने सम्बन्धी व्यय को स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों द्वारा स्वयं वहन करना अपेक्षित है; हालांकि भारतीय मिशन शुरू में देश प्रत्यावर्तन के लिए व्यय का भुगतान करते हैं। उनके स्वदेश लौटने के सम , ये सभी व्यक्तियों ने आश्वासन दिया था कि वे उनके स्वदेश लौटने पर हुए व्यय की सरकार को प्रतिपूर्ति करेंगे।

(घ) इन व्यक्तियों के पासपोर्ट अधिनियम की धारा (2)(ज) की शर्तों के अनुसार उनके स्वदेश लौटने के समय वापिस ले लिया गया था। इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि पासपोर्ट प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट/यात्रा कागजात जारी करने से इन्कार कर सकेगी, जिसे सरकारी खर्चे पर भारत वापस भेजा गया है और जिसने ऐसे देश-प्रत्यावर्तन में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की है। उन्होंने भारत के लिए सीधे यात्रा करने हेतु पासपोर्ट के स्थान पर वैध आपात प्रमाण-पत्र जारी किये थे। तथापि, उनके स्वदेश लौटने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के पश्चात सामान्य पासपोर्ट सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएगी।

**रोथमैन एण्ड डनहिल के साथ सिगरेट निर्माण के लिए समझौता**

3587. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि श्री गोईका अपने और प्रमुख सिगरेट निर्माता रोथमैन एण्ड डनहिल के बीच एक समझौता करने का प्रयत्न कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में वर्तमान सिगरेट उद्योग पर ऐसे समझौते के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए कोई कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि श्री गोईका ने ब्रिटेन के विलकिनसन्स ब्लेड निर्माताओं के साथ एक समझौता किया है; और

(घ) इन दोनों समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :** (क) सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जनवरी, 1980 में मे० कर्नाटक ब्लेड्स लि० को सेफ्टी रेजर ब्लेडों का उत्पादन करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किया गया था। यह कर्नाट स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और एशियन केबिल्स कारपोरेशन लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम हो इस प्रायोजना के लिए ब्रिटेन के मैसर्स विलकिन्सन स्वर्ड लि० के साथ विदेशी सहयोग को भी स्वीकृति दी गई है। 31-6-1981 को इस कम्पनी ने पर्याप्त विस्तार के लिए आवेदन किया है। आवेदन से ज्ञात होता है कि डंकन ब्रदर्स एंड कं० लिमिटेड कलकत्ता के श्री आर० पी० गोयनका मैसर्स कर्नाटक ब्लेड्स लिमिटेड डाइरेक्टरों में से हैं।

**पर्वतीय क्षेत्रों में हिप्पियों के प्रवेश पर रोक**

3588. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि हमारे धार्मिक तीर्थ स्थलों और पर्वतीय क्षेत्रों में हिप्पियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि हिप्पियों का चरित्र और उनके रहन-सहन का ढंग दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के भोले-भाले तथा अशिक्षित लोगों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है तथा हमारी संस्कृति को यह नष्ट कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में उनके प्रवेश पर रोक लगाने का है जो पुलिस के नियंत्रण से मुक्त हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) हिप्पी की कोई निश्चित परिभाषा न होने के कारण ऐसे व्यक्तियों को एक वर्ग के रूप में अन्य पर्यटकों से भिन्न करना कठिन है। अतः ऐसे विदेशियों के आगमन के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। किन्तु ऐसे विदेशियों, जिनसे मादक वस्तुओं का सेवन, अभद्र व्यवहार, अवारागर्दी, भीख मांगने आदि के कारण सामाजिक बुराई होने की संभावना हो, के भारत में प्रवेश को सीमित करने के उद्देश्य से विदेशों में भारतीय मिशनों को ऐसे व्यक्तियों को पर्यटक बीसा स्वीकृत करने में विशेष रूप से सतर्कता बरतने के लिए उपयुक्त आदेश दिये गए हैं। राज्य सरकारों को भी यथोचित सलाह दी गई है कि वे ऐसे विदेशियों की गतिविधियों पर पूरी तरह निगरानी रखें और कानून के किसी भी उल्लंघन के लिए तुरन्त कानूनी कार्रवाई करें।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए रोजगार कार्यक्रम**

3589. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए रोजगार क्षमता के बारे में कोई कार्यक्रम तैयार किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं और ये कार्यक्रम कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

**विवरण**

स्वतंत्रता के बाद सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। समय-समय पर नई योजनाएं आरम्भ करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि समाज के इस कमजोर वर्ग को अधिकतर सहायता प्रदान की जा सके।

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अपनायी जाने वाली नीति के तीन मुख्य प्रकरण/तरीके निम्नलिखित हैं :

(क) राज्यों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों की विशेष संघटक योजनाएं;

(ख) राज्यों की विशेष संघटक योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता;

(ग) राज्यों की अनुसूचित जाति विकास निगमें।

50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले संहत क्षेत्र को चिन्हित किया गया है और ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यों में पृथक-जनजातीय उप-योजनाएं तैयार की गई हैं। जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों को 18 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं में विभाजित किया गया है जहां प्रचलित सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।

कुछ मुख्य योजना कार्यक्रम, जिनमें महत्वपूर्ण रोजगार सम्भाव्यता है (अन्यथा गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले हैं), नीचे दर्शाए गए हैं। इन कार्यक्रमों से भी अ० जा०/अ० ज० जा० तथा समाज के अन्य गरीब वर्गों के लोगों के भी लाभान्वित होने की संभावना है :

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

इसे देश सभी ब्लाकों में विस्तारित किया गया है और इससे कृषि और गैर-कृषि व्यवसायों में कार्य अवसर प्रदान करके योजना अवधि के दौरान प्रत्येक ब्लाक में 3,000 गरीब परिवारों को लाभ होगा। ग्रामीण गरीबों, जिनमें अधिकांश अ० जा०/अ० ज० जा० के हैं। को उन्नत नसलों के जानवर, उपस्कर, कृषि उत्पादक रेन्पुट्प आदि के रूप में पूंजी भी प्रदान की जाएगी।

(2) मत्स्य कृषक विकास अभिकरण।

यह मछुआ परिवारों को आधुनिक कृषि तकनीकें अपनाने में सहायता प्रदान करेगा। उन्हें मत्स्य व्यवसाय में पानी के अन्दर तथा तटीय पानी दोनों में तथा सम्बद्ध कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

(3) ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र

ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र हैण्डलूम, दस्तकारी, रेशम उत्पादन आदि सहित खादी, ग्रामीण और लघु उद्योग, हैण्डलूम के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं

प्रदान करता है। इनसे छठी योजना अवधि के दौरान 96 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को लाभ होने की संभावना है।

(4) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के सभी ब्लाक आ जायेंगे तथा इसमें विशेषकर मन्दे कृषि मौसम के दौरान मजदूरी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम में योजना अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 300-400 मिलियन श्रम दिनों के कार्य सृजित होने की सम्भावना है।

(5) स्व-रोजगार के लिए युवा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत स्व-रोजगार के लिए तैयार करने हेतु प्रतिवर्ष 2 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा अपने उद्यम स्थापित करने के लिए उन्हें ब्लाक एजेन्सियों के माध्यम से सहायता दी जाएगी।

(6) लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) द्वारा अ०जा/ अ० ज० ज० के उद्यमकर्त्ताओं के लिए एक विशेष घटक योजना बनाई गई है। इन कार्यक्रमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(क) मात्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) द्वारा आयोजित व्यवस्थापकीय विकास पाठ्यक्रमों तथा प्रबन्धक पाठ्यक्रमों में अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए सीटों के आरक्षण और केवल कवायली उद्यमकर्ताओं के लिए निधि रखना।

(ख) ब्याज उपदान योजनाओं में केवल अ० जा०/अ० जा० जा से सम्बन्धित उद्यमकर्त्ताओं के लिए आरक्षण।

(ग) अ० ज०/अ० ज० जा० उद्यमकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करने केवल कबालियों के लिए निधि रखने के लिए विशेष प्रसार अभियान।

(7) दस्तकार क्षेत्र के अधीन गलीचे बुनने, आर्ट मेटल वेयर, हस्तमुद्रित कपड़ों तथा अन्य शिल्पों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के विस्तार में अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए 25 प्रतिशत आरक्षणों की व्यवस्था है।

(8) बन्धक श्रमिक अधिकांश अ० ज०/अ० जा० जा० तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के होते हैं। भूमि/गैर भूमि/कौशल/शिल्प पर आधारित योजनाओं के माध्यम से उसकी आय कमाने की क्षमता में उनकी सहायता करने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके तथा उनके सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(9) वित्तीय सहायता, बाजारों से सहवर्तित की समस्याओं से निपटने के लिए कई राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति विकास निगमें स्थापित की हैं। अ० जा०/अ० ज० जा० विकास निगमों में निवेश के लिए अनुदान देने की केन्द्रीय सरकार की एक योजना हाल ही में आरम्भ हुई है। प्रत्येक व्यावसायिक वर्ग के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं। कृषि श्रमिकों, सीमान्त

तथा छोटे किसानों, चमड़ा श्रमिकों, बुनकरों (पश्चिमी क्षेत्र में) तथा अन्य दस्तकारों, मछुओं (पूर्वी क्षेत्र में) शहरी या संगठित श्रमिकों से सम्बन्धित कार्यक्रम तथा अनुसूचित जातियों के शिक्षित युवाओं के लिए कार्यक्रमों को राज्यों की विशेष संघटक योजनाओं में अलग रूप से विचार सूत्रित तथा आयोजित किया जा रहा है।

(10) सरकारी सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में रोजगार पर नौकरी आरक्षण नीति के माध्यम से जोर दिया जाता रहेगा जोकि दशकों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षित युवकों के लिए सरकारी नीति का महत्वपूर्ण आधार है।

(11) अध्यापन एवं सम्बद्ध योजनाओं के अन्तर्गत, जोकि केन्द्र द्वारा चलाई गई है, देश के विभिन्न भागों में अनेक पूर्व-परीक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई है ताकि संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य सार्वजनिक सेवा आयोगों, बैंकिंग भर्ती बोर्डों और जीवन बीमा निगम सेवाओं आदि और केन्द्रीय/राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ली जी जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को तैयार किया जा सके।

(12) हाल ही में ग्रह मन्त्रालय ने सभी विश्वविद्यालयों को सम्बोधित किया है कि वे अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन द्वारा इन्जीनियरिंग चिकित्सा और बैंकिंग आदि जैसे विभिन्न श्रेत्रों के लिए अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए अध्यापन सुविधाओं की व्यवस्था करे, जिसके लिए वित्त व्यवस्था योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा की जाएगी। अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं प्रारम्भ करके उपयुक्त उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाए।

(13) श्रम मन्त्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) का 4 अनौपचारिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है, जोकि व्यवसायों में ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, जहां कोई औपचारिक प्रशिक्षण अभी तक उपलब्ध नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले कौशलों/व्यवसायों की सूची किसी विशिष्ट क्षेत्र/स्थान की आवश्यकता पर आधारित होगी।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा द्वारा अ० जा०/अ० ज० जा० के रोजगार के लिए किए गए कुछ विशिष्ट उपाय संलग्न अनुबन्ध में दिए गए हैं।

(अनुबन्ध)

1. रोजगार कार्यालयों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न केवल आरक्षित रिक्तियों के समक्ष बल्कि अनारक्षित रिक्तियों के समक्ष भी सम्प्रेषित किया जाता है।

2. अगर अधिसूचित रिक्तियों के समक्ष सम्प्रेषक के लिए रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो रोजगार कार्यालय योग्य व्यक्तियों का पता लगाने और रिक्तियों को अधिक विस्तारित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सगठनों की सहायता प्राप्त करते हैं ।

3. केन्द्रीय रोजगार कार्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी आरक्षित वर्गों के लिए रिक्तियां विज्ञापित करता है ।

4. रोजगार अधिकारियों को ऐसे दूरी के क्षेत्रों के अधिकांश दौरे करने के लिए, जहां आदिवासियों का केन्द्रीयकरण है, अनुदेश जारी कर दिए गए हैं और ऐसे दौरों को बिस्तृत प्रचार किया जाता है ताकि रोजगार चाहने वाले पंजीकरण करवा सके और उपयुक्त रोजगार अवसरों, आजीविका आयोजना और उनके लिए उपलब्ध अध्यापन सुविधाओं के बारे में सूचना दी जा सके ।

5. राज सरकारों से अनुरोध किया गया है कि रोजगार सम्बन्धी राज्य/जिला/विशेष समितियों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठनों के प्रतिनिधियों को नामित करें ताकि इन समुदायों के उम्मीदवारों के हितों की रक्षा की जा सके ।

6. राज्य रोजगार निदेशकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में नियोजकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के चयन के मामले में विशेषकर आरक्षित रिक्तियों के समक्ष विशेष ध्यान देने पर राजी करें ।

7. देश के विभिन्न स्थानों पर विशेषतौर पर अ० ज०/अ० ज० जा० सम्बन्धी दस अध्यापन एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित किये गए हैं ताकि व्यावसायिक सूचना का प्रचार और व्यावसायिक मार्गदर्शन मुहय्या किया जा सके । 1981-82 के दौरान 5 और केन्द्र स्थापित किये जाने हैं ।

8. विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं तथा चयन परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नौकरी चाहने वालों को तैयार करने सम्बन्धी योजना दिल्ली और गाजियाबाद में चल रही हैं । योजना के वर्तमान छठे चरण में जोकि 1-3-1981 से आरम्भ हुआ है, लगभग 500 आवेदकों को 11 शैक्षिक संस्थानों (10 दिल्ली में तथा एक गाजियाबाद में) में आशुलिपि में कोचिंग दी जा रही है । कोचिंग की अवधि 11 माह है और प्रशिक्षण के दौरान पुस्तकों तथा स्टेशनरी के अलावा प्रतिमाह 75 रु0 की दर से छात्रवृति दी जा रही है । 1981-82 के दौरान इस योजना को आन्ध्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है ।

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को आकाशवाणी पर घोषित किया जाता है ताकि पात्र उम्मीदवारों को यह अवसर मिल सके जिससे कि वे अपना नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करवा सकें अगर पहले से ऐसा न किया गया हो ।

10. यह भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित रिक्तियों विशेषतया उच्चतर वर्गों (ग्रुप) की रिक्तियों को केन्द्रीय रोजगार कार्यालय में परिचालित किया जाए ताकि व्यापक क्षेत्र से ऐसे उम्मीदवारों की उपलब्धि सुविधाजनक हो सके।

11. राज्य रोजगार निदेशालयों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने रोजगार अधिकारियों को निदेश दें कि वे इन्जीनियरिंग कालिजों, इन्डियन इन्स्टीट्यूटस आफ टेक्नोलोजी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि से निकट का सम्पर्क स्थापित करें ताकि तकनीकी नौकरियों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों सम्बन्धी उपयुक्त उम्मीदवारों का पता लगाया जा सके।

## ईगू फेह बिजली व सिंचाई नहर

3590. श्री पी० नामग्याल : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने ईगू फेह बिजली व सिंचाई नहर हैडवर्क का संशोधित डिजाइन केन्द्रीय जल विद्युत आयोग/केन्द्रीय विद्युत आयोग के पास अनुमोदन के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो डिजाइन अनुमोदन के लिए कब प्राप्त हुआ था और उक्त आयोग द्वारा उसकी कब तक अनुमोदन दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) नये डिजाइन में हैडवर्क के पूरा होने पर इसकी प्राक्कलित लागत क्या होगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

## आयातित सीमेंट की लागत

3591. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित सीमेन्ट की भारत में विभिन्न बन्दरगाहों पर क्या कीमत है;

(ख) लागत मूल्य निर्धारित करने में हिसाब में लिए जाने वाले क्रय मूल्य भाड़ा अथवा अन्य प्रभारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सीमेंट का विक्रय मूल्य क्या है; और

(घ) यह मूल्य भारतीय सीमेंट के मूल्य से कितना कम अथवा अधिक है;

उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) भारत के विभिन्न बन्दरगाहों पर आयातित सीमेंट की तटागत लागत लगभग 711 रुपये 829 रुपये प्रति मी० टन के बीच होती है।

(ख) चूंकि राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी संभरणकर्ताओं से सीमेंट की की जाने वाली खरीद पार्टियों द्वारा किए गए करारों के अन्तर्गत आती है, अतः यह जानकारी देना जनहित में नहीं है।

(ग) और (घ) देश में बेची जाने वाली सीमेंट का रेलभाड़ा मुक्त मूल्य चाहे उसका आयात किया गया हो या चाहे इसे स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त किया गया हो, स्रोत कोई भी हो समान ही होता है। पैक की गई सीमेंट का रेलभाड़ा मुक्त मूल्य उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बतायी गई सीमेंट की तटागत लागत की तुलना में इस समय 532.53 रुपये प्रति मी० टन है।

**दिल्ली में सीमेंट घोटाला**

3592. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल में एक बड़े सीमेंट घोटाले का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि शकूरबस्ती रेलवे साईडिंग से सीमेंट चुराने के 4 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलो की जांच की जा रही है। मुकदमे चल रहे हैं। इस सम्बन्ध में 23 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

**बुडवेस्ट से ऊर्जा के लिए 'पाइटोलैसिस' प्रक्रिया**

3593. **श्री आर० के० महालगी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बुडवेस्ट जैसे लकड़ी की छाल, पत्तों आदि से ऊर्जा पैदा करने की 'पाइटोलेसिस' नामक प्रक्रिया की जानकारी है;

(ख) इस प्रक्रिया की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकिया से काफी मात्रा में तारकोल, हल्के तेल और अपशिष्ट का उत्पादन हो सकता है जिसे घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है;

(घ) क्या हमारे पास देश में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को, जोकि हमारी ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं की अन्य रूपों में बचत करेगी, उपयोग में लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रोनिकी, तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) से (ग) जी हां। बुडवेस्ट की पाइरोलाइसिस एक पुरातन प्रौद्योगिकी

है जिसे 1792 में सबसे पहले राबर्ट मुडोक ने आरम्भ किया था। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमित वायु के साथ या बिना वायु के 6000° सें० से 10000° सें० तक के ताप पर जैव वस्तुओं का विनाशात्मक आसवन किया जाता है। पाइरोलाइसिस के उत्पाद जैव सामग्रियां, दहन योग्य गैसे, ठोस कोयला, टार और कुछ अन्य तरल रसायन हैं।

(घ) और (ङ) इस प्रौद्योगिकी का विकास देश में विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशालाओं और आई० आई० टी० संस्थाओं में किया गया है। आई० आई० टी०, दिल्ली में कृषि और वानिकी अपशिष्टों के इस्तेमाल से ठोस ब्रिकेटिड धुआं रहित ईंधन बनाने की एक प्रक्रिया का विकास किया गया है। अन्य केन्द्र, यथा, सेन्टर फार एप्लीकेशन आफ़ साइंस एंड टैक्नालोजी फार रूरल डिवेल्पमेन्ट, पुणे, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद, और पंजाब कृषि विश्व-विद्यालय, लुधियाना भी जीवभार की रसायनों और ऊर्जा में परिवर्तित करने के विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रहे हैं। सरकार कृषि और जैव अपशिष्ट सामग्रियों के उपयोग से ऊर्जा और अन्य उपयोगी रसायनों का उत्पादन करने के लिए इस प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाने के विभिन्न पक्षों पर और अधिक योजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इसके साथ-साथ इस प्रकिया की आर्थिकी का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी आर्थिक अध्ययन भी आरम्भ किए गए हैं।

**"देश में तीन अणु विद्युत केन्द्रों के स्थापना की योजना" शीर्षक समाचार**

3594. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उन्होंने मासिक समाचार सार के मई, 1981 के अंक में 5 मई को प्रकाशित इस समाचार "देश में तीन अणु विद्युत केन्द्रों के स्थापना की योजना" को पढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो इन तीन विद्युत केन्द्रों का विस्तृत ब्यौरा क्या है और इन पर अनुमानित कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

(ग) इन तीन केन्द्रों के कब तक कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है ?

**विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) से (ग) 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में 6 परमाणु रिएक्टरों पर काम शुरू करने का प्रस्ताव है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी। इनमें से दो रिएक्टर पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात राज्य में सूरत के समीप करापार नामक स्थान पर 382.52 करोड़ रुपये की लागत से लगाने की संस्वीकृति दी जा चुकी है। ये रिएक्टर वित्तीय संस्वीकृति जारी होने की तारीख से 125 महीने की अवधि में तैयार हो जाएंगे। अन्य बिजलीघरों के बारे में सिफारिश देने के लिए एक स्थल-चयन-समिति बनाई गई है।

**पुरूलिया में सीमेंट संयंत्र की स्थापना**

3595. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के जिला पुरूलिया में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) मधुकुण्डा में सीमेंट के एक पिसाई एक्ट की स्थापना करने के लिए भारतीय सीमेंट निगम द्वारा वित्तीय भागीदारी करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। यह परियोजना पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा सीमेंट कारपोरेशन के सहयोग से स्थापित की जा रही है और इनमें 2.60 लाख मी० टन सीमेंट की पिसाई क्षमता की परिकल्पना की गई है। पिसाई के लिए क्विटल तथा स्लैग क्रमश: अलन्तरा तथा वर्नपुर से लाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस परियोजना के 1983 में फलीभूत होने की आशा है।

## आई० बी० स्टाफ एसोसिएशन की अपील

3596. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री को इनटेलीजेंस ब्यूरो स्टाफ एसोसिएशन से एक ज्ञापन मिला है जिसमें उन्होंने विशेष रूप से धन/स्ववेवेकी निधि आदि से सम्बन्धित गम्भीर कुप्रबन्ध और कदाचार के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब उन्होंने प्रधान मंत्री से साक्षात्कार मांगा तब यह शर्त लगाई गई थी कि आई० बी० एम्पलाईज एसोसिएशन अपनी याचिका उच्चतम न्यायालय से वापस ले लें; और

(ग) यदि हां तो राष्ट्र की सर्वोच्च सुरक्षा संगठन अर्थात आई० बी० के कर्मचारियों में संतोष और एकरूपता के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) प्रधान मंत्री को कोई उल्लिखित अपील प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) आसूचना ब्यूरो कर्मचारी संघ से प्रधान मंत्री को सम्बोधित एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी कठिनाइयों को बताने के लिए प्रधान मन्त्री से साक्षात्कार मांगा था। चूंकि यह सघ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है (और इसकी मान्यता का मामला निर्णयाधीन है) अत: उक्त संघ के प्रतिनिधियों से प्रधान मंत्री की मुलाकात उपयुक्त नहीं समझी गई थी। उपर्युक्त संघ पर उच्चतम न्यायालय में लम्बित याचिका को वापस लेने की कोई पूर्व शर्त नहीं लगाई गई थी।

(ग) आसूचना ब्यूरो के कर्मचारियों में सौहार्दता और सन्तोष को बनाए रखने के लिए सरकार सभी प्रयत्न करती रही है। इस बात के सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं कि आसूचना ब्यूरो में कर्मचारी परिषद प्रभावकारी ढंग से कार्य करें। कर्मचारियों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर उनके साथ निरन्तर वार्ता की जा रही है। ब्यूरो में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा शर्तों और केरियर सम्बन्धी अवसरों में सुधार करने के लिए अनेक प्रस्ताव, योजनाएं आदि शुरू की गई हैं।

**पश्चिम बंगाल को आवंटित तथा सप्लाई किया गया नमक**

3597. **श्री गदाधर साहा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में अब तक पश्चिम बंगाल को कितना नमक आवंटित किया गया और कितना नमक सप्लाई किया गया;

**उद्योग तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :** वर्ष 1978, 1979, 1980 और 1981 जुलाई, 1981 तक पश्चिम बंगाल की नमक की आवश्यकता और राज्य को किया गया संभरण निम्नलिखित है :

(गणना की इकाई हजार मी० टनों में)

| वर्ष | आवश्यकता | | | संभरण |
|---|---|---|---|---|
| | मानव उपभोग के लिए | औद्योगिक एकक की अनुमानित आवश्यकता | योग | |
| 1978 | 307 | 70 | 377 | 329.5 |
| 1979 | 307 | 70 | 377 | 309.6 |
| 1980 | 307 | 70 | 377 | 358.6 |
| 1981 | 178.5 | 49 | 227.5 | 182.6 |

**इलेक्ट्रोनिक्स विभाग में अधिकारी**

3598. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इलेक्ट्रोनिक्स विभाग में उप-सचिव के स्तर से उच्च स्तर वाले ऐसे कितने अधिकारी हैं जो विभाग में तीन वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं;

(ख) क्या विभाग में केवल एक ही संयुक्त-सचिव है;

(ग) क्या वह पांच वर्षों से भी अधिक समय से उसी पद पर है; और

(घ) यदि हां तो इसके कारण क्या हैं ?

**विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) :** (क) उप-सचिव के वेतनमान से उच्चतर वेतनमानों में ऐसे दस अधिकारी हैं, जो इलेक्ट्रोनिकी विभाग/इलेक्ट्रोनिकी आयोग में तीन वर्ष से अधिक समय से हैं। वे सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारी हैं तथा इसी विभाग के हैं, न कि किसी संगठित सेवा से और उन्हें अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है।

(ख) से (घ) विभाग में संयुक्त सचिव का केवल मंजूरशुदा पद है। इस समय यह स्थान रिक्त पड़ा है। इलेक्ट्रोनिकी आयोग के सचिव, जो एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारी भी हैं, इलेक्ट्रोनिकी विभाग में भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव का पदभार भी संभाले हुए हैं। उन्होंने विभाग में पांच वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है। चूंकि उनकी नियुक्ति ऊपर (क) में बताए गए अन्य सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारियों की भांति केवल इलेक्ट्रोनिकी विभाग में की गई है और उनकी नियुक्ति अन्य संवर्गीकृत अधिकारियों (जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा सेवा आदि से सम्बन्धित अधिकारियों की सेवा-शर्तों के अन्तर्गत न करके अनुबंध की शर्तों पर की गई है, इसलिए केन्द्रीय मंत्रालयों में भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों की भांति 5 वर्ष की सामान्य प्रतिनियुक्ति की अवधि की शर्त उन पर लागू नहीं होती। अतः भाग (घ) का प्रश्न ही नहीं उठता। परमाणु ऊर्जा तथा अन्तरिक्ष विभागों की भांति इलेक्ट्रोनिकी विभाग भी अत्यधिक ऊंचे दर्जे का ऐसा विशिष्ट संवर्ग बना रहा है जो अपने कार्य के प्रति समर्पित हों और विभाग के कई वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारी तो इलेक्ट्रोनिकी विभाग के स्थापना-काल से ही इससे सम्बद्ध रहे हैं।

**पश्चिम बंगाल में सशस्त्र सेनाओं को 'रम' पर पचास प्रतिशत की छूट**

3599. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि पश्चिम बंगाल में रह रहे सेना कार्मिकों की "रम" संबंधी भारी मांग के कारण राज्य सरकार ने रक्षा सेनाओं के सदस्यों को सप्लाई की जाने वाली "रम" पर उत्पाद शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या उन्हें यह भी पता है कि राज्य को इस छूट से 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष लागत पड़ेगी; और

(ग) यदि हां तो क्या रक्षा मंत्रालय उनके द्वारा उठाई जाने वाली हानि की कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल सरकार को पूर्ति करने के बारे में विचार कर रहा है ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह सेना के प्रति राज्य सरकारों द्वारा दर्शाई गई सद्भावना है। इसलिए किसी प्रकार का मुआवजा दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

**अधिकारियों के लिये स्टेनोग्राफर के स्वीकृत पद**

3600. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ले० जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, ले० कर्नल के ओहदे तथा अन्य दोनों सेवाओं एवं अन्तः सेवा संगठनों में उनके समरूप सभी अधिकारियों को उनकी हकदारिता के अनुरूप स्टेनोग्राफर दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस कमी को कब तक पूरा कर दिया जाएगा;

(ग) सभी ग्रेडों में स्वीकृत स्टेनोग्राफरों की संख्या कितनी है तथा कमी कितनी है;

(घ) अधिकारियों की हकदारिता के अनुसार स्टेनोग्राफरों का आवंटन करने की दर क्या है और क्या यह कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुरूप है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं कि एक निदेशक को एक वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक दिया जाता है परन्तु दूसरे को नहीं दिया जाता हलांकि दोनों अधिकारी एक ही सेवा के हैं, उनका वेतन, ओहदा तथा पद एक है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) सशस्त्र सेना मुख्यालयों और अन्तर सेवा संगठनों में सैनिक अफसरों को हकदारिता के अनुरूप आशुलिपिक दिए जाने का कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है। प्रत्येक अवसर को आशुलिपिक काम की मात्रा के मुताबिक दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न ग्रेडों में स्वीकृत स्टेनोग्राफरों की संख्या तथा प्रत्येक ग्रेड में उनकी कमी की संख्या इस प्रकार है :

| ग्रेड | स्वीकृत संख्या | कमी की संख्या |
|---|---|---|
| आशुलिपिक ग्रेड "क" | 32 | शून्य |
| आशुलिपिक ग्रेड "ख" | 116 | शून्य |
| आशुलिपिक ग्रेड "ग" | 432 | 9 |
| आशुलिपिक ग्रेड "घ" | 524 | 59 |

(घ) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विहित मापदंड सशस्त्र सेना मुख्यालयों और अन्तर सेवा संगठनों पर लागू नहीं होते हैं।

(ङ) निदेशकों के पदों पर कार्यरत ब्रिगेडियर/समकक्ष रैंक के अफसरों के साथ संबद्ध आशुलिपिक ग्रेड "ग" के कुछ पदों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें आशुलिपिक ग्रेड "ख" (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) कर दिया गया है ताकि आशुलिपिक ग्रेड "ग" के आशुलिपिकों को पदोन्नति के और अवसर मिल सकें।

## विशेषाधिकार प्रश्न आदि के बारे में

**अध्यक्ष महोदय :** श्री नारायण दत्त तिवारी ।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : निदेश 118 के अधीन मैंने आपको आज एक पत्र लिखा है । मैं इसे सभा पटल पर रखना चाहता हूं··· (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** जब आपका प्रश्न आयेगा, तभी आप उसे रख सकते हैं ।

**प्रो० मधु दण्डवते :** यह इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान का है । यह 'डेकन शुगर फैक्टरीज एसोसिएशन' को सम्बोधित है ।

**अध्यक्ष महोदय :** जब आप उस पर बोलेंगे, मैं तब देखूंगा ।

**प्रो० मधु दण्डवते :** हमें इसका स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है । मैंने आपको लिखा था । मैं नहीं जानता कि आप हमें सभा पटल पर यह पत्र रखने से क्यों रोक रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं नियमों के अनुसार चल रहा हूं । बस । मैं कोई चीज नहीं रोकता ॥ (व्यवधान) इसका विशेषाधिकार प्रस्ताव से कोई सरोकार नहीं है ।

**श्री अटल विहारी वाजपेयी** (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, हमने प्रिवलेज मोशन दिया है, उसका पता नहीं लगा है कि क्या हुआ ?

**अध्यक्ष महोदय :** कौन, सा ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** फायनेंस मिनिस्टर के खिलाफ ।

**अध्यक्ष महोदय :** आज दिया है ?

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** (मुजफ्फरपुर) : नहीं कल दिया है ?

**अध्यक्ष महोदय :** आपने भी दिया है ?

**श्री जार्ज फर्नान्डीस :** जी हां ।

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, मैं देखूंगा ।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस :** हमने अरुण शोरी के विरूद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । (व्यवधान) ।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं । नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी । मैं इस पर विचार कर रहा हूं ।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस :** जहां तक श्री अरुण शोरी के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में दो बातें कहना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब कोई बात नहीं कही जायेगी। मैं इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : पहली बात यह है कि आज के इण्डियन एक्सप्रेस में एक सम्पादकीय है।

अध्यक्ष महोदय : वे वैसा लिखने के लिये स्वतंत्र हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सभा की फिर से अवमानना की गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा। वह मेरे विचाराधीन है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या आपने श्री अरूण शोरी से स्पष्टीकरण मांगा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार कर रहा हूं। अब श्री नारायण दत्त तिवारी···

प्रो० मधु दण्डवते : अगले विषय पर मत जाइये। आपका निर्णय क्या है ? मैंने अध्यक्ष के निदेश संख्या 118 के अधीन डेकन शुगर फैक्टरीज एसोसिएशन को इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान द्वारा लिखा गया एक पत्र दिया था। यह पत्र अवैतनिक सचिव द्वारा डेकन शुगर फैक्टरीज एसोसिएशन को लिखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे देखने दीजिये। मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस पर विचार कर रहा हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि एक एडवोकेट की बीबी···।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। इट इज स्टेट सब्जैक्ट, मैं पता करवा लूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, हम लोकसभा में इसलिए बोलते हैं कि कुछ कार्यवाही हो सके···। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बताइए क्या कहना है आपको।

श्री मनीराम बागड़ी : बात यह है कि अलीगढ़ के बारे में मैं नियम 388 के तहत आपसे मिला था···। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पता कर लूंगा, हालांकि यह स्टेट सब्जैक्ट है, फिर भी चूंकि बात बहुत गंभीर है, इसलिए मैं पता कर लूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, अगर आप अखबार में···। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अखबार के आधार पर नहीं होगा ।

**श्री मनीराम बागड़ी** : आप मेरी एक मिनट बात तो सुन लीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उसकी जांच करूंगा । मुझे तथ्य मिलने दीजिए । मैंने आपकी बात सुन ली है ।

**श्री मनीराम बागड़ी** : आप जवाब तो दे दीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : जवाब भी दे दिया है ।

**श्री मनीराम बागड़ी** : आप खड़े होकर बता दीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने बता दिया है न कि मैं फैक्ट्स पता कर लूं और अगर फैक्ट्स ठीक हुए तो 377 में कल आपको इजाजत दूंगा । (**व्यवधान**) हां श्री हाल्दर ।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर)** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (**व्यवधान**) । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि पांचवी लोक सभा के दौरान तत्कालीन रेल मन्त्री स्वर्गीय श्री एल० एन०. मिश्रा के विरूद्ध एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और तब अध्यक्ष महोदय ने विपक्ष के सदस्यों को गोपनीय दस्तावेज* देखने की अनुमति दे दी थी इसलिये अब विपक्ष के नेताओं को गोपनीय दस्तावेज देखने की अनुमति दे जानी चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं, आपको अनुमति नहीं दी जाती । प्लीज खत्म करिए अब ।

(**व्यवधान**)

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन एक्वायर की गई, उसका मुआवजा नहीं दिया गया और न ही उसमें कास्तकारों को नौकरी में लिया गया···। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं, आपको अनुमति नहीं दी गई है ।

**श्री जयपाल सिंह (हरिद्वार)** : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में हरिजन अत्याचारों पर बात करने का कोई अवसर नहीं दिया गया···।

**अध्यक्ष महोदय** : आज भी तो उसी पर बात हो रही थी ।

(**व्यधवान**)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री नारायण दत्त तिवारी

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

## सभापटल पर रखे गये पत्र

### आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनायें

**उद्योग राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर से मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की अपधारा (6) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनायें (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) आयातित सीमेंट नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1981 जो दिनांक 30 जून, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 522 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) आयातित सीमेंट नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1981 दिनांक 24 जुलाई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 605 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2781/81)

### रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली की वर्ष 1979-80 की पुनरीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2782/81)

**अध्यक्ष महोदय** : आप आ जाना और मुझे बता देना। यहां नहीं। (व्यवधान) यह व्यवस्था के विरुद्ध है; इसकी अनुमति नहीं मिलेगी (व्यवधान) आप मेरे से बात कर लेना। किसी स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जाती है।

### दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) तेरहवां संशोधन विनियम, 1981 के अधीन अधिसूचनायें

**गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :

(एक) अधिसूचना संख्या 2108/स्पेशल सेल, जो दिनांक 19 अगस्त 1981 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों (सिनेमाघरों के अतिरिक्त) को लायसेंस प्रदान करने तथा नियंत्रण करने और सार्वजनिक मनोरंजन 1980 के प्रदर्शन के विनियमों में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) दिल्ली पुलिस (पदोन्नति तथा स्थायीकरण) पहला संशोधन नियम, 1981, जो दिनांक 25 अगस्त, 1981 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 10/31/81-एच. (पी.) ई०एस०टी०टी० में प्रकाशित हुए थे। (गंन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 2783/81)

(2) अधिसूचना संख्या सां० आ० 669 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 27 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 71 के अधीन पुलिस आयुक्त को दिल्ली के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107 के अधीन मामलों की बाबत उक्त संहिता की धारा 411 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त किया गया है। (ग्रथालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 2784/81)

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडंर में सदस्य संख्या का नियतन) तेरहवां संशोधन विनियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 799 में प्रकाशित हुये थे। (गंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 2785/81)

## राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली वर्ष 1980-81 की पुनरीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 19वां संशोधन) नियम, 1981 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचनाएं

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बरोट)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रथालय में रखा गया। देखिए, सं० एल० टी० 2786/81)

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (19वां संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

की एक प्रति, जो दिनांक 15 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 754 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए, सं० एल० टी० 2787/81)

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 499 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जिसके द्वारा दिनांक 19 जून, 1980 की अधिसूचना संख्या 91/80 साई में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि शुल्क प्रदत्त जस्ता, सीसा और अल्यूमिनियम के बारे में इस तरह के लाभ को उस हाल में बन्द किया जा सके जब उनका इस्तेमाल ताम्बे की मिश्रित धातु के निर्माण में किया गया हो। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए, सं० एल० टी० 2788/81)

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे आकर बताइएगा। मेरी अनुमति के बिना कुछ रिकार्ड नहीं किया जाएगा। आप आकर बता देना।

(व्यवधान)*

---

## संसदीय समितियां

### कार्य का सारांश

**सचिव** : मैं 23 जनवरी, 1480 से 31 मई, 1981 तक की अवधि से सम्बन्धित संसदीय समितियां—कार्य सारांश (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 2739/81)

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

### 28वां प्रतिवेदन

**श्री जी० लक्ष्मणन्** (मद्रास उत्तर) : महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 28वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : ध्यान-आकर्षण। श्रीमती प्रोमिला दण्डवते। (व्यवधान) मेरे पास आइयेगा। मेरे चेम्बर में आकर बताइयेगा। आपके पास कोई नई चीज हो तो मुझे दे देना।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : विशेषाधिकार उल्लंघन नोटिस का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार कर रहा हूं । उस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती । (व्यवधान) यदि आपके पास कोई सूचना है तो उसे मुझे दे दीजिये ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : श्री अरुण शोरी और श्री वेंकटरामन दोनों के विरुद्ध प्रस्ताव ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आकर समझाइये ।

———

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### कैनरा बैंक की साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली स्थित शाखा में डकैती का समाचार

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, गृह मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर दिलानी चाहती हूं और अनुरोध करती हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें :

"सितम्बर, 1981 को नई दिल्ली में कैनरा बैंक की साउथ एक्सटेंशन शाखा में डकैती के समाचार जिसमें लगभग 6 लाख रुपये लूट लिए गए और इस प्रकार की डकैतियों और लूटमार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम ।"

### विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : नई महोदय, दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1 मार्कीट में स्थित कैनरा बैंक की ब्रांच में 7-9-1981 अपराह्न 3.45 से 4.30 बजे के बीच डकैती पड़ी । दिल्ली पुलिस को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अपराह्न लगभग 3.45 बजे देसी टोपी पहने हुए एक युवक ने पिस्तौल दिखाते हुए कैशियर को अपने बूथ से बाहर आने के लिए कहा । उसके दो साथी जिनमें से एक के पास पिस्तौल थी और दूसरे के पास एक चाकू था, बैंक में अन्य स्थान पर खड़े थे । बैंक के सभी कर्मचारियों को पिस्तौल और चाकू की नोक पर लाइन में खड़ा कर दिया गया और एक कमरे में धकेल दिया गया । चाकू से लैस एक व्यक्ति ने बैंक सब-मैनेजर को बिना किसी उत्तेजना के चाकू घोंप दिया । स्ट्रांग रूम की चाबियां लेने के उद्देश्य से एकाउंटेंट को छुरा घोंपा गया हालांकि उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया था । दो अन्य कर्मचारियों को भी छुरा घोंपा गया जिनमें से एक ने बाद में अपराधियों को चुनौती दी थी ।

2. अपराधियों ने बैंक से लगभग 6,44,000 रुपए की राशि एकत्र की । वे सभी कर्मचारियों को स्ट्रांग रूम तथा एक अन्य कमरे में बन्द करके ताला लगाकर चले गए । कर्मचारियों

को जिनको स्ट्रांग रूम में बन्द कर दिया गया था, बैंक की अन्य शाखा से डुप्लीकेट चाबियां लेकर बाहर निकाला गया। जिन कर्मचारियों को दूसरे कमरे में बन्द किया गया उन्हें एक कस्टमर द्वारा बचाया गया था।

3. इस घटना के बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष को अपराह्न 4.45 बजे सूचना प्राप्त हुई। एक उप निरीक्षक के नेतृत्व में एक स्थानीय पुलिस दल तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचा। यद्यपि अपराधियों द्वारा कोई सुराग नहीं छोड़ा गया है फिर भी पुलिस को कुछ संकेत मिले हैं जिसके अनुसार वह कार्रवाही कर रही है। जांच पड़ताल जारी है।

4. ऐसी डकैतियों और की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

**श्रीमती प्रमिला दंडवते** (बम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्टेटमेंट हमारे मंत्री जी ने दिया है वह करने की जरूरत ही क्या थी। क्योंकि यह सब अखबार में हमने पढ़ा है। और उन्होंने क्या लिखा है : "ऐसी डकैतियों और लूटपाट की पुनरावृत्ति की रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।"

मुझे लगता है कि सरकार ने कुछ स्टैप्स नहीं लिये। पुलिस विभाग बिल्कुल निकम्मा है हमने जो सवाल पूछा उसका जवाब मन्त्री जी देते तो हम अपनी राय दे सकते थे। आज यह रौबरी हो गई है। जून महीने में ग्रेटर कैलाश में हुई थी, उसके बाद यह दूसरी रौबरी हुई है। और जिस प्रकार से हुई है उसके बारे में आप कुछ नहीं बता रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां जो ऐमप्लाईज हैं उनका कहना है कि 5 लोग आये थे, और आप कहते हैं कि 3 लोग ही आये थे। पुलिस वहां पर उस समय मौजूद नहीं थी, उसकी रिपोर्ट पर आप विश्वास कर रहे हैं। जिन्होंने मुकाबला किया। उनका कहना है कि 5 लोग थे। लेकिन आप स्टेटमेंट में कहते हैं कि सिर्फ 3 लोग थे। ऐसा लगता है कि दो लोगों को शायद सुरक्षा देने का कोई विचार है उन दो लोगों को आप छोड़ देंगे इस प्रकार की आशंका होना स्वाभाविक है।

मेरा कहना है कि इस प्रकार की रौबरी एक सिम्पटम है। डेढ़-दो साल में समाज में किस प्रकार डकैतियां, चोरियां, अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं इनके बारे में पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। क्या हो रहा है हमारे समाज में हमें देखना चाहिए। पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। हां कोई इन्नोसेंट आदमी होता है उसको ओस्ट जरूर कर लेती है, जैसे कि अभी एक आर्टिस्ट को गिरफ्तार करके उसको पीटा मारा उसके पास से पैसे निकलवाने के लिए। निजामुद्दीन में पेट्रोल पम्प पर डकैती पड़ी थी। उस समय पुलिस स्टेशन नजदीक होने के बाद भी जब आदमी कहने गये तो कहा गया कि एस० एच० ओ० सो गया है, स्कूटर हमारा खराब है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ग्रेटर कैलाश की चोरी का आज तक पता नहीं चला। आप कहते हैं कि मोडस आपरेन्डी वैसी थी, और 25-30 साल के बीच के लोगो ने ही डकैती की है। आज तक आपने इन सारी चोरियों के संबंध में किसी को नहीं पकड़ा। लेकिन जो इन्नोसेंट लोग थे, जिनका कोई सम्बन्ध नहीं है उनको गिरफ्तार करके और टौर्चर करक उनसे कुछ कहलाने की कोशिश की।

अध्यक्ष महोदय, चिन्ता की बात यह है कि दिल्ली हमारे देश की कैपिटल नहीं, बल्कि गुडों और अन्डरवर्ल्ड का कैपिटल बन गया है, स्मगलर्स का कैपिटल बन गया है। पुलिस और राजनीतिक नेताओं तथा सत्ताधारी पार्टी के लोगों की उनको सपोर्ट है। नहीं तो पिछले चुनाव में हाई जैकर को टिकट नहीं देते, स्मगलर चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, एक जमाने का कार लिफ्टर हमारे देश का प्रधान मन्त्री भी बनने की कोशिश नहीं करता। रोज-रोज कारों की चोरी होती है। कनाट प्लेस में फायरिंग हो गई, शाहदरा में चोरी हो गई। घर में लोग जाते हैं और निडर होकर चोरी करते हैं। जो खबर कल आयी थी अखबार में उसकी ओर भी ध्यान देते हैं कि नहीं-महरानी बाग में जो कुछ हुआ है, यह समाज की बीमारी का एक लक्षण है। कांग्रेस (आई) के हमारे माननीय सदस्य, श्री जगदीश टाइटलर यहां बैठे हुए हैं, इनके परिवार के लोग हैं, श्री गुप्ता, और कोई एक आर्मेनाइजेशन है स्टेट का, जो कोइ इम्पोर्टेंट व्यक्ति है दूसरे एक एम० पी० के नाते रिश्तेदार, उनमें दोनों के बीचमे जो व्यक्ति है, मैं बताती हूँ कि अगर किसी पार्टी की रिजर्वेशन चली गई तो हमारी रूलिंग पार्टी के लोग जाकर हमला करते हैं, आफ़िस कैप्चर करने के लिये जाते हैं। कह डाक्यूमेंट है इसका पता नहीं। मैं समझती हूं कि फोरजरी करके कुछ डाक्यूमेंट बनाया गया कि जगह दी गई है मि० सरीन को और उसके ऊपर में पार्टी के लोग आते हैं।

**श्री जगदीश टाईटलर** (दिल्ली सदर) : उसे वापस दिलाने में पुलिस ने बहुत मदद की थी।

**श्रीमती प्रमिला दंडवते** : बात ऐसी है कि जो कांग्रेस (आई) के लोग हैं, उनका झगड़ा है, जगह लेने के लिए झगड़ा है। कहां से आ गया वहां पर सामान ? आज किसी व्यक्ति को जो घर में बैठा हो उसे सुरक्षा मिल सकती है, वह समझ नहीं सकता है। पैसा हम बैंक में रखें तो वह पैसा हमारा सुरक्षित रहेगा या नहीं, यह किसी को विश्वास नहीं है। अगर आज कुछ सुरक्षित है तो बीअरर बांड है।

आज इस देश में और खासकर यहां दिल्ली में इनके बारे में प्रिवेंटिव मेजर लेने की इन्हें सुध नहीं है। अखबारों में आया, स्टेट्समेन में कि कल हमारे होम मिनिस्टर जैल सिंह जी ने मीटिंग की, लेकिन आज उन्होंने मकवाना जी को क्यों रिप्लाई के लिए कहा, यह पता नहीं। वह भी वहां गये और एव सरमन हुआ यह बनाया गया कि यह करिये वह करिये, लेकिन आज मीटिंग के बाद क्या करने वाले हैं, उसके बारे में कागज में कुछ नहीं है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि पुलिस कमिश्नर भिडर साहब ने एक सरकुलर निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि डिप्टी पुलिस कमिश्नर के नीचे के लोग प्रेस को ब्रीफ नहीं कर सकते। आप यहां आकर कहेंगे कि क्राइम्स कम हो गये। लोगों का अनुभव यह है कि क्राइम बढ़े हैं, दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि पुलिस के साथ बातचीत करने का अधिकार हरेक को नहीं है, बड़े लोग ही बात करेंगे।

आज जो बात हो गई है, अगर सच्चे मन से लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हमारे मिनिस्टर होते तो आज कहते कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि यहां की स्थिति इतनी खराब हो रही है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि भिंडर साहब को यहां से तुरन्त निकालना चाहिये। आप कार्यवाही को ऊपर वालों पर, छोटे कांस्टेबिल के खिलाफ कार्यवाही करते हैं। छोटा सब्जी बेचने वाला ब्लैक मार्किट करता है, तो उसको पकड़ते हैं, बड़े ब्लैक मार्केटियर को नहीं पकड़ते।

आज देश में क्या हो राह है ? लोग भूले नहीं हैं कि 60 लाख रुपया स्टेट बैंक से चला गया नागरवाला के मामले में। वह कहां गये, किसके नाम हैं पता नहीं। मारुति लिमिटेड का नेशनलाइजेशन यहां किया गया।

(व्यवधान)

इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान जैसी संस्था, जो देश का 12 करोड़ जनता का पैसा लेकर बने, उसका समर्थन यहां पर करेंगे, उनको बैंकिंग देंगे तो कैसे काम चलेगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप सवाल कीजिये।

**श्रीमती प्रमिला दंडवते** : मैं सवाल की ओर आ रही हूं। इस प्रकार से अगर सरकार की ओर से हो जाता है तो जनता क्या करेगी ? बम्बई में नहीं, दिल्ली में नहीं, लोगों को लगता है कि पुलिस और गुंडे एक साथ हैं, इन्नोसेंट लोगों को तकलीफ दी जाती है। संडे के न्यूज में है कि आपके नेशनल हैरल्ड की रिपोर्ट है···

**अध्यक्ष महोदय** : आप सवाल कीजिए।

**श्रीमती प्रमिला दंडवते** : टी० के० सिंह ने···

**अध्यक्ष महोदय** : आप इससे सम्बन्धित सवाल करिये।

**श्रीमती प्रमिला दंडवते** : पीछे जो डकैती हुई, उसके बारे में है कि एक तो मार्केट बन्द है तो भी पुलिस की व्यवस्था तो होनी चाहिये, खास तौर से बैंक के पास जबकि ग्रैटर कैलाश में पीछे चोरी हो गई थी। एक अकाली दल की रैली थी, पुलिस सारी वहां गई थी, उनको पता चलने तक देरी हो गई। हमारे बैंक नेशनलाइज्ड हैं, उनके लिए भी सरकार को कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। यह नहीं कि पुलिस को कैसे पता चलेगा। हमारे हर बैंक के बाहर आर्म्ड परसनल हैं या नहीं ? वहां कुछ हो जाता है, तो तुरन्त इन्फार्मेशन के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं ? हाट लाइन पर कुछ व्यवस्था की है या नहीं ? यह सारा होना चाहिये। दिल्ली और बम्बई में हाट लाइन है। लोग सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। अगर बैंकों और पुलिस के बीच में हाट लाइन होगी, तो इस तरह की डकैती नहीं होगी। अभी तक डाकुओं को पकड़ा नहीं जा सका है। कहा जाता है कि उन सब लोगों को पोलीटिकल पेट्रनेज प्राप्त है। आज तो मंधिया का राज है। (व्यवधान) मैं पूछना चाहती हूं कि उनका गाडफादर कौन है। (व्यवधान)

अब मैं कुछ सवाल पूछकर अपना भाषण समाप्त करती हूं। मैं अंग्रेजी में सवाल पूछती हूं :

(1) क्या दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने स्तर विशेष से निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों

को परिपत्र द्वारा यह निदेश जारी किया है कि वे प्रेस से सीधे बात न करे ? क्या यह अपराध को छुपाने का प्रयास नहीं है ?

(2) क्या यह सच नहीं है कि शहर में अपराध की घटनाओं की पुनरावृत्ति के कारण कई इलाकों में आतंक व्याप्त है ?

(3) क्या अपराधों का पता लगाने के लिए कोई आधुनिक उपकरण तैयार किया गया है ?

(4) क्या दिल्ली के पुलिस प्रशासन में किसी प्रकार का राजनैतिक हस्तक्षेप है ?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अगर सरकार दिल्ली में क्राइम नहीं रोक सकती, तो वह पूरे देश में कैसे क्राइम को रोक सकती है ? मन्त्री महोदय इन प्रश्नों का जवाब दें ।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : महोदय, आपने लम्बे भाषण में माननीय सदस्या ने केवल दो अथवा तीन प्रश्न पूछे, उनके भाषण का अधिकांग भाग असंगत था तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं था ।

महोदय इन्होंने डकैतों की संख्या को चुनौती दी है । आपने वक्तव्य में कहा है कि इस घटना में तीन डकैत थे । महोदय, मैं यह बात बैंक के कर्मचारियों द्वारा दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कर रहा हूं, सुनी-सुनाई बात नहीं कह रहा हूं । मुझे नहीं पता कि इन्होंने तीन से अधिक डकैतों की बात कहां से सुनी है । परन्तु अपने मंत्रालय के अफसरों तथा बैंक कर्मचारियों द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से जो जानकारी मिली है, उससे मुझे यह पता चला है कि डकैतों की संख्या केवल तीन थी । (व्यवधान) बैंक कर्मचारियों ने पुलिस को यही सूचना दी थी । उनकी शिकायत पर ही डकैतों की इस संख्या को प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज किया गया था ।

इनके द्वारा कही गई अधिकतर बातों से यह लगता है कि इन्होंने स्वयं इस मामले की जांच की थी तथा इनके पास इस संबंध में बहुत अधिक जानकारी है । मुझे नहीं पता कि इन्होंने यह जानकारी कहां से प्राप्त की है परन्तु इसमें कोई तथ्य नहीं है ।

इनका मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इसमें किसी व्यक्ति द्वारा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है । मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, परन्तु इन्हें ऐसे किसी व्यक्ति का नाम मालूम है तो ये मुझे बता सकती हैं और मैं इन पर कार्यवाही करूंगा ।

जहां तक पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किये गये परिपत्र का संबंध है, यह इसलिये किया गया है कि पुलिस आयुक्त यह चाहते थे कि पुलिस से ठीक-ठीक जानकारी सुनिश्चित की जा सके क्योंकि कुछ छोटे रैंक के पुलिस अधिकारी जो समाचार पत्रों की जानकारी देते थे, कई बार गलत सूचना दे देते थे । अतः पुलिस आयुक्त समाचार पत्रों को आशस्त करना चाहते हैं कि उन्हें ठीक-ठीक

जानकारी दी जाती है ताकि वे उसे अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित कर सकें। अतएव सही सूचना दिये जाने को सुनिश्चित करने के लिए ही पुलिस आयुक्त ने यह परिपत्र जारी किया है कि स्तर विशेष से निचले स्तर को कोई अधिकारी समाचार पत्रों को जानकरी न दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बासीरहाट) आपने इन अधिकारियों के बिरुद्ध क्या कार्यवाही की है, जिन्होंने गलत जानकारी दी थी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह हमें पता नहीं चल सका है क्योंकि आज भी कुछ समाचार पत्रों ने कुछ खबरें प्रकाशित की हैं तथा टाइम्स आफ इंडिया में यह प्रकाशित किया गया है कि 'पुलिस अधिकारी ने कहा...'? भगवान जाने किस पुलिस अधिकारी ने कहा. क्योंकि···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप टाइम्स आफ इन्डिया से इस बात का पता लगा सकते थे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम इस बात का पता लगायेंगे, परन्तु साथ-साथ इस समय यह पता लगाना संभव नहीं होता तथा सही सूचना किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए ही ऐसा किया गया है।

जहां तक आधुनिक हथियारों का संबंध है, इस डकैती में केवल एक पिस्तौल तथा चाकू का प्रयोग किया गया था।

इसके अतिरिक्त राजनैतिक दबाब के बारे में···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिये। मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : अधिकतर व्यक्ति (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को उत्तर देने दें। यदि सब लोग व्यवधान उपस्थित करेंगे तो ये अपना उत्तर कैसे दे सकेंगे ? यह संभव नही है। श्रीमती दण्डवते, आप भी व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकतीं। श्री शेनवलकर, कृपया बैठ जाइये। इन्हें उत्तर देने दें। आप कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकते। आप एक प्रतिष्ठित वकील हैं। आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिये। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान) केवल श्रीमती दण्डवते ही बोल सकतीं हैं। नही, कृपया नहीं। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। इस प्रकार मैं सभा की कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकता। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : क्या मैं···(व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ये आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आप बीच-बीच में व्यवधान क्यों उपस्थित कर रही हैं ? कृपया इनका उत्तर सुनें तथा इनके बाद यदि आप कोई अतिरिक्त स्पष्टी-

करण चाहती हैं तो मैं उसकी अनुमति दूगा । (व्यवधान) श्री शेजवलकर, कृपया बैठ जाइये। आप ध्यानाकर्षण के बीच में व्यवधान अथवा हस्तक्षेप उपस्थित नहीं कर सकते ।

(व्यवधान) **

इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । आप श्रीमती दण्डवते के प्रश्नों का उत्त र दीजिए ।

(व्यवधान)** इस सभा में आप उनकी ओर से उनके पक्ष की पैरवी नहीं कर सकते। (व्यवधान) मैं यह मानता हूं कि वक्ता-सूची में इनका नाम है (व्यवधान) इस तरह से मैं सभा की कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकता ।

**श्री योगेन्द्र मकवाना:** यदि ये मेरा उत्तर सुनना चाहते हैं तो कम से कम केवल एक सदस्य को ही बोलना चाहिये ताकि हम उनकी बात सुन सकें । परन्तु एक ही साथ बहुत से सदस्य बोलते हैं । इसलिए जो ये वास्तव में चाहते हैं, इन्हें नहीं मिल पा रहा है । अत: उत्तर देना संभव नही है । यदि एक सदस्य बोलता है तो वे जो भी पूछना चाहे, मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं ।

इन्होंने राजनैतिक दवाब की बात की है । पुलिस अधिकारियों पर किसी प्रकार का राजनैतिक दवाब नहीं है । हम कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते । जहां तक अपराध का संबंध है, हमने अपने अधिकारियों को कुशलतापूर्वक तथा स्वतंत्रता से काम करने का आदेश दिया हुआ है ।

इन्होंने महारानीबाग की किसी घटना का जिक्र किया है । उस घटना का वर्तमान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री धनिकलाल मंडल ।

**श्री प्रमिला दण्डवते :** मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है ।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं आपको अनुमित नहीं दे रहा हूं । मैंने श्री धनिकलाल मंडल का नाम पुकारा है ।

(व्यवधान)

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) :** इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है ।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** नहीं, यह कोई तरीका नहीं है । (व्यवधान) पांच माननीय सदस्यों के नामों का बैलट किया गया है और ध्यानाकर्षण सूचना में उनके नाम हैं । मैंने श्री धनिकलाल मंडल का नाम पुकारा है ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**श्री अटल विहारी बाजपेयी** : श्रीमती दण्डवते ने कई प्रश्न पूछे हैं तथा माननीय मंत्री ने सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप यह बात कैसे जानते हैं ?

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्योंकि मैं सभा में उपस्थित हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उत्तर दे दिया गया है।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : परन्तु कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है (व्यवधान) आप सभा की कार्यवाही इस तरह से नहीं चला सकते ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह कोई तरीका नहीं है।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बाड़ागरा)**: क्या आप प्रश्नों को दोहरायेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे प्रश्नों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। (व्यवधान) श्रीमती प्रमिला दण्डवते, क्या आप कोई स्पष्टीकरण चाहती हैं ? कृपया संक्षेप में स्पष्टीकरण मांगिये।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मजाक बना रहे हैं। सभा की कार्यवाही को चलाने का यह तरीका नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे नियमों के अनुसार ही सभा की कार्यवाही चलानी होती है। श्रीमती प्रमिला दण्डवते तीन मिनट से अधिक का समय नहीं ले सकतीं। आप इस बात को जानते हैं। आप तो मंत्री रह चुके हैं। आप यह सब जानते हैं। आप नियमों को जानते हैं।

(व्यवधान)

**श्री जनार्दन पुजारी** (मंगलौर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मैं नियम जानता हू। मैंने उन्हें नियम बता दिये हैं।

**श्री जनार्दन पुजारी** : यह आप पर आक्षेप है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि :

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह कोई आक्षेप नहीं हैं। मैं इसकी परवाह नहीं करता।

**श्री जनार्दन पुजारी** : मैं आपकी ध्यान में नियम 197 का खण्ड 2 ला रहा हूं, जो इस प्रकार है ;

ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाये, कोई वाद-विवाद नहीं होगा किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में यह मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा।"

जिन व्यक्तियों के नाम बैलट में आ जाते हैं केवल वही आपकी आज्ञा से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए ··· (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं नियमों से अवगत हूं। आप सभी भी नियमों से अवगत हैं।

**श्री जनार्दन पुजारी :** यह आप पर आक्षेप है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं उसकी परवाह नहीं करता।

**श्री जनार्दन पुजारी :** यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं कार्यवाही वृतांत देख लूंगा।

**श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या श्री भिडर द्वारा ऐसा कोई परिपत्र जारी किया गया है और क्या वह प्रेस से कोई तथ्य छुपाना चाहते हैं। राजधानी में बढ़ते हुए अपराधों और कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए मैं यह जानना चाहती हूं कि आप श्री भिडर को सेवा मुक्त करेंगे अथवा नहीं। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या गृह मंत्री असफल होने के कारण त्यागपत्र देंगे। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सही है कि बढ़ते हुए अपराधों के कारण जनता में भय बढ़ गया है, क्या अपराधों का पता लगाने के लिए कोई अतिआधुनिक उपकरण बनाये गए हैं, क्यों बैंकों के बचाव के लिए उचित व्यवस्था है और क्या वहीं पुलिस प्रशासन में राजनैतिक दखलंदाजी है, इन सब प्रश्नों का उत्तर मैं चाहती हूं।

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** मैं विस्तार से बता चुका हूं कि परिपत्र क्यों जारी किया गया है। मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि प्रेस को सही समाचार मिले, इसके लिए यह वांछनीय है कि जिस अधिकारी के पास पूरी सूचनाएं हैं। वही प्रेस को सूचना दे अन्यथा उन्हें गलत सूचना मिलेगी। पुलिस आयुक्त को हटाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। (व्यवधान) सभा को आंकड़े बताकर मैं बोर नहीं करना चाहता। परन्तु चूंकि वह पुलिस आयुक्त को हटाना चाह रहे हैं और पुलिस पर दोष लगा रहे हैं, इसलिए मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। बिना आंकड़ों के वे कैसे कुछ प्रमाणित कर सकते हैं और पुलिस आयुक्त को हटाने के लिए कह सकते हैं। उन्हें क्यों हटाया जाना चाहिए। उनका क्यों दोष है वरन् उन्होंने काफी अच्छा काम किया है।

अन्य शहरों के मुकाबले यहां सभी अपराधों में कमी आई है। दिल्ली में तुलनात्मक रूप से कम अपराध हो रहे हैं। वर्ष 1980 में बम्बई में 3×3 चोरियां हुई, कलकत्ता 330 और दिल्ली में केवल 277। 1-1-81 से 3-6-81 के दौरान बम्बई में इनकी संख्या 216, कलकत्ता में 58 और दिल्ली में 92 रही। जहां तक डकैतियों का संबंध है, 1980 में बम्बई में 54, कलकत्ता में 62 और दिल्ली में केवल 40 डकैतियां हुईं। 1-1-81 से 3-6-81 तक बम्बई में इनकी संख्या 27, कलकत्ता में 26 और दिल्ली में केवल 20 रही। इसलिए दिल्ली में अपराधों में कमी आयी हैं। पुलिस आयुक्त को हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं। गृह मंत्री से त्यागपत्र मांगने का कोई प्रश्न नहीं है। वह क्यों और किसलिए त्याग पत्र दें ?

जहां तक आधुनिक सुरक्षा उपायों का संबंध है, हमने इसकी व्यवस्था कर ली है और हमने पुलिस के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए कुछ धन की भी व्यवस्था की है। छठी योजना में पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अपनी सुरक्षा के लिए बैंकों के पास अपनी व्यवस्था भी है और जहां डकैती आदि का डर है उन इलाकों में हमने पुलिस की गस्त आदि में वृद्धि कर दी है।

**श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण)** : यह आंकड़े गलत हैं। यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि यह गुमराह कर रहे हैं तो आप केवल विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं।

अब श्री धनिकालाल मंडल बोलेंगे। खुशकिस्मती से आप गृह मंत्री रह चुके हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि काफी सावधानी से प्रश्न पूछेंगे।

**श्री धनिकलाल मंडल** (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष जी, दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ इसकी नब्ज भी है और यदि दिल्ली की अपराध स्थिति में, क्राइम में सुधार नहीं हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं तो सहज ही देश की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। श्री मकवाना साहब के बयान हम लोग समय-समय पर देखते रहते हैं। चाहे वह कितना दावा करें, कभी 14 प्रतिशत का, कभी 20 प्रतिशत और कभी किसी प्रतिशत का, कि अपराध में घटती हुई है, तो स्थिति यह है कि दिल्ली देश की सबसे अशान्त नगरी है। अभी श्री मकवाना जी ने तुलनात्मक स्थिति का जायजा दिया कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तथा दूसरे शहरों की महानगरी के मुकाबले में दिल्ली में क्राइम्स कम हुए हैं, जो यह सरासर असत्य है, बेबुनियाद है और गलत है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी तुलना में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के मुकाबले में दिल्ली में बलात्कार, डकैतियां और अपहरण, इस तरह के जो मामले हैं, वे अधिक हुए हैं और यदि आप गलतबयानी करेंगे तो अपके खिलाफ प्रवलैज मोशन दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं दिल्ली सबसे अशान्त नगरी है। मैं ध्यानाकर्षण मेंसाउथ एक्सशर्टेन कनारा बैंक से संबंधित तीन-चार सवाल जो कि बहुत ही पर्टिनेंट हैं, पूछना चाहता हूं।

पहला सवाल यह है, इस तरह की कोशिश इसी कनारा बैंक, साउथ एक्सशर्टेन, में एक जून को भी हुई थी और वहां के अधिकारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। बावजूद इस बात के कि एक जून के बाद रात्रि जून को बैंक में डकैती हुई तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, उस बैंक को बचाने के लिए क्या किया ? आपने अपने जवाब में इस बात को स्वीकार किया है कि डकैती 3.45 बजे हुई और .45 बजे पुलिस को खबर हुई है। मकवाना साहब ने इनफार्मेशन देते हुए कहा था कि दिल्ली के कन्ट्रोल रूम को आधुनिक साज-सज्जा से सजाया जा रहा है कि कोई भी अपराधी भागकर, बचकर, नहीं निकल पाएगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब इसकी सूचना मिली तो कन्ट्रोल रूम ने क्या किया ? इन्होंने कहा कि एक पुलिस पार्टी सब-इंस्पैक्टर या इंस्पैक्टर के नेतृत्व में वहां पहुंची। सवाल यह है कि जब कन्ट्रोल रूम को खबर हुई तो कन्ट्रोल रूम ने क्या

कार्यवाही की जिससे मुजरिम पकड़े जा सकें ? इन्होंने कुछ नहीं किया, समय बरबाद किया, 5-50 तक इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, यह बातअखबारों में आई है । आपकी पुलिस नेस्वीकार किया है कि कन्ट्रोल रूम ने कोई कार्यवाही नहीं की ।

इन्होंने कहा है कि पुलिस पिकेट्स वहां कायम कर दिएगये हैं और पुलिस का भारी बन्दोबस्त कर दिया गया है सवाल यह है कि जब पुलिस पिकेट हर क्रासिंग पर है तो क्या बात है कि उसके होते हुए भी यह घटना हुई ? अखबारों का कहना है कि वहां एक भी पुलिस कांस्टेबिल बिजिबिल नहीं था—मैं जानता हूं—माननीय मंत्री जी यह जवाब दे देंगे कि पुलिस का बाकायदा प्रबंध था, हर क्रासिंग पर पुलिस पिकेट थी, पैट्रोलिंग की व्यवस्था थी, पुलिस की व्यवस्था थी, लेकिन प्रश्न यह है कि उस समय कहां थी ? इससे यह प्रकट होता है कि इसमें कोई गड़बडी जरूर है, वरना इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती, इतने समय तक होती रही, पुलिस को खबर भी हुई, लेकिन कहीं कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया और न कोई क्लू मिला । इनका जो हंच है कि उन्होंने अपना पेटर्न बदल दिया है—यह सब ख्याली-पुलाव है और कुछ नहीं है ।

ये हमको बराबर खबर करते रहते हैं कि बैंकों और पुलिस के बीच में हाट-लाइन की व्यवस्था की जायेगी जिससे इस तरह की घटनाओं को दोबारा न घटने दिया जाय । अभी भी बतलाया है कि ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो । लेकिन इन्होंने यह नहीं बतलाया है कि वह कैसी व्यवस्था होगी । हमें लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, सदन को विश्वास में लेना चाहिये कि वह क्या व्यवस्था आप करने जा रहे हैं जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो और इसकी रोकथाम की जाय ।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : वह डाकुओं को नहीं बतलाना चाहते हैं ।

**श्री धनिकलाल मंडल** : इन्होंने बतलाया था कि पुलिस और बैंकों के बीच में हाट-लाइन की व्यवस्था की जायगी, उसका क्या हुआ ?

माननीय मंत्री जी ने यह भी बतलाया था कि वह बाकी-टाकी का प्रबन्ध भी कर रहे हैं, खासतौर से इस तरह के सेन्सिटिव एरियाज में जहां बैंक्स आपरेट करते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उनके बाकी-टाकी का क्या हुआ ?

मान्यवर, आज दिल्ली की जो स्थिति है, उसके सम्बन्ध में यह सवाल उठता है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मंडल, जब आप गृह मंत्री थे तो क्या आपने ऐसी कोई प्रणाली शुरू की थी ?

**श्री धनिकलाल मंडल** : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं इन अपराधों के साथ-साथ इनके समय में , 1980 में, 394 महिलाओं को जला डाला गया यह इन्होंने खुद स्वीकार किया है—उस सदन में । दिल्ली में औरतों के साथ जो इस तरह के जघन्य अपराध हुए हैं, इनमामलों में दिल्ली की पुलिस बिलकुल निकम्मी साबित हुई है, और ये कुछ नहीं कर पाये हैं । दिल्ली के सीमान्त पर जो बसी हैं, गांव हैं वहां हरिजनों को बराबर तंग किया जाता है, उन पर अत्याचार किये जाते हैं, क्या

मंत्री जी इस सत्य से इन्कार कर सकते हैं ? आज हरिजन वहां से हट जाना चाहते हैं, इतना असुरक्षा का भाव उनके अन्दर पैदा हो गया है। चाहे औरतों का मामला हो, चाहे हरिजनों का मामला हो, चाहे अपराध-कर्मों का मामला हो—नद सारी बातों को मिलाकर देखेंगे तो पायेंगे कि आपकी पुलिस बिलकुल फेल हुई है। यह बात जरूरी है— माननीय मंत्री जी कुछ आंकड़े दिखला देंगे, अभी हमको लेफ्टीनेन्ट गवर्नर के आंकड़े देखने को मिले थे—उन्होंने बतलाया था कि इस साल 6 महीनों में पिछले साल के इन्ही 6 महीनों के मुकाबले अपराध कर्मों में 2 हजार केसेज कम दर्ज हुई हैं। 1980 में इन्हीं दिनों 14 हजार घटनायें घटी थी जबकि इस बार 12 हजार घटनायें दर्ज हुई हैं। अब जहां तक घटनाओं के दर्ज होने की बात है, वाजपेयी जी ने जो अभी कहा था, वह हमें मालूम है और हमारी माननीय सदस्या ने जो कहा वह भी हमें मालूम है। इन्होंने ऐसा सर्कुलर ईशू कर दिया है जिसमें इस तरह के अपराध-कर्मों को कवर कर दिया जाता है और इस तरह से उनको घटाकर दिखाते हैं। इनका यह एक तरीका हो गया है चाहे वह प्रेस का मामला हो या कोई और। इससे बदमाशों का हौसला बढ़ता है क्योंकि असत्य को छिपाया जाता है, कोढ़ को छिपाया जाता है। कोढ़ को छिपायेंगे, तो कोढ़ ठीक नहीं होगा बल्कि पूरे बदन में वह फैल जाएगा। असत्य को छिपाने से कोई लाभ नहीं होता है। वह झूठ से भी खराब होताहै। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि इस तरह के आंकड़े दिखा कर आप यह साबित करना चाहते हैं कि अपराध कम हुए हैं हालांकि जनता के मन में भय है, आतंक है। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में यहां पर पुलिस कमिश्नर व्यवस्था की गई और यह जानकर की गई कि जहां-जहां पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था है चाहे वह बम्बई हो, मद्रास हो और चाहे कलकत्ता हो, वहां पर अपराधों में कमी हुई है। इसको देखकर यहां पर भी यह व्यवस्था की गई लेकिन उसका फल क्या हुआ कि अपराध बढ़ते ही गये। जो बीमारी थी, जो रोग था उसको ठीककरने के लिए यह उपाय कियागया लेकिन उसका नतीजा उल्टा ही निकला। इसका कारण क्या है, इसका कारण है पालीटीकल इन्टरफियरेन्स। यह सत्य बात है और अभी जो माननीय सदस्या ने कहा है वह बात बिलकुल सही है कि राजनीतिक दखल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस में क्षोभ है। यही नहीं, क्षोभ का कारण यह भी है कि जनता सरकार ने पुलिस कमीशन का गठन किया था 1977 में। 1902 के बाद 1977 में पुलिस कमीशन का गठन हुआ, 75 साल के बाद, और उसने 8 रिपोर्ट दी हैं लेकिन माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और वे इसको बताएं कि एक भी रिपोर्ट उसकी सदन के पटल पर नहीं रखी गई है। पुलिस कमीशन ने सभी रिपोर्टें दे दी हैं और वह वाइन्ड अप हो गया है।

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** एक रखी है।

**श्री धनिकलाल मंडल :** एक रखी है, इससे कुछ नहीं बनता है। और रिपोर्टों को जो दबा कर रखा है, उससे पुलिस डीमोरेलाइज हुई है। पुलिस में डीमोरेलाइजेशन है इस बात से, और माननीय मंत्री जी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस तो गश्त पर रहती है लेकिन जो पुलिस अफसर हैं वे घर में रहते हैं और मौज मस्ती करते रहते हैं। इस तरह से पुलिस का मनोबल कैसे बढ़ सकता है। आफीसरों को सुपरवीजन करना चाहिए लेकिन दिल्ली के पुलिस अफसर उतना सुपरवी-

जन नहीं करते हैं जितना उनको करना चाहिए और वे यह नहीं देखते हैं कि पुलिस लोग अपने काम में दक्ष हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। पुलिस के लोग कहीं बैठकर हुक्का-चिलम पीते हैं और कहीं बीड़ी फूंकते हैं या फिर गप्पे मारते हैं और इसका कारण यह है कि अफसरों का सुपरवीजन नहीं हैं जो पुलिस के हायर अफसरों का सुपरवीजन होना चाहिए जो गश्त होनी चाहिए, वह नहीं होती है और यही कारण है कि दिल्ली देश की सबसे अशान्त नगरी बन गई है, चाहे मंत्री जी जो भी आंकड़े दें।

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** आंकड़े देने का कोई सवाल न उठता और मैं देने वाला भी नहीं था। लेकिन जब इन्होंने आंकड़े दिये हैं।

**श्री धनिकलाल मंडल :** एक बात और कहने से छूट गई है। मंत्री जी उसको सुन लें और जबाव दें। यह 2 अगस्त का वाक्या है। 2 अगस्त को आश्रम चौक पर पुलिस ने गोली से एक राहगीर को मार दिया। पुलिस का काम संरक्षण देने का है लेकिन पुलिस से एक निर्दोष को गोली से मार दिया। 2 तारीख की यह घटना है और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। 2 अगस्त को आश्रम चौक पर पुलिस की गोली से श्री विलायतीराम लांबा नामक एक एक व्यक्ति को मारा गया, एक राहगीर को मारा गया और पुलिस ने उसकी लाश को जला दिया और जलाने के बाद 7 अगस्त को केवल एक अखबार में उसका फोटो छापा। ऐसा क्यों हुआ? पुलिस का काम है लोगों को सरक्षण देने का और पुलिस निर्दोष आदमियों को गोली से मारती है। यह विचारा राहगीर था, विलायती राम लांबा नाम का आदमी, जो सड़क पर था और पुलिस ने उसको गोली से मार दिया।

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** मैं कह रहा था कि स्टेटिस्टिक्स देने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जब माननीय सदस्य ने स्टेटिस्टिक्स की बात की है, तो मेरे पास कोई दूसरा आधार नहीं है, इसलिए स्टेटिस्टिक्स देनी पड़ती है चाहे वे उनको मानें या न मानें। जब वे मिनिस्टर थे, तो आंकड़ों की बात करते थे और मैंने श्री धनिकलाल मंडल को सुना है। एज ए मेम्बर उनसे जब-जब क्वेश्चन पूछे, तब-तब उन्होंने जो जवाब दिया, वह आंकड़ों में ही दिया।

**श्री रामलाल राही (मिसरिख) :** अब तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय, :** वह श्री मंडल को उत्तर दे रहे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? उन्हें बोलने दीजिए। तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने किस प्रश्न का उत्तर दिया है। आप केवल सरकार की ही मदद कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी बाधा डालने का क्या कारण है। मंत्री महोदय श्री मंडल को उत्तर दे सकते हैं। आप श्री मंडल को ही उत्तर दीजिए।

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** इसलिए हमें भी आंकड़ों से ही बात करनी पड़ती है अब उनको पसन्द आये या न आये।

जहां तक मेट्रोपोलिटन सिटीज की बात है, यह जो कालिंग अटेंशन है, यह रोबरी और डकैती के बारे में इसलिए मैंने उसी के आंकड़े कोट किए हैं और दूसरी कोई बात नहीं की है।

उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि आश्रम में घटना घटी। उसकी तो मेजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रही है। जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ बाहर आयेगा और उस पर जो एक्शन लेना जरूरी होगा वह जरूर लिया जाएगा।

जहां तक बैंक की रोबरी की बात है, यह फिजूल की बात है कि उसमें कुछ लोग सस्पेक्ट भी दिखाई पड़े; उसके बाद अमोनिमस काल भी आया था। जून मास से वहां पुलिस की पेट्रोल बढ़ा दी थी। यह जो घटना घटी, वह छुट्टी के दिन में घटी। पूरी पुलिस उस समय अकाली दल के जुलूस में लगी हुई थी, सिर्फ स्केलटन स्टाफ ही वहां पुलिस स्टेशन में था। यह जो घटना घटी है उसकी हम पूरी तरह से जांच करके पकड़ेंगे।

इस बारे में दो-तीन सवाल उठाये गये। यह डकैती की घटना 3 बजकर 30 मिनट पर घटी, यह यहां कहा गया। यह भी कहा गया कि पुलिस बहुत लेट पहुंची। इस घटना के घटने के बारे में लोग साढ़े तीन से साढ़े चार बजे तक का समय कहते हैं। पुलिस को फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट 4 बजकर 4० मिनट पर मिली। एक टेलीफोन काल के द्वारा एक अननोन आदमी ने यह बताया। उसने अपना नाम नहीं बताया। उसके इमीडियेटली बाद तमाम पुलिस स्टेशन के ओर कंट्रोल रूम अफसर वहां पहुँच गए। पांच-छः मिनट में ही वे वहां पहुँच गए। वे 4 बजकर 50 या 51 मिनट तक वहां पहुँच गए थे। 4 बजकर 53 मिनट तक, दो मिनट बाद वार्रलेस से सभी पुलिस स्टेशनों ओर आफिसरों को भी खबर दे दी गयी कि ऐसी घटना यहां घटी है और कोई सस्पेक्ट दिखाई पड़े तो उसकी जांच होनी चाहिए।

इस तरह से पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। पांच-छः मिनट में ही, 4 बजकर 50-51 मिनट तक लोग वहां पहुँच गए। जहां तक पुलिस के मोडरेनाइजेशन का सवाल है उसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया है कि सारा मोडरेनाइजेशन करने की बात फाइव इयर प्लान में है और उसमें बाकी-टाकी भी आ जाता है।

जहां तक हरिजनों पर अत्याचार की बात है उनके बारे में हमने पुलिस को कह दिया है। मेरे पास कम से कम सौ आदमी रोज मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आते हैं। उनमें ज्यादातर हरिजन होते हैं। पूरे देश से लोग आते हैं। स्टेट के जो मामले होते हैं उनके लिए मैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बात करता हूँ और एक्शन लेता हूं। यूनियन टेरीटरी के बारे में पुलिस कमिश्नर से नहीं बल्कि एस० एच० ओ० से पूछता हूं, बाद में पुलिस कमिश्नर से भी जानकारी कर लेता हूँ। इस तरह से इनके बारे में हम इमीडियेट एक्शन लेते हैं। अब यह तो मैं नहीं कह सकता कि यह सब कुछ फुल प्रूफ है। ऐसी घटना तो घटती रहती है।

जहां तक पोलिटिकल प्रेशर की बात कही गयी, हमारे यहां तो कोई पोलिटिकल प्रेशर है नहीं, न हमारे पास ऐसी कोई कम्प्लेंट आयी है। अगर माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई कम्प्लेंट हो तो वह हमें बता दें कि कहीं पोलिटिकल प्रेशर है।

जहां तक पुलिस कमीशन की रिपोर्ट का सवाल है, माननीय सदस्य मंत्री रह चुके हैं, वे जानते हैं कि एक रिपोर्ट हमने लेकर दी है। पहली रिपोर्ट हमने रखी है। और जो रिपोर्ट हैं

उनका एग्जामिनेशन होता है, उन्हें स्क्रूटिनाइज किया जाता है। अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है। (व्यवधान) आठ रिपोर्ट आयी हैं उनमें से एक टेबल पर लेकर दी है, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट का है और जहां तक यूनियन टेरीटरी का ताल्लुक है, हम एक्शन ले रहे हैं। इसके अलावा सुपरवीजन आफ हायर आफीसर्स की बात कही गई तो सुपरवीजन तो हायर आफिसर करते हैं और समय-समय पर हम भी करते हैं।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी जवाबदेह सरकार का इतना गैर जवाबदेह जवाब नहीं हो सकता, जैसा इन्होंने बहुत हल्के-फुल्के तरीके से वक्तव्य दिया। इस वक्तव्य से कानून-व्यवस्था ठीक करने और खासतौर से बैंकों की लुटेरों और डकैतों से रक्षा करने में मदद नहीं मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह डकैती 7 तारीख को हुई। इससे पहले नागरवाला कांड 1973 के सितम्बर माह में हुआ था, उसके बाद यह बड़ी डकैती हुई।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : इसका इससे क्या ताल्लुक है ?

**श्री रामावतार शास्त्री** : इस डकैती के पहले भी ग्रेटर कैलाश में डकैती हो चुकी है और कई जगह जैसे निजामुद्दीन और कई जगहों पर घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रेटर कैलाश की डकैती में 1 23 000 रुपए लूट लिए गए थे और इसमें 6,44,000 रुपए लूट लिए गए। इस प्रकार से डकैतियों का सिलसिला दिल्ली समेत पूरे हिन्दुस्तान के तमाम बड़े-बड़े शहरों में बढ़ रहा है और सरकार इतने हल्के तरीके से इसको ले रही है।

अभी जो कनारा बैंक में साउथ एक्सटेंशन में डकैती हुई, उसके बारे में मंत्री जी ने बताया है कि 3 आदमी अन्दर गए और दो आदमी बाहर खड़े थे, वे देखते थे कि कोई बाहर का आदमी न जाए। मुझे लगता है कि इसकी खबर लगाने में आपकी पुलिस असमर्थ रही। वे देखते थे कि कोई भीतर न जाए। तीन आदमी अन्दर छुरे और पिस्तौल से डरा-धमकाकर काम कर रहे थे। इसी बीच में कोई कर्मचारी खिसककर बाहर निकल गया। वहां की टेलीफोन लाइन तो काट दी गई थी। उसने बाहर से डिफेंस कालोनी के थाने में फोन किया। वहां के किसी अधिकारी ने यह गैर जवाबदेही का जवाब दिया कि यह हमारा इलाका नहीं है, दूसरी जगह टेलीफोन करो। अगर यह बात सच है तो मैं नहीं समझता कि इस पुलिस अधिकारी को सरकारी सेवा में रहने की आवश्यकता है। फिर साउथ एक्सटेंशन थाने में फोन किया गया। वहां फोन रिसीव करने वाले ने कहा कि सुनाई नहीं देता। यह बात सही हो सकती है। अगर थाने के टेलीफोन की हालत यह है तो ऐसी स्थिति में स्टीफन साहब मंत्री बने हुए क्यों बैठे हैं जो थाने का टेलीफोन भी ठीक नहीं रख सकते। यह बात भी है कि जब ग्रेटर कैलाश में डकैती हुई थी, उस समय वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुलिस अधिकारियों को खबर की कि इस तरह की डकैती की उनको धमकियां दी गई है और इस डकैती के बारे में भी पहले से धमकी दी गई। एक जून को कोशिश भी की गई, जो सफलीभूत नहीं हुई, उनका षडयंत्र कामयाब नहीं हुआ। फिर भी पुलिस चौकन्नी नहीं हुई और आप कहते हैं कि भिण्डर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे है। अगर यही अच्छा

काम है तो डकैतियां बढ़नी जाएं, लूटपाट बढ़ती जाए। आपके लिए जरूर अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके कुछ राजनीतिक मतलब साधते होंगे। लेकिन कानून और व्यवस्था को वह ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इन बातों की रोशनी में, पृष्ठभूमि में, परिप्रेक्ष्य में मैं सवाल पूछना चाहता हूं।

क्या यह सच है कि बैंक की रक्षा करने के लिए पहले जो बंदूकधारी रक्षक रखे जाते थे उनको हटा दिया गया है, यदि हां तो इसका क्या औचित्य है, ऐसा क्यों किया गया ?

बैंक और कर्मचारियों की रक्षा के लिए आपने क्या कोई व्यवस्था की है ? आपने आखिर में यह कह दिया है कि ऐसी डकैतियों और लूटपाट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। लेकिन आपने किसी कदम का जिक्र नहीं किया है। दो चार नहीं तो एक ही कदम बता दीजिए, जो आपने उठाया है ?

कर्मचारियों और अधिकारियों की हिफाजत के लिए आपने कौन से कदम उठाये हैं, जनता का जो पैसा उनमें रखा रहता है, उसकी रक्षा के लिए आपने कौन-सा कदम उठाया है ?

कहा जाता है कि आपने पूरी दिल्ली को डकैतों और अपराध कर्मियों से बचाने के लिए नाकेबन्दी कर रखी है। इस नाकेबन्दी के बावजूद भी इतनी बड़ी-बड़ी डकैतियां पड़ रही हैं, खूनरेजी हो रही है, रेप चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस नाकेबन्दी का क्या मतलब है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस नाकेबन्दी के बावजूद आपके पुलिस अधिकारी डकैतों से मिले हुए हैं और मिलकर डकैतियां करवा रहे हैं ? नहीं तो नाकेबन्दी का क्या औचित्य है ? नाकेबन्दी है तो उसका कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए।

क्या यह सच है कि सात तारीख को साउथ एक्सटेंशन के कैनरा बैंक में जब डकैती पड़ी तो वहां से सारी पुलिस को हटा करके अकाली दल की रैली से निपटने के लिए लगा दिया गया था, अगर सच है तो क्या किसी भी सरकार के लिए यह शोभा की बात है कि किसी रैली को दबाने के लिए तमाम कानून व्यवस्था की मशीनरी को हटा दिया जाए किसी खास इलाके से ?

जो कर्मचारी और अधिकारी घायल हुए उनकी मदद के लिए सरकार ने क्या किया है ? जो बेचारे बैंक कर्मचारी वहीं कहीं लड़ते हैं और लड़ते हुए घायल हो जाते हैं, दिल्ली में भी ऐसा हुआ है, किसी ने हलका सा भी विरोध किया तो उसे छुरा मार दिया गया, ऐसे लोगों की मदद के लिए आपने कोई व्यवस्था की है या नहीं और अगर की है तो क्या की है ?

यह तो बैंकों के सिलसिले में हुआ क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उनके बारे में है। अब थोड़ा इससे हटकर मैं एक सवाल करना चाहता हूं। पुलिस में बड़ा भयंकर असन्तोष है। पुलिस कमिशनर की तीसरी रिपोर्ट आपको मिल चुकी है जिसमें पुलिस कर्मियों के रहन-सहन के दर्जे में सुधार करने की बात है। आपने उसको अभी तक सदन के सामने पेश नहीं किया है जिसके विरोध में पुलिस वालों का जो संगठन है, फेडरेशन है, नान गजेटिड पुलिसमैन फेडरेशन उन लोगों

ने आप से बहुत निवेदन किया है, फिर भी आपने माना नहीं है। अत: उनको मजबूर होकर जेल भरो आन्दोलन शुरू करना पड़ा है। उस रिपोर्ट को आप सदन के पटल पर कब रखना चाहते हैं, और पुलिस असन्तोष जो है उसको दूर करने के लिए आपने इस बीच में कोई कार्यवाही की है ? अगर की है, तो क्या है ? और जिनको आपने जेल में बन्द रखा है उनको आप रिहा कर देंगे कि नहीं ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** पहली बात तो यह है कि जो बार-बार कही जाती है कि वह कितने रौबर्स थे, 5 या 3 थे। तो मैं पहले कह चुका हूं कि एफ० आई० आर० में 3 आदमी लिखाये गये हैं। जिसके यहां डकैती होती है और जो वह इन्फोरमेशन देता है पुलिस उस पर ही चलती है और उन्होंने 3 कहा है, इसलिए हम भी 3 मानकर ही चलते हैं। 5 कहा होता तो हम वैसा कहते। लेकिन ऐसी कोई इत्तिला हमको नहीं मिली है कि 5 लोग थे।

दूसरी बात आपने टेलीफोन के बारे में कही। आपने कहा कि डिफेंस कालोनी में टेलीफोन किया गया, वहां नहीं लिया गया और फिर साउथ ऐक्सटेंशन किया। यह बात गलत है। यह पुलिस स्टेशन ही डिफेन्स कालोनी पुलिस स्टेशन है। डिफेंस कालोनी पुलिस स्टेशन का टेलीफोन आर्डर में था। जैसे टेलीफोन मिला वैसे ही ऐक्शन लिया। मैंने कहा कि 4 बजकर 45 मिनट पर काल मिला और पुलिस ने फौरन ऐक्शन लिया। साउथ ऐक्सटेंशन एरिया में ही उस पुलिस स्टेशन का नाम डिफेंस कालोनी पुलिस स्टेशन है और वहां टेलीफोन मिला।

आपने यह भी कहा कि बैंक की रक्षा करने के लिए गार्ड्स को हटा लिया गया। इस बारे में मेरा निवेदन है कि यह जो अरेंजमेंट है वह तो बैंकों की खुद की है, उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। जो हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड की है, इस देश में 35,000 कमर्शियल बैंक्स का ब्रांचेज है और एक बैंक में अगर 4 आर्म्ड गार्डस रखें तो 1 लाख 40 हजार लोगों की जरूरत होती है जिन पर 140 करोड़ रु० सालाना खर्चा होगा उन गार्डस के रखने पर यह सब सोच विचार कर ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के कहने पर बैंकों ने गार्डस को हटाया होगा, लेकिन इसकी निश्चित सूचना मेरे पास नहीं है। प्राइवेट बैंकों का जहां तक सवाल है यह उनका खुद का अरेंजमेंट है।

जहां तक पुलिस के अरेंजमेंट का ताल्लुक है वह जनरल ला ऐंड आर्डर के लिए होता है उसमें बैंक और दूसरे ऐस्टेबिलशमेन्ट और कामन लोग भी आते हैं। और उसके लिए पुलिस ने कई कार्यवाही की हैं, स्टेप्स लिये हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि मैं पढ़कर बताऊं। अगर आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं। लेकिन उसमें सदन का टाइम जायेगा, और पहले मैं पढ़ चुका हूं दूसरे सवाल के जवाब में फिर भी मैं पढ़े देता हूं।

(1) दिल्ली पुलिस के लिए लगभग 2000 और पदों का सृजन किया गया है।

(2) बल की परिचालन सम्बन्धी गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए पुराने वाहनों को बदलने तथा नये वाहन खरीदने के लिए स्वीकृति भी दी गयी थी।

अपराधों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित विभिन्न उपाय भी किये थे :

(1) पुलिस सतर्कता में वृद्धि ।

(2) गहन पैदल तथा वाहन सुरक्षा जिसमें हथियार बाकी-टाकी सेट तथा वायरलैस लगी मोटर साइकिलें आदि शामिल हैं ।

(3) असामाजिक तत्वों तथा अपराधियों के विरुद्ध छाप प्रक्रिया संहिता की सामान्य निवारक धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही ।

(4) खुफिया तंत्र को फैलाकर डाकू, लुटेरों तथा अन्य कदाचारियों का पता लगाने के लिए जिले के विशेष स्क्वाइड द्वारा लगातार अभियान चलाना ।

(5) उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जो अपराध में शामिल हैं, वाहनों की अचानक जांच ।

(6) जाने हुए अपराधियों पर सख्त निगरानी ।

(7) पहरा की व्यवस्था तथा

(8) पुलिस रक्षकों तथा पिकेटों के समन्वय से स्थानीय निवासियों तथा निजी चौकीदारों द्वारा थिक्की पहरों का आयोजन ।

(9) मुक्त किए गये अपराधियों पर विशेष नजर रखना । खास-खास स्थानों पर पिकेट स्थापित करना, चुने हुए तथा खास स्थानों पर बैरियर्स लगाना । शहर-राज्य निकाला देने की कार्यवाहियों को बढ़ाना । अन्य नजदीकी राज्यों के पुलिस कर्मचारियों के साथ अन्तर्जिला बैठकें करना ।

पुलिस प्रबन्ध को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने ये विभिन्न कदम उठाये हैं अब जहां तक माननीय सदस्य द्वारा बैंक कर्मचारियों के बारे में उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, बैंक कर्मचारियों की रक्षा के बारे में क्या व्यवस्था की गयी है ।

मैंने कहा कि यह तो सब जनरल व्यवस्था है, बैंक अपना खुद का भी एरेंजमेंट करते हैं और जनरल ड्यूटी पुलिस की मोबाइल स्कवैड वगैरह फिरती है, वह रक्षा करती है ।

नाकेबन्दी के अर्थ क्या हैं ? वह इसलिए किया जाता है कि रात को···

**श्री रामावतार शास्त्री** : आपने सवाल समझा नहीं । नाकेबन्दी के बावजूद इस तरह की कार्यवाही हो चल रही हैं, यह बताया जाये कि क्या डकैतों की पुलिस से मिलीभगत है ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : मैंने समझ लिया आपका सवाल । डैकोयट कोई दूसरे लोग नहीं होते हैं । मैंने खुद कहकर वायोडाटा मंगवाया था ताकि मैं देख सकूं कि कैसे-कैसे क्रिमिनल्स हैं ।

जो हमारे पास रिकार्ड है, उसमें ऐसे-ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, डबल ग्रेजुएट्स हैं, कालेजों में पढ़ते हैं। अब एक लड़की है मीरा ठाकुर, जो त्यागी गैंग में पकड़ी गई। वह ग्रेजुएट कालेज में पढ़ती थी और वहां से डेकोयट्स के साथ आ गई। एक लड़का जसबीर करके ग्रेजुएट है, वह भी उसमें आ गया। यह सरकमस्टान्सेज से होते हैं, ऐसे नहीं है कि क्रिमिनल ही हैं। ऐसी कोई घटना घटती है तो उसमें से वह क्रिमिनल बन जाते हैं। यह जो जसबीर है, उसकी बहिन को किसी ने मजाक किया, उसने उसको पीटा, उसमें वह जेल गया, जेल में वह दूसरे डैकोयट्स से मिला और बाद में वह भी क्रिमिनल बन गया। वह तो सोसाइटी में से आते हैं।

जहां तक आज का जो किस्सा है, उसमें भी लोग थे, वह सब नौजवान थे। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, अच्छे लगते थे, रास्ते पर चलते किसी को मालूम नहीं होता कि ये डैकोयट हैं। इतने अच्छे लोग होते हैं। लेकिन अन्दर जाकर उन्होंने डैकोयटी की।

नाकेबन्दी तब होती है जब इन्फार्मेशन मिलती है कि इस नम्बर की व्हीकल है उसमें कुछ ऐसे लोग जा रहे हैं। जहां सस्पैक्ट होते हैं, वहां व्हीकल को भी रोकते हैं और दूसरी बातें भी करते हैं।

माननीय सदस्य ने कहा कि सारी पुलिस को अकालियों की जो रैली हुई, उसको दबाने के लिए भेजा गया। ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब राजधानी में इतने लोग आते हैं, खासतौर पर एजीटेशन के लिए तो उसके लिए व्यवस्था भी करनी पड़ती है। अगर व्यवस्था नहीं होती, और कुछ घटना हो जाती तो यही माननीय सदस्य कहते कि आपने अरेन्जमेंट क्यों नहीं किया? तो अरेन्जमेंट तो इसलिए करना पड़ता है।

मेरी पहली बात यह है कि ऐसे एजीटेशन क्यों कर हैं, 50 आदमियों के यहां आने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं करते तो पुलिस को वहां डिप्लाय नहीं करना पड़ता।

**श्री रामावतार शास्त्री** : आपको याद है या भूल गये, आप भी तो लाये थे। दोनों तरफ की बात होनी चाहिए।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : लेकिन ऐसी बात होती है तो पुलिस को डिप्लाय करना पड़ता है।

सवाल यह भी उठाया गया कि जो बैंक कर्मचारी घायल हुए हैं, उनके कंपैन्सेशन का क्या किया? इस बारे में खुद बैंक सोचेगी।

पुलिस में जो असन्तोष है, हो सकता है कहीं होगा, कई जगह हैं भी, लेकिन उसके लिए हम कुछ एक्शन भी कर रहे हैं। पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में जो सुझाव दिये हैं, उसके मुताबिक हम एक्शन भी लेते हैं। हम पुलिस हाउसिंग की स्कीम को फिर से रिवाइव करने की सोच रहे हैं। पुलिस वैलफेयर की बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।

**श्री जनार्दन पुजारी** (मंगलोर) : श्रीमान, मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में कहूंगा। मैंने विपक्ष के तीन सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना। श्रीमन, उन्होंने पुलिस की निंदा की है। उन्होंने मंत्री महोदय की भी निंदा की है, उन्होंने सरकार की भी निंदा की है। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने डकैतों तथा लुटेरों की कोई निंदा नहीं की है।

यह भी कहा गया है कि विशेष तौर से हमारी सरकार के आने के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गयी है और अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। क्या मैं वर्ष 1980 तथा 1979 में विशेष तौर से डकैतियों के अपराधों की ही वास्तविक संख्या की सभा को जानकारी दे सकता हूं। वर्ष 1979 में जब श्री धनिकलाल मंडल राज्य गृह मन्त्री थे, 64 डकैतियां पड़ीं, उस समय मैं भी संसद सदस्य था। (व्यवधान) वर्ष 1980 में डकैतियों की घटनाओं की संख्या 64 से घटकर 33 रह गई।

**धनिकलाल मंडल** : माननीय सदस्य को पता नहीं है। मर्डर और डेकायटीज ज्यादा हुई हैं। इस तरह फिगर्ज क्वोटन किया कीजिए। (व्यवधान)

**श्री जनार्दन पुजारी** : जहां तक लूटपाट का सम्बन्ध है वर्ष 1979 में लूटपाट कों 1621 घटनाएं हुई। वर्ष 1980 में केवल 293 लूटपाट की घटनाएं हुईं। (व्यवधान) मैं लूटपाट की घटनाओं को ठीक नहीं समझता। हमें इसके बारे में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ रहे हैं। आपने भी इस सम्बन्ध में शिकायत की है। हमें इसका विश्लेषण करने दीजिए।

अब हम मंत्रियों के त्यागपत्र देने तथा श्री भिडर को हटाने के मामलों पर आते हैं। वर्ष 1980 में केवल 33 डकैतियां पड़ीं, 1979 में 74 डकैतियां पड़ीं। क्या हमें एक पुलिस अधिकारी को उसकी कार्यकुशलता के आधार पर हटाना चाहिये ? क्या हमें गृह मंत्री महोदय से उनकी कार्यकुशलता के आधार पर त्यागपत्र मांगना चाहिये।

हमें निंदा नहीं करनी चाहिये। हमें पुलिस विभाग को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमें सरकार को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। आखिरकार यह एक राष्ट्रीय मामला है। हमें इस सम्बन्ध में बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। हमें दल से हटकर देखना चाहिए हमें वास्तविकता समझनी चाहिए। विपक्ष के तीन सदस्यों ने भाषण दिये। उन्होंने त्यागपत्र की मांग की। (व्यवधान) दो उदाहरण दिये थे।

**प्रो॰ रूपचंद पाल** (हुगली) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कुछ मिनट पहले, माननीय सदस्य ने कहा था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सदस्य को प्रश्न पूछना होता है। अब वह यहां भाषण देने लगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नियमों के न होने पर भी हमने इन बातों की अनुमति दी है। अतः हम उन्हे भी अनुमति दे रहे हैं। यदि आप नियमों का सख्ती के साथ पालन करना चाहते हैं··· (व्यवधान) वह नियम जानते हैं।

**श्री जनार्दन पुजारी** : मैंने आपत्ति की थी। लेकिन उसका क्या हुआ ? आप सहमत नहीं हुए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री पुजारी उस मामले पर आ रहे हैं।

**श्री जनार्दन पुजारी** : दो उदाहरण दिये थे। आप कहते हैं कि हमें त्यागपत्र मांगना चाहिए हां, हम इस बात को मंजूर करते हैं। एक हवाई अड्डे के पास दो घटनाएं घटी थीं। एयरलाईंस का कर्मीदल (चालक आदि)···

**उपाध्यक्ष महोदय** : अतः जब आप व्यवस्था का प्रश्न उठायें तो आपको सावधान रहना चाहिए।

**श्री जनार्दन पुजारी** : क्योंकि आपने उनको अनुमति दी थी मैंने आपकी बात जारी रखी। अन्यथा मैं ऐसा नहीं करता।

दो घटनाएं घटी थीं जिन्हें मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक माननीय सदस्य को 10-15 मिनट से ज्यादा समय की अनुमति दी गयी थी। वे भी इसकी मांग करेंगे।

**एक माननीय सदस्य** : आप उन्हें समय की याद दिलाते रहे थे।

**श्री जनार्दन पुजारी** : जब इंडियन एयरलाइंस का कर्मीदल किसी खास हवाई अड्डे की ओर जा रहा था, लुटेरों ने रोक लिया। इंडियन एयरलाइंस की होस्टेस के साथ छेड़खानी की तथा उन्हें लूट लिया। जब होस्टेस तथा अन्य कर्मीदल थाने गये, तो उन्हें एक थाने से दूसरे थाने को भेज दिया गया। (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब आप सभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भाग ले रहे हैं तो यह ठीक नहीं हैं। मेरे पास रिकार्ड है। प्रत्येक सदस्य ने 10-15 मिनट का समय लिया। यह ठीक नहीं है। (**व्यवधान**) मैं किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया आप व्यवधान न डालें। यह ठीक नहीं है। आपको धैर्य रखना चाहिए।

(**व्यवधान**)

**श्री जनार्दन पुजारी** : मैं वास्तविक प्रश्न पर आ रहा हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह असल प्रश्न पर आ रहे हैं।

**आचार्य भगवान देव** (अजमेर) : इन्होंने बहुत कुछ कहा है। अब सुनना पड़ेगा।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** (कलकत्ता दक्षिण) : जब मैं बोल रहा था, आपने कहा था, नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल ठीक है। वह असल प्रश्न पर आ रहे हैं।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : यह प्रश्न क्या है ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं आपसे कह रहा हूं कि वह प्रश्न पर आ रहे हैं। यह तरीका नहीं है। जब हमने सभी सदस्यों को अनुमति दी है हमें उन्हें भी अनुमति देनी होगी। यह ठीक नहीं है, कृपया बैठ जाइये। मैं इसका ध्यान रखूंगा। (व्यवधान)

**आचार्य भगवान देव :** विरोधी पार्टी के तीन आदमियों ने बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि की घटनाओं का उल्लेख किया है तो इनको भी सुनना पड़ेगा।

**श्री जनार्दन पुजारी :** कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक विशिष्ट मामले के सम्बन्ध है, और वह दिल्ली में डकैती के सम्बन्ध में है जो केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। अत: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। माननीय सदस्य इसका लाभ उठा रहे हैं और एक घटना का हवाला दे रहे हैं जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्राधिकार में आती है जो राज्य सूची के अन्तर्गत आती है। आप इसकी अनुमति क्यों दे रहे हो और किस नियम के अन्तर्गत दे रहे हो ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने पश्चिमी बंगाल का कोई उल्लेख नहीं किया।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या हम कानून और व्यवस्था की अन्य समस्या पर चर्चा कर रहे हैं ? (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** उन्हें इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं आपने अपना भाषण समाप्त कर लिया है। किसी बात को रिकार्ड न करें।

**(व्यवधान) आप कार्यवाही को रोकना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है। यह उचित नहीं है. यह कोई तरीका नहीं है (व्यवधान)** श्री सुल्तानपुरी। कृपया बैठ जाइये (व्यवधान) आप बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। आप आलोचना से क्यों डरते हैं। यह बिल्कुल ठीक है। कृपया बैठ जाइये। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। वह जो कुछ भी कहेंगे वह रिकार्ड में नहीं जायेगा। (व्यवधान** यह कोई तरीका नहीं है। मैं नियमों को जानता हूं। वह पश्चिम बंगाल का उल्लेख कर सकते हैं। यह मेरा विनिर्णय है। इसमें कोई नुकसान नहीं है।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वह पश्चिम बंगाल का उल्लेख कर सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइये।

श्री चक्रवर्ती, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि आपने कहा है लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में जिक्र तक नहीं किया है। यदि उन्होंने इसका उल्लेख भी किया है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। प्रत्येक सदस्य ने अपने राज्य के बारे में उल्लेख किया है। वह भी पश्चिम बंगाल के बारे में उल्लेख कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल भारत का एक अंग है। मैंने उन्हें अनुमति दी है। वह पश्चिम बंगाल का उल्लेख कर सकते हैं।

**श्री जनार्दन पुजारी :** यदि वही स्थिति···

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** विषय पर आइये।

**श्री जनार्दन पुजारी :** मेरा मतलब सिर्फ इससे है। यदि विपक्ष का दृष्टिकोण त्यागपत्र मांगने का है तो मेरा निवेदन यह होगा, यदि वह मापदंड यहां लागू किया जाना है तो अन्यत्र कार्यवाही की जानी चाहिए। और क्या मैं···हो सकता हूँ (व्यवधान)

**श्री सत्यसाधान चक्रवर्ती :** उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसे छोड़ दीजिए। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे रिकार्ड न करें। (व्यवधान) प्रोफेसर साहब यह उचित नहीं है। कृपया किसी बात को रिकार्ड न करें। श्री पुजारी आप अपना भाषण जारी रखें। श्री सुल्तानपुरी कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये। (व्यवधान) प्रोफेसर साहब मामले को अपने ऊपर न लें।

**आचार्य भगवान देव :**···**

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया बैठ जाइये। मैं श्री पुजारी के अलावा किसी और को अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह कोई तरीका नहीं है। माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। प्रो० कृपया बैठ जाइये। श्री पुजारी, कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)* कार्यवाही-वृतान्त में कुछ मत लिखिए। यह कुछ भी दर्ज नहीं किया जाएगा। वह प्रश्न पूछ रहे हैं। (व्यवधान) मैं इस सभा के सभी सदस्यों से अपील करता हूँ कि वे नियमों का पालन पूरी तरह करें। हम नियमों का पालन पूर्ण रूप से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में एक सदस्य को तीन मिनट का समय मिलता है। यदि हम इसका कड़ाई से पालन करते हैं तो जिन सदस्यों के नाम यहां दिये गए हैं उनमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकेगा। मैंने उन्हे अनुमति दी है। लेकिन उन्हें अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। मैं श्री पुजारी को अनुमति दे रहा हूं। व्यवधान के कारण उन्हें पांच मिनट से भी अधिक समय लग गया है। मैं

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सदस्य से अपील करता हूं कि वह ऐसा प्रश्न पूछें जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से समबद्ध हो। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं अपील कर चुका हूं। आगे की कार्यवाही शुरू करिये।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने किसी भी राज्य सरकार का नाम नहीं लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। उस बात को रहने दीजिए। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी विशिष्ट मन्त्री का त्यागपत्र तथा पुलिस आयुक्त को हटाने की मांग की गई है। मैंने विशेष तौर पर किसी भी राज्य के लिए नहीं कहा है यदि यही मापदण्ड हर जगह लागू किया जाता है तो क्या मैं किसी राज्य सरकार को हटाने के लिए भी कह सकता हूं··· (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : वे यह प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकते ? यह मन्त्री पर निर्भर है कि वह उसका उत्तर दें या न दें। (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : आप अपने राज्य के बारे में इतने चिन्तित क्यों हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं पहले ही अपील कर चुका हूं किसी भी चीज की कोई सीमा होती है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह तो हम भी जानते हैं कि अपराध से कोई लाभ नहीं होता। पिपरी के मामले में 50 व्यक्तियों को उम्र कैद हुई थी। यह बहुत स्पष्ट है कि अपराध से कोई फायदा नहीं होता। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली में कितने अपराधियों को नजरबन्द किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार शोरगुल नहीं होना चाहिये। मन्त्री के लिए प्रश्न सुनना भी संभव नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली पुलिस ने बैंक और बैंकिंग संस्थाओं की लूटमार और डकैती से सुरक्षा करने के लिए कोई सुझाव दिये हैं या कोई उपाय किये हैं। यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इससे पहले कि मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दूं। श्रीमती दंडवते ने निजामुद्दीन के लूटमार के मामले का उल्लेख किया है। मैं सभा को बताना चाहता हूं, इस मामले को हल कर लिया है, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ आग्नेयास्त्रों

को बरामद किया गया है इस लूटमार में जो कार इस्तेमाल की गयी थी वह भी बरामद कर ली गयी है । यह कुख्यात गिरोह अन्तर्राज्यीय स्तर पर कार्य करता था और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में 11 हत्या के मामलों और 25 डकैतियों तथा लूटमार के अन्य मामलों में इसकी तलाश थी । दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने इस गिरोह को पकड़ा है ।

श्री पुजारी ने कुछ आंकड़े दिये हैं जो लगभग सही हैं । लेकिन अब विपक्ष के माननीय सदस्य अपने राज्य के बारे में इतने चिंतित हैं । तो वे यह भूल जाते हैं कि वे भी कांग्रेस सरकार द्वारा शासित राज्यों के बारे में भी आरोप लगाते हैं । हमने इसकी कभी भी शिकायत नहीं की इसके विपरीत मैंने उनका उत्तर दिया है । यदि हम 1980-81 के आंकड़े देखें तो यह पता चलेगा कि 1980-81 के दौरान लूटमार और डकैती की कुल 23 घटनायें हुई थीं । मुझे वित्त मंत्रालय से एक विवरण प्राप्त हुआ है जिसमें इन बैंकों और स्थानों के नाम दिये गये हैं जहां पर लूटमार या डकैतियां हुई थीं । जब मैंने उनकी गिनती की तो मुझे पता चला कि केवल पश्चिम बंगाल में ही 10 बैंकों को लूटा गया था । (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तथ्यात्मक वक्तव्य है

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्रालय ने आपको यह भी बताया कि जो व्यक्ति पकड़े गये थे वे आपके दल से संबद्ध हैं ? (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि ये आंकड़े सही नहीं हैं तो कल ही आप उनका खंडन कर सकते हैं ।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मै बैंकों के नाम पढ़ सकता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे नहीं चाहते ।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : 23 डकैतियों में से 10 केवल पश्चिम बंगाल में हुईं और 13 देश के अन्य राज्यों में ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि पश्चिम बंगाल में अधिक डकैतियां पड़ीं तो क्या इससे दिल्ली में भी अधिक डकैतियां होना तर्कसंगत है ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : मैं इसे तर्कसंगत नहीं बता रहा हूं लेकिन मैं तो माननीय सदस्य को तथ्यों की सूचना देना चाहता था ।

माननीय सदस्य ने केवल दो प्रश्न पूछे हैं । पहला यह है कि क्या पुलिस ने कोई निदेश जारी किये हैं या बैंकों को कोई दिशा निर्देश दिये हैं । मेरे पास एक पर्चा है जो पुलिस आयुक्त द्वारा प्रकाशित किया गया है । जिसका शीर्षक "बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में लूटमार और डकैतियों से सुरक्षा सम्बन्धी सूचना" यह सभी बैंकों को दिया गया है । इसमें कई प्रकार के ऐसे निदेश हैं

जिनसे वे पुलिस को सहायता दे सकते हैं। मुख्य कर्तव्य तो पुलिस का ही है। वे चाहते हैं कि बैंक उनकी सहायता करें।

दूसरा प्रश्न जो उन्होंने पूछा है वह यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन हमने कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि मुझे आंकड़ों को सभापटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा)** : दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में इस सभा के सभी सदस्यों को चिन्ता है। पिछले डेढ़ वर्ष से स्थिति बिगड़ती जा रही है। प्रतिदिन लूट-मार, डकैती, छीना-झपटी और बलात्कार आदि की घटनायें हो रही हैं। पुलिस प्राधिकारी तथा प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। नगर निगम के चुनाव भी नहीं कराये जा रहे हैं। दिल्ली के नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने के उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

**श्री अनन्त रामुलु मल्लु (नगरकुरनूल)** : यह बात असंगत है।

**श्री बासुदेव आचार्य** : महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। आजकल दिल्ली में महिलायें शाम को बाहर जाने में भी सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। मंत्री ने यह दिखाने के लिए कुछ आंकड़े दिये हैं कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है लेकिन वास्तविकता यह है कि दिल्ली में अधिकतर मामले तो दर्ज ही नहीं किये जाते। रिकार्ड भी नहीं रखे जाते।

**श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : वे किसी विशेष मामले का उल्लेख कर सकते हैं।

**आचार्य भगवान देव** : उपाध्यक्ष जी एक भी नाम बतला दें, वरना बिल्कुल** बोलते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इन व्यवधानों से मुख्य विषय अधूरा रह जाता है।

**श्री बासुदेव आचार्य** : 19 अगस्त, 1981 को श्री समर मुखर्जी ने मंत्री से एक प्रश्न पूछा था ; "क्या सरकार को पता है कि एक लाख जनसंख्या के पीछे अपराध दर पांडेचेरी में 644.6, दिल्ली में 624.3, अंडमान और निकोबार द्वीप में 447.8, चंडीगढ़ में 427.7, मध्य प्रदेश में 324.9, महाराष्ट्र में 278.3, जम्मू कश्मीर में 250.1, मणिपुर मे 246.5, गुजरात में 234.6 और कर्नाटक में 223.6 थी...।"

मैं माननीय मंत्री श्री मकवाना द्वारा दिये गये उत्तर में से पढ़ रहा हूं " ये आंकड़े 1980 के दौरान प्रति एक लाख जनसंख्या के अनुसार हुए कलकत्ता नगर अपराधों से सम्बन्धित हैं।" इसमें व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपने प्रश्न पूछिये।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**श्री बासुदेव आचार्य** : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जल्दी पूछिये । आपने पृष्ठभूमि पहले ही बना ली है ।

**श्री बासुदेव आचार्य** : क्या यह सच नहीं है कि पुलिस अधिकारी समाजविरोधी तत्वों के साथ मिले हुए हैं । यदि ऐसा नहीं होता तो अपराध और इस प्रकार की घटनायें न बढ़तीं ।

मैं यहां एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं । वर्ष 1979 में श्री सीताराम जो कि गरीब पेन्टर था···

**उपाध्यक्ष महोदय** : उस समय यह सरकार सत्ता में नहीं थी । यह सब कहने से क्या फायदा ।

**श्री वासुदेव आचार्य** : मैं एक घटना बताना चाहता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप वर्तमान मन्त्री से उत्तर की अपेक्षा कर सकते हैं । यह बात 1979 की है ।

**श्री बासुदेव आचार्य** : पुलिस की सहायता से एक व्यक्ति को लूटा गया था और उसके घर का सब सामान ले लिया गया था ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उस समय जो कुए अपराध हुए थे उनके लिए श्री मकवाना जिम्मेदार नहीं थे ।

**श्री बासुदेव आचार्य** : उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । उसे न्याय नहीं मिला ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न श्री धनिकलाल मण्डल से पूछा जाना चाहिये था ।

**श्री बासुदेव आचार्य** : क्या यह सच नहीं है कि ग्रेटर कैलाश में एक बैंक को लूटा गया था और जून के पहले सप्ताह में कैनरा बैंक को लूटने का असफल प्रयास किया गया था ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो पहले ही कहा जा चुका है ।

**श्री बासुदेव आचार्य** : उन्होंने पुलिस सुरक्षा के लिए लिखा था फिर भी सशस्त्र गार्डों की तैनाती के लिए मंजूरी नहीं दी गयी थी ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे पहले सबका उत्तर दे चुके हैं । क्या आप इसे समझ नहीं पाये हैं ? एक और प्रश्न के उत्तर में इसका उल्लेख किया जा चुका है ।

**श्री बासुदेव आचार्य** : क्या यह सच है कि दिल्ली में केवल 5 प्रतिशत बैंकों में सशस्त्र गार्ड हैं ? सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** वे कह चुके हैं कि उन्हें इस पर 145 करोड़ रुपये खर्च करना होगा। इसलिए वे इस बात को नहीं मान सकते।

**श्री बासुदेव आचार्य :** क्या यह सच नहीं है कि कैनरा बैंक के मामले में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था ? केवल 2 निरपराध व्यक्तियों को पकड़कर एक महीने तक बन्द रखा गया और उनमें से एक व्यक्ति की पत्नी का देहान्त उस समय हो गया जब वह जेल में था।उसके बाद उसे छोड़ दिया गया···

**उपाध्यक्ष महोदय :** बेहतर होगा कि आप ये सब बातें न कहें क्योंकि इस मामले की जांच चल रही है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और जांच चल रही होती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वे दोषी हैं या निर्दोष।

**श्री वासुदेव आचार्य :** एक और आदमी गिरफ्तार किया गया था। क्या यह सच नहीं है कि पुलिस का दूरसंचार संदेश···

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप अपनी बात दोहरा रहे हैं।

**श्री बासुदेव आचार्य :** डकैती के लगभग तीन घन्टे बाद भेजा गया। मैं माननीय मन्त्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** महोदय जैसा कि आपने ठीक ही कहा है, मैं इनके द्वारा पूछे गये अधिकांश प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। फिर भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए उन्हें दोहरा रहा हूं। माननीय सदस्य ने बोलते हुआ कहा कि मामले दर्ज नहीं किये जाते और जब आचार्य भगवानदेव ने बीच में कहा कि माननीय सदस्य ** का उल्लेख कर रहे हैं तो वे नाराज हो गये। अगर वे ऐसा कोई मामला बता सकें जिसमें पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की गई तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। लेकिन अगर वे ऐसा कोई उदाहरण नहीं दे पाते तो मैं भी यही कहूंगा कि यह और कुछ नहीं केवल ** है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप उनसे कह दीजिये कि आपको इस बारे में लिखें।

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** माननीय सदस्य ने पुलिस के बारे में एक अन्य निराधार आरोप लगाया है। वे ऐसा कैसे कह सकते हैं। यदि ऐसा ही है तो इन सब मामलों की जांच पड़ताल कैसे हो जाती है ? उन्होंने बेकार ही यह आरोप लगाया है।

**आचार्य भगवान देव (अजमेर) :** उपाध्यक्ष जी, यह तो मंत्री जी बतायें कि अब तक कितनों को पकड़ा है ?

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : बैंकों में सशस्त्र रक्षकों का प्रबंध करने के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि देश में वाणिज्यिक बैंकों की लगभग 35 हजार शाखाएं हैं और प्रति बैंक में चार की दर से 1,20,000 सशस्त्र रक्षकों की आवश्यकता है जिन पर 140 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

**श्री बापूसाहिब परूलेकर (रत्नागिरी)** : संसद भवन में स्टेट बैंक की एक शाखा है जिसमें संसद सदस्य जाते हैं। वहां एक सशस्त्र रक्षक तैनात किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि अन्य शाखाओं में यह प्रबंध क्यों नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री परूलेकर, यह आपकी रक्षा करने के लिए है।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : शायद यही कारण है कि वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं में सशस्त्र रक्षक तैनात किये गये हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : बैंक से पैसा लेकर जब आप बाहर आते हैं तो आपकी रक्षा की जानी चाहिये।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : परन्तु महोदय, इस बैंक के लिए सशस्त्र रक्षकों की मंजूरी दे दी गई है। यह पत्र उसी दिन प्राप्त हुआ जिस दिन डकैती हुई। लेकिन इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हू कि सशस्त्र रक्षक तैनात कर देने से ही पूरी रक्षा नहीं हो जाती क्योंकि ऐसे पांच मामलों में से जहां मृत्यु हुई, तीन मामलों में ऐसे स्थानों पर सशस्त्र रक्षक मौजूद थे। यह डकैतियां या लूटमार बैंकों में ही होती हैं। केवल पांच मामलों में ही कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हुई। ऐसे पांच मामले देखने में आये और इन पांच में से तीन मामलों में बैंकों को सशस्त्र रक्षक दिये गये थे और दो मामलों में सशस्त्र रक्षक नहीं थे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या बैंकों ने स्वयं रखे थे।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : हां। तीन मामलों में सशस्त्र रक्षक नहीं और फिर भी डाकू आदमियों को मार गये। दो मामलों में सशस्त्र रक्षक नहीं थे। तो यह भी पूरी सुरक्षा नहीं है।

यह कहते हैं कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। था और छोड़ दिया गया महोदय, सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और बाद में जब देखा कि कोई सबूत नहीं है तो उसे छोड़ दिया। इसमें कोई गलती नहीं हुई।

बेतार संदेश के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। लेकिन मैं फिर भी दोहराता हूं कि 4-45 बजे पुलिस को सूचना मिली और 5-6 मिनट बाद अर्थात् 4-50 बजे या 4-51 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और 4-53 बजे अलग-अलग स्टेशनों के पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध व्यक्तियों की खोज करने के लिए बेतार संदेश भेज दिया गया।

---

तत्पश्चात् लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2 बजकर 53 मिनट म० पु० पर पुनः समेवत हुई।

श्री सोमनाथ चटर्जी पीटसीन हुए

## नियम 377 के अधीन मामले

(1) हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादन किसानों को लाभकारी मूल्य देने के उपाय

सभापति महोदय : श्री कृष्णदत्त सुल्तान पुरी।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, हिमाचल-प्रदेश के क्षेत्र में जहां सेब का भारी उत्पादन होता है और किसानों ने अपनी कुल धनराशि खेती में बगीचे लगाने पर खर्च की है। इस समय उत्पादन इतना अधिक है कि हिमाचय फल खरीद करने वाले निगम भी पूरे दाम पर सेव खरीद नहीं पा रहे हैं। 80 पैसे प्रति किलो के हिसाब से निगम ने इस पर्वतीय क्षेत्र के सेब उत्पादकों को देने का निर्णय किया हुआ है। परन्तु अभी भी इतना अधिक सेब है कि उसके दाम सही रूप में किसानों को नहीं मिल रहे हैं। जो फल उत्पादक दिल्ली में आजादपुर सब्जी मण्डी में फलों का विक्रय करने हेतु भेजते हैं, उनकी पेटियां बहुत कम दाम में बिक रही हैं। सरकार की ओर से इस बारे में कोई मार्केट का प्रबंध नहीं है जो फल उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके। हिमाचल-प्रदेश का किसान बहुत दूरदराज पहाड़ों में रहता है और सड़क पर लाने के लिए अपने उत्पादन पर बहुत अधिक 8किराया देना पड़ता है। सेब को पैक करने के लिये जो बाक्स, रद्दी और दूसरा मैटीरियल उस में लगता है वह लगभग आठ रुपये से कम नहीं पड़ता है और बाकी सड़क तक किराया, खच्चर घोड़ों का जो कि पांच-पांच, दस-दस किलोमीटर से पैदल चल कर लाना पड़ता है और उसके बाद दिल्ली का किराया। वे सब खर्च मिलाकर लगभग बीस रुपये के करीब पड़ जाते हैं। गरीब किसानों की पेटियां जो दिल्ली में आती हैं उनपर बिचोलिया ज्यादा पैसे कमाता है।

मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि हिमाचल किसान के लिए खाली सेब की पेटियां उपलब्ध कराने हेतु प्रबन्ध करे और इसके अलावा मार्किटिंग का इंतजाम किया जाए ताकि बिचौलियों के शोषण से हिमाचल का किसान बच सके। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हिमाचल में शिमला से ऊपर रेलवे न होने के कारण ट्रकों का बहुत भारी भाड़ा देना पड़ता है और हिमाचल का किसान बहुत बुरी तरह से पिस रहा है।

मैं भारत सरकार से यह भी मांग करूंगा कि आजादपुर सब्जी मंडी में किसानों का जो सेब, सब्जी आदि आता है उस पर खास निगरानी रखे जाने का उचित प्रबन्ध किया जाए ताकि बिचौलिया किसानों की लूट न कर सके। राज्य सरकार को तथा केन्द्रीय सरकार को किसानों को उचित दाम दिलाने हेतु मदद करनी चाहिये तथा जिस तरह से और खाद्य पदार्थों के भाव मुकर्रर हैं, सेब, आलू, टमाटर आदि जो पहाड़ से फल आते हैं उनके दाम निश्चित रूप से निर्धारित करने के लिए स्पोर्ट प्राइसिस देने का उचित प्रबन्ध किया जाए।

क्योंकि सेब काफी तादाद में किसानों का हिमाचल के गांवों में ही पैदा होता है, इस वास्ते और इसकी कीमत उत्पादकों को न मिली तो उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी और यह अपने बाल बच्चों का पालन करने में भी असमर्थ हो जाएंगे। खाद और दवाइयां खरीदने में काफी धन खर्च हुआ है जिसकी पूर्ति करना भी असम्भव हो रहा है।

अत: आशा है, कृषि मंत्री तथा भारत सरकार इस सम्बन्ध में उचित ध्यान देकर तुरन्त कार्रवाई करेंगे और किसानों को हानि होने से बचाएंगे तथा ठीक दाम दिलाने का प्रबन्ध करेंगे।

## (2) कलकत्ता हवाई अड्डे पर नियुक्त इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को पुलिस-सुरक्षा प्रदान करने के उपाय

**श्री जनार्दन पुजारी** (मंगलोर) : सभापति महोदय, हाल ही में थाई एयरवेज के स्थल-कर्मी दल के तीन पुरुषों और एक महिला पर कलकत्ता की काजी मजरूल एवेन्यू वी० आई० पी० रोड पर हथियारों से लैस राजमार्ग के लुटेरों ने हमला किया।

इस मुसीबत का सामना करने के बाद इन दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन तक भागना पड़ा। प्रत्येक पुलिस स्टेशन ने अपने दायित्व दूसरे पर टालते हुए कहा कि यह घटना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं घटी।

इंडियन एयरलाइन्स की कलकत्ता हवाई अड्डे से सुबह एक दर्जन से भी ज्यादा उड़ानें होती हैं। उसके उड़ान कर्मी दल ने हाल ही में राज्य पुलिस से पर्याप्त सुरक्षा सुविधाओं की मांग की थी।

19 अगस्त को सुबह चार बजे इंडियन एयरलाइन्स की चार विमान परिचारिकाएं अपनी सुबह की उड़ान की ड्यूटी पर हवाई अड्डे जा रही थीं। अचानक चार व्यक्तियों ने इंडियन एयरलाइन्स की कार का रास्ता रोक लिया और एक डकैत ने ड्राइवर के गले पर छुरा रख दिया जबकि अन्य तीन डकैतों ने महिलाओं से दुर्व्यवहार किया। उनकी घड़ियां, हैंडबैग और अन्य चीजें छीन लीं।

फटे हुए कपड़ों में बहुत ही परेशान हालत में यह कर्मी दल बिल्ली या घाट पुलिस स्टेशन पहुंचा जहां उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि यह घटना दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकार सीमा में घटित हुई थी। वहां के पुलिस अधिकारियों ने उनका बयान दर्ज करने अथवा अन्य पुलिस मुख्यालयों को सर्तक करने से भी इंकार कर दिया।

इंडियन एयरलाइन्स हवाई अड्डे के कर्मी दल के सदस्यों ने समुचित पुलिस संरक्षण की मांग करते हुए तुरंत हड़ताल कर दी।

कलकत्ता हवाई अडडे के निदेशक ऐसे आक्रमणों को लेकर बहुत चिंतित हैं लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।

केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित इंडियन एयरलाइन्स अपने कर्मी दल और यात्रियों की सुरक्षा करने में कठिनाई महसूस कर रहा है और ऐसे में केन्द्रीय सरकार चुप नहीं बैठ सकती। इस प्रकार की सुरक्षा देना राज्य सरकार का दायित्व है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे कलकत्ता हवाई अड्डे और आसपास के क्षेत्र में इंडियन एयरलाइन्स के लोगों की जान और माल की सुरक्षा के लिए उपाय करे और राज्य सरकार से इस दिशा में असफल रहने का स्पष्टीकरण मांगे।

## (3) उडीसा में प्राचीन, स्मारकों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता

**श्री अर्जुन सेठी** (मद्रक) : 13वीं शताब्दी निर्मित कोणार्क का सूर्य मन्दिर आज जिस स्थिति में है उसमें उसे श्रेष्ठ परिरक्षण उपायों की आवश्यकता है ताकि कला का यह बेजोड़ नमूना जो हमारी परम्परा का अविभाज्य अंग है, भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहे।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, जिन्हें इस मंदिर की देखरेख का दायित्व सौंपा गया है, इस पुष्टि की है कि मन्दिर के परिसर में पानी जमा होने की शिकायत मिली है। पानी के निकास की तुरन्त स्थायी व्यवस्था करनी होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मन्दिर के परिवेश को तुरन्त सुन्दर बनाना होगा।

भुवनेश्वर में सबसे अधिक संख्या में मन्दिर स्थिति हैं जिनमें से प्रत्येक अपनी अप्रतिम वास्तु कला का श्रेष्ठ नमूना है। कोणार्क के सूर्य मदिर के अतिरिक्त पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर, उदयगिरि, ललितगिरि और रत्नागिरि में बौद्ध मूर्तियां और राज्य के अन्य बहुसंख्यक प्राचीन समारकों को भी उचित संरक्षण देने के लिए राज्य के भीतर ही उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। नियमित देखरेख के अलावा इनमें से कुछ स्मारकों को बड़े पैमाने पर परिरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है जिसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बराबर ध्यान देना होगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे राज्य में एक अलग पुरातत्व अंचल बनाये जिसके बारे में बहुत से निर्णय विचाराधीन हैं।

## (4) पश्चिम बंगाल के हथकरघा बुनकरों की कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता।

**श्री रेणुपद दाद्य** (कृष्णनगर) : महोदय, इस तथ्य के बावजूद कि पिछले चार वर्षों में पश्चिम बंगाल में सहव्यापारियों द्वारा 2,12,000 करघों से, 15% के स्थान पर 35% हथकरघा बुनकरों को लाभ पहुंचाया गया लेकिन फिर भी, ऐसी बहुत सी अड़चनें हैं जो कि उसके विकास में बाधक हैं। पहली बड़ी बाधा 1981 का वस्त्र नीति संकल्प हैं जिसके अनुसार कुल नियंत्रित कपड़े—अर्थात 35 करोड़ वर्ग मीटर का 50% हथकरघा क्षेत्र और शेष मिलों को दिया जाएगा चूंकि नियंत्रित कपड़े की प्रत्येक इकाई के लिए राजसहायता दी जाती है इसलिए इस प्रकार के वस्त्र का उत्पादन इस समय, हथकरघा विकास कार्यक्रम का एक अनिवार्य अंग हो गया है। लेकिन महोदय, अगर सभी हथकरघा उत्पादक राज्यों को केवल 35 करोड़ वर्ग मी० दिया जाता है, तो प्रत्येक राज्य के हिस्से बहुत कम भाग आएगा यथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के पास शीघ्रतापूर्वक

बढ़ रहे इस उद्योग को रोकने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। महोदय, यह बताना भी उचित होगा कि मिलों को प्रति इकाई दी जाने वाली राजसहायता, हथकरघा को दी जाने वाली सहायता से अधिक होने के कारण सरकार के लिए आर्थिक रूप से यह बेहतर रहेगा अगर वह हथकरघा क्षेत्र को चरणवार समाप्त हिस्सा आवंटित करे। दोनों का विविधीकरण और विकेन्द्रीकरण किए जाने के कारण एक तो हथकरघा उद्योग का विकास होगा और दूसरे उत्पादन भी बढ़ेगा। दूसरे, विद्युत-करघा उद्योग के निरंतर विकास से हथकरघा उद्योग के विकास को गंभीर खतरा हो गया है। महोदय, राष्ट्रीय कपड़ा मिलों और कई अन्य निजी स्वामित्व की मिलों के आधुनिकीकरण किए जाने के परिणामस्वरूप बहुत से बेकार, पुराने करघों को बाजार में बेच दिया गया क्योंकि विभिन्न राज्यों में अप्राधिकृत विद्युत करघों के रूप में लगाए गए हैं। विद्युत करघा एककों का यह अप्राधिकृत और अनियोजित विकास हथकरघा उद्योग के संघटित विकास में बहुत बड़ी बाधा बन गया है। अतः अनियोजित और अप्राधिकृत विद्युत करघों को और आगे विकास को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए।

महोदय, तीसरी बात यह है कि धागे का उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं होना, हथकरघा क्षेत्र के विकास में प्रमुख अड़चन है। अतः 'एपेक्स' हथकरघा सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा निगमों के जरिए नियंत्रित मूल्यों पर धागा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की जाए।

अन्तिम बात यह है कि हथकरघों के लिए आरक्षित मद-सूची की फिर से जांच की जाए चूंकि आज हथकरघा उद्योग पहले की अपेक्षा अलग-अलग किस्म का कपड़ा तैयार कर सकता है। मैं संबद्ध मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में, इस सभा में एक वक्तव्य दें।

(5) तमिलनाडु में अजीजनगर के निवासियों की शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता

श्री के अर्जुनन (धर्मपुरी) : नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन द्वारा 1880 हेक्टर भूमि लिए जाने का प्रस्ताव है जिसमें 680 हेक्टर पोरम्बोका भूमि शामिल है तथा इसमें अजीजनगर अपराधशील जनजातियों की बस्ती, जो 1911 में बसी थी, भी आती है। अपराधशील जनजातियों को फिर से बसाया गया तथा उन्हें लगभग 1370 एकड़ भूमि पर सशर्त पट्टा दिया गया। इसमें से 328 एकड़ नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन द्वारा दूसरी खान खोदने के लिए ले लिया गया।

अजीजनगर के इन लोगों को जो कि विस्थापित हैं, अभी तक किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति राशि नहीं दी गई। अधिकार से वंचित इन लोगों से खेती योग्य भूमि छीन ली गई और आज वे बेघर हैं। इससे मजबूर होकर वे फिर से वही धन्धा करने लगेंगे जो कि वह फिर से बसाए जाने से पहले करते थे।

अजीजनगर के लोगों की निम्न शिकायतें को शीघ्रतापूर्वक दूर किए जाने की आवश्यकता है :

(1) निवासियों को निकटवर्ती क्षेत्रों के प्रामाणिक भूमिधारियों को दी जाने वाली दरों पर

उचित प्रतिपूर्ति राशि दी जाए। राज्य सरकार द्वारा अनुग्रहपूर्वक की गई 500 रु० की अदायगी से इन विस्थापित लोगों की समस्या कभी हल नहीं होगी।

(2) उन्हें खेती योग्य भूमि, सुनियोजित बस्ती जिसमें कैंपस सुविधाएं हों और नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन में नौकरी .. अवसर जैसे वैकल्पिक पुनर्वास लाभ प्रदान किये जाने चाहिए, इस मामले में केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि जमीन से बेदखल किए गए लोगों को न्याय मिल सके।

**(6) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पिलखनी गांव में स्थित शराब के कारखाने द्वारा जहरीले उपोत्पाद के छोड़े जाने के कारण पीने के पानी के प्रदूषण का समाचार**

**श्री जगपाल सिंह** (हरिद्वार) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के प्रश्न, जोकि सहारनपुर जनपद से संबंधित है, उठाना चाहता हूं।

सहारनपुर जनपद में पिलखनी नाम की जगह पर एक अंग्रेजी शराब की फैक्टरी है। यह फैक्टरी जब से स्थापित हुई है, तभी से अवशेष के रूप में बचा हुआ जहरीली पानी आसपास के गढ़ों में खड़ा रहता है। इस पानी की निकासी के लिए फैक्टरी मालिकों ने कोई पक्की नाली की व्यवस्था करके यमुना नदी में डालने की नहीं की है जिसके दुष्परिणाम इस क्षेत्र की जनता को भुगतने पड़ रहे हैं।

शराब के इस जहरीले पानी की वजह से पूरे क्षेत्र की फसल सूख जाती है, इतना ही नहीं, पूरे क्षेत्र के कुओं व नलों का पानी भी नशीला व जहरीला हो गया है जिसका बुरा असर इस पानी के पीने से इन्सानों व पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। यह असर 10 किलोमीटर के दायरे में जमीन के नीचे तक हो गया है।

खेत की बात यह है कि इस क्षेत्र की जनता जिलाधिकारी, प्रदेशीय सरकार व केन्द्रीय सरकार को बहुत बार अपनी शिकायत लिखकर भेज चुकी है, एक बार तो भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने पक्की नाली बनवाकर यमुना नदी में डालने का वायदा किया था, लेकिन अफसास है कि आज तक कोई कार्यवाही न करके क्षेत्र की जनता को जहरीली व नशीला पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

अत: सरकार से मेरी प्रार्थना है कि केन्द्रीय सरकार फैक्टरी के मालिक के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करने का आदेश दे, ताकि इस इलाके को तबाह होने से बचाया जा सके।

**(7) पंजाब वक्फ के संकेत पर वक्फ सम्पत्तियों को नष्ट किये जाने का समाचार**

**श्री अशफाक हुसैन** (महाराजगंज) : महोदय, मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1956 के अधीन विभिन्न राज्यों में वक्फ बोर्डों का गठन किया गया। इन बोर्डों के मुख्य उद्देश्य ये हैं: (एक) संरक्षण और (दो) वक्फ संपत्तियों जैसे मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान का कुशल प्रबन्ध और सुधार।

वक्फ अधिनियम और मुस्लिम कानून के अधीन उपरोक्त अधिकारों को न तो हस्तांतरित किया जा सकता और न ही आवास आदि के लिए पट्टे पर दिया जा सकता ।

इन सदन के माध्यम से मैं विधिऔर न्याय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहुंगा, जो कि मुस्लिम वक्फ के अधिकारी भी हैं । पंजाब बोर्ड इन स्थानों को गिरा और नष्ट कर रहा है । अभी हाल ही में अगस्त, 1981 में पंजाब वक्फ बोर्ड के कर्मचारी सचिव ने 1200 ईस्वी के प्रसिद्ध संतों के ऐतिहासिक, कब्रिस्तान, दरगाह हजरत शेख मखदूम जलालुउद्दीन और सैयद महमूद शहीद, की जमीन पट्टे पर दी ।

समस्त भारत से और विदेशों से काफी संस्था में मुसलमान हर साल इन स्थानों पर आते हैं एवं श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं । इस विशेष काब्रिस्तान में बहुत से मुस्लिम सूफियों, मुगल संतों और स्वतंत्रता सेनानियों को दफनाया गया तथा सभी जाति और सम्प्रदाय के लोग इनके प्रति आदर रखते हैं ।

यही स्थिति पानीपत तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों की है । राजस्व आकड़ों को देखने से पता चलेगा कि कागजों के काब्रिस्तान और मस्जिदें हैं लेकिन वास्तव में वे नहीं हैं क्योंकि भूमि पंजाब वक्फ बोर्ड के नाम है ।

केवल पानीपत से पंजाब वक्फ बोर्ड को एक लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय होती है लेकिन मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई सुविधा वास्तव में उपबन्ध नहीं है ।

मैं यह मांग करता हूं कि विधि और न्याय मंत्री इसकी विस्तृत जांच कराएं तथा उन पवित्र स्थलों को उचित संरक्षण दिया जाए जिनकी पंजाब सरकार की लापरवाही के कारण स्थिति खराब हो गई है

उपरोक्त आवंटन को तुरन्त रद्द किया जाना चाहिये ।

## (8) उत्तर प्रदेश के सूखा ग्रस्त जिलों को और अधिक सिंचाई सुविधाएं देने के लिए उपाय

**श्रीमती मोहसिना किदवई** (मेरठ) : उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले और विशेष रूप से मेरठ डिवीजन भीषण सूखे की चपेट में है । मध्य अगस्त से वर्षा न होने और सिंचाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण धान और गन्ने की खड़ी फसल सूख रही है । इससे गरीब किसानों के लिए अत्यधिक कठिनाई हो जाएगी तथा अन्ततः इसका प्रभाव राष्ट्रीय कृषि लक्ष्यों, वसूली आदि पर पड़ेगा । समस्त क्षेत्र में अन्य जिले जैसे गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बुलन्दशहर भी भारी सूखे से ग्रसित हैं । 15.5 लाख हेक्टर खेती योग्य भूमि में से 85 प्रतिशत में भी सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है । नहर और नलकूपों द्वारा केवल 5 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई की जा सकती है । अधिकांश स्थलों पर भूमि रेतीली हैं तथा एक फसल को पकने के लिए 4 से 5 बार पानी देने की आवश्यकता होती है ।

अत: मैं केन्द्रीय अधिकारियों से अनुरोध करती हूं कि वे इन जिलों को बचाने के लिए कुछ करें। नलकूपों को ज्यादा बिजली उपलब्ध कराई जाए ताकि दिन में अधिक समय के लिए इनका उपयोग किया जा सके। जहां तक हो सके बिजली की कटौती न की जाए तथा बिजली की नियमित सप्लाई के लिए कृषि को प्राथमिकता दी जाए। नहरों में अधिक पानी छोड़ा जाए ताकि इसे ज्यादा भूमि में सिंचाई के लिए काम में लाया जा सके। उत्तर प्रदेश के सूखे से प्रभावित समस्त इलाके में किसानों के लिए डीजल का कोटा बढ़ाया जाए।

यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का अन्न भंडार है। अत: फसल को बचाने और कृषक समुदाय को राहत पहुंचाने के लिए शीघ्र और आवश्यक कदम उठाए जाएं।

---

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1981-82

**सभापति महोदय :** अब हम अनुदान की अनुपूरक मांगों पर आगे विचार करेंगे। श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती। माननीय सदस्य ने लगभग अपना समय पूरा ले लिया है।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** (कलकत्ता दक्षिण) : कल वित्त मंत्री ने दूसरे सदन में बताया था जैसा कि मुझे समाचार पत्रों से पता लगा है कि ऐसी कोई भी शर्त जो कि भारत के आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाती हो, हम स्वीकार नहीं करेंगे। समाचार पत्र दि हिन्दू — 7 अगस्त के वाशिंगटन संवाददाता ने इस प्रकार लिखा है :

"अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इतिहास में सबसे बड़े ऋण के लिए बातचीत की जा रही है। इसके देश में इस्तेमाल के लिए कड़ी शर्तें रखी जाएंगी जबकि भारतीय अधिकारियों ने इसके विपरीत बयान दिया है।"

अत: सरकार देश में उपयोग के बारे में कह रही है और देश की जनता को गुमराह कर रही है। उसने आगे यह लिखा है :

"यह जानने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा अन्तर्ज्ञान की विशेष शक्तियों की आवश्यकता नहीं कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में जिन सामाजिक-आर्थिक उपायों की घोषणा की गई है अथवा संकेत दिए गए हैं उनमें तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संरचनात्मक समायोजन करने वाले राष्ट्रों के लिए जो नीति निर्देश अनुमोदित किए हैं, गए में क्या सम्बन्ध अथवा संयोग है।"

मैं माननीय वित्त मंत्री से इसके साथ जुड़ी शर्तों के बारे में जानना चाहता हूं। इतना तो हम सभी जानते हैं कि साधारणतया अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से थोड़ी अवधि के लिए ही ऋण दिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया गया ऋण विश्व बैंक के ऋण के समान नहीं होता, यहां ब्याज की दर बहुत अधिक होती है तथा बकाया भुगतान के असंतुलन को ठीक करने के लिए इसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि आशयपत्र और निष्पादन खण्डों में क्या शर्तें लगाई गई हैं ? इनके बारे में सबको जानकारी दी जानी चाहिए।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब ग्रेट ब्रिटेन ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई० एम० एफ०) से ऋण लिया था तो आरम्भ में वह यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि कोई शर्तें लगाई गई हैं, परन्तु बाद में जब जनता द्वारा दबाव डाला गया तो ग्रेट ब्रेटेन की सरकार को बाध्य होकर शर्तों की जानकारी देनी पड़ी। इटली में भी यही बात हुई थी। जनता की बार-बार की मांग के परिणामस्वरूप सरकार को अन्ततः शर्तों की जानकारी देनी पड़ी थी। मैं जानना चाहता हूँ कि आशयपत्र और निष्पादन खण्डों में क्या शर्तें लगाई गई हैं। इनके बारे में सबको जानकारी दी जानी चाहिए। मेरा यह कहना नहीं है कि इनमें से एक शर्त अवमूल्यन की हो सकती है। माननीय मंत्री यह पहले से ही जानते हैं कि पहले विनिमय दर एक डालर के लिए 8 रु० थी तथा अब एक डालर के लिए यह विभिन्न दर 9.20 रुपये है। अतः भारतीय मुद्रा का मूल्य कम हो गया है। असल में आज हम यह कह सकते हैं कि 1966 के अनुभव से हमारे वित्त मंत्री गम्भीर तथा बुद्धिमान हो गये हैं, क्योंकि उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सचिव चौधरी को यह स्वीकार करना पड़ा था कि आई० एम० एफ० के कहने पर ही हमने मुद्रा का अवमूल्यन किया था। परन्तु अवमूल्यन इसका समाधान नहीं है, क्योंकि यदि एक बार अवमूल्यन हो जाता है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि मूल्य-मांग की लोच शून्य से अधिक है अन्यथा अवमूल्यन का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

अब किसी प्रकार का औपचारिक अवमूल्यन आवश्यक नहीं है। परन्तु मैं उनसे अन्य शर्तों के बारे में जानना चाहता हूं। मैं केवल यह कह सकता हूँ कि भारत सरकार पहले ही आई० एम० एफ० द्वारा सुझाये गये मार्ग पर चल रही है। हमें इसका प्रमाण बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के साथ किये गये समझौतों से मिलता है। पिछले वर्ष 596 सहयोग करार किये गये जो 1961 के रिकार्ड करारों 403 से कहीं अधिक थे। अधिकांश सहयोग करार संघीय जर्मन गणराज्य, संयुक्त राज्य अमरीका तथा ब्रिटेन से किये गये हैं।

क्या यही सब कुछ आई० एम० एफ० भारत सरकार से नहीं करवाना चाहता है, ताकि भारत में विदेशी पूंजी का आसानी से निवेश होता रहे? सरकार भी बिल्कुल यही कर रही है। महोदय, क्या इतना अधिक ऋण आवश्यक है? हमारे वित्त मंत्री ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उनका ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमने देश में पेट्रोलियम मूल्यों को इस कारण बढ़ाया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी बढ़ोतरी हुई है। परन्तु क्या मैं यह प्रश्न पूछ सकता हूं? चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है तो क्या यह आवश्यक है कि हम भी देश में इनके मूल्यों में वृद्धि करें? यदि हमने देश में मूल्यों को बढ़ाया तो हमें यहां विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी। इसके विपरीत यदि मूल्य बढ़ते हैं, तो हमारे निर्यात पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। आई० एम० एफ० द्वारा हमारे ऊपर इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि हमारे उद्योगों को निर्यातोन्मुख होना चाहिए। सभापति महोदय, मेरी बात में संशोधन किया जा सकता है। यदि मेरी बात गलत हो तो कृपया उसे सही कर दें। क्या यह सच नहीं है कि 197-677 से परिमाण की दृष्टि से हमारे व्यापार में कोई वृद्धि नहीं हुई है? यूरोपीय औद्योगिक देशों के द्वारा अपनायें जा रहे पूर्ण संरक्षणवाद की नीति को देखते हुए क्या हम अपने निर्यात को बढ़ा सकते हैं? मैं समझता हूं कि अब यह संभव नहीं है। अपनी गलत नीतियों के कारण सरकार को

गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, यदि सरकार असन्तुलन को ठीक करना चाहती है तो उसे व्यापक संस्थागत परिवर्तन करने पड़ेंगे, जोकि ये करना नहीं चाहती। इसीलिए सरकार इतना अधिक विदेशी ऋण लेने का प्रयास कर रही है। आप आयात को कम करने की चेष्टा क्यों नहीं कर रहे हैं ? आप विलसिता की वस्तुओं पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा रहे हैं ? आप गेहूं, चीनी तथा खाने के तेल जैसी मदों का आयात क्यों कर रहे हैं, जिन पर हमें 1,000 करोड़ रु० व्यय करने पड़ेंगे। क्या हमारे देश में इनकी कमी है ? क्या यह सच नहीं है कि खरीद तथा वितरण पद्धति की असफलता के कारण देश में मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से सहायता मांगनी पड़ रही है ? सरकार देश में कालाबाजारियों तथा जमाखोरों पर नियंत्रण रखने में असफल रही है। सार्वजनिक वितरण तथा खरीद प्रणाली की असफलता के कारण सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से मदद लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, पेट्रोलियम के कारण हमें इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्या कारण है कि भारत सरकार देश में पैट्रोलियम पदार्थों की खपत के लिए राशन-व्यवस्था लागू नहीं कर रही है ? यदि हम खपत में 20 प्रतिशत की कमी कर सकें तो 1500 करोड़ रु० विदेशी मुद्रा में बचा सकेंगे। हम यह क्यों नहीं कर सकते ? मैं जोर देकर कह सकता हूं कि आर्थिक प्रणाली में ही गड़बड़ी है। मैं यह जरूर कहूंगा कि भारत सरकार जानबूझकर आई० एम० एफ० के कहने के अनुसार बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को रियायतें दे रही हैं और इस प्रकार भारतीय अर्थ-व्यवस्था में विदेशी पूंजी का प्रसार कर रही है। अपनी वितरण तथा खरीद प्रणाली नष्ट करके सरकार सम्पन्न वर्गों को रियायतें दे रही है।

**सभापति महोदय** : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : महोदय, पहले हमारे देश में खाद्य क्षेत्र थे परन्तु अब उन्हें समाप्त कर दिया गया है। हरियाणा तथा पंजाब में बहुत अच्छी फसल हुई है परन्तु खाद्य क्षेत्रों को समाप्त कर दिये जाने के कारण तथा खरीद प्रणाली के अभाव के कारण सटोरियों ने इसका फायदा उठाया है जिसके परिणामस्वरूप हमें गेहूं का आयात करना पड़ा। सरकार अपनी खरीद तथा वितरण प्रणाली को मजबूत क्यों नहीं बनाती ? इसके बिना सरकार मूल्यों पर नियंत्रण नहीं कर पायेगी।

**सभापति महोदय** : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : महोदय सरकार ने 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब से गरीब व्यक्ति को दिन में एक बार खाना तो मिल जाया करता था, परन्तु अब सरकार ने 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को समाप्त करके हमारे देश की करोड़ों गरीब लोगों को दिन में एक बार के खाने से वंचित कर दिया है।

महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री सोचते हैं कि वह सुरक्षित हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इससे मुझे उस सेनापति का स्मरण होता है जो अपने मुख्यालय में प्राप्त होने वाली ऐसी रिपोर्ट मिलने पर विश्वास कर लेता था कि उसकी सेना विजय

पर विजय हासिल कर रही है परन्तु एक दिन जब उसके मुख्यालय पर हमला हुआ तो उसे अपनी गलती का अहसास हुआ। सभापति महोदय, इसी प्रकार हमारे वित्त मंत्री भी अपने मुख्यालय में बैठकर गलत रिपोर्टें प्राप्त कर रहे हैं। हम गम्भीर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तथा उस सेनापति के समान आपको भी कहना पड़ सकता है कि मुझे जो रिपोर्टें मिली थीं वे गलत थीं। गलत नीतियों के कारण हम आर्थिक आत्म-विनाश करने जा रहे हैं।

**श्री पी० नामग्याल (लद्दाख)** : माननीय सभापति जी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स सदन के सामने रखी हैं, मैं इस मौजू अवसर पर चन्द बातें कहना चाहता हूं।

इससे पहले मेरे दोस्त प्रो० चक्रवती साहब ने काफी धुंआदार तकरीरें कीं। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन सरकार ने प्राइसेस को नीचे गिराने के लिए जो कदम उठाए हैं और काफी हद तक उसमें कामयाबी हासिल की गई है, उसकी तरफ आप फरमाने के कासिर रहे हैं।

सभापति जी, मैं दो-चार फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। जो रेट आफ इन्फलेशन है, इन-टर्म्ज-आफ होल-सेल प्राइस इण्डेक्स, 1970-71 का 100 मानते हुए, उस हिसाब से एण्डिंग जनवरी, 1980 का 22.2 परसेन्ट था, जबकि वीक-एण्डिंग 14 जनवरी, 1981 को गिरकर 14.8 परसेन्ट रह गया, इसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते तक 10 परसेन्ट तक नीचे गिर गये। इसी से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेन्ट ने जो स्टेप्स उठाये हैं उनका किस कदर असर हुआ है और इन्फलेशन पर रोक लगी है। इसके लिए मैं अपने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दिये बगैर नहीं रह सकता।

जहां तक प्राइस राइज का सवाल है—आपके सामने इस ऐवान में कई बार बतला चुके हैं कि 1979-80 में एक जबरदस्त डाउट का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जिस कदर ब्लैक मनी हमारे मुल्क में सर्कुलेशन में थी, उसके निकलने के लिए जो स्टेप्स उठाये गये उनसे लगभग 400 करोड़ रुपये हमें हासिल हो गये हैं। जहां तक पैट्रोलियम आयल का सवाल है—यह वर्ल्डवाइड-फिनोमिना है, हर जगह दाम बढ़े हैं इसलिए उसका असर हमारे मुल्क पर भी पड़ना था। एडिबल आयल और पलसेज के दाम भी बढ़े हैं—इसके लिए सरकार काफी स्टेप्स उठा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेन्थन कर रही है। सरकार जितने स्टेप्स उठा रही है इनसे आपको यह अहसास होना चाहिए कि सरकार सही दिशा में जा रही है, यह कह देना कि कुछ नहीं हो रहा है दुरुस्त नहीं है।

हर स्टेट से कहा गया है कि जितने भी एक्जिस्टिंग कानून हैं उनके तहत जितने भी एन्टी सोशल एलीमेन्ट्स हैं, ब्लैक मार्केटियर्स हैं, होर्डर्स हैं उनको हर तरीके से काबू में लाया जाय। इसी तरह से फेअर प्राइस शाप्स को स्ट्रेन्थन करने के लिए कहा गया है। एडिबल आयल्ज, जिनकी प्राइसेज काफी बड़ी हैं, उनको इसीलिए इम्पोर्ट किया जा रहा है ताकि उनकी प्राइसेज स्टेबिलाइज हो सकें। खाण्ड की कीमतों में हाल में काफी कमी आ गई है, लगभग 600 रुपये फी

क्विंटल पर आ गई हैं। पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाये गये उससे इनके इम्पोर्ट पर रोक लगाने में काफी कामयाबी हासिल हो गई है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : हो गई है।

श्री पी० नामग्याल : जो स्टेट्स, खास तौर से जहां नान-कांग्रेस (आई) की सरकारें हैं, वे ओवर-ड्राफ्टस पर काफी रिजार्ट कर रही थी, उनको चैक करने के लिए कहा गया है। कम्पलसरी-डिपाजिट्स के रेट्स बढ़ाये गये हैं। इन तमाम स्टेप्स से प्राइसेज के चैक करने में बहुत मदद मिल रही है और काफी स्टेबिलिटी आ रही है। मुझे इसमें तशवीश की कोई बात नजर नहीं आ रही है कि मुल्क के हालात इतने खराब हो गये हैं जैसा कि मेरे दोस्त प्रोफेसर साहब ने आपके सामने पेश किये हैं।

अब मैं डिमाण्ड्स की तरफ आता हूं — सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर और सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ सरकार की तवज्जह दिलाते हुए अर्ज करना चाहता हूं। आपने सुना होगा कि जम्मू व काश्मीर में यह शिकायत की गई है कि जितनी भी फूडग्रेन्स वहां के लिए एफ० सी० आई० के थ्रू सप्लाई किया गया था, वह बहुत ही खराब है लेकिन हकीकत यह है कि जितना भी फूड ग्रेन्स था, खसूसी तौर पर व्हीट और राईस, व लोकेली वहां की काआपरेटिव्ज के थ्रू प्रोक्योर किया गया था और वह बहुत ही खराब था और वहां की सरकार ने यह किया कि जितना भी खराब चावल और गन्दुम था, वह सब उन्होंने लद्दाख में ले जाकर डम्प कर दिया। जितना भी सड़ा हुआ चावल था और खाने के काबिल नहीं था, वह लद्दाख में डम्प कर दिया और 200 ट्रक लोड ऐसा चावल वहां डम्प कर दिया गया। नतीजा यह हुआ है कि वहां पर जितना भी फूडग्रेन्स एफ० सी० आई के थ्रू भेजा गया है, वह सारा बिल्कुल खाने के नाकाबिल है। इसलिए मेरा कहना यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को यह कहा जाए कि इसको फौरी तौर पर रिप्लेस किया जाए और मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को उस तरफ खास ध्यान देना चाहिए इस पर खास तवज्जह देने की जरूरत है क्योंकि इसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट को बदनाम किया जा रहा है जबकि यह गलत काम वहां की सरकार कर रही है। इस तरफ आपको तवज्जह देने की जरूरत है।

इसके साथ-साथ एक बात मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि मैंने एक सवाल एफ० सी० आई के जो गोदामों में पुराने स्टाक के बारे में पूछा था और उसके जवाब में मुझे यह बताया गया कि एक साल या उससे ज्यादा पुराना जो गन्दुम या चावल वगैरह का स्टाक है, वह 1507 हजार टन यानी 15.07 लाख टन है, दो साल के ऊपर का पुराना स्टाक 10.05 लाख टन, तीन साल से ज्यादा पुराना स्टाक 3.50 लाख टन और चार साल से ज्यादा पुराना स्टाक 1.85 लाख टन है। इस तरह से काफी मिकदार में पुराना खुराकका या गन्दुम और चावल का स्टाक हमारे पास मौजूद है। सरकार को चाहिए कि जितना भी ओल्ड स्टाक है, जो खाने के काबिल है, उसका सबसे पहले, प्रायरटी पर डिस्पोजल करना चाहिए और जो नये स्टाक्स आपके पास आ रहे हैं, उनको इशू नहीं करना चाहिए। उस पुराने स्टाक को रिप्लेस करने का बन्दोबस्त करना चाहिए।

मेरा दूसरा प्वाइन्ट डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्रोम के बारे में है। उसके तहत मेरी कांस्टीटुयेन्सी में लेह और कारगिल में एक प्रोग्राम चल रहा है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां की सरकार ने वहां पर कुछ लोकल प्राब्लम खड़ी कर दी हैं। होना तो यह चाहिए था कि जिस जगह ज्यादा डेजर्ट हों, वहां पर इस प्रोग्राम को चलाना चाहिए था। यह प्रोजेक्ट जिस मकसद के लिए थी उसको ध्यान में रखकर प्रोग्राम रखने चाहिए थे लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसके बजाय उन्होंने इसको पापूलेशन पर बेस कर दिया है। यह मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। अगर आपको पापूलेशन को ही चढ़ाना है, तब तो ठीक है लेकिन अगर डेजर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करनी है तब यह बेसिस ठीक नहीं है। होना यह चाहिए कि जहां पर डेजर्ट ज्यादा हों, उन जगहों को डेवलप किया जाए। बजाय डेजर्ट वाली जगहों को डैवलप करने के वहां पर पापूलेशन के लिहाज से पैसा बांट कर वहां के लोगों में एक रीजनल प्राब्लम पैदा की जा रही है और एक कम्युनल प्राब्लम पैदा किया जा रहा है, इसकी तरफ सरकार को तवोज्जह देने की जरूरत है।

कम्युनिकेशन के बारे में खसूसी तौर पर मेरे डिस्ट्रिक्ट में काफी प्राबलम हैं। कल मैंने एक सवाल पूछा था, कि लेह और कारगिल में टेलीग्राफ, सैट पिछले साल में कितने दिन बंद रहा तो मुझे जवाब दिया गया कि 375 दिनों में से कारगिल में 150 और लेह में 20 दिन बंद रहे हे मैंने यह भी पूछा था कि आपने कितने तारया या टेलीग्राफ बाई पोस्ट भेजे। मुझे बताया गया कि लेह में 4009 और कारगिल में 1077 टेलीग्राफ बाई पोस्ट भेजे गए। इनका वेल्यू 11,610 और 3,231 रुपये बनता है। जब मैंने पूछा कि आपने ये टेलीग्राम बाई पोस्ट क्यों भेजे तो जवाब में बताया गया कि बिजली की सप्लाई ठीक नहीं थी। लेकिन जहां आपने जेनेरेटिंग सेट और चार्जिंग सेट लगा, रखे हैं वहां आपका बिजली पर डिपेंड करना मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वहां दो जेनरेटिंग सेट और एक वायरलेश सेट स्टेण्ड बाई आपको रखना चाहिए। मेरी कांस्टीच्युएंसी साल में सात महीने रेस्ट आफ द कन्ट्री से कट आफ रहती है। वहां सिवाय वायरलेस कम्युनिकेशन के और कोई दूसरा जरिया नहीं है। कई बार तो मौसम इतना खराब हो जाता है कि वहां पहुंचने के लिए हवाई जहाज भी सप्ताहों,महीनों बन्द रहता है, तो सरकार को इस तरफ तवज्जह देने की जरूरत है।

मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की ग्रांट के बारे में कहना चाहता हूं। आपने जो स्टेप्स उठाये हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूं। पहले इनकम टेक्स रेड के बारे में काफी हलचल हमारी नजर में आयी थी लेकिन अब वह थोड़ी कम हो गयी है। खुसूसी तौर पर हमारी स्टेट जम्मू और कश्मीर मेक्सिमम ब्लेक मनी है। उसकी वजूहात है कि वहां पर ब्लेक गोल्ड पानी काला सोना यानी चरस का काफी बिजनस हो रहा है। दूसरे एक्सपोर्ट के नाम पर जो कालीन और हेण्डीक्राफ्ट्स के सामान हैं उन पर इनकम टेक्स अदा नहीं किया जा रहा है जो कि अदा किया जाना चाहिए। इधर आपको फैरी स्टेप उठाने की जरूरत है। पिछली दफा इस मोब्राजिजज एवान में इनकम टेक्स रेड के बारे में और डा० फारूक अबदुल्ला के बारे में काफी बातें सुनने में आई थीं। कहीं आप उनसे डर तो नहीं गए हैं और आपने वहां इनकम टेक्स रेड बंद कर दी है? यह ब्लेक मनी अन अर्थ करना बहुत जरूरी है और इसमें आपको हमारा पूरा कोआप्रेशन होगा।

इनकम टैक्स आफिसर्स को अंगेजमेंट करने की जरूरत हैं। इनमें दो तरह के केडर्ज हैं। एक ए और दूसरी बी केडर्ज के हैं। उनके फंक्शन एक ही हैं। उनमें काफी रिजेन्टमेंट है। उन्होंने आपके सामने मेमोरेण्डम भी सबमिट किये, आपसे उनका डेपुटेशन भी मिला और आपने उनकी बात को भी सुना। यह भी कहा गया कि उनकी ग्रिवांसिज को दूर किया जाएगा। मेरी गुजारिश है कि उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वे लोग एक-सा काम करते हैं। आपके लिए रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, ब्लैक मनी निकालते हैं। उनकी तरफ भी आपको देखना चाहिए ताकि वे अपना काम ठीक तरह से कर सकें और खुले दिल से कर सकें।

मेरी कांस्टीच्युएंसी में लेह और कारगिल दो जिले हैं। इस वक्त वहां की हालत बहुत खराब है और वहां के लोगों द्वारा यह मांग की जा रही है कि वहां के इलाके को शेड्यूलट्राइब करार दिया जाए। यह मांग कोई ऐसे ही नहीं की जा रही है। इसको मंजूर करने में जम्मू-कश्मीर सरकार को भी फायदा है, लेकिन वहां की सरकार यहां नहीं चाहती कि लद्दाख के लोग तरक्की करें। उनका सलूक हम लोगों के साथ वैसा ही है, जैसा अंग्रेजों का पहले भारतीयों के साथ था। वही सलूक वे आज हमारे साथ कर रहे हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से गुजारिश करूंगा कि वे इस ओर खसूसी तवज्जह दें।

हमारा इलाका एक सेंसटिव बार्डर एरिया है। चाइना और पाकिस्तान, दोनों का बार्डर मिलता है और जब लड़ाई लड़ने का वक्त आता है तो सबसे आगे देश की हिफाजत के लिए हम लोग ही होते हैं और हमारे साथ ही इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। यह सुलूक बिल्कुल नाजायज है।

पिछली दफा जब हमारे स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर कारगिल और ले आए थे तो जुजिला क्रास करने के बाद मटाइन पहला गांव आता है, वहां से लेकर पूरे 434 किलोमीटर के मार्ग पर उन्हें ब्लेक-फ्लैग दिखाए गए। ले का तो आप समझ सकते हैं, लेकिन कारगिल में ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने तो नेशनल कान्फ्रेंस को वोट दिया था वे ही आज क्यों ब्लेक-फ्लैग दिखा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनका एटीट्यूड हम लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रहा है।

हमारे जो वर्कर्स हैं, उन पर झूठे पुलिस केस बनाए जा रहे हैं और उनको ह्रास किया जा रहा है। ठेकेदारों के कांट्रेक्टस कैंसिल किए जा रहे हैं। ये बातें हमने पहले कभी नहीं दीं करगिल वालों ने पहली बार वहां पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की मांग की है। फारूक फर्स्ट टाइम आपने यह बात सुनी होगी। ले में तो पहले भी आपने इस प्रकार की बातें सुनी होंगी, लेकिन करगिल में पहली बार ये बातें हो रही हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां पर लोगों की क्या हालत है।

आखिर में मैं इन्फेरमेशन और ब्राडकास्टिंग के बारे में चन्द बातें कहना चाहूंगा। "एपल सेटलाइट" के बारे में इस एवान में बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में जो

जम्मू-कश्मीर में जम्मू क्षेत्र के लिए टी० वी० की डिमांड हुई थी, उसका प्रावीजन नहीं किया गया है जो कि होना लाजमी है। मैं चाहता हूं कि "इन्सट" आप 1982 में लांच करने जा रहे हैं। आपका अपना टलसैाइट आ रहा है, तो जितने भी बार्डर एरिया हैं, अंडमान-निकोबार से लेकर नेफा, मिजोरम, नागालैण्ड, अरुणाचल, हिमाचल से लेकर लद्दाख तक, सभी जगह टी० वी० कवरेज मिलना चाहिए। इसकी बार्डर एरिया में बहुत ही जरूरत है। बाकी जगह पर तो रेडियो स्टेशन और बाकी हर तरह की सुविधाएं हैं, टी० वी० भी हैं, लेकिन बार्डर एरिया में कोई फैसिलिटी नहीं है।

इन शब्दों के साथ फायनेंस मिनिस्टर साहब ने जो मांगे पेश की है, उनका मैं समर्थन करता हूं।

**श्रीमती जयन्ती पटनायक** (कटक) : सभापति महोदय, वर्ष 1980 में हमारी सरकार को ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी उसकी स्थिति बहुत खराब थी और अर्थव्यवस्था की प्रगति रुक गई थी। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देती हूं कि उन्होंने मुद्रा स्फीति को रोकने, विकास की गति बनाये रखने और सप्लाई व्यवस्था को सम्भालने के लिए उचित उपाये किये हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि मुद्रा स्फीति की दर में कमी आई है। पिछले वर्ष यह दर 14.8 प्रतिशत थी और इस वर्ष 10.4 प्रतिशत है और गत वर्ष से पहले के वर्ष में 22.2 प्रतिशत थी। मुद्रा स्फीति सार्वभौमिक तथ्य है। हमारे पड़ोसी देशों सहित बहुत से और देश मुद्रा स्फीति पर उतना नियंत्रण नहीं कर पाए हैं जितना हमने कर लिया है। मुद्रा स्फीति को रोकने तथा हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में आदानों के विकास के लिए गेहूं, खाद्य तेलों और चीनी का निर्यात करके समय पर कार्रवाई की गई है। इस सम्बन्ध में विपक्ष के माननीय सदस्य को उद्धृत करती हूं जिन्होंने कहा है कि इन वस्तुओं का निर्यात करने के बजाय हमारी विवरण प्रणाली उपपुक्त होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में हरियाणा तथा अन्य राज्यों में बहुत अच्छी फसल हो रही है और जमाखोरी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि हरियाणा तथा अन्य राज्यों में कृपकों को उकसाया जाता है कि वे अपनी उपज को न बेचें बल्कि जमा करके रखें। इसलिए जमाखोरी आज भी पनप रही है। इसके अलावा, क्योंकि इन वस्तुओं, विशेषकर चीनी का आयात किया जा रहा है इसलिए अब चीनी की कीमतों में गिरावट आई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार व्यापक रूप से सरकारी प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है, जिससे मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन जहां सहकारी व्यवस्था नही होगी वहां दोष बने रहेंगे। भविष्य में जब सहकारी संस्थाएं बन जाएंगी तब से दोष दूर हो जाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन बनाने के लिए आयात को उदार बनाने का कदम प्रशंसनीय है। इसी प्रकार, हमारी आवश्यक सेवाओं, विशेषकर वितरण प्रणाली के सुयास रूप से चलाये जाने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रख्यापति अध्यादेश उचित दशा में उठाया गया एक कदम है जिससे आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा।

हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में इस वर्ष प्रशंसनीय सुधार दिखाई दिया है और मुझे

आशा है कि हमारे गैर-सरकारी क्षेत्र भी उपयुक्त दरों पर उत्पादन में वृद्धि करने तथा साथ-साथ श्रमिकों के कल्याण के लिए कदम उठाने सम्बन्धी हमारी आशाओं पर पूरा उतरेगा।

मंत्री महोदय द्वारा वांछित अनुपूरक अनुदानों—जैसा कि अधिकतर माननीय सदस्यों ने देखा होगा—जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किये गये हैं। इनमें राज्यों को उनके ओवर ड्राफ्टों को समाप्त करने के लिए बजट में दी जाने वाली सहायता भी शामिल है। इस सम्बन्ध में, मैं अपने राज्य उड़ीसा के बारे में कहना चाहती हूं, यद्यपि यह पिछड़ा हुआ राज्य है, इसमें प्राकृतिक साधन बहुत हैं, देश की जनसंख्या का 4 प्रतिशत उड़ीसा में है और उड़ीसा देश के कुल क्षेत्र का 10 प्रतिशत है, यहां पर कुल लेह अभरक का एक तिहाई, मैंगनीज का 40 प्रतिशत, क्रोमाइट का 10 प्रतिशत है तथा बोक्साइट, डोलोमाइट, कोयला और समुद्री सम्पदा के अतुल भंडार हैं। इन वृहत साधनों के अलावा उड़ीसा में बहुत अधिक जंगल तथा काफी लम्बा समुद्री तट क्षेत्र है। फिर भी हम देखते हैं कि देश में विकास स्तर में बहुत असंतुलन है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आगे हैं। फिर भी उड़ीसा की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता पिछले वर्षों में कम हुई है। यद्यपि उड़ीसा एक अविकसित राज्य है और इसे और अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तथापि वह केन्द्र द्वारा निर्धारित सभी वित्तीय शर्तों का पालन करता है और ओवर-ड्राफ्ट नहीं करता है।

मैं यहां यह कहना चाहती हूं कि उड़ीसा को विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता की पूर्ति को उचित रूप से सुनिश्चित करने के लिए गाडगिल फार्मूला भी पर्याप्त नहीं रहा है। अतः उड़ीसा को इसको चालू तथा अवियोजनाओं के लिए अधिक धन चाहिए ताकि उड़ीसा का क्रमिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

मैंने मंत्री महोदय से इसके लिए आग्रह भी किया था कि हालांकि इस विषय पर कल भी चर्चा हुई थी रेल मंत्रालय को अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जाए जिससे वह तलचर तथा संचलपुर के बीच एक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन बिछा सके जिसकी शीघ्र व्यवस्था करने के लिए सभी सम्बद्ध सरकारी एजेंसियों ने सिफारिश की है और उड़ीसा के सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों ने बार-बार इस पर जोर दिया है।

मैं अन्य राज्यों के साथ-साथ उड़ीसा की अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए निम्नलिखित विषयों पर शीघ्र कार्यवाही की जाने की आवश्यकता पर भी संक्षेप में प्रकाश डालना चाहती हूं।

1. पाराद्वीप में इस्पात संयंत्र के शीघ्र निर्माण के लिए शीघ्र निर्णय किया जाना आवश्यक है जिसके लिए चालू वर्ष के बजट में निधि की प्रारंभिक व्यवस्था कर दी गई है।

2. सरकार पाराद्वीप में तीसरा बंदरगाह और फोस्फेट संयंत्र स्थापित करने के लिए पहले ही सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है। इस निर्णय को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

3. उड़ीसा गैर-योजनागत घाटे वाला राज्य है और यह एक ऐसा प्रमुख राज्य है जो बहुत अधिक समस्याग्रस्त है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि अनुपूरक बजट में आवश्यक नियतन किया जाए।

4. उड़ीसा की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की है जिसके और उत्थान के लिए सभी संभव उपाय तेजी से किये जाने चाहिए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि जनजातीय योजना तथा केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत हरिजन विशेष घटक योजना को अल्पविकसित उड़ीसा राज्य में लागू किया जाए।

अन्त में, मैं कहना चाहती हूं कि उड़ीसा में बार-बार आने वाली बाढ़ों तथा सूखे की चपेट से स्थायी रूप से बचने के लिये बार-बार उपाय किये जाने चाहिये क्योंकि बाढ़ तथा सूखे से उड़ीसा के गरीब वर्ग के लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, धन्यवाद।

*श्री एस० मुरुगैयन (तिरुपत्तूर) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई अनुपूरक मांगों के समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

इन अनुपूरक मांगों के माध्यम से माननीय मंत्री ने 420.81 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के लिए सभा की स्वीकृति मांगी गई है। 22,000 करोड़ रुपये के बजट में अनुपूरक मांगें यदि केवल 420.81 करोड़ रुपये की ही ज तो इसका श्रेय हमारे समर्थवान वित्त मंत्री को जाता है। यह हमारे प्रतिभाशाली वित्त मन्त्री द्वारा हमारे देश के कुशल वित्तीय प्रबंध का द्योतक है।

हाल ही में हमारे उच्चतम न्यायालय ने हमारे वित्त मंत्री धारक बांड योजना का अनुमोदन किया है। धारक बांडों के बारे में अलग-अलग मत थे। अब देश के उच्चतम न्यायालय ने इस योजना को सही बताया है तो यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि एक प्रकार से उच्चतम न्यायालय ने हमारे वित्त मंत्री की दूरदर्शिता की सराहना की है। लेकिन अब 10,000 रुपये के धारक बांड बाजार में प्रीमियम पर बिक रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री फिर से धारक बांड जारी करेंगे ताकि देश की प्रगति के लिए काले धन को और अधिक मात्रा में बाहर निकाला जा सके।

मैं इस अवसर पर यह बताना चाहता हूं कि विश्व बैंक ने तमिलनाडु की सरकार द्वारा बरती जाने वाली अनुचित वित्तीय व्यवस्थाओं की आलोचना की है। मुझे यह कहना चाहिये कि विश्व बैंक ने तमिलनाडु सरकार के वित्तीय प्रबन्ध के विरुद्ध विपरीत टिप्पणियां की हैं। तमिलनाडु राज्य में कानून एवं व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के वित्तीय मामलों में अपनी अक्षमता का खुलकर प्रदर्शन किया है। हमारे देश के संविधान में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार ऐसी राज्य-सरकार को बर्खास्त कर सकती है विशेष रूप से उस समय जबकि उस राज्य की कानून व व्यवस्था तथा वित्तीय प्रबंध राज्य प्रशासन की लापरवाही

*तमिल में दिये गये मूल भाषण को अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के कारण करीब-करीब समाप्त हो चुका है। मेरी यह मांग है कि केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु सरकार के कार्य निस्पादन पर कड़ी नजर रखे और राज्य के वित्तीयम मलों की व्यवस्था ठीक से न कर पाने की सूरत में राज्य प्रशासन के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने में जरा भी न झिझके।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामाचन्द्रन को लगभग 8 लाख रुपये की आयकर राशि का भुगतान करना है। इस बारे में इस सदन में एक प्रन्न भी पूछा गया था जिसके बाद दस दिन के भीतर ही उन्होंने इसमें से 2.75 लाख रुपये की अदायगी कर दी थी परन्तु उन्होंने 5.25 लाख रुपये की बकाया राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया है।

उन्होंने 2.75 लाख रुपये का भुगतान किस प्रकार किया है? यह सूचना मिली है कि उन्होंने अपने सौतेले बेटे का मकान अपनी पत्नी को बेच दिया है। यदि हां तो इस मकान को खरीदने के लिये पत्नी के पास पैसा कहां से आया। उनकी आय का स्रोत्र क्या है? अपने सौतेले बेटे के मकान को खरीदने के लिये उन्होंने 2.75 लाख रुपये का प्रबंध कहां से किया ताकि उनको पति आयकर को बकाया राशि को आंशिक रूप से चुकता कर सके। इस सारी घटना की केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच करायी जानी चाहिये। मैं यह भी जानता हूं कि केन्द्रीय सरकार श्री एम० जी० रामचन्द्रन से 5.25 लाख रुपये की आयकर की बकाया वसूली के लिये क्या कदम उठा रही है। श्री एम० जी० आर० के विरुद्ध विदेशी मुद्रा कानूनों के उलंघन का भी एक मामला था जो जनता सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था। यह एक जबरदस्त अफवाह है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री एम० जी० आर० के पास टनों में काला धन जमा है। मैं मांग करता हूं कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यापक जांच कराई जाये।

काले धन को निकालने के लिये आयकर विभाग पूरे देश में छापे मारता है। समाचार पत्रों की रिपोर्टों से पता चलता है कि करोड़ों रुपयों का काला धन निकाला जा चुका है। परन्तु आयकर विभाग द्वारा की जाने वाली धीमी अनुवर्तन कार्यवाही के कारण ये छापे व्यर्थ हो गये हैं। कितनी ही बार बेनामी जमायें और बेनामी शेयर इन छापों में पकड़े जा चुके हैं। कभी-कभी उन सभी को सील कर दिया जाता है। जब उन्हें सील किया जाता है तो महीनों तक विभाग द्वारा उन पर कोई अनुर्वतन कार्यवाही नहीं की जाती, और परिणामस्वरूप, भ्रष्ट तरीकों के माध्यम से अपराधी लोग सरकार की दण्डात्मक कार्यवाही से बच जाते हैं। यह तो है ही इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम में भी अनेकों कमियां हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि काले धन की अर्थव्यवस्था देश से पूर्णतया समाप्त हो जाय, आयकर अधिनियम में ऐसी सभी कामियों को निकालने के लिए संशोधन किया जाना चाहिये। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि हमारे वित्त मंत्री इस दिशा में सही कदम उठायेंगे।

मैं एक और दूसरे महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख करता हूं। खानों के गैर-सरकारी लीज-घाटकों द्वारा तमिलनाडु से जापान एवं अन्य दूसरे देशों को काले ग्रेनाइट (ब्लैक ग्रेनाइट) के निर्यात से लगभग 8 करोड़ रुपये वार्षिक की विदेशी मुद्रा की आय होती है। एकाएक सुस्पष्ट कारणों

से तमिलनाडु सरकार ने इन खानों से खनिज निकालने के लिये गैर-सरकारी लोगों को लायसेंस जारी करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। राज सरकार ने ऐसी 20 खानों को अधिग्रहण किया है। इन खानों को तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये जाने से पूर्व, प्रत्येक खान विदेशों को कम से कम 100घन-मीटर ब्लैक ग्रेनाइट का निर्यात करती थी। उनका अधिग्रहण किये जाने के पश्चात् इन सभी 20 खानों ने कुल मिलाकर अधिक से अधिक 150 घन मीटर ब्लैक ग्रेनाइट का निर्यात किया है। इससे यह साफ पता चलता है कि राज्य सरकार स्थिति से निपटने में अक्षम है। यदि केन्द्रीय सरकार इस वर्ष के कार्य निस्पादन की पिछले वर्ष के कार्य निस्पादन से तुलना करती है तो इस वर्ष विदेशी मुद्रा की आय पिछले वर्ष की आय का बीसवां भाग भी नहीं हो सकी। केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार की गलत निति के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की आय में इस कमी को गंभीरता से नोट किया जाना चाहिये। हम अमूल्य विदेशी मुद्रा की बरबादी सहन नहीं कर सकते, और विशेष तौर पर उस समय जबकि व्यापार संतुलन की स्थिति काफी गंभीर हो। मैं यह मांग करता हूं कि केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु की ब्लैक ग्रेनाइट की खानों से खनिज निकालने के लिये गैर-सरकारी लोगों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार अपने हाथ में ले लेना चाहिये। तमिलनाडु के ब्लैक ग्रनाइट की मांग विश्व्यापी है। और तमिलनाडु सरकार इस मामले में बुरी तरह असफल रही है। केन्द्र को इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करने में जरा भी हिचक नहीं करनी चाहिये ताकि राष्ट्र को विदेशी मुद्रा की आय की क्षति न होने पाये।

मुझे यह भी विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री बढ़ते हुए मूल्यों को और खासकर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को रोकने के लिये प्रभावी कदम अवश्य उठायेंगे। मेरी यह भी मांग है कि सरकारी क्षेत्रों के बैंकों से ग्रामीण इलाकों के उद्योगों के विकास पर अधिकाधिक ध्यान देने के लिये कहा जाय। इस समय कुछ वित्तीय सहायता दी भी जा रही है, लेकिन यह अपर्याप्त है। ग्रामीण इलाकों के लोगों का ऋण स्वीकृति से पूर्व अनेक प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। मुझे इस बात को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि कृषि एक मौसमी उद्योग है और ग्रामीण इलाकों के लोग अपने जीवन यापन के लिये वर्ष में छः महीने रोजगार के अन्य वैकल्पिक साधन ढूंढते रहते हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि कृषि ही इस देश का प्रमुख उद्योग है, फिर भी कृषि में लगे अधिकांश लोग साल के छः महीने बेरोजगार ही रहते हैं। इस समस्या का समाधान ग्रामीण उद्योगों के विकास से ही हो सकता है और विशेषकर ग्रामीण इलाकों में छोटे पैमाने के कुटीर उद्योगों के विकास से। प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी इन बैंकों के दृष्टिकोण में खासतौर से ग्रामीण औद्योगिक विकास के प्रति कोई खास अंतर नहीं आया है। माननीय वित्त मंत्री महोदय को इन बैंकों को यह निर्देश देना चाहिये कि वे ग्रामीण उद्योगों को ऋण प्रदान करने में सर्वोच्च प्राथमिकता बरतें। चुनावों के बाद मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरूपन्तूर में नक्सलवादी आन्दोलन ने गम्भीर मोड़ ले लिया है। इसका प्रमुख कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी है। यदि बेरोजगारी को समाप्त करना है तो ग्रामीण इलाकों में उद्योगों की स्थापना से ही इसका हल हो सकता है जिसमें बैंकों को अहम भूमिका अदा करनी पड़ेगी। केवल तभी हम लोगों को नक्सलवादी आंदोलन के रास्ते से हटा सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पूरक मांगों का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स सदन के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। जो डिमांड की राशि है उससे यह पता चलता है कि वित्त मंत्री ने बहुत हद् तक सभी महकमों में सफलता प्राप्त करने की कोशिश की। पिछले वर्षों में अपनी योजना के माध्यम से इन्होंने एक आधुनिक आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने की कोशिश की है। चाहे वह खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर होने की बात हो या औद्योगिक क्षेत्र में हो या विज्ञान और टेक्नोलाजी के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में इस मामले में धीरे-धीरे कामयाबी हासिल कर रहे हैं, यह बहुत प्रसन्नता की बात है।

हमारी अर्थ-व्यवस्था कामी सुदृढ़ थी लेकिन पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो हर महकमे में इन्डिसिप्लीन हुआ उसको सुधारने में काफी मेहनत की जरूरत पड़ रही है।

मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष पेश करके साबित करना चाहता हूं कि मौजूदा स्थिति हमारे देश की काफी गम्भीर है। इसका इल्जाम मैं उन लोगों पर लगाना चाहता हूं, जो लोकतंत्र के नाम पर देश में इन्डिस्पिलीन तन्त्र पैदा करते रहे। 1950-51 से 1978-79 के बीच प्रति व्यक्ति के निजी खर्च में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिलो-पावर्टी लाइन 54 प्रतिशत था और शहरी क्षेत्रों में 41 प्रतिशत था। हमारी सरकार के प्रयास करने के बाद अब बिलो-पावर्टी लाइन 51 प्रतिशत है और शहरी क्षेत्रों में 38 प्रतिशत है। इस तरह से हम देखते हैं कि निरन्तर माननीय मंत्री महोदय इन गम्भीर परिस्थितियों में भी एक नई अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाह रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का उद्योग विभाग की ओर ले जाना चाहता हूं। आप सही में चाहते हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था मजबूत हो और बिलो-पावर्टी-लाइन के लोगों को ऊपर उठायें, ज्यादा एम्प्लायमेंट को बढ़ाया जाए, तो उसके लिए आपको दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा देश गांवों का देश है, जब हम भारत की कल्पना करते हैं तो गांव का चित्र ही नजर आता है। जो गांव की समस्यायें हैं, वही देश की समस्यायें हैं चाहे वह समस्या किसानों की समस्या हो, चाहे वह समस्या मजदूरों की समस्या हो और चाहे वह समस्या बिजली की समस्या हो तथा चाहे वह समस्या सिंचाई की समस्या हो और जब तक हम गांवों का सर्वांगीण विकास नहीं करते, जो हमारी नेता, श्रीमतीगांधी की मंशा है, इस मुल्क को आगे बढ़ाने की, उसमें हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकाश नहीं हो सकता है।

अब मैं आपका ध्यान कुटीर उद्योग की ओर ले जाना चाहता हूं। कुटीर उद्योग ही एक ऐसा उद्योग है, यदि हम इसका गांव-गांव में विस्तार करें, छोटे-छोटे कस्बों में सुनियोजित ढंग से छोटी-छोटी चीजों को पैदा करने के उद्योग लगायें, तो उससे बहुत कुछ मार्केट कन्ट्रोल होगा और जो मूल्य वृद्धि कृषि यन्त्रों पर हो रही है, यदि वे कुटीर उद्योग में बनायें जायें, तो वह रुक सकती है। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इक्विमेंट गांवों में ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन इक्विमेंट्स को बनाने के लिए बड़े-बड़े उद्योगपतियों को कहा जाता है। आप कहते हैं कि टाटा भी एग्रीकल्चर

इक्विमेंट बनावे और बिरला भी बनावे । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें एक ऐसा बिल लाना होना जिससे उन इक्विमेंट को बड़े-बड़े उद्योगपतियों के बनाने पर पाबन्दी लग सके । लेकिन यदि आपको एक सूंई भी बनानी होती है तो आप मल्टी-नेशनल को बनाने के लिए कहते हैं । साबुन जो कि पंचायती स्तर पर बनाया जा सकता है, उसके लिए भी आप बड़ी-बड़ी कम्पनियों को बनाने के लिए कहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जो चीजें हम कुटीर उद्योग में बना सकते हैं, उन चीजों को बनाने के लिए हमें बड़े-बड़े उद्योगपतियों के बनाने पर पाबन्दी लगानी चाहिए और गांव-गांव में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए । वे ऐसी चीजें बनायें जिनसे हम फारेन-एक्सचेंज प्राप्त कर सकें और हमारे देश का आर्थिक विकास हो ।

जहां तक एफारेस्टेशन का सवाल है,इसका हिन्दुस्तान के आर्थिक—विकास से कितना गहरा सम्बन्ध है. आप इसकी कल्पना कर सकते हैं । इस पर आज हम लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन सिस्टेमेटिक रूप से खर्च नहीं हो रहा है । स्वर्गीय संजय गांधी जी ने एफारेस्टेशन की एक महत्वपूर्ण कल्पना की थी, उन्होंने कहा था "एक व्यक्ति-एक पेड़" ।

**सभापति महोदय :** अभी आप कितना समय लेंगे ।

**श्री रामस्वरूप राम :** मैं 6-7 मिनट में खत्म कर दूंगा, आपको दोबारा नहीं कहना पड़ेगा ।

मैं निवेदन कर रहा था कि एफारेस्टेशन से हिन्दुस्तान की क्लाइमेंट को कन्ट्रोल किया जा सकता है, अच्छी-अच्छी लकड़ियां हमको मिलेंगी जिससे हमारे देश को आर्थिक सहायता मिल सकेगी । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस योजना को बहुत बड़े पैमाने पर चलायें ।

अब मैं इरिगेशन तथा इलैक्ट्रिसिटी की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । सिंचाई और बिजली किसी भी देश का जीवन होता है, उसकी प्रगति का आधार होता है । जो देश सिंचाई और बिजली के मामले में आत्म निर्भर हो जाते हैं उनमें समाजवाद की स्थापना स्वत: हो जाती है । लेकिन हमारे देश की क्या स्थिति है—मैं उसका चित्र आपके सामने खींचना चाहता हूं। मैं सबसे पहले अपने राज्य बिहार का उल्लेख करना चाहता हूं, बिहार राज्य में 67,566 गांव हैं जिनमें से 18,856 गांवों को बिजली मिली है, अभी भी 48,710 गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई है । इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन की स्थापना की थी लेकिन जितनी द्रुत गति से यह काम होना चाहिए था, उतनी तेजी से नहीं हो पाया है । आप देश के अन्य राज्यों का भी नक्शा देख लेंवेस्ट— बंगाल में 38,074 गांव हैं जिनमें 11,964 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, 26,110 गांव अभी भी इलेक्ट्रिकफाइड नहीं हो सके हैं । उत्तर प्रदेश में 1,12,861 गांव हैं, जिनमें 35,564 गांवों में बिजलीपहुंची है, अभी भी 76,997 गांव बिना बिजली के हैं । इस तरह से आप देखेंगे, कि बिहार में यह काम अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी पीछे हैं ।

**सभापति महोदय :** बिहार के जिन 18,856 गांवों की आपने चर्चा की, वहां कितने घरों को बिजली मिलती है ?

पाता है और न समझ पाता है और उसके अनुसार काम ही कर पाता है। हमारा यह अनुभव रहा है कि कभी कभी हमें यह पता लगता है कि ऐसा मनुष्य एक बहुत ही सक्षम संयुक्त सचिव होता है। तथा ससमें उत्साह भी खूब होता है उसमें बुद्धिमत्ता भी खूब होती है तथा वह काम करने योग्य होता है। आप उसे अतिरिक्त तथा तत्पश्चात सचिव के पदों पर पदोन्नत करवाते हैं। उस स्तर पर वह पंगु सा हो जाता है, और वह किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाता। प्रायः हम यह देखते हैं कि बहुत से मंत्रालयों में संयुक्त सचिव वह अधिकारी होता है जिसके पास कोई भी व्यक्ति जा सकता है और वह सभी प्रकार का कार्य करता है तथा उच्च स्तर पर जाकर पदोन्नति में गतिरोध तो हो जाता है जो स्वाभाविक होता है। यदि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है तो यह बिल्कुल ठीक होगा लेकिन ये वे व्यक्ति होते हैं जो नेतृत्व करते हैं और यदि वे ठीक प्रकार से नेतृत्व करने योग्य नहीं हैं, यदि वे ठीक प्रकार से अपेक्षित उत्साह दिखाने तथा इस देश में होने वाले परिवर्तन में अपेक्षित सूझबूझ दिखाने में समर्थ नहीं है तो इससे केवल उसके काम पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु इससे सभी कामों पर प्रभाव पड़ता है। अतः इस देश के सभी विचारशील पक्षों के सम्बन्ध में यह प्रश्न है कि सविधान सहित हमारे कानून इस प्रकार तैयार किये जा रहे हैं कि इनमें अनेक सुरक्षाएं प्रदान की गईं। के सक्षम और अक्षम दोनों ही प्रकार के अधिकारियों को संरक्षण दिया गया है। केवल वरीयता के आधार पर ही पदोन्नति की जाती है। जरूरत होने पर दूसरे स्तर के नेतृत्व के लिये प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पदोन्नति का कोई तरीका नहीं हैं। मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई संवैधानिक संशोधन करने पर विचार करेगी जिससे उन व्यक्तियों को, जिनमें उत्साह, योग्यता है सेवाओं में दूसरे स्तर का नेतृत्व दिया जा सके तथा उन्हें इसका अवसर दिया जा सके। इन व्यक्तियों ने बहुत कुछ किया हैं। और योगदान दिया है। जो लोग ढल चुके हैं उन्हें सेवा निवृत्त किया जाना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्तियों को अवसर मिल सके और सेवाएं ज्यादा प्रभावी तौर से चल सकें। यह एक विशिष्ट प्रश्न हैं और क्योंकि यह अवसर उठाया जाता हैं अतः इस पर मैं माननीय मंत्री का उत्तर जानना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि मंत्रियों के साथ कठोरता से व्यवहार नहीं किया जायेगा क्योंकि अगर उनका कार्य ठीक नहीं है तो या तो उन्हें टिकट नहीं जायेगा और यदि दिया जायेया तो वे हारेंगे।

**श्री सत्य साधना चक्रवर्ती** : क्या उन पर जौनिक उड़िया लागू नहीं होती।

**श्री एडीआर्डो फैलीरो** : दूर किसी में जीवित रहने की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। यह मूल जैविका प्रवृत्ति है। कोई भी व्यक्ति जिसे इसका पूरा विश्वास है कि उसे कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है, तो वह किसी भी बात को गंभीरता पूर्वक नहीं लेगा। कोई भी व्यक्ति जिसे यह मालूम है कि अगर वह काम नहीं करेगा तो चुनाव होने पर उसकी हार निश्चित है और फिर न तो वह मंत्री ही रहेगा और न ही सभा का सदस्य, तो वह व्यक्ति पूरी तरह सक्रिय रहेगा। यह बात निश्चित है।

इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रशासन में नए लोगों को लाने के बारे में सरकार का क्या विचार हैं जिससे यह प्रभावकारी हो सके और यदि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो सरकार क्या इस बारे में क्या करने का इरादा है। यह एक प्रमुख प्रश्न है और

तीनों योजनाओं का काम व्यक्तिगत देख-रेख में आप पूरा कराएं और आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन तीनों योजनाओ का शिलान्यास करें ताकि द्रुत गति से वहां का विकास हो सके।

अब मैं आपके सामने कुछ मांगें रखना चाहता हूं। पहली मांग तो यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करें। दूसरी यह है कि हर पंचायत में एक बैंक खोलें जिससे वहां के स्थानीय लोगों को मेक्सीमम फाइनेन्शियल एसिसटेंस मिले और वे अपनी रोजी-रोटी पैदा कर सकें और वहां पर डेवलपमेंट कार्य कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन अनुपूरक माँगों का समर्थन करता हूं।

**श्री चन्द्रपाल सिंह** (अमरोहा) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूँ। आज सप्लीमेंटरी बजट पर जो बहस हो रही है, उसमें शरीक हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस तरह से सप्लीमेंटरी बजट लाने की जो परम्परा आज तक चल रही है, वह ठीक नहीं है। सरकार जैसा चाहती है, वैसा बजट पास करवा लेती है। उसमें बोलने का, समझने का पूरा समय नहीं होता है और जो संचित निधि होती है, उसमें से पैसा निकाल लेती है, जिससे आम लोगों पर बोझ पड़ता है। अगर आप थोक भावों को देखेंगे, तो यह पता चलेगा कि पिछले वर्ष के मुकाबले में 27 फीसदी थोक भाव बढ़ गये हैं। दालों और तेल का भाव 45 फीसदी, तिलहन के 40 फीसदी, पेट्रोल के 31 फीसदी और सीमेंट आदि दूसरी चीजों के भावों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा आम आदमी के इस्तेमाल की जो चीजें हैं, उनमें भी काफी दामों में बढ़ोतरी हुई है और इससे आम जनता पर बहुत बड़ा भार पड़ा है।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि आज सरकार दूसरे देशों से चीनी मंगा रही है, बाहर से अनाज मंगाने की बात है और उसका कहना यह है कि भावों को घटाने के लिए वह ऐसा कर रही है। पिछली सरकार का रिकार्ड आप देखेंगे, तो पायेंगे कि उसके बफर स्टाक में 23 मिलियन अनाज था, जनता सरकार के जमाने में इतना अनाज स्टाक में था लेकिन आज वह घटकर 13 मिलियन टन रह गया है। चीनी का भी यही हाल है। हमारे यहां जो किसान हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं करते हैं, जिससे वे अपनी पैदावार बढ़ा सकें और अच्छा स्टाक यहां पर हो सके। उस तरफ आप तवज्जह नहीं देते हैं और बाहर ज्यादा कीमत देकर अनाज और चीनी बाहर से मंगाने की बात करते हैं और उससे भाव गिराने की बात कर रहे हैं। इसको आपको देखना चाहिए। चीनी के बारे में भी यही बात है। चीनी के भाव इधर कुछ कम हुए हैं लेकिन जिस तरह से आप ज्यादा पैसा देकर बाहर से इन चीजों को मंगा रहे हैं, वह ठीक नहीं है। किसान और मजदूर अगर पनपेगा तो इस देश का उद्धार होगा, बाहर से मंगाने से काम चलने वाला नहीं है।

दूसरे मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उसको उसकी आबादी के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। उस सूबे

के कई-कई प्रधान मंत्री हो गए फिर भी उसका पिछड़ापन नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि उसको पूरा पैसा नहीं मिलता है।

सभापति जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह की स्कीम फूड फार वर्क जनता पार्टी के शासन काल में चलायी गयी थी, उससे गांव में रहने वालों को काम तो मिल जाता था और देहातों में बहुत से काम हो जाते थे। अब उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अगर उसमें कोई घपला था तो उसे आप दूर करते लेकिन आपने तो उस पर कुठाराघात ही कर दिया। यह हो सकता है कि उसमें कहीं कमी रही हो, किसी अधिकारी ने गड़बड़ी की हो। वह तो ठीक हो सकती थी।

मान्यवर, हम बाहर से कर्जा लेने की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से सात सौ करोड़ और इन्टरनेशनल मोनेटरी फण्ड से पांच हजार करोड़ रुपये लेने जा रहे हैं। उस पर हमें सूद देना पड़ेगा। हम पर कितना बोझ पड़ेगा, यह देखने की बात है। हम अपने ही देश में कानून को सख्त बनाकर स्मगलर्स से और ब्लैक मार्किटियर्स से पैसा निकाल सकते हैं। जो आपने बियरर बाण्ड की योजना चलायी थी, उसमें आप सफल नहीं हो पाए हैं लेकिन उसमें भी प्रयास करने की जरूरत है।

**सभापति महोदय** : उसका रास्ता खुल गया है।

**श्री चन्द्रपाल सिंह** : हां उसका रास्ता खुल गया है। जिससे हम पैसा लेते हैं उसके हमें दबाव में रहना पड़ता है इसलिए हमें बाहर से पैसा लेते हुए यह सब देखना है।

अपने देश से कुछ लोग बाहर जाने की बात करते हैं। हम उनका पास-पोर्ट तो बना देते हैं लेकिन वहां जाने देने में सरकार बहुत परेशान करती है। अगर कोई बेरोजगार है, वह बाहर नौकरी करने जाता है तो इससे हमारे देश मे विदेशी मुद्रा आएगी। उसकी नेशनेलिटी तो यहीं की रहेगी। यह बडी भारी बात है। इसके लिए सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए न कि परेशान करना चाहिए। पता नहीं सरकार प्रोत्साहन क्यों नहीं दे रही है? हमारे यहां बेरोजगारी बहुत है। इससे बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और देश में पैसा भी आयेगा। इससे हमारे यहां की बेरोजगारी भी कम होगी। सरकार को इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।

बिजली के बारे में मेरे दोस्तों ने कहा कि मुल्क में बिजली की कमी है तो हम देहात में बिजली कैसे बढ़ा सकते हैं। आप बड़े-बड़े कारखानों को बिजली देते हैं लेकिन अगर आप किसान को बिजली नहीं देंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। आज राजस्थान और यू० पी० में हाहाकार मचा हुआ है। पहले तो वहां बड़ी भारी बाढ़ आयी, उससे तबाह हो गए, अब सूखा पड़ गया, उससे फसल चौपट हो गयी। इस तरह से आपकी खेती कैसे पनपेगी। अगर आप बिजली देंगे तो आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और देश भी तरक्की करेगा।

मैं इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

**श्री चिरंजीलाल शर्मा** (करनाल) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री की अनुदान मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

मैं कुछ ऐसे मुद्दे उठाऊंगा, जिन पर भारत सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और जो विशेषकर हरियाणा के सम्बन्ध में हैं।

हरियाणा 15 वर्ष पहले अर्थात 1966 में बना था। हरियाणा पहला राज्य है, जहां प्रत्येक गांव में बिजली पहुँचा दी गई है। हरियाणा पहला राज्य है, जहां प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ा गया है। हरियाणा पहला राज्य है, जहाँ हरिजन कालोनियों में बिजली दी गई है। बहुत से मामलों में, यह पहला राज्य है। किन्तु यह खेद की बात है कि हमें अपने हिस्से रावी-ब्यास परियोजना से जल नहीं मिल रहा है। 1976 में हमारी प्रधान मंत्री ने एक फैसला दिया था। उस पंचाट के अनुसार हरियाणा को इस परियोजना से 35 लाख एकड़ फुट पानी मिलना था। किन्तु उस निर्णय को कुछ अज्ञात कारणों से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। फालतू पानी बेकार ही पाकिस्तान को चला जाता है। मेरा बड़ा भाई पंजाब, हमारे प्रति इतना निर्दयी है—इन शब्दों को प्रयोग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं—कि वे हमारे हिस्से का पानी हमें देने को सहमत नहीं हो रहे। अगर मेरी सूचना गलत नहीं है, तो पंजाब में शत-प्रतिशत भूमि की सिंचाई होती है, जबकि हरियाणा में मुश्किल से ही 40% भूमि ही सिंचित है। इसे कोई अस्वीकार नहीं करेगा कि देश के दूसरे भागों में भेजे जाने के लिए केन्द्रीय मूल में अनाज और धान देने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर आता है। किन्तु पानी की कमी के कारण हमें काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है। हम जोर शोर से अपनी आवाज उठा रहे हैं। मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। मैं नहीं समझ सका कि इस पंचाट को क्रियान्वित करने के मामले में हरियाणा को जानबूझकर क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। इस तथ्य पर कि हरियाणा पानी की विशेष मात्रा का हकदार है, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जब सिद्धान्त रूप में यह मान लिया गया है कि हमें पानी मिलेगा—यदि 35 लाख एकड़ फुट नहीं तो यह 34 लाख एकड़ फुट हो सकता है अथवा जो कुछ भी हो—जब इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि हमें रावी-ब्यास परियोजना से पानी मिलेगा तो इसके लिए नहर का निर्माण क्यों नहीं शुरू किया जाता ? इस सम्बन्ध में मैं यह उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं कि हरियाणा ने 106 किलोमीटर लम्बी नहर के निर्माण में 80 करोड़ रु० के लगभग खर्च कर दिये हैं और यदि मेरी सूचना गलत नहीं है, तो हमने जमीन के मुआवजे के रूप में पंजाब सरकार को 1 करोड़ रु० पहले और 1 करोड़ रु० बाद में यानी दो करोड़ रु० जमा करवा दिये हैं। आप इसे भलीभाँत समझ सकते हैं कि इस धनराशि पर हमें कितना ब्याज मिल सकता था। जब यह सिद्धान्त रूप मे स्वीकार कर लिया गया है कि हमें पानी मिलेगा तो मुझे यह समझ नहीं आता कि भारत सरकार भूमि अधिगृहण के लिए पंजाब सरकार पर दबाव क्यों नहीं डाल रही है, पंजाब सरकार को राजी क्यों नहीं कर रही है, पंजाब सरकार को बाध्य क्यों नहीं कर रही है ताकि नहर के निर्माण का कार्य शुरू किया जा सके। यह मामला विधि-मंत्री के पास है। प्रधान मन्त्री ने यह कार्य उन्हें सोंपा है और यह कहा जा रहा है कि अगर हम आशा के प्रति आशावान नहीं है, निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा, यदि ऐसा है

तो इस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण क्यों नहीं किया जाता ? महोदय, आपके माध्यम से, मैं भारत सरकार का ध्यान इस मामले की ओर दिलाना चाहता हूं जिस पर सम्पूर्ण राज्य की आँखें लगी हुई हैं। राज्य में सात या आठ महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं और हमें हमारे लोग गालियाँ निकाल रहे हैं कि हम 6 वर्ष पहले प्रधान मंत्री द्वारा हमें दिए गए जल का हिस्सा प्राप्त करने में असफल रहे हैं।

जिस दूसरे मुद्दे पर मैं बोलना चाहता हूं कि वह है करनाल में तेलशोधक कारखाने के बारे में। मेरे द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री दलबीर सिंह ने सदन में यह स्वीकार किया था कि करनाल में एक तेलशोधक कारखाना लगाया जायेगा। यह सदन की कार्यवाही में है। यह लगभग 6 महीने पहले की बात है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसकी जाँच कर ली गई है। स्थान स्वीकार कर लिया गया है। भूमि स्वीकार कर ली गई है। किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? माननीय पेट्रोलियम और रसायन मंत्री, श्री सेठी ने इस सत्र में मेरे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि करनाल का नाम वहां है। किन्तु प्रैस के माध्यम से हमें फिर पता लगा है कि इसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया गया है। महोदय यह काफी गम्भीर बात है। करनाल मुख्य जी० टी० मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, पर स्थित है जो दिल्ली को पंजाब और देश के अन्य भागों से मिलाता है। यह काफी बड़ा शहर है और इसकी स्थिति इतनी उत्तम है कि अगर करनाल में तेलशोधक कारखाना लगा दिया जाये तो न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब को भी फायदा होगा। महोदय, मैं फिर आपके माध्यम से भारत सरकार पर यह दबाव डालना चाहता हूं कि वह इस स्कीम को क्रियान्वित करे क्योंकि सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। जब कभी सदन में कोई आश्वासन दिया जाता है तो इस आश्वासन को तहेदिल से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मैं करनाल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं और मैं शासक दल का सदस्य हूँ। लोग मेरी यह कहते हुए निन्दा करते हैं कि "प्रैस में समाचार है। आपने सरकार की मंजूरी तो ले ली है, किन्तु इस ओर कोई प्रगति नहीं हुई है।" निश्चय ही, महोदय, उन्हें मेरी निन्दा करने का अधिकार है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं सुस्पष्ट शब्दों में सूचना प्राप्त कर चुका हूं कि करनाल में एक तेलशोधक कारखाना लगाया जायेगा। किन्तु यदि यह केवल कागजों पर ही रह जाता है और स्कीम पूरी नहीं होती है, तब यह श्रेयस्कर नहीं होगा और इससे सम्पूर्ण सरकार बदनाम होगी...

**सभापति महोदय** : क्या यह आश्वासन सदन में दिया गया था ?

**श्री चिरंजीलाल शर्मा** : जी हां, महोदय, यह सदन में ही दिया गया था। महोदय, यदि रिपोर्टों में सच्चाई का रत्ती भर अंश भी है कि यह तेलशोधक कारखाना करनाल में नहीं होगा तो हरियाणा करनाल में तेलशोधक कारखाना लगवाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है।

महोदय, मैं कुछ शब्द हथकरघा उद्योग के बारे में भी कहूंगा जो सूत के मूल्यों में वृद्धि के कारण काफी क्षति उठा रहा है। पानीपत एक बड़ा शहर है। यह एक ऐतिहासिक स्थान है

और यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। इसने हथकरघा उत्पादों को अमरीका और न्यूयार्क तथा अन्य शहरों को निर्यात करने में बड़ा नाम कमाया है। पानीपत में लगभग 20,000 खड्डियां काम कर रही हैं किन्तु सूत की ऊंची कीमतों के कारण काफी कठिनाई का सामना कर रही हैं। श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। वे मिल में बने कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकते। हथकरघा पर बने कपड़े की बिक्री के लिए गारन्टी होनी चाहिए। मैंने सरकार को और मंत्री महोदय को ज्ञापन दिए और पत्र लिखे और उनको अभ्यावेदन भेजे किन्तु सब व्यर्थ। इस हथकरघा उद्योग को कोई सहायता नहीं मिलती है और न ही सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। मुझे डर है कि उन्हें काफी बड़ी हानि होगी और इसमें शहर के औद्योगिक विकास पर भी काफी आघात पहुंचेगा।

मेरा चौथा मुद्दा यह है कि मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से कानून और व्यवस्था तथा रेलवे में हो रही दुर्घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में आपको याद होगा कि इस सदन के एक सदस्य, जो भूतपूर्व जनता सरकार में एक मन्त्री थे, रेलवे के साथ शरारत कर चुकने की न केवल एक बार बल्कि अपने जीवन में 51 अथवा 52 बार ढींग हांकते थे। यह रिकार्ड में है। तथ्य तथ्य ही हैं। इनका ईमानदारी से मुकाबला करना चाहिए। यह नहीं कि मैं गैर जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि सरकार उन लोगों पर, जो इनके लिए जिम्मेवार हैं और जो ढींगे हांका करते हैं, कड़ी निगरानी रखें। वर्तमान सरकार, इन्दिरा गांधी सरकार को बदनाम करने के लिए एक सुविचारित योजना बनाई जा रही है। किंतु उनके सपने साकार नहीं होंगे। वे लोग, जो उत्तरदायी हैं और जो जनता में स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और जो वर्षों तक मंत्री पदों पर रहने का घमण्ड करते हैं अब ऐसी दुर्घटनाओं पर इस साकार भर्त्सना करते हैं। निरन्तर दुर्घटनायें क्यों हो रही हैं? शरारत की जा रही है। मैं रेल मत्रालय और गृह मंत्रालय से जोर देकर यह कहना चाहूंगा कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें कि देश के प्रत्येक हिस्से में फिश प्लेटें और स्लीपर किस तरह हटा दिये जाते हैं। इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं आंशिक रूप में कहूंगा। मैं केवल मुद्दों को बता रहा हूं। चीनी की कीमत काफी हद तक कम कर दी गई है। यह कहा जाता था कि कीमत बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। यह बढ़ रही थी इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वित्त मंत्री देश में मुद्रास्फीति को कम करने के लिए बधाई के पात्र हैं। विगत वर्षों में मूल्य क्या थे? चीनी का कच्चा माल क्या है? जनता शासन के दौरान, गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पादन का क्या दिया जाता था—4-5 अथवा 7 रु० प्रति क्विंटल। अब इन्दिरा सरकार ने, राव बीरेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री के अधीन गन्ने के लिए 26 रु० प्रति क्विंटल तक मूल्य दे रही है। उन्होंने अनाज और धान की कीमत भी बढ़ा दी है जिससे निश्चय ही किसानों को अपने उत्पादन को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा। कच्चे माल का मूल्य 6 अथवा 7 रु० से 26 रु० तक बढ़ा दिया गया है। श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद, हमारे कृषि मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि कीमतों पर नियंत्रण रखा जायेगा। मूल्यों में वृद्धि, सभापति महोदय, एक विश्वव्यापी तथ्य है। इसके बावजूद हमें गर्व है कि इसमें गिरावट आयेगी। इस पर टिप्पणियां दी जाती हैं। गेहूं का आयात करने पर भारत सरकार की भर्त्सना

की जाती है। अब वे चीनी का आयात कर रहे हैं। आयात की इस नीति से भारत सरकार द्वारा उठाये गए कदम की पुष्टि होती है। मूल्यों को स्थिर बनाये रखने में भारत सरकार द्वारा यह समझदारी दिखाई गई है। अब आप अनाज मण्डी में जाकर इसका पता लगा सकते हैं। अत: वे बधाई के पात्र हैं।

महोदय, अन्य मुद्दा जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है। सम्भवत: यह अन्तिम मुद्दा होगा। अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

**श्री नवल किशोर शर्मा** (दौसा) : वे काफी अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं।

**सभापति महोदय** : मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मैं यह जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आप कितना समय लेंगे।

**श्री चिरंजीलाल शर्मा** : यह आखिरी मुद्दा है। मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। देश में चल रही पृथकतावादी विचारधारा पर। मैं यह कहना चाहता हू कि खालिस्तान की मांग सिख समुदाय की नहीं है। वे हृदय से राष्ट्रवादी हैं। यह मांग केवल कुछेक व्यक्तियों द्वारा निराश्य, नाराजगी, आन्दोलन और निहित स्वार्थ से उठायी गई है। वे चाहते हैं कि उनका नाम समाचार पत्रों, दूरदर्शन और आकाशवाणी पर आये। परसों निकाले गए जुल्लूस में भाग लेने वालों की संख्या कितनी होगी ? मुश्किल से ही 12,000 से 15,000 लोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आये होंगे। उनकी संख्या बहुत कम थी। यह एक तथ्य है कि सिख खालिस्तान नहीं चाहते। उनकी यह मांग कतई नहीं है। समुदाय के बुद्धिजीवी लोग उनकी इस देश में पृथकतावादी विचारधारा को प्रोत्साहन देने के लिए भर्त्सना करते हैं। साथ ही में भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए यह कहना चाहता हूं कि वह इसे लापरवाही से न लें। यह काफी गम्भीर है। इस पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। इसे प्रारम्भ में ही दबा दिया जाना चाहिए। जो खालिस्तान के लिए चिल्ला रहे हैं उन पर निगरानी रखनी चाहिए। अगर उन लोगों की गतिविधियों पर अथवा उनकी गैर जिम्मेदराना बात पर रोक नहीं लगाई जाती तो मुझे आशंका है कि इससे महान संकट आ जायेगा और हम कहीं के न रहेंगे। महोदय, क्योंकि आपने कहा था कि मैं इस मुद्दे के बाद बात समाप्त कर दूं इसलिए मैं यहीं बात समाप्त करता हूं।

**श्री बाई० एस० महाजन** (जलगांव) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन के समक्ष रखी गई अनुदान की अनुपूरक मांगों का मैं समर्थन करता हूं परन्तु मैं नए आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग के व्यय से सम्बद्ध मांग संख्या 44 के विषय में ही कुछ कहना चाहूंगा। यह निर्णय बजट पास होने के पहले नहीं लिया गया था। इसलिए यह एक नया प्रस्ताव है। जब यह प्रस्ताव किया गया था तो यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इसका कार्य और योजना आयोग का काम एक समान ही हो और हो सकता है इससे योजना आयोग के कार्य का महत्व कम हो जाए।

महोदय, यह आशंका बिल्कुल गलत थी क्योंकि योजना आयोग का कार्य और नए आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्य में तो काफी विभिन्नता है। योजना आयोग का सम्बन्ध,तो हमारे संसाधनों के सही मूल्यांकन से है, उनमें वृद्धि करने के उत्तम तरीके तथा आर्थिक विकास की अधिकतम दर बनाए रखने के लिए किस सही प्रणाली से उनका उपयोग किया जा सकता है। उनका

काम यहां पर समाप्त हो जाता है। उसके क्रियान्वयन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग का सम्बन्ध हमारी आर्थिक नीतियों को सही प्रकार से क्रियान्वित किए जाने से है, अर्थात आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिये क्या तरीका अपनाया जाए जिससे कि देश को अधिक लाभ हो क्योंकि पिछले 15 वर्षों में यह देखा गया है कि हम अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में असफल रहे। यहीं हम असफल रहे हैं अर्थात हमें अपनी नीतियों से आशातीत सफलता नहीं मिली है। इसलिए यदि आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग उपयुक्त सुझाव दे और उन्हें स्वीकार कर लिया जाए तभी हम यह आशा कर सकते हैं कि निकट भविष्य में हमारी आर्थिक नीति में सुधार हो पाएगा।

महोदय, हमारा क्रियान्वयन कितना दोषपूर्ण रहा है यह छठी पंचवर्षीय योजना में सम्बन्धित पूंजीगत निवेश अनुपात के आंकड़ों से पता चलता है। यह सम्बन्धित पूंजीगत निवेश अनुपात पहली योजना में २.2 था, जो बढ़कर दूसरी योजना में 4.1 और तीसरी योजना में 4.9 और चौथी योजना में 5.7 हो गया पांचवी योजना में यह घटकर 3.9 हो गया। इससे पता चलता है कि हमने अपने संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया। वास्तव में, वैसे ही परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें मजबूरन अधिक से अधिक संसाधनों का प्रयोग करना पड़ा है। इसलिए विकास संबंधी प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था के प्रबंध में भी हमें सुधार करना होगा और यही महत्वपूर्ण कार्य इस आयोग को सौंपा गया है जिसके अध्यक्ष श्री झा हैं जो कि बहुत सक्षम, अनुभवी तथा अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं। दुर्भाग्यवश, सरकार के पास इन नीतियों को लागू करने के लिए अफरशाही के अतिरिक्त और कोई तन्त्र नहीं है। यह अफसरशाही हमें ब्रिटिश सरकार से विरासत में मिली थी और मैं यह कहूंगा कि आंशिक रूप से तो यह पहले की तरह ही है परन्तु इसमें काफी हद तक परिवर्तन भी आया है। आखिरकार वे सब भी देशभक्त हैं, उनमें भी परिवर्तन हुआ है, उनका रवैया भी जनता की इच्छाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हुआ है, परन्तु दुर्भाग्यवश इस परिवर्तन की गति कम हो गई है क्योंकि सेवाओं में कार्यकुशलता कम हो गई है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब समस्या यह है कि अपने आर्थिक संसाधनों के उपयोग में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाए हमें आर्थिक प्रशासकों को उपयुक्त प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे कि उन्हें आर्थिक प्रबन्ध आदि का अच्छा ज्ञान हो। तभी इन सब में सुधार हो पाएगा और ऐसा अनुभव करता हूं इस दिशा में सुधार की बहुत अधिक गुंजाइश है।

अब महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कई परियोजनाएं शुरू की हैं। सरकारी क्षेत्र में भी कई परियोजनाएं हैं जैसे रासायनिक उर्वरक, बड़े-बड़े सिंचाई बांध, नदी घाटी परियोजनाएं आदि। आप देखेंगे कि यदि किसी परियोजना की लागत शुरू में 200 करोड़ रुपए लगाई गई थी और परियोजनाएं पूरी होने में विलंब होने के बाद उसकी पूरा होने की लागत 500 या 600 करोड़ रुपये आती है। इससे सारी योजना गड़बड़ा जाती है। लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है। अत: इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या ऐसा इसलिए है कि तैयार की गई मूल योजना ही त्रुटिपूर्ण थी क्या इसलिये कि माननीय संसाधन असफल रहे ? या फिर सरकार ने ठीक समय पर उपयुक्त नहीं लिया। इस सबके लिए कौन जिम्मेवार

है ? महोदय, आंशिक रूप से इसका दोष दफ्तरशाही पर जाता है। प्रशासक वर्ग आर्थिक विकास के कार्यक्रमों मे सम्बद्ध हैं, उनको उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें आवश्यक तकनीक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि हमारे आर्थिक विकास के लिए वे इन उपकरणों को कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें। यदि ऐसा किया जाता है तो मुझे यकीन है कि हमारे आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। यदि कार्य इस आयोग को सौंपा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। परन्तु मेरे विचार में इसमें एक कमी है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो प्रशिक्षित हैं और जनमत से सहानुभूति रखते हैं। परन्तु यह आवश्यक है कि उनके चरित्र और नैतिक रवैये में परिवर्तन लाया जाए। मैंने शुरू में कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण उनकी सक्षमता और कुशलता में कमी आ गयी है। मेरे विचार में यह आयोग इस स्थिति को सुधारने में असफल रहेगा।

एक और मुद्दे का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। सदस्यों ने मुद्रास्फीति के विषय में भी चर्चा की है। यह बताया गया है कि मुद्रा स्फीति की दर में कुछ कमी हुई है। परन्तु एक गरीब व्यक्ति को कोई राहत नहीं मिली है उसे रोजाना की जरूरत की आम चीजों के दाम अधिक देने पड़ रहे हैं। वह मुद्रास्फीति के कारण बहुत दुखी है। हमें इस बारे में निश्चिन्त नहीं हो जाना चाहिए। हमारे वित्त मंत्री सप्लाई की व्यवस्था जैसे उत्पादन बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान दे रहे हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए उत्पादन बढ़ाना ही एक कारगर उपाय है। परन्तु उत्पादन की वृद्धि तो केन्द्र व राज्य सरकारों तथा फर्मों और फैक्टरियों में कार्य कर रहे लाखों लोगों पर निर्भर करती है। इन मामलों में दफ्तरशाही को काफी बड़ी भूमिका निभानी है। हमें अधिक कुशल प्रबंध की जरूरत है और इसका यह मतलब होगा कि हमें अधिक अच्छे वित्तीय और आर्थिक प्रयास करने होंगे। अब पूंजी का ही प्रश्न ले लीजिए। पिछले पांच वर्षों में धन का भंडार या भारतीय रिजर्व बैंक की भाषा में एम-3 का भंडार काफी बढ़ गया है। केवल इसी वर्ष ही धन के भंडार में 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है, जो कि एक साल में 15 प्रतिशत है। परन्तु कुल राष्ट्रीय निवेश में 3½ प्रतिशित की ही वृद्धि हुई है। इसमें कुछ सम्बन्ध तो होना ही चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि यह सम्बन्ध अधिक दृढ़ ही हो। परन्तु फिर भी धन की दर में वृद्धि घरेलू उत्पादन में हुई वृद्धि से अधिक नहीं होनी चाहिये। धन के भंडार में वृद्धि और कुल राष्ट्रीय निवेश में कुछ सम्बन्ध होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रहेगा। यहां तक कि अमरीका में ब्याज की ऊंची दर की व्यवस्था है। ब्याज की दर 15 प्रतिशत है यदि हम अधिक दर अर्थात 13 प्रतिशत या 14 प्रतिशत का ढांचा अपनाएं तो विदेश से भी यहां पूंजी लगाई जाएगी और विदेशों में रहने वाले भारतीय भी अधिक पूंजी भेजेंगे। ...पूंजीपति भी, यद्यपि उनके पास अपनी पूंजी होगी तब भी बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से पैसा उधार लेंगे। वे अपनी पूंजी का कालाबाजार के उद्देश्य से प्रयोग करते हैं। छोटे उद्योगपतियों को भी अपनी पूंजी होते रहे भी, व्यापारिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय संस्थानों से 15 या 16 प्रतिशत ब्याज की दर पर पूंजी उधार लेनी पड़ेगी, इसी कारण हमारे यहां काफी रुग्ण उद्योग हैं। वह ऐसे उद्योग शुरू करते हैं जो थोड़े समय के बाद घाटे में चले जाते हैं। हमें इसके प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसलिए, मेरा सुझाव यही है कि यदि हम ब्याज की दर बढ़ा दें अर्थात यदि 15 प्रतिशत ब्याज की दर का ढांचा हो तो बैंकों से लिया जाने वाला ऋण कम हो जाएगा। यदि हम कुल निवेश की वृद्धि और धन के भंडार की वृद्धि में कुछ तालमेल बनाए रखें तो हम मूल्यों में वृद्धि रोकने में सफल हो सकेंगे। हमें पूंजी की मात्रा कम करनी होगी क्योंकि इसके मूल्य स्तर में कमी करने पर प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।

**श्री सूरज भान (अम्बाला)** : सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए कहा है। जनता रिजीम में कीमतें क्या थीं और आज कीमतें क्या हैं ? उधर के भाई कुछ भी कहें वह हकीकत को झुठला नहीं सकते, पब्लिक जानती है। उसको झुठलाने के लिए कहा जा रहा है कि जनता रिजीम में गाड़ी पटरी से उतर गई थी, उसको पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब तो ऐसा नजर आ रहा है कि डेढ़ साल में वह शायद पटरी भी उखाड़ दी गई है। गाड़ी को पटरी पर लाएंगे कैसे जब पटरी ही उखाड़ दी है आज कीमतें क्या हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं है। और कीमतें की बात ही नहीं, आज चीजें बाजार में मिलती नहीं हैं। मेम्बर साहबान जरा वहां से निकल कर सेंट्रल हाल में या गैलरी में जायं तो कोई राज्य सभा या लोक सभा का आदमी स्लिप लिए खड़ा रहता है कि मुझे चार किलो का डालडा का डिब्बा चाहिए। डालडा जैसी चीज के लिए भी मेम्बर की सिफारिश होगी तब वह उसे मिलेगा। आम पब्लिक की क्या हालत होगी ? और यह हालत दिल्ली में है, बाकी हिन्दुस्तान के और हिस्सों में क्या हालत होगी ? इस से भी ज्यादा खराब हालत और जगहों में है।

इस डेढ़ साल में हुआ क्या है ? आम जनता को मिला क्या है—कमर तोड़ मंहगाई। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मंहगाई को कम करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस को थोड़ा सा तेज और मजबूत करना चाहिए ताकि गाँवों के उन बेचारे गरीब लोगों और हरिजनों को भी चीज मिल सके और डिस्ट्रीब्यूशन की जो शाप्स हैं उसमें उनको भी हिस्सा मिल सके, इस के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

लॉ-एंड-आर्डर की क्या हालत है ? दिल्ली हिन्दुस्तान का शीशा है और हिन्दुस्तान की शक्ल दिल्ली में देखी जा सकती है। आप कल परसों के ही अखबार को देख लीजिए। नई दिल्ली में क्या हुआ, डाका और एक आदमी के मकान पर नाजायज कब्जा। कब्जाकरने वाला कौन श्रीयशपाल कपूर का दामाद और वह मकान इसलिए वापिस दिया गया क्योंकि वह श्रीटाइटलर का रिश्तेदार था। अगर वह रिश्तेदार न होता तो वह मकान वापिस नहीं दिया जा सकता था। इस पर भी आप कहते है कि हालात बहुत अच्छे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, लेबरर्स की क्या हालत है। उनसे हड़ताल का हक भी छीन लिया गया। गवर्नमेंट एम्प्लायज को आप क्या दे रहे हैं ? उनकी तीन इन्स्टालमेंट आपके पास ड्यू हैं, जो कि आप को देनी चाहिए। हड़ताल की पाबन्दी का कानून आपको वापिस लेना चाहिए। स्टूडेंट्स को आपने सिर्फ लाठी-चार्ज के सिवास कुछ नहीं दिया है। छोटी एक्ससाईज बुक्स भी बच्चों को नहीं मिल रही है। इसका प्रबन्ध सरकार को करना चाहिए या राज्य स्तर पर करवाना चाहिए। औरतों को क्या मिला है ? जैसा कि मैंने बताया सबसे ज्यादा मंहगाई का असर घर में बैठी ग्रहणी को होता है और थाने में रेप केसेज हो रहे हैं पुलिस के जरिए इससे ज्यादा बदइन्तजामी का नमूना और क्या हो सकता है, जो कि सभी स्टेट्स में हैं। किसानों को क्या मिला है ? हरियाणा में किसानों पर गोली चलाई गई, महाराष्ट्र में चलाई गई।

और कर्नाटक में लाठी चलाई गई। एक तरफ आप कहते हैं कि अनाज की कीमत बढ़ा दी गई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर्स की क्या कीमत है ? बीज और डीजल की क्या कीमत है ? बिजली मिली है किसानों को या नहीं मिलती है ? इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको उनकी पैदावार की कीमत तय करनी चाहिए। आपने गेहूँ की कीमत कम रखी, इसलिए किसान ने आपको गेहूँ नहीं दिया। आपको मजबूर होकर अमरीका से गेहूँ लेना पड़ रहा है। यहाँ आप उनको 160 रु० के हिसाब से भी पैसा नहीं देना चाहते हैं और आपको अमरीका से दो सौ रु० के भाव पर खरीदना पड़ा है और ऊपर से आप उनको फॉरन-एक्सचेंज दे रहे हैं—यह सब आपकी गलत नीतियों का फल है।

इसके अलावा अभी तक आपने पैडी की कीमत फिक्स नहीं की है। वह आपको कमसे कम 135 रु० रखनी चाहिए, वरना आपकी वही हालत होगी, जो गेहूं के मामले में हुई है। हरियाणा पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है—मैं चाहता हूं कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा एसिसटेंस देनी चाहिए, ताकि वहां के किसानों को कुछ राहत मिल सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें इन्फार्मेशन और ब्राडकास्ट मंत्रालय की भी कुछ डिमाण्ड रखी गई है, इसलिए मैं एक बात इस संदर्भ में भी कहना चाहता हूँ। इस हाउस की प्रोसिडींग्स टेलीकास्ट करनी चाहिए, ताकि लोगों को यह पता तो चल सके कि बहस में कितने लोग दिलचस्पी लेते हैं और यदि यह टेलीकास्ट हुआ तो हो सकता है कि कुछ ज्यादा लोब्रायटी आ जाए और कुछ ज्यादा डिगनीफाइड हो। इसलिए मैं चाहता था कि हाउस की प्रोसिडिंग्स टेलीकास्ट होनी चाहिए। आपका रेडियो और टेलीविजन कॉमर्शियलाइजड हो गया है, इसलिए आपको रेडियो और टेलिविजन में जो मजदूर काम करते हैं, उनको बोनस का हक जरूर देना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका टेलीकास्ट 11 बजे से सांय 6 बजे तक होना चाहिए अथवा इसका कोई समय निर्धारित किया जाना चाहिए ?

**श्री सूरज भान :** यह कम से कम पूर्वान्ह में होना चाहिए।

**आचार्य भगवान देव :** जीरों आवर में ज्यादा टेलीकास्ट होना चाहिए।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरा कार्य निष्पादन मेरे अकेले का ही नहीं है वह आपके कार्यनिष्पादन से भी सम्बद्ध है।

**श्री सूरज भान :** उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हरिजनों और आदिवासियों के बारे में कहना चाहता हूं।

उनके इकानामिक अपलिफ्ट के लिये गवर्नमैन्ट ने क्या किया, मैं आपको थोड़े से आँकड़े बतलाना चाहता हूं—फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का टोटल आउट-ले 2378 करोड़ रुपये था जिसमें से शेडयूल्ड काएट्स केलिये 7.08 करोड़ रुपये रखे गये जो कुल प्लान का, 02परसेन्ट था, शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिये थोड़ा सा ज्यादा यानी 19.83 करोड़ रुपये रखे गये जो कुछ प्लान का, 08 परसेन्ट था,

अदर बैकवर्डक्लासेज के लिये 3.13 करोड़ रुपये रखे गये थे। सैकण्ड फाइव ईयर प्लान का टोटल आउट-ले 2571 करोड़ रुपये था, जिस में से शेडयूल्ड कास्ट्स के लिये 27,48 करोड़ रुपये अर्थात 0.09 परसेन्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिये 42.92 करोड़ रुपये अर्थात 1.6 परसेन्ट था। थर्ड फाइव ईयर प्लान का टोटल आउट-ले 3600 करोड़ रुपये था, जिस में शेडयूल्ड कास्ट्स के लिये 37,78 करोड़ रुपये यानी वहीं 0.09 परसेन्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिये 51.05 करोड़ रुपये अर्थात 1.4 परसेन्ट था। फोर्थ फाइव ईयर प्लान का टोटल आउट-ले 3.856 करोड़ रुपये था, जिस में शेडयूल्ड कास्टस के लिये 61 करोड़ रुपये, परसेन्टेज के हिसाब से पहले से भी कम अर्थात 0.06 परसेन्ट तथा शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिये 80.89 करोड़, रुपये अर्थात 0,8 परसेन्ट था। पांचवे प्लान की भी यही हालत है—टोटल आउट-ले 21032 करोड़ रुपये था, लेकिन इस दफा अलेहदा नहीं किया गया, इक्ट्ठा दिया गया यानी 58,68 करोड़ रुपये रखा गया जो केवल 0.02 परसेन्ट बनता है। 6ठे प्लान का टोटल आउट-ले 84000 करोड़ रुपये है, उस में इन तीनों के लिये मिला कर 960 करोड़ रुपये रखे गये हैं जो टोटल प्लान का 0.11 परसेन्ट बनता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इतनी कम धनराशि से आप शेडयूल्ड कास्ट्ल्ड ट्राइब्स और बैक-बर्ड क्लासेज की बेहतरी कैसे कर सकेंगे। मैं मांग करता हूं—इनकी आबादी देश की आबादी का 25 प्रतिशत है, इस लिये टोटल आउट-ले का 25 प्रतिशत इन की बेहतरी पर खच किया जाना चाहिये और बाकी रुपया दूसरों पर खर्च होना चाहिये।

सर्विसिज की हालत बहुत ज्यादा खराब है। रिजर्वेशन के इम्प्लीमेन्टेशन के लिये लाजमी तौर पर सैन्ट्रल एक्ट होना चाहिये। जब वैस्ट-बंगाल की सरकार एक्ट पास करती है, मणिपुर की सरकार पास कर सकती है, उड़ीसा की सरकार पास कर सकती है तो सेन्टर क्यों नहीं कर सकता है। मुझे यह कहने में भी हिचकिचाहट नहीं है मैं इस का सारा ब्लेम कॉंग्रेस पर ही नहीं डालता, मैंने जनता पार्टी के रिजीम में भी इस सवाल को उठाया था, लेकिन मुझे कहा गया, श्री धनिक लाल मंडल जी ने उस वक्त जवाब दिया था, इसके लिये सैन्ट्रल एक्ट की जरूरत नहीं है। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो कहती है, वही हमारी मिनिस्टर यहां आ कर पढ़ देते हैं। हमारे पर अधिकारी ही राज्य कर रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं—कांस्टीचूएन्ट के इस प्रावीजन को इम्प्लीमेन्ट करने के लिये सैन्टर को एक्ट जरूर बनाना चाहिये।

इस बजट में कैबिनेट हैड में भी रुपया मांगा गया है। मुझे निवेदन करना है—कुछ साल पहले कुछ सालों को चन्द लाभ रिलयूजिया को बसाने के लिये आप ने एक सैप्रेट मिनिस्ट्री बनाई थी—जिस का नाम रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री था। जो हजारों सालों के करोड़ों रिफयूजी हैं क्या उनको रिहैबिलिटेट करने के लिय किसी सैप्रेस मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है? इनके लिये एक सैप्रेट मिनिस्ट्री नहीं बना सकते तो कम से कम सैप्रेट डिपार्टमेन्ट तो बना दीजिये, जिस से कि रिस्पॉन्सिबिलिटि फिक्स की जा सके।

एक-दो सुझाव और देना चाहता हूं। जितनी वेस्ट लैण्ड गवर्नमैन्ट के पास है, चाहे सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास हो या स्टेट गवर्नमेन्ट के पास हो, वह शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड टाइब्स में

बांटी जानी चाहिये और काविले-काश्त बनाकर उनको दी जानी चाहिये । रेल्वे के पास रेल्वे लाइन के दोनों तरफ कुछ जमीन होती है, वह जमीन भी इन लोगों की दी जानी चाहिये ।

आपने हैण्ड लूम के डवेलपमेन्ट के लिये एक कारपोरेशन बनाई है लेकिन जो हरिजन चमड़े का काम करते हैं क्या उनके लिये किसी कारपोरेशन की जरूरत नहीं है ? हरिजन जूते बनाता है, लेकिन पैसा किस की जेब में जाता है, बाटा की जेब में आता है । यह कड़वी सच्चाई है—हिन्दुस्तान में टाटा सब से बड़ा लुहार है और बाटा सब से बड़ा चमार है । इस लिये मेरी मांग है कि इन के लिये भी एक कारपोरेशन बनाई जाय जिस से इन को भी उनकी मेहनत का सही पैसा मिल सके ।

मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन सुझावों पर कुछ अमली कदम उठायेगी, वरना सब हरिजनों को बहकाने वाली बात है, हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है ।

**श्री रामप्यारे पनिका (राबर्टसगंज)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं आप ने इन अनुपूरक अनुदान की मांगों पर बोलने के लिये मुझे अवसर दिया ।

कल से इस विषय में चर्चा हो रही है, काफी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से, जो इस समय यहां नहीं हैं, यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब पिछला बजट प्रस्तुत हो रहा था तो उस समय आप ने बजट का ब्रेक-आप प्रस्तुत करते हुए कहा था कि बजट का 40 प्रतिशत एग्रीकल्चर सैक्टर पर खर्च होगा और उस में से काफी हिस्सा हरिजनों और आदिवासियों को जायेगा ।

अभी हमारे एक भाई विरोधी दल के बोल रहे थे और उन्होंने बहुत सी बातें बताई । मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि यहाँ से जो बजट प्रावधान होता है, वह स्टेट में चला जाता है, जो हरिजनों के लिए कम्पोनेन्ट प्लान है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सब-प्लान है, उस में जो पैसा स्टेट्स में जाता है, जो उनके खर्च करने का तरीका है, उससे ऐसा लगता है कि अभी तक पिछले वर्षों का पैसा भी खर्च नहीं हुआ है और इस वर्ष भी विभिन्न राज्यों में वह पूरा पैसा खर्च नहीं होने जा रहा है । उनमें बैंकों से निश्चित तौर पर हरिजनों और वीकर सेक्शन्स के लोगों को सहायता नहीं मिल रही है । जो धनराशि बडे बड़े लोगों को ट्रक और ट्रेक्टर के लिए दी जाती है, वह तो बैंक दे देते हैं और सीधे-सीधे वह बंट जाती है क्योंकि उस में उन को कुछ परसेन्टेज मिलता है । इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि यहाँ से जो बजट में प्रावधान वीकर सेक्शन्स के विकास के लिए, कमजोर वर्गों और हरिजन आदिवासियों के लिए किया जाता है, उसके इम्पलीमेंटेशन के लिए केन्द्रीय लेविल पर एक इम्पलीमेंटेशन कमेटी बनाई जानी चाहिए । बजट बना कर राज्यों को आप पैसा दे देते हैं, यह मैं मानता हूं लेकिन उस का कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता है । मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे यहां उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले को पिछले वर्ष 63 लाख रुपया दिया गया और इस वर्ष भी 63 लाख रुपया दिया गया है लेकिन हमको यह बताया गया है कि यह जो 1 करोड़ 26 लाख रुपया है, यह जो कम्पोनेन्ट प्लान में दिया गया है, यह खर्च नहीं हो रहा इसलिए खर्च नहीं हो रहा है कि जो नेशनेलाइज्ड बैंक है, वे इसमें बिल्कुल सहायता नहीं दे रहे है ।

कहीं अगर रुपया बंटता भी है, तो हालत यह है कि जो वीकर सेक्शन्स के लोग हैं, जो कमजोर आदमी हैं, हर एक से 300-300 रुपया लेकर पैसा दिया जाता है। मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इसकी जांच कराए। इसके अलावा जो वर्किंग केपीटल 3-3 हजार रुपये का दिया जाता है, उसमें क्या होता है कि अगर कपड़े का दुकानदार है, तो कपड़े वाले से फर्जी रसीद बनाकर वह रुपया उसको दे दिया जाता है क्योंकि रेट आफ इन्ट्रेस्ट 4 परसेन्ट है। मैं आपको मिर्जापुर की बात बता रहा हूं कि वहाँ पर रेसा हो रहा है। हमारे कई साथियों ने विभिन्न प्रदेशों के, मध्य प्रदेश के कई लोगों ने, उड़ीसा के कई लोगो ने बताया कि वहाँ भी इस तरह से चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो मैं इस बजट पर यह कहना चाहता हूं कि आप वहां से जो धनराशि डेवलवमेंट के लिए देते हैं, उसको निश्चित तौर पर खर्च करने के लिए, उसकी देखरेख के लिए सेन्ट्रल लेविल पर एक कमेटी होनी चाहिए अन्यथा जो राज्य हैं, वे उसका इम्पलीमेटेशन नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ बैठकर यह संतोष कर लेते हैं कि हमने यह पैसा दे दिया है और वहां पर विकास हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि अभी जो कई परियोजनाएं यहां से गई हैं जैसे खाद्यान्न योजना है, इस में सेन्टर ने विभिन्न राज्यों को रुपये दिये हैं और गरीबों के काम करने के लिए आप ने ऐसा किया है लेकिन क्या सेन्टर गवर्नमेंट ने यह देखा है कि हमने जो इस योजना के अन्तर्गत रुपया दिया है, क्या विभिन्न प्रदेश उसको खर्च कर रहे हैं या नही कर रहे हैं। इस तरह रुपयों का प्रावधान करने का कोई फायदा नहीं है और मेरी यह निश्चित जानकारी है कि विभिन्न प्रदेशों में इसका प्रयोग नहीं हुआ हैं। इसलिए नहीं हुआ है कि पहले तो शत-प्रतिशत सरकार पैसा देती थी राज्यों को लेकिन अब यह कर दिया है कि 50 परसेन्ट वे अपने पास से खर्च करें और इसका परिणाम यह हो रहा है कि विभिन्न राज्यों के पास बजट नहीं है और वे नये टैक्स लगाना नहीं चाहते और ऐसी स्थिति में लगाने भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं अपील करता हूं कि जिस प्रकार से इससे पहले शत-प्रतिशत देने का प्रावधान था, वही करना चाहिए। हमने लोगों से इस बारे में सम्पर्क किया, तो लोगों ने कहा कि नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल में चीफ मिनिस्टरों ने इस बात को नहीं उठाया था कि हमको शत-प्रतिशत रुपया दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि आप तीन महीने, चार महीने, या पाँच महीने का उनका कार्य देखें कि कहीं पर इस योजना का कार्यान्वयन हुआ है ? अगर पूरे देश में इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपको नये सिरे से विचार करना होगा और उसके लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था करनी होगी।

रीजनल इम्बैलेंस की जो बात होती है, जो पिछड़े हुए पाकेट्स हैं, उनके लिए केन्द्र सरकार ने कई स्कीमें चलाई हैं जैसे ड्राऊट प्रौन एरिया प्रोग्राम और इनटेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की स्कीमें हैं तथा और दूसरी स्कीमें हैं जो हिन्दुस्तान के विभिन्न पाकेट्स में हैं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या उन योजनाओं का कार्यान्वयन ठीक से हो रहा है। उनको राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है और नतीजा यह हो रहा है कि जहां पर आपने पांच वर्षों के लिए या एक वर्ष के लिए रुपया दिया है, वह भी खर्च नहीं हुआ है और उसको इधर-उधर डाला हुआ है। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि जितने भी सेन्टर के कार्यक्रम हैं, जितना भी बजट उनके लिए आपका है, आप उनके लिए राज्यों के भरोसे मत रहिये बल्कि उनके इम्पलीमेटेशन के लिए यहां एक इम्पलीमेटेशन कमेटी

बनाइए। ताकि वह रुपया खर्च हो जाए और जिसके लिए हमने प्रावधान किया है, उसके हित में वह खर्च हो।

एक प्रश्न मैं बहुत दिनों से उठाता रहा हूं। हमारे यहां उत्तर प्रदेश के आदिवासियों को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। 35 वर्ष हो गए, यह अनोमली अभी तक चली आ रही है। कांस्टीच्युशन में अमेंडमेंट करने के लिए लिस्ट को रेशनेलाइज करने के लिए हमारी प्रदेश सरकार ने और पूज्य पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने भी कई बार यहां प्रस्ताव भेजे कि मिर्जापुर और प्रदेश के अन्य इलाकों के आदिवासियों के लिए ट्राइबल ब्लाक्स बना दिये जाएं लेकिन अभी तक उन पर अमल नहीं हुआ। इसके कारण ट्राइबल लोगों को जो विकास कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त हो सकता है, वह उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पहाड़ों के, गढ़वाल जोशीमठ, इलाहाबाद मिर्जापुर वाराणसी के इलाकों में जो भी ट्राइबल लोग हैं और जिनके बारे में लोक सभा में बिल पेंडिंग हैं और जिसको कई बार स्थगित किया जा चुका है उसको, मैं मांग करता हूं कि या तो इसी सेसन में या अगले सेसन में पास किया जाए।

दूसरे आदिवासियों और हरिजनों के बारे में जो रिजर्वेशन है वह पूरा नहीं हो रहा है। इससे वे मिलनी वाली सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। रिजर्वेशन की बात हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। हम विभिन्न कमेटियों के माध्यम से अधिकारियों से कहते रहते हैं कि उनका कोटा निश्चित तरीके से पूरा होना चाहिए लेकिन अधिकारियों की नीयत ही नहीं है। आज स्थिति यह है कि आई० ए०ए०एस० और आई०पी०एस० में तो कोटा पूरा हो जाता है लेकिन तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में पूरा नहीं होता है। इसके लिए हमें एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अभी हमने गुजरात में देखा कि क्या स्थिति उत्पन्न हुई। अब यह बात बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है। एक तरफ सरकार घोषणा करती है कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं दूसरी तरफ नीचे के अधिकारी उसका पालन नहीं करते हैं। इस तरह से गरीब हरिजनों और वीकर सेक्शंस को मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाते हैं। यह आये दिन हो रहा है। नीचे के अधिकारी इस चक्कर में रहते हैं कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को हम किस तरह से अनरिजर्व्ड डिक्लेअर करें और यह कहें सूटेबल केन्डीडेट नहीं मिले। स्थिति को हमें दूर करना होगा।

बिजली उत्पादन के बारे में कहना चाहता हूं कि यह हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि बिजली कोयले का उत्पादन बढ़ा है। इससे हम गौरवान्वित हैं बेशक उधर के लोग कुछ भी शोर मचाएं। लेकिन इसमें अभी हमें कई काम करने हैं। हमें नेशनल ग्रिड जल्दी से जल्दी बनाना है जिससे सभी राज्यों में बिजली की समान व्यवस्था हो सके।

हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनोमी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बिजली का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाएं। हमारे यहां के बिजली बोर्ड अपनी क्षमता का 35 या 40 परसेंट बिजली का उत्पादन करते हैं। हमें इसको बढ़ाना है इसके लिए मेरा सुझाव है कि हम एक या दो बड़े पावर हाउस प्राइवेट सेक्टर में दे दें तो निश्चित तौर पर कंपीटीशन होगा। हमारे क्षेत्र मिर्जापुर में एक रेणुसागर पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में है। उसमें सब से घटिया कोल

फील्ड का कोयला उपयोग में आता है फिर भी उसमें 100 से 106 परसेंट तक बिजली का उत्पादन होता है। जबकि हमारे बिजली बोर्डों में जिनमें कि अच्छा कोयला इस्तेमाल में आता है, उनमें 30 से 35 परसेंट तक ही बिजली का उत्पादन होता है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी एक दो पावर हाउस दे देंगे तो इससे कम्पीटीशन बढ़ेगा और हमारे यहां बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि बिजली बढ़ेगी तो उद्योग धंधे बढ़ेंगे, कृषि बढ़ेगी।

आज देश में सूखे और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत क्षेत्रों में वर्षों से सूखे की स्थिति रहती आयी है। हमें इन सूखे के इलाकों में बुनियादी परिवर्तन करने की जरूरत है। हमें सूखे के इलाकों में निश्चित तौर पर एक-एक पानी का तालाब बनाना चाहिए जो कि संकट के समय में काम में आ सके। हम बड़ी-बड़ी नहरें बना रहे हैं, बड़ी-बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन हमें छोटी योजनाओं की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों को जल्दी फायदा मिल सके। गांवों में तालाबों को गहरा करना है, नए तालाबों का निर्माण करना है, इससे समस्या हल होगी, सिंचाई सुविधाओं के साथ-साथ पेयजल समस्या भी हल होगी।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा रखी गई अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिए करता हूं कि पिछली बार बजट प्रस्तुत करते समय जिन बातों की ओर संकेत किया गया था, निश्चित तौर पर वे बातें इसमें हैं, लेकिन यदि प्रकृति कभी नाराज हो जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए तो निश्तित तौर पर बजट डिस्टर्ब हो जाता है।

कई लोगों ने कहा कि बैरर बांड योजना सफल नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने निर्णय दिया है, लेकिन यदि यही निर्णय पहले हो गया होता तो मैं ऐसा मानता हूं कि यह निश्चित तौर पर साढ़े आठ सौ करोड़ तक पहुंच जाता।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूँ।

**श्री मोती भाई आर० चौधरी** : (मेहसाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो अनुपूरक मांगे रखी गई हैं, उनका जिक्र करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि सामान्य बजट के बाद इस छोटे से समय में देश की क्या हालत हो रही है। कई आर्डिनेंस निकाले गए, लेकिन देश के अर्थ-तंत्र में कोई सुधार नहीं हो पाया है। ला एण्ड आर्डर की स्थिति भी नहीं सुधरी है। दिन प्रति दिन हर चीज के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं और कई चीजें बाजार में मिलती नहीं हैं। प्रत्येक दिन रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। ला एण्ड आर्डर की स्थिति यह है कि दिल्ली शहर में आज घर में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। इसके बारे में अभी सूरजभान जी ने काफी प्रकाश डाला है।

चीजों की हालत इस देश में आज क्या हो रही हैं। बिजली, खाद, डीजल, पैट्रोल सब चीजों के भाव बढ़ाए गए, लेकिन कृषि पैदावार के भाव नहीं बढ़ाए गए। गेहूं आज देश में है, लेकिन पूरे भाव न दिए जाने के कारण आज गेहूं बाहर से मंगवाने की स्थिति आ गई है। अगर किसानों को अच्छा भाव दिया जाता तो गेहूं पर्याप्त मात्रा में मिल सकता था।

तेल जो बाहर से आता है वह भी पूरी मात्रा में राज्यों को नहीं दिया जाता। खाने-पीने के लिए तेल जैसी चीज भी गरीबों को उपलब्ध नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और चीजों की भी यही हालत है। सीमेंट के भाव साल में दो-3 बार बढ़ा दिए जाते हैं। कृषि के लिए सीमेंट नहीं मिलता, उद्योगों के लिए सीमेंट नहीं मिलता। कई लोग गुजरात में उद्योग लगाने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन सीमेंट नहीं मिलता इसलिए उद्योग नहीं डाल सकते हैं। उद्योग नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, फारेन एक्सचेंज से बाहर से सीमेंट मंगवाने की सुविधा है लेकिन केवल हाउसिंग के लिए। उद्योगों और कल-कारखानों के निर्माण के लिए इसकी अनुमति नहीं दी जाती। गुजराज सरकार ने इसकी अनुमति दिए जाने के लिए मांग की है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस माँग को स्वीकार किया जाए और उद्योगों के लिए फारेन एक्सचेंज से बहार से सीमेंट मंगवाने की सुविधा प्रदान की जाए।

कोयले के बारे में कई बार कहा कि कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है। रेल मंत्री जी भी कहते रहते हैं कि वैगन का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी रेलवे को कोयला नहीं मिलता है। जिससे आये दिन रेलगाड़िया बंद करदी जाती हैं। जब रेलवे को कोयला नहीं मिलता है तो दूसरे उद्योगों की स्थिति क्या होगी। कई उद्योग कोयले की कमी की वजह से ठप्प पड़े हुए हैं। कई रेलें बद कर दी जाती हैं और कई पावर-स्टेशनों को भी कोयला नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मान-सून काल में, जब कि कृषि में बिजली का उपयोग कम होता है, इन दिनों में भी बिजली में कटौती की जा रही है और देश भर में की जा रही है। मेरा निवेदन है कि इस स्थिति से जल्दी से जल्दी बाहर निकलने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाए जाने चाहिए।

देश में उत्पादित कूड के भाव आपने बढ़ा दिए हैं। राज्यों को कूड आयल पर रायलटी दी जाती है। जब भाव बढ़ा दिए गए हैं तो रायलटी भी जो राज्यों को दी जाती है वह भी बढानी चाहिये थी। गुजरात और असम को बढ़े हुए भावों के अनुसार रायलटी दी नहीं जाती है। जो सम्बन्धित राज्य हैं उनसे सलाह मश्विरा करने की बात पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मानी थी। रायलटी की मात्रा को भाव के साथ जोड़ा गया था। कोल फील्ड रेग्युलेशन एंड डिवेलेपमेंट एक्ट जो है इस में सुधार कर दिया गया है। उत्पादन का जो भाव है उस पर बीस प्रतिशत रायलटी दी जाती है सम्बन्धित राज्यों को। चार साल में एक बार भाव के बारेमें पुनर्विचार भी किया जाता है। 305 रुपया कूड का भाव मान कर रायलटी दी जाती थी जिसको बढ़ा कर अब 1182 कर दिया गया है। फिर भी असम और गुजरात को इस के बरावर बीस प्रतिषत के हिसाब से रायलटी नहीं दी गई है। यह जो कहा गया था कि चार साल में एक बार भाव सुनिश्चित किया जाएगा इनके अनुसार 1980 में यह चार साल की अवधि पूरी होती थी लेकिन 1981 में इस बढ़े हुए भाव को आधार मानकर रायलटी हमें दी गई है। मेरी माँग है कि जिस दिन यह भाव 1182 किया गया था उसी दिन से गुजरात और असम की बीस प्रतिशत रायलटी भी दी जानी चाहिये थी। मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्दी इसके बारे में निर्णय किया जाए और जिस दिन यह भाव बढाया गया था उस दिन से असम और गुजरात को रायलटी इस बढे हुए भाव पर दी जाए।

सोडा ऐश के बारे में भी बड़ी विचित्र स्थिति है। जो उद्योगपति हैं वे एक्सपंशन करने के प्रोग्राम के वास्ते मंजूरी तो ले लेते हैं लेकिन एक्सपैंशन करते नहीं हैं। 1973 में टाटा ने एक्सपैंशन

का प्रोग्राम बनाया था। दो लाख टन बनाने के वास्ते मंजूरी ली थी लेकिन अब तक यह एक्सपैंशन नहीं किया है। बहाना यह बनाया गया कि सौराष्ट्र में गेज परिवर्तन हो गया है, ब्राड गेज कर दिया गया है इस लिए हम बना नहीं सकते हैं। वास्तव में कम उत्पादन करके वे लोग कमी की स्थिति पैदा करते हैं और भाव बढ़ा देते हैं, ब्लैक मार्किट भाव पर, ऊंचे दामों पर लोगों को सोडा एश बेचने के वे वहाने ढूंढते रहते हैं किस तरह से उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो सकता है यही वे देखते हैं। इसको आप को देखना चाहिये। बाहर से सोडा एश आपको मंगाना जारी रखना चाहिये ताकि उन लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका न मिल सके और सोडा एश की कमी वे पैदा न कर सकें।

आपने तम्बाकू एक्ट बनाया है जिसमें विर्जीनिया तम्बाकू वालों को ही फायदा होता है। बीड़ी तम्बाकू, नोटू तम्बाकू, रोस्टीका जो पकाने वाले हैं क्या वह तम्बाकू नहीं है? इस सबको तम्बाकू एक्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया है? सभी प्रकार का तम्बाकू पकाने वाले किसानों को इस एक्ट से लाभ क्यों नहीं पहुंचाया जाता है? जो कमेटी बनी थीं उसने भी इन सभी प्रकार के तम्बाकुओं के बारे में सिफारिश की थी। मैं आशा करता हूं कि सब प्रकार का तम्बाकू उसमें शामिल कर लिया जाएगा।

बैक्वर्ड क्लासिस की बेहतरी के लिए मंडल कमेटी बनी थी। उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस रिपोर्ट को जल्दी स्वीकार किया जाए और बैक्वर्ड क्लासिस की उन्नति के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाए जाए।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (भीलवाडा): इन सप्लीमेंटरी डिमांड्ज का मैं समर्थन करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने देश की अर्थ व्यवस्था को बिगाड़ दिया था और हमारे वित्त मंत्री जी इसको सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा गड़-बड़ की है। वैस्ट बंगाल ने सारी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है। वहां से कोयले का कितना बाहर स्मगलिंग होता है यह मंत्री महोदय ने बताया था। वैस्ट बंगाल ने सारे देश की अर्थ व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया है। हमारे वित्त मंत्री जी ने मुद्रास्फीति को कम करने की कोशिश की है। उनका प्रयत्न वास्तव में प्रशंसनीय है। दस प्रतिशत के करीब मुद्रा स्फीति की दर को वह ले आए हैं। होलसेल प्राइसिस भी कम हो रही है। मगर रिटेल की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिये उनके सम्बन्ध में हमारे वित्त मंत्री महोदय ध्यान देंगे। और वह तभी ठीक हो सकता है जब डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को सुधारने का प्रयत्न किया जाय, कोआपरेटिव सोसाइटीज को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाय और उससे प्राइसेज को कन्ट्रोल कर के लोगों को सस्ते भाव पर सामान उपलब्ध हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय**: आप अपना बाकी का भाषण कल जारी रखें। अब हम अगली मद पर आते हैं।

---

## आधे घन्टे की चर्चा

### सिविल सेवाओं की चयन पद्धति में सुधार

एडुआर्डो फैलीरो (मारमागामो) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, जब इस प्रश्न पर 2 सितम्बर को इस सभा में चर्चा की जा रही थी उस समय यह भावना सभी जगह फैली हुई थी कि यद्यपि हमारे पास जनशक्ति है, तकनीकी शक्ति है जिसकी तुलना विश्व के देशों से अच्छी तरह की जा सकती है। हमारा विश्व में कुशलता तथा जनशक्ति में तीसरा स्थान है। बौद्धिक धन तथा कुशलता की बहुलता समुचित आनुपातिक रूप से पिछले 30 वर्षों तथा इससे अधिक समय के हमारे विकास तथा आर्थिक बढ़ोत्तरी में दिखाई नहीं देती। यह विचार भी व्यक्त किया गया था कि यदि यह दिखाई नहीं देता है तो इसके दिखाई न देने के बहुत से कारण हैं और उनमें से एक कारण योजना के बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के बीच निश्चयता एक बड़ी खाई का होना हैं जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं के प्रभावी तौर से कार्यान्वयन में असफलता मिलती है।

प्रश्न का सम्बन्ध नौकरशाही तथा हमारा प्रशासनिक नेतृत्व की नियुक्ति के तरीके से है। उपनिवेशवादी युग में नौकरशाही तथा प्रसासनिक नेतृत्व से अपेक्षित कार्य में तथा अब स्वतन्त्र भारत में नौकरशाही तथा प्रशासनिक नेतृत्व के कार्य में वस्तुतः काफी अन्तर है। निश्चय ही स्वतन्त्रता से पहले प्रशासक का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था बनाये रखना था और उसे (वस्तुतः) शासक वर्ग का अंग माना जाता था। लेकिन आज स्वतन्त्र भारत प्रजातंत्र और विकासशील प्रजातंत्र में नौकरशाह, प्रशासनिक नेतृत्व को केवल एक नागरिक माना जाता है जो कुछ समय तक शासन चलाता है। वह न केवल जनता के लिये प्रखर शैक्षिक ही काम करता हैं। बल्कि जनता के साथ भी काम करता है। मैं इस बात पर चर्चा के समय जोर दूंगा। उसके पास न बौद्धिक योग्यता तथा योग्यता होनी चाहिए अपितु सामाजिक परिवर्तन कार्य करने के लिए योग्यता और उत्साह भी होना चाहिए। मैंने यहाँ वह राय व्यक्त की है जिसकी आज सिविल कर्मचारी के लिये आवश्यकता है और जो एक मान्य राय प्रतीत होती है। यह निम्न प्रकार है :—

"कोई भी सिविल कर्मचारी तब तक प्रभावी नहीं हो सकता है जब तक उसे प्रबंधकीय तंत्र तथा प्रशासनिक प्रक्रिया के साथ-साथ राष्ट्रीय उद्देश्य सरकार की समग्र कार्य नीति प्रशासन को राजनैतिक व्यवस्था की जानकारी रहीं है।"

अब जबकि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा सम्बद्ध सेवाओं में आने वाले नये लोगों के बारे में विचार कर रहे हैं, इस बात पर विचार कर रहे हैं कि विभिन्न विषयों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धि है तथा उन्होंने स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में किन किन विषयों का अध्ययन किया है तो प्रश्न यह है कि आप वस्तुतः बल किस बात पर देते हैं, अभिपूरणा के लिए आप इस आवश्यकता की चांच कैसे करते हैं ? संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार सामाजिक लक्ष्य के लिये व्यक्ति का उत्तरदायित्व क्या है। मैं इस बात को मानता हूं कि सामाजिक लक्ष्य के प्रति उत्तरदायित्व के लिये अभिप्रेरणा की यह आवश्यकता निश्चय रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तरदायित्व धर्म, समाज तथा राजनैतिक दल के प्रति न होकर सामाजिक लक्ष्यों

तथा संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सामाजिक परिवर्तन तथा विकास की आवश्यकता के प्रति वचनवद्धता होनी चाहिए ।

हम उसकी जांच कैसे करते हैं ? मैंने यह कहा है कि सिविल कर्मचारी को प्रान्तीयता क्षेत्रवाद भाषावाद या साम्प्रदायिकतावाद को नहीं मानना चाहिए । सिविल कर्मचारी एक प्रशासनिक नेता होता हैं मैंने इस बात का उल्लेख किया है तथा उसे जनता के लिये एक आदर्श बनना चाहिए उसे, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायिकतावाद, भाषावाद तथा इन विभाजक तथ्यों को नहीं मानना चाहिए। राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता का प्रतीक तथा प्रतिनिधि बनना है । जनता को इस व्यक्ति में यह विश्वास होना चाहिए कि वह केवल राष्ट्र, इसकी एकता तथा अखण्डता के लिये ही कार्य करता है और अन्य विभाजक तत्व प्रान्तीय तत्व या इस प्रकार के अन्य तत्व उसे प्रेरित नहीं कर सकते हैं। इसलिये हम उसके व्यक्तिगत तथा भावनात्मक विशेषताओं की किस प्रकार जाँच करे।

हमारी सेवाओं में देश के सभी भागों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा देश के समसुदूर भागों को प्रभावी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए चाहें वे कितने भी छोटे हों ताकि जनता प्रशासक को पहचान सके। इसकी वास्तव में बहुत आवश्यकता है । यदि मैं यह कहूँ कि संघ राज्य क्षेत्र गोवा, जो शिक्षा के शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिशतता वाले क्षेत्रों में भी आगे हैं । इस क्षेत्र के बहुत से लोग प्रशासनिक सेवा तथा विदेश सेवा में है, यह कहना प्रान्तीयता नहीं होगा । पिछले लगभग 20 वर्षों से इस क्षेत्र से मुश्किल से कोई उम्मीदवार रहा है या इन सेवाओं में चुना गया है । अब यह प्रश्न उठता है कि सरकार ने प्रशिक्षण की सुविधा देने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं । ये सुविधाएँ तथा सम्भावनाएँ केवल कागज पर ही नहीं होनी चाहिए । इन सभी दूरस्थ क्षेत्रों में वास्तविक प्रशिक्षण की सुविधाएं तथा आर्थिक सहायता की सुविधाएं होनी चाहिए जिससे वे व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तथा जिनके पास प्रतिभा तथा सभी प्रकार की योग्यता है लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सेवाओं में जाने मे वंचित न रहे । आप उन्हें वित्तीय सहायता देने कैसे देते हैं । मेरा प्रश्न इस बात पर नहीं होगा कि हमने अब तक क्या किया है बल्कि इस बात के बारे में होगा कि आप कौन से और कदम उठाना चाहते हैं ?

समय कम है । हमने बहुत अच्छा कार्य किया हैं । मुझे विश्वास है । लेकिन फिर प्रश्न यह है । भविष्य के बारे में सरकार का क्या विचार है ? क्योंकि यह मूल्यांकन की एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है ।

इसलिए मेरे सभी प्रश्न इस बात से सम्बन्धित है कि सरकार भविष्य में क्या करेगी और मेरे प्रश्नों का इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि सरकार पिछले वर्षों में क्या करती रही है ।

मैं अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं । यह स्पष्ट है कि हमारे पास सेवाओं में बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं । जैसा कि मैंने उल्लेख किया है लेकिन इसकी भी एक जैविक प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया यह हैं कि मनुष्य के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा समय आता है जबकि उसके जीवन में कुछ ऐसा विकास हो जाता है जिससे वह व्यक्ति न तो किसी बात को स्वीकार कर

पाता है और न समझ पाता है और उसके अनुसार काम हो कर पाता है। हमारा यह अनुभव रहा है कि कभी कभी हमें यह पता लगता है कि ऐसा मनुष्य एक बहुत ही सक्षम संयुक्त सचिव होता है। तथा ससमें उत्साह भी खूब होता है उसमें बुद्धिमत्ता भी खूब होती है तथा वह काम करने योग्य होता है। आप उसे अतिरिक्त तथा तत्पश्चात सचिव के पदों पर पदोन्नत करवाते हैं। उस स्तर पर वह पंगु सा हो जाता है, और वह किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाता। प्रायः हम यह देखते हैं कि बहुत से मंत्रालयों में संयुक्त सचिव वह अधिकारी होता है जिसके पास कोई भी व्यक्ति जा सकता है और वह सभी प्रकार का कार्य करता है तथा उच्च स्तर पर जाकर पदोन्नति में गति-रोध तो हो जाता है जो स्वाभाविक होता है। यदि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है तो यह बिल्कुल ठीक होगा लेकिन ये वे व्यक्ति होते हैं जो नेतृत्व करते हैं और यदि वे ठीक प्रकार से नेतृत्व करने योग्य नहीं हैं, यदि वे ठीक प्रकार से अपेक्षित उत्साह दिखाने तथा इस देश में होने वाले परिवर्तन में अपेक्षित सूझबूझ दिखाने में समर्थ नहीं है तो इससे केवल उसके काम पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु इससे सभी कामों पर प्रभाव पड़ता है। अतः इस देश के सभी विचारशील पक्षों के सम्बन्ध में यह प्रश्न है कि सविधान सहित हमारे कानून इस प्रकार तैयार किये जा रहे हैं कि इनमें अनेक सुरक्षाएं प्रदान की गईं। के सक्षम और अक्षम दोनों ही प्रकार के अधिकारियों को संरक्षण दिया गया है। केवल वरीयता के आधार पर ही पदोन्नति की जाती है। जरूरत होने पर दूसरे स्तर के नेतृत्व के लिये प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पदोन्नति का कोई तरीका नहीं हैं। मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई संवैधानिक संशोधन करने पर विचार करेगी जिससे उन व्यक्तियों को, जिनमें उत्साह, योग्यता है सेवाओं में दूसरे स्तर का नेतृत्व दिया जा सके तथा उन्हें इसका अवसर दिया जा सके। इन व्यक्तियों ने बहुत कुछ किया है। और योगदान दिया है। जो लोग ढल चुके हैं उन्हें सेवा निवृत्त किया जाना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्तियों को अवसर मिल सके और सेवाएं ज्यादा प्रभावी तौर से चल सकें। यह एक विशिष्ट प्रश्न हैं और क्योंकि यह अवसर उठाया जाता हैं अतः इस पर मैं माननीय मंत्री का उत्तर जानना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि मंत्रियों के साथ कठोरता से व्यवहार नहीं किया जायेगा क्योंकि अगर उनका कार्य ठीक नहीं है तो या तो उन्हें टिकट नहीं जायेगा और यदि दिया जायेया तो वे हारेंगे।

**श्री सत्य साधना चक्रवर्ती** : क्या उन पर जौनिक उड़िया लागू नहीं होती।

**श्री एडोआर्डो फैलीरो** : दूर किसी में जीवित रहने की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। यह मूल जैविका प्रवृत्ति है। कोई भी व्यक्ति जिसे इसका पूरा विश्वास है कि उसे कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है, तो वह किसी भी बात को गंभीरता पूर्वक नहीं लेगा। कोई भी व्यक्ति जिसे यह मालूम है कि अगर वह काम नहीं करेगा तो चुनाव होने पर उसकी हार निश्चित है और फिर न तो वह मंत्री ही रहेगा और न ही सभा का सदस्य, तो वह व्यक्ति पूरी तरह सक्रिय रहेगा। यह बात निश्चित है।

इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रशासन में नए लोगों को लाने के बारे में सरकार का क्या विचार हैं जिससे यह प्रभावकारी हो सके और यदि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो सरकार क्या इस बारे में क्या करने का इरादा है। यह एक प्रमुख प्रश्न है और

मुझे विश्वास है कि यह प्रश्न भी उनके समक्ष होगा कि देश में सही ढंग से सोचने वाला नेतृत्व कैसे आये।

यह प्रश्न विदेश सेवा से भी सम्बन्धित है। फिर प्रेरणा की बात आती है। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आपको आधी दर्जन भाषाएं आती हैं और आपको कांटा, चम्मच का प्रयोग करना आता है तथा अच्छे तौर तरीके आते हैं। यह भी आवश्यक है कि हमारे राजनयिक, जो इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन देशों के साथ समानुभूति रखें, जो हमारे साथ हैं और उन देशों के साथ मेल-जोल बढ़ाएं जिनके साथ हमारे घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। अफ्रीका, अरब, एशिया और तीसरे विश्व के देश इसमें आते हैं। इस प्रकार की प्रेरणा के लिए मैं और अधिक नहीं कहूंगा। लेकिन यह काफी महत्वपूर्ण है।

मैंने यह देखा है और यह स्वाभाविक भी है कि हमारे राजनयिक न केवल इस बात को वरीयता देते हैं कि उनकी नियुक्ति पश्चिम देशों में हो अपितु पश्चिमी देशों के राजनयिकों की संगति चाहते हैं। यह भारत और तीसरे विश्व के देशों के राजनयिकों पर सामान्य रूपसे लागू होता है। वे यूरोप अथवा अमरीका व पश्चिमी देशों के राजनयिकों के साथ मेल-जोल रखना ज्यादा पसन्द करते हैं न कि अफ्रीका अथवा एशिया के देशों के, अपने ही लोगों की संगति में। यह तभी बदला जा सकता है, जब उनको प्रेरणा दी जाये यह तभी बदला जा सकता है जब उन्हें बताया जाये कि यही वे लोग हैं जिनके साथ हमें एक होकर कन्धे से कन्धा मिला कर चलना है। हम दक्षिण से हैं और अन्य उत्तर से। कितना अच्छा रहेगा अगर हम उत्तर से संपर्क बनाए रखें क्योंकि राजनयिक को हर किसी से संपर्क बनाए रखना चाहिए। लेकिन हमारी मित्रता, घनिष्ठता तीसरे विश्व के कुछ अन्य लोगों से हो सकती है क्योंकि यही हमारी दुनिया है। बाकी तो कुछ हट कर हैं।

इन संक्षिप्त प्रश्नों के बारे में मैं यह चाहता हूँ माननीय मंत्री इस सभा को जानकारी दें।

**गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री एडुआर्डो फैलीरो और आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया और तरीके के बारे में बताए जाने का अवसर प्रदान किया। भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है और इस सभा के ज्यादातर सदस्य ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः यह स्वाभाविक ही है कि वह ऐसा अनुभव करते हैं कि उन उम्मीदवारों में से पर्याप्त नियुक्ति नहीं की जाती जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आतेहैं तथा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवामें बैठते हैं।

मुख्य बात पर तथा माननीय मित्र श्री फैलीरो द्वारा उनके भाषण में उठाई गई बातों पर आने से पहले मैं इंडियन सिविल सर्विस के ढांचे और गठन की पृष्ठ भूमि में जाना चाहूँगा जो कि उपनिवेशी शासन के समय प्रचलित थी। अंग्रेजों के शासन के समय लोग इस सेवा को बहुत आश्चर्य और आदर के साथ लेते थे। इस सेवा का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश शासन के आदेश पर कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा लोगों से राजस्व इकट्ठा करना था।

यहां तक कि स्वतंत्रता के बाद भी इस सेवा को इस तथ्य के बावजूद कि वे विदेशी शासकों के

अधीन काम कर रहे थे सक्षम माना जाता रहा। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी पंडित जी और तत्कालीन ग्रह मंत्री श्री बल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने यह उचित समझा कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर की कोई ऐसी सेवा हो जिससे लोगों की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जा सके तथा सरकार द्वारा तैयार किए गए विकास कार्यक्रमों में तेजी लाई जा सके। संविधान सभा के विचारार्थ अखिल भारतीय सेवा के संविधानात्मक ढाँचे को स्पष्ट करते हुए सरदार पटेल ने कहा था :

"मैं इस सभा में यह कहना चाहता हूँ कि पिछले दो अथवा तीन वर्षों में अगर इन सेवाओं के अधिकतर सदस्यों ने देश भक्ति और वफादारी से काम नहीं किया होता तो संघ नष्ट हो जाता यदि एकीकृत भारत न हो यदि हमारे यहां ऐसी उत्कृष्ट अखिल भारतीय सेवा न हो, जिससे सदस्य स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकें और जिसके सदस्य आपके कहे का पालन करें तो संघ नष्ट हो जायेगा। अगर आप इस रास्ते को नहीं अपनाते तो इस संविधान को भी मत अपनाएं।"

यह बताने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि माननीय मित्र श्री फैलीरो ने बताया है; नागरिकों की भूमिका में काफी परिवर्तन आ गया है। अब उनका संबंध प्रमुख रूप से कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तथा राजस्व प्रशासन से नहीं रहा है। सरकार का यह भी इरादा है कि सिविल सेवा पर संविधान के प्रमुख सिद्धान्तों अर्थात धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र और समाजवाद को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। इन आदर्शों को सबसे अच्छे तरीके से केवल निष्ठावान सिविल सेवा के द्वारा ही लागू किया जा सकता है।

अभी कुछ दिन पहले हमारी प्रधान मंत्री ने विभिन्न विभागाध्यक्षों से लाभप्रद बातचीत की थी और उन्हें देश के लिए सर्वोत्तम सेवा करने के लिए कहा था। उन्होंने उन्हें एकदम स्पष्ट किया कि उन्हें किसी विशेष व्यक्ति अथवा किसी विशेष विचारधारा या राजनीतिक दल के साथ वचनबद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी हमारे देश के उद्देश्यों और लक्ष्यों में पूरी वचनबद्धता होनी चाहिए। उन्होंने उनसे यह अनुरोध भी किया की वे हमारे कार्यक्रमों को लागू करने में तत्परता दिखाएं।

मुझे विश्वास है कि हमारे सिविल कर्मचारी हमारे नेताओं जिनमें लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है के आदेशों का उत्साह पूर्वक पालन करेंगे।

इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जैसे बड़े समाज में हमारी राष्ट्रीय योजनाएं और कार्यक्रम तब पूरे नहीं किए जा सकते जब तक सक्षम ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ सिविल सर्वेंट्स न होंगे। दिन प्रतिदिन उनका कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है तथा अपेक्षित सिविल सर्वेण्ट्स उपलब्ध कराने के लिए इसकी भरती का काम संघलोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। सिविल सेवाओं में तीन सिविल सेवाएं अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा केन्द्र और राज्य दोनों के लिए है। सेवाओं में इसका पर्याप्त ध्यान रखा गया है तथा हर साल पर्याप्त मात्रा में अधिकारियों की सीधी भर्ती की जाती है। इस के अलावा राज्य सिविल/पुलिस/वन सेवा के बहुत से अधिकारी भी पदोन्नति कोटे के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा जो अधिकारी राज्य सरकार की सेवा में हैं, लेकिन सिविल सेवा से संबंधित नहीं हैं, उनकी नियुक्ति भी उनकी सर्वाधिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए चयन के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में की जाती है।

सिविल सेवा परीक्षा से सीधी भर्ती के मामले में सरकार ने प्रत्येक भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग के लिए पचास प्रतिशत नियुक्ति बाहर से करने की नीति निर्धारित की है। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए जो कुछ बताया गया है उसे ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिके लोगों को पर्याप्त संख्या में लिए जाने के बारे में यह कहना है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उनके लिए आरक्षित रिक्तयों को यथोचित रूप से भरा जाता है। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान व्यक्तियों को प्राप्त करने के लिये मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इनमें से योग्यतम उम्मीदवारों को छांटने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों और विश्व विद्यालयों के तत्वावधान में प्रशिक्षण कक्षायें चलाई जाती हैं। यह बात मैं अपने मित्र को सूचित करने के लिये कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि उन्हें समुचित आर्थिक सहायता या प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। इन वर्गों के अधिकाधिक लोगों को सिविल सेवाओं की परिक्षाओं में बैठने प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 33 वर्ष कर दी गई है जिससे उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की अपेक्षा पाँच वर्ष का लाभ और अधिक मिलेगा। महोदय, सामान्य उम्मीदवारों के लिये यह सीमा 28 वर्ष की हैं, अनुसूचित जातियों के लिये यह सीमा 33 वर्ष की है। इसके बावजूद इस परीक्षा में वे कितनी ही बार बैठ सकते हैं। इन वर्गों का कोई भी उम्मीदवार जब तक वह निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार नहीं कर जाता, इस परीक्षा में बैठ सकता है।

मैं सदन को यह सूचित करता हूं कि सिविल सेवा परीक्षा जिसे पहले आई०ए०एस०आई० परीक्षा कहा जाता था, में बैठने केलिये आवेदन करनेवाले अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की प्रति वर्ष निरंतर बढ़ रही हैं। इस प्रकार अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की सीमा 1963 में 1057 से बढ़कर 1980 में 14,952 हो गई है। इसी तरह अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की संख्या भी इसी अवधि के दौरान 221 के बढ़कर 4138 हो गई है।

1979 में हुई सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों के आधार पर 112 अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की उनके लिये आरक्षित 112 रिक्त स्थनों पर नियुक्ति केलिये सिफारिश की गई थी और 80 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की उनके लिये आरक्षित 80 रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिये सिफारिश की गई थी। सिविल सेवा परीक्षा 1980 के परिणामों के आधार पर अनुसूचित जाति के 131 उम्मीदवारों को उनके लिये सभी आरक्षित 131 रिक्त स्थानों पर नियुक्ति केलिये सिफारिश की गई थी और 75 अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की उनके लिये आरक्षित 75 रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिये सिफारिश की गई थी। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों केलिये आरक्षण कोटेका सम्बन्ध है, इन लोगों के लिये प्रशिक्षण कक्षाओं को आयोजित करने में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार दोनों ही के द्वारा उठाये गये कदमों से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की उनके लिये आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिये अब कोई कमी नहीं रहनी है। सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि ये लोग मानव स्तर तक पहुंच जायें और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें।

अक्सर यह आलोचना की जाती है कि ये सेवायें केवल उन्हीं छात्रों के लिये उपयुक्त हैं जिन्होंने पब्लिक स्कूलों में उच्चस्तरीय शिक्षा प्राप्त की हो या शहरों तथा कस्बों में स्थित शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की हो और यह भरती शहरी आधार पर ही होती है। संघ लोक सेवा आयोग ने सरकार से परामर्श करके 1974 में कोठारी समीति नियुक्त की थी जिसने भरती नीति एवं चयन प्रक्रिया पर विचार किया था। उसकी सिफारिशों पर सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके विचार किया था और परीक्षा की एक नई योजना शुरू की गई थी जिससे अन्य बातों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों के उम्मीदवार भी इन परीक्षाओं में बैठ सकें। इस नई परीक्षा योजना को इस प्रकार से बनाया गया है कि इससे ग्रामीण पृष्ठ मार्ग वाले योग्य उम्मीदवार भी इनमें बैठ सकें। इस परीक्षा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं जिनसे ग्रामीण पृष्ठ भूमि वाले उम्मीदवारों को सहायता मिल सकेगी :—

(1) अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष थी जिसे अब बढाकर 38 वर्ष कर दिया गया है।

(2) हालाँकि प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में होते हैं लेकिन उम्मीदवारों को अग्रेजी के अलावा आठवी अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में उत्तर देने की छूट है।

(3) अँग्रेजी का ज्ञान केवल अर्हता के रूप में ही रखा गया है और इससे पदक्रम (रैंक) का निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(4) साक्षात्कार परीक्षा को कम महत्व (वेटेज) दिया गया है। 2050 अंकों में से केवल 250 अंक ही अर्थात कुल अंकों का केवल 12 प्रतिशत ही साक्षात्कार के लिये रखागया है और उम्मीदवारों के लिये साक्षात्कार में अपेक्षित किसी भी प्रकार की न्यूनतम अर्हक सीमा भी रखी गई है।

(5) सामान्य विषय की अपेक्षा वैकल्पिक विषयों अधिक महत्व दिया गया है।

ग्रामीण इलाकों से कितने उम्मीदवार आ रहे हैं यह जानने की कोई प्रणाली नहीं है। परन्तु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिये बुलाये गये उम्मीदवारों को दी गयी प्रश्नावाली के आधार पर 1979 की परीक्षा में सफल हुए उन उम्मीदवारों का प्रतिशत लगभग 43 था जो ग्रामीण क्षेत्रों से आये थे 1980 की परीक्षा के आँकड़े अभीं संकलित होने शेष हैं।

मेरे मित्र श्री फैलीरो ने भी भारतीत प्रशासनिक सेवा संवर्ग से बाहर के कुछ अन्य योग्य उम्मीदवारों का उल्लेख किया है कि क्या विकास सम्बन्धी नीतियोंको कार्यान्वित करने में उनका सदुपयोग किया जा सकता है। अब अपर सचिव के स्तर पर हम उन प्रमुख व्यक्तियों को भी जो किसी विशेष विषय के विशिष्ट विद्वान हैं, इस सेवा में ले रहे हैं, हालांकि उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्धकारी के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं की है। पदों का सृजन किया जाता है और बाद में उन पर लोगों को अपर सचिव और संयुक्त सचिव के रूप में नामित किया जाता है। इसलिये यह सुनिश्चित करने के लिये बहुत सावधानी बरती गई है कि जिस भी क्षेत्र में सिविल सेवाओं से बाहर योग्य व्यक्ति उपलब्ध हों, उन्हें नामित किया जाये। मेरे मित्र ने अपने नोटिस में कहा है कि भारतीय विदेश सेवा का पुनर्गठन किया जाये। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हालाँकि उन्होंने अपने भाषण में इसके बारे में कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं दिया है। यह प्रमुख रूप से विदेश मंत्रालय

से सम्बन्धित है और मैं इसके बारे में विस्तार से कुछ भी कहने का प्रयास नहीं करूंगा। परन्तु, मैं यह कह सकता हूँ कि भारतीय विदेश, सेवा समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इसे आम-तौर से हमारी विदेश नीति के एक प्रभावी तंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। गोवा प्रांत का एक सुयोग्य सुपुत्र इस समय विदेश सचिव है। इसलिये आपको इस बात पर गर्व होना चाहिये और इस बारे में भी फैलीरो को तो किसी किस्म की शिकायत होनी ही नहीं चाहिये। महोदय, सुयोग्यतम व्यक्तियों का वह चाहे जहाँ भी हों, चाहे वे गोवा में हों अथवा अण्डमान और निकोबार में, भारत सरकार द्वारा सफलतापूर्वक उनका सदुपयोग किया जा रहा है।

संसद की प्राक्कलन समिति ने भी वर्तमान ढांचे को आमतौर पर अनुमोदित कर दिया है और इसकी निरंतर समीक्षा की जाती रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि परीक्षा की नई योजना दो वर्षों से लागू की गई है और यह स्वाभाविक हैं कि अब हमें यह देखना है कि यह किस प्रकार कार्य करती है और इसका परिणाम क्या निकलता है। माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिये हैं और भविष्य में किसी भी समय तक अपनी भरती नीति एवं चयन प्रणाली की समीक्षा करते समय इन्हें ध्यान में रखेंगे। माननीय सदस्य ने नेतृत्व नौकरशाही नेतृत्व आदि के बारे में कुछ प्रश्न किये हैं। मैं इस बारे में स्पष्ट कर ही चुका हूँ कि हम इन पर्याप्त योग्यता वाले व्यक्तियों को अधिकाधिक संख्या में लाकर प्रतियोगिता का निर्माण कर रहे हैं जो निस्ठापूर्वक देश की सेवा भी कर सकें और जो हमारे संविधान के मौलिक सिद्धान्तों के प्रति वचनवद्ध भी हों। यह सुनिश्चित करने के लिये हर संभव प्रयास किया जायेगा कि इन सेवाओं में सुयोग्यतम व्यक्ति प्रवेश कर सकें और मुझे आशा है कि मेरे मित्र श्री फैलीरो इस बात को महसूस करेंगे कि प्रशासनिक सेवाओं का चाहे वह भारतीय प्रशासनिक सेवा हों या भारतीय विदेश सेवा अच्छा प्रयोग किया जा रहा है और उन्हें यथाशक्ति नेतृत्व का निर्माण करने की अनुमति है। नेतृत्व के द्विवीय पदक्रम (रैंक) को भी जिसका उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया है, बनाया जा रहा है।

कुछ जैवीकीय प्रतिक्रियाओं (बाइलोजीकल प्रोसेस) अथवा कठिनाइयों वाले कुछ अपर सचिवों और सचिवों के बारे में, जैसाकि उन्होंने बताया है, मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान संदर्भ में जबकि हम देश के सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए एवं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कटिवद्ध हैं, सरकार के कार्यकरण को होने दिया जायेगा। सरकार देश के सुमेरयातन लोगों को इन सेवाओं में लाने का भरसक प्रयास कर रही है चाहे वे किसी भी राज्य के हों, कोई भी भाषा बोलते हों और चाहे किसी भी क्षेत्र के हों। महोदय, हम किसी एक अथवा दूसरी भाषा में कोई अन्तर नहीं समझते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में सफलता पाने में किसी भी प्रकार से बाधक नहीं होंगी। इसीलिए, हमने कहा हैं कि हालांकि प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में बनाये जाते हैं लेकिन उम्मीदवारों को यह छूट है कि वे अपनी भाषा में अर्थात् आठवीं अनुसूची में दी गई किसी भी भाषा में अपने उत्तर लिख सकते हैं।

महोदय, हम ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकाधिक संख्या में लोगों को इन परीक्षाओं में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और हमें आशा है

कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित संतुलन बनाये रखा जाये । दूरस्थ इलाकों के तथा समाज के उपेक्षित वर्गों के लोग भी अर्थात् सभी लोगों को इन सिविल सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा ।

**श्री सुनील मैत्रा** (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : और भी लोग हैं । कृपया प्रतीक्षा करिये । इन चीजों का बैलट होता है । उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए । मुझे पहले उन्हें समय देना चाहिए और फिर इसके बाद आपके मित्र श्री चक्रवर्ती भी हैं ।

**श्री जनार्दन पुजारी** (मंगलौर) : महोदय, एक विस्तृत उत्तर दिया जा चुका है और मैं केवल प्रश्नों तक ही स्वयं को सीमित रखूंगा तथा मैं किसी भी प्रकार का वाद-विवाद नहीं करूंगा । दुर्भाग्यवश, यह कहा जाता है कि अनेकों नार्भकीय वैज्ञानिकों, इलैक्ट्रोनिक इन्जीनियरों, खनन इन्जीनियरों, टैक्सटाइल इन्जीनियरों, डाक्टरों को भारतीय पुलिस सेवा में लिया गया है । यह भी कहा जाता है कि यह उनकी योग्यताओं का दुरुपयोग है । क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इतनी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को इस सेवा अर्थात् भारतीय पुलिस सेवा में आगे से रोकने के के लिए क्या कदम उठाये गये हैं । प्रशासन में कार्यरत सिविल सेवा के कर्मचारी राजनीतिक सहानुभूतियों से मुक्त नहीं होते , हम कह सकते हैं कि वे राजनीतिक सहानुभूतियों से मुक्त होते हैं, परन्तु वास्तव में, ऐसा है नहीं । वो राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्य तो हो नहीं सकते, लेकिन मेरा अनुमान यही है बल्कि मेरा तो यह सुदृढ़ विचार है कि ये सिविल सेवा के कर्मचारी राजनीतिक दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति बचनबद्ध होते हैं चाहे यह मेरी अपनी पार्टी—कांग्रेस (आई) अथवा अन्य और कोई सी पार्टी भी क्यों न हो । यह अलग बात है । जब तक यह नहीं किया जाता तब तक प्रशासन में कुशलता लाना असम्भव ही है । क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार आई० ए० एस० आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० सेवाओं के अलावा भी कोई अखिल भारतीय सेवा शुरू करने की सोच रही है? यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

माननीय मंत्री महोदय कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है ? उन्होंने संख्या बता दी है । क्या मैं उनसे यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि इन सिविल सेवाओं में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अथवा अन्य भाषाओं के माध्यम से सफल होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना-कितना है ? क्या मैं उनसे यह भी पूछ सकता हूं कि 24 वर्ष से कम की आयु के सफल उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है ? ये मेरे कुछ प्रश्न हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री चक्रवर्ती, आप भी अपने प्रश्न कर सकते हैं । अन्त में वह उत्तर देंगे ।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा इसलिए उठी है क्योंकि मैंने एक पूरक प्रश्न पूछा था कि क्या सिविल सेवा में भर्ती के लिए अंग्रेजी की ओर निश्चित रूप से झुकाव

था अथवा नहीं । मैं प्रजातन्त्र में नौकरशाही की भूमिका और कार्यचालन के व्यापक पहलू की गहराई में नहीं जा रहा हूं । लेकिन मेरा सुस्पष्ट प्रश्न यह है । मैं इसे स्पष्ट नहीं करूंगा । आप भी सहमत हैं कि उपनिवेशी प्रशासन ने जानबूझ कर अंग्रेजीको विशेषाधिकृत का एक पारपत्र बना रखा है । मेरे साथी ने खुलेआम कहा है कि वे भारत में शिक्षित लोग चाहते है । चमड़ी का रंग चाहे अंग्रेजी वाला न हो लेकिन उनकी शिक्षा के प्रति रूचि, उनका रवैया, अंग्रेजों जैसा होगा । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भी, हम देखते हैं कि वह परम्परा जारी है। केवल इतना ही नहीं । एक नया संघटक संचारित किया गया हे । अब यह हिन्दू हठधर्मी यह विश्वास रखते हैं कि हिन्दी ही देश का स्वाभिमान होना चाहिए । स्वाभाविक है कि यदि यह पक्षपात भी रहता है तो जो उम्मीदवार दिन्दी में प्रवीणता रखते हैं वे अनुकूल परिस्थिति में होंगे । अब, हमारे संविधान में चाहे जो कुछ भी हो, व्यवहार में हम देखते हैं कि जो उम्मीदवार अंग्रेजी अथवा हिन्दी से भिन्न कोई भाषाएं बोलता है उसे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है । यही कारण है कि मैं यह बताना चाहूंगा कि संघ लोक सेवा आयोग के पिछले प्रनिवेदन में हम देखते हैं कि कतिपय तकनीकी कठिनाईयों के कारण कुछेक छात्रों की परीक्षा उनकी मातृ भाषा में नहीं ली जा सकी । ये तकनीकी कठिनाइयाँ कौन-सी हैं ? क्या उन्हें दूर कर लिया गया गया है ?

महोदय, हमारे देश के सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए । भाषा वाधा नहीं बननी चाहिएस्वाभाविक है, यदि कई तकनीकी कठिनाइया हैं तो आप किसी वात पर सिद्धान्ततः सहमत हो सकते हैं लेकिन उसे कार्यरूप देने में सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर आ सकता है । इसलिए यह जरूरी है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें कि कितने छात्रों ने अपने उत्तर अंग्रेजी में लिखे, कितने छात्रों ने हिन्दी में लिखे तथा कितने छात्रों ने क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे और सफल उम्मीदवारों की प्रतिशतता क्या थी ?

दूसरे, जब आप मौखिक परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं । कभी-कभी यह देखा जाता है कि जिन छात्रों ने लिखित परीक्षा में चाहे अच्छी सफलता दिखाई हो मौखिक परीक्षा में उन्हें उनके उच्चारण, अथवा प्रकटन व अंग्रेजी या हिन्दी बोलने में अहमता अथवा अल्प क्षमता के कारण अनर्ह घोषित कर दिया जाता है । मौखिक प्रश्न पूछने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है और साथ ही, अन्य कौन से मानदण्ड हैं – वस्तुपरक अथवा व्यक्तिपरक— जिनका प्रयोग उम्मीदवारों के चयन के लिए किया जाता है ?

**श्री राम सिंह यादव** (अलवर) : महोदय, यद्यपि ग्रह मंत्री ने विस्तृत उत्तर दे दिया है तथापि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो उनके उत्तर से उठते हैं । महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को यह विकल्प होता है कि वे भारत के संविधान की आंठवी अनुसूची में सूचीकृत की गई किसी भी भारतीय भाषा में उत्तर दे सकते हैं लेकिन प्रतिवेदन से मुझे यह मालूम होता है कि यह निर्धारित किया गया है कि यदि कोई उम्मीदवार अंग्रेजी में अपने आपको व्यक्त करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो, निश्चय ही, उसे साक्षात्कार बोर्ड द्वारा किसी भारतीय भाषा में अपने को व्यक्त करने की अनुमति दी जा सकती है, अन्यथा वह अंग्रेजी में अपने को व्यक्त करेगा । माननींय मंत्री ने जो कहा है वह इससे बिल्कुल विपरीत है । इस संबंध में मैं श्री कोठारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के पृष्ठ 63, पैरा 3 का संदर्भ देना चाहूंगा । उसमें कहा गया है कि :—

"हमसे यह प्रश्न किया गया है कि क्या साक्षात्कार परीक्षाओं में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उम्मीदवारों को संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित की गई भारतीय भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं। ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात हमारा यह मत है कि, सामान्य तौर पर उम्मीदवारों को अंग्रेजी में उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।"

आगे वे कहते हैं :

"इससे, अन्य उम्मीदवारों की तुलना में किसी उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करने हेतु मानक की एक रुपता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी...।"

आगे वे कहते हैं, 'केवल विशेष मामले में' यह अनुमति दी जाती है। कोई उम्मीदवार किसी भारतीय भाषा में अपने को व्यक्त करने की इच्छा प्रकट करते है और केवल विशेष मामले में ही इसकी अनुमति दी जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि सामान्यतया उम्मीदवारों से यह आशा की जाती साक्षात्कार परीक्षा बोर्ड के सदस्यों द्वारा उनसे जो प्रश्न पूछे जाएं वे उनका उत्तर अंग्रेजी में दें। लेकिन, यहाँ यह कहा गया है कि 'यदि वह अंग्रेजी में अपने आप को व्यक्त करने में असमर्थता प्रकट करता है' जिसका अभिप्राय यह हुआ कि सर्वप्रथम उम्मीदवार को यह कहकर अपनी असमर्थता व्यक्त करनी चाहिए कि 'महोदय, मैं अंग्रेजी में उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं' मैं नहीं समझता कि कोई उम्मीदवार ऐसा कहेगा। वे कहते हैं :

"यदि किसी विशेष मामले में कोई उम्मीदवार, अपने आपको अंग्रेजी में पर्याप्त रूप से व्यक्त न कर सकने में अपनी असमर्थता कारण किसी भारतीय भाषा में बोलने की इच्छा व्यक्त करता है तो साक्षात्कार परिक्षा बोर्ड, को चाहिए कि वह उम्मीदवार को तनावरहित स्थिति में लाकर और उसे किसी भारतीय भाषा में उत्तर देने की अनुमति दें।"

मेरा निवेदन यह है कि इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के बाद भी, और भारत सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रतिवेदन पर अमल करना शुरू किए जाने के बाद भी, यह स्थिति बनी हुई है और भारत के लोगों की इच्छाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। यह एक अजीब बात है। हम भारत में पलते हैं ; हमें अपनी माताओं द्वारा शिक्षा मिलती है ; हमें अपने माता-पिता द्वारा भारतीय भाषाओं में शिक्षा मिलती है। यदि हम उस भाषा का उपयोग अपने आप को सेवाओं में योग्य सिद्ध करने के लिए नहीं कर सकते तो यह बात हमारे लोगों की इच्छाओं के प्रतिकूल है। मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछूंगा। उम्मीदवार को किसी भी भारतीय भाषा में उत्तर देने का विकल्प और छूट क्यों नहीं दी जानी चाहिए ? इसमें क्या कठिनाई है ? जो व्यक्ति साक्षात्कार परीक्षा के बोर्ड के सदस्य के रूप में बैठता है उसकी पूर्ण असमर्थता ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। यह उसकी असमर्थता के कारण है; वह भारतीय भाषा को नहीं समझता। अतः उसकी असर्थता उम्मीदवार पर थोपी जाती है। उसकी असर्थता उम्मीदवार पर क्यों थोपी जानी चाहिए ? बोर्ड का सदस्य हिन्दी अथवा बंगला अथवा पंजाबी अथवा मलायलस अथवा तमिल अथवा तेलेगु नहीं समझता। इसलिए, उम्मीदवार से यह आशा की जाती है कि वह अपने को अंग्रेजी में व्यक्त करे। यह सविधान के सिद्धान्त के प्रतिकूल हैं और देश के लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है: मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय सिविल सेवा (आई. सी. एस.) के बारे में क्या कहा था । जब हम, भारत के लोग, उपनिवेशी शासन के विरूद्ध लड़ रहे थे, जब हम भारतीय लिखित सेवा को न तो भारतीय, न सिविल और न ही सेवा के रूप में माना करते थे । भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी उन विचारों और उन आदर्शों पर नहीं चल रहेथे जिनकी हमें अभिलाषा थी । और यही पंडित जवाहरलाल नेहरु ने सिविल सेवाओं के वारे में कहा था ।

"उन्हें (सिविल सेवाएं को) अपने आपको भारत के लोगों का ही एक अंग समझना चाहिए जो भारत के निर्माण के इस महान कार्य में सहयोग दे रहे हैं" ।

हम अपने इस देश के विकाश के साथ साथ देहाती पुननिर्माण के कार्य में लगे हुए हैं । यही लक्ष्य और यही विचार हमारी नौकरशाही और हमारे सिविल कर्मचारियों के सामने भी है । अब प्रश्न यह है कि : हम भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा के व्यक्तियों की एक विशेष श्रेणी क्यों पैदा कर रहे हैं ? आप इन इन उम्मीदवारों के चयन संबंधी आंकड़े देखिए । आपको मालूम हो जाएगा कि अधिकतंर उम्मीदवार इन परिवारों के होते हैं जिनके अभिभावक इन सेवाओं में हैं । और फिर इन सेवाओं में आ जाने के बाद ये व्यक्ति, पुरुष और महिलाएं इस श्रेणी के ही भीतर विवाह करना चाहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हमारे स्वतन्त्र भारत में भी एक विशेष श्रेणी है। उस विशेष श्रेणी के रहन-सहन के अपने विभिन्न मानदण्ड हैं रहन-सहन की अलग-अलग आदते हैं , अलग-अलग ढंग हैं, आदि, आदि ।

इन परिस्थितियों में मेरा मंत्री से आग्रह हैं कि इस श्रेणीमें पूर्णतया परिवर्तन किया जाना चाहिए जब तक इस श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जाता तव तक हम उनसे यह आशा नहीं कर सकते कि वे उन्हें सौंपे गए कार्यो और कर्तव्यों को निभा सकेंगे । हमारे राष्ट्रनिर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनसे यही आशा करते थे । इसलिए माननीय मंत्री को मेरा सुझाव है कि देहाती झुकाव होना चाहिए । निस्संदेह, मंत्री जी ने कहा है कि हम ऐसे व्यक्ति इन सेवाओं में ला रहे हैं जिनकी देहाती पृष्ठभूमि है, आदि । लेकिन, मात्र यह कहना कि हम देहाती पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ला रहे हैं, काफी नहीं होगा । मंत्री को मेरा सुझाव यह है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसे उम्मीदवारों को किसी निश्चित प्रतिशतता में अंक दिए जाने चाहिए । कोई लड़का या लड़की जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है और जिसने ग्रामीण क्षेत्र के किसी कालेज में ही शिक्षा प्राप्त की है उसे कम से कम 1% अथवा 2% अथवा 3% अंक अतिरिक्त दिये जाने चाहिए क्योंकि एक सिविल कर्मचारी के रूप में उसे देहाती क्षेत्रों में ही सेवा करने के लिए जाना होगा । हम सब यह अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश की 80%जनता ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है । जब उसे देहात में ही सेवा करनी पड़ती है तब उसे वहाँ की स्थानीय भाषा भी सीखनी होगी, उसे देहाती आदतों को भी सीखना होगा, उसे स्वयं को देहाती ही वनाना पड़ेगा आदि । इसलिए, मैं यह जानना चाहूँगा कि इस सेवा में भी देहाती लोगों को प्राथमिकता क्यों न दी जाये । मेरा सुझाव यह है कि देहाती क्षेत्र के उम्मीदवारों को कुछ विशिष्ट प्रतिशत अंक दिये जाने चाहिए ।

महोदय, मंडल आयोग ने पिछड़ी श्रेणियों के बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अब

प्रश्न यह उठता है कि आरक्षण किया गया है और इसका उल्लेख रिपोर्ट में भी किया गया है। यहां मैं कोठारी आयोग रिपोर्ट के एक सम्बन्धित भाग का उल्लेख करना चाहूंगा।

"हम महसूस करते हैं कि आयु की उच्चतम सीमा 26 वर्ष ही रखते हुए, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों और समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के हितों का प्रर्याप्त संरक्षण किया जाये।" इसका अर्थ यह है कि भारत सरकार कुछ अन्य श्रेणियों, और समुदायों पर भी विचार करेगी, जिन्हें वर्गीकृत किया जायेगा अथवा जिन्हें आयु और आरक्षण में भी रियायतें दी जायेंगी। मेरा कहना है कि चूकि मंडल आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार के सक्रिय विचाराधीन है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मण्डल आयोग द्वारा पिछड़ी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत की गई अन्य श्रेणियों के लिए भी आरक्षण किया जाना चाहिए और रिपोर्ट में बताये गए लोगों के इन वर्गों को कुछ प्रतिशत अंक अतिरिक्त दिये जायें।

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या** : महोदय, देहाती पूर्वाग्रह के बारे में मैं यह स्पष्ट करूंगा कि जो कुछ मैंने अपने पहले भाषण में कहा था। देहाती क्षेत्रों के उम्मीदवारों के बारे में जो अंग्रेजी में अधिक प्रवीण नहीं होते अथवा पब्लिक स्कूल शिक्षा की विवेकता से अनभिज्ञ होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग ने उनकी कठिनाई को दूर कर दिया है और वे बिना किसी हिचकिचाहट के बड़ी आसानी से परीक्षा दे सकते हैं ताकि वे साक्षात्कार में सफलतापूर्वक उपस्थित हो सकें। आयोग द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार की प्रक्रिया कठोर जिरह वाली नहीं होती किन्तु सीधी और उद्देश्यपूर्ण वार्ता के माध्यम से स्वाभाविक होती है जिससे कि उम्मीदवार की मानसिक योग्यताओं का लगाया जा सके। उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को मद्देनजर रखकर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है उम्मीदवारों का, यदि वे चाहें तो संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में से किसी में भी साक्षात्कार परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर देने की सुविधा भी दी गई है जिसमें कि उसने लिखित परीक्षा के पेपरों के उत्तर दिए हों। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रादेशिक भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर देने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार परीक्षा में अंग्रेजी भाषा में उत्तर देने वाले उम्मीदवारों के समान ही माना जाता है और किसी भी को हानि नहीं होती अथवा साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष प्रश्नों के उत्तर प्रादेशिक भाषा में देने पर कोई नुकसान नहीं होता।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, साक्षात्कार बोर्डमें साक्षात्कार लेने वाले लोग सभी राष्ट्रीय भाषाओं में प्रवीण होते हैं? क्या आपका यह प्रश्न है?

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यही है। साक्षात्कार बोर्ड में वही व्यक्ति लिए जाने चाहिए जो भारतीय संविधान में दी गई सभी भाषाओं को समझ और बोल सकते हों। क्या आप निश्चित रूप यह कह सकते हैं कि यह एक तथ्य है?

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या** : संघ लोक सेवा आयोग इस दिशा में सभी सम्भव कदम उठा रहा है। यदि ऐसे लोग उस भाषा में प्रवीण नहीं होते जिसमें कि उम्मीद्वार प्रवीण हैं तो अयोग दुभाषियों की व्यवस्था करता है जो उम्मीदवार द्वारा दिए गए उत्तर की व्याख्या करता है। मैं यह साक्षात्कार

बोर्ड के बारे में कह रहा हूं जहां उम्मीद्वार विशेष की योग्यता और मानसिक चेतना की परीक्षा के लिए सदस्य होते हैं । मान लो अगर कोई उम्मीद्वार अंग्रेजी भाषा में नहीं बोल सकता है तो उसे 8 वीं अनुसूची में दी गई किसी भाषा में भी प्रश्नों का उत्तर देने की सुविधा दी जाती है ।

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर)** : यह सुविधा नहीं है, यह तो उम्मीदवार का हक है ।

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या** : यह केवल साधन का प्रश्न है । यह किसी हक को छीन लेने का प्रश्न नहीं है । हमने कहा है कि यदि उम्मीद्वार अपना उत्तर अंग्रेजी में देना चाहता है तो हम उसे बाध्य नहीं कर सकते, जबकि उसकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है । निस्संदेह, किसी की भी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है । मानलो वह किसी विशेष वर्ग का है जैसे उसकी मातृ-भाषा तमिल है और यदि आप उसे तमिल में उत्तर देने के लिए कहें, किन्तु वह कहता है कि यद्यपि उसकी मातृभाषा तमिल है किन्तु वह उत्तर अंग्रेजी में ही देगा आप उसे बाध्य नहीं कर सकते ।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : मैं आपको केवल समस्या समझाना चाहता हूं कि आप पूर्णत निश्चित रहें । मैं चाहता हूँ कि आप सम्पूर्ण मामले की जांच करायें । मैंने संघ लोग सेवा आयोग की रिपोर्ट में देखा है कि वे उपयुक्त व्यक्तियों के लिए विभिन्न भाषाओं में प्रश्न भी प्रकाशित नहीं करा सकते । पिछले वर्ष की रिपोर्ट यही बताती है । और यह कारण है कि वे इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सके । मैं चाहूँगा कि आप इसका अध्ययन करें। यदि यही हालात प्रश्न सैट करने प्रश्नों के प्रकाशन और लेखों के मूल्यांकन का है, हमें इसे अवश्य स्वीकार करना होगा, किन्तु तब भी आपसे यह कहूंगा कि आप इस बात की स्वयं जाँच करें कि क्या वास्तव में साक्षात्कार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति हैं अथवा क्या वहां पर दुभासिये हैं? और यदि आप उसके बाद ऐसा कहें तो मैं मान लूँगा ।

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या** : प्रश्नों को सैट करने के बारेमें, मैंने पहले ही कहा है कि वे अंग्रेजी और हिन्दी में सैट करते हैं और उम्मीदवारों को यह विकल्प दिया जाता है कि वे 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में से किसी में भी अपने उत्तर दे सकते हैं ।

अन्य मामलों के बारे में जिन्हें कि माननीय प्रोफेसर साहब ने मेरी जानकारी में लाया है उनके बारे में मैं जाँच करूंगा ।

विभिन्न भाषाओं मैं उत्तर देने वाले लोगों की सूची बहुत लम्बी है । मैं केवल यही कह सकता हूँ ।

असमी भाषा में 1979 में 3 उम्मीद्वारों ने अपने उत्तर दिए थे और पास होने वालों की संख्या शून्य थी 1980 में 4 उम्मीदवार थे और उनमें से केवल 1 ही पास हुआ था ।

अब बंगाली में, आमतौर पर बंगाल और तमिलनाडु के लोग अपनी भाषा की समृध्द सांस्कृति को बढ़ाने में काफी उत्साही होते हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आन्ध्र के क्यों नहीं ? आप स्वयं ही ।

**श्री पी० वेंकटसुब्बय्या** : हम सर्वभौम लोग हैं, महोदय । बंगाली में, हमारे प्रोफेसर के समर्थन के बावजूद भी 1979 में केवल 18 व्यक्ति बैठे और उनमे से दो ही पास हुए । 1980 में संख्या

घट कर 17 हो गई और केवल एक ही व्यक्ति पास हुआ। गुजराती 1979 में 13 बैठे और 4 पास हुए, 1980 में 19 बैठे और दो पास हुए।

**हिन्दी** : श्री राम सिंह यादव ने इसका हवाला दिया है। 1979 में 803 लोग बैठे और 38 पास हुए। 1980 में, सख्या बड़ गई, 983 बैठे और 57 पास हुए।

**कन्नड** : 1979 में एक बैठा और वह पास नहीं हुआ। मैं यह अपने मित्र श्री लकूपा और श्री पुजारी से कहूँगा। 1980 में 4 उम्मीद्वार बैठे और 1 पास हुआ।

**मलयालम** : 1979 में 4 बैठे और उनमें से कोई भी पास नहीं हुआ। 1980 में 6 बैठे और एक पास हुआ।

**मराठी** : श्री शिवराज पाटिल यहां हैं...1979 में 13 बैठे और 4 पास हुए। 1980 में 14 बैठे और दो पास हुए।

**उड़ीया** : 1979 में दो बैठे और कोई भी पास नहीं हुआ। 1980 में दो बैठे और पास कोई भी नहीं हुआ। किन्तु तब भी हम बड़ी संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा लोग उड़ीया से ही पाते हैं। शायद वे अंग्रेजी में अपनी मातृ भाषा उड़ीया से अधिक प्रवीण होते हैं।

**पंजाबी** : 1979 में 15 बैठे और कोई भी पास नहीं हुआ। 1980 में 14 बैठे और 5 पास हुए।

**संस्कृत** : 1979 में एक बैठा और वह भी पास नहीं हुआ, 1980 में किसी ने भी बैठने की हिम्मत नहीं की।

**तमिल** : तमिल उपाध्यक्ष महोदय की और मेरी भाषा है 1979 में 16 बैठे और 3 पास हुए। 1980 में—यह घट गई—डी० एम० के० और ए० डी० एम० के प्रचार के बावजूद भी... 7 बैठे और 4 पास हो गए।

**तेलुगू** : 1979 में 18 बैठे और 3 पास हो गए। किन्तु 1980 में 24 बैठे किन्तु एक ही पास हुआ।

**उर्दू** : 1979 में कोई भी नहीं बैठा। 1980 में एक ही बैठा और वह पास हो गया। 100% । यह प्रतिशत हुआ।

**अंग्रेजी** : 1979 में 5914 बैठे और 648 पास हुए। 1980 में बैठने वालों की संख्या बढ़कर 7271 हो गई और 671 पास हुए।

मेरे पास यह आंकड़े हैं। यही कठिनाई है। हमारे अच्छे प्रयासों के बावजूद भी लोग अंग्रेजी के प्रति मंत्रमुग्ध हैं।

श्री पुजारी ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाये थे कि क्या और अधिक अखिल भारतीय सेवा में बनाने का कोई प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि कुछ

समय पहले राज्य सभा ने दो और अखिल भारतीय सेवाओं नामतः अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा और अखिल भारतीय अभियंता सेवा, का गठन करने की सिफारिश करते हुए एक संकल्प पारित किया था। हम विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श कर रहे हैं। कुछेक ने इस सम्बन्ध में अपने विचार दे भी दिए हैं।

उन लोगों के बारे में जो अपेक्षित योग्यताओं से अधिक योग्यतायें रखते हैं, श्री पुजारी ने एक शिकायत की है : "आप उन्हें प्रतियोगिता में बैठने की अनुमति ही क्यों देते हैं?" यह हमारे हाथों में नहीं है। कल को अगर श्री पुजारी ही ओवर-क्वालीफाइड हो जाते हैं और वे अखिल भारतीय सेवा परीक्षा में बैठना चाहते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगर आप उन्हें बैठने नहीं देंगे तो वे अदालतों में चले जायेंगे।

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या** : हमारी यही कठिनाई है। हमारे मित्र श्रीरामसिंह यादव ने पिछड़ी श्रेणी आयोग की रिपोर्ट के बारे में कहा था। यह अभी सदन के सभा पटल पर रखी जानी है। उन्होंने कोठारी आयोग की रिपोर्ट में से एक उद्धरण दिया था। मैंने माननीय सदस्य का सुझाव नोट कर लिया है। इससे अधिक मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता।

---

## कार्य मंत्रणा समिति

### 20वां प्रतिवेदन

**गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 20 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सदन कल सुबह 11 बजे म० पू० पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होता है।

6.31 म० प०

**तत्पश्चात लोक सभा बृहस्पतिवार 10 सितम्बर 1981/19 भाद्र, 1903 (शक) के 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

---

चौधरी मुद्रण केन्द्र साउथ मोजपुर दिल्ली-53